नवम माला, खंड 14, अंक 5

बुधवार, 27 फरवरी, 1991
8 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No 62
Date 30-8-91

(खंड 14 में अंक 1 से 11 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 27 फरवरी, 1991/8 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
19	नीचे से पंक्ति 8	"(क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
96	नीचे से पंक्ति 4	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
192	प्रथम पंक्ति	शीर्षक में "निमण" के स्थान पर "निर्माण" पढ़िये।
193	14	शीर्षक में "खाख" के स्थान पर "खाद्य" पढ़िये।
215	नीचे से पंक्ति 5	"श्री दलई चौधी" के स्थान पर "श्री दलई चौधरी" पढ़िये।
219	नीचे से पंक्ति 10	शीर्षक में "क्षाबंटन" के स्थान पर "आबंटन" पढ़िये
233	13	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
235	13	"(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (ध)" पढ़िये।
254	नीचे से पंक्ति 7	"श्री [redacted] एम·मोए" के स्थान पर "श्री आर· एम· [redacted] पढ़िये।
282	13	"श्रीमती [redacted] ाधिनी अलीपुर" के स्थान पर "श्रीमती [redacted] ाधिनी अली" पढ़िये।

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

नवम माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 5, बुधवार, 27 फरवरी, 1991/8 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	3—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 62 और 64 से 66	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—264
तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 63 और 67 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 663 से 774, 776 से 806, 808 से 857 859 और 861 से 890	
रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन को पुन: मान्यता प्रदान करने और 1974 की हड़ताल के पश्चात् बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में	264—290
सभा पटल पर रखे गए पत्र	290—291
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	291
बारहवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत	
लोक लेखा समिति	292
अठारवां, उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत	
सभा का कार्य	293—294
कार्य मंत्रणा समिति	294
बीसवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	295—298
(एक) तिरूपित कोच रिपेयर वर्क्स का नवीकरण किए जाने की मांग	
डा० चिन्ता मोहन	295
(दो) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के रामगढ़ में चीनी मिल लगाए जाने की मांग	
श्री राम लाल राही	395
(तीन) राजस्थान में विशेष कर बयाना क्षेत्र के लोगों को पेयजल और बिजली उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री थान सिंह जाटव	296
(चार) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री बाबूराव परांजपे	296—297
(पांच) राजस्थान की सिद्धमुख, नोहर फीडर और गंगनहर लिंक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग	
श्री बेगा राम	297
(छः) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मुम्बई की रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की मांग	
श्री वामनराव महाडीक	297
(सात) पंजाब में कथित पुलिस ज्यादतियों की जांच कराए जाने की मांग	
श्री कृपाल सिंह	297—297
(आठ) भूतपूर्व सैनिकों की "एक रैंक एक पेंशन" की मांग स्वीकार किए जाने की मांग	
श्री एम० एस० पाल	298
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में विनिर्दिष्ट संकल्प	298—303
श्री सुबोध कान्त सहाय	298—303

जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 304—355

श्री सुबोध कान्त सहाय 304—305
श्री मदन लाल खुराना 305—312
प्रो० सैफुद्दीन सोज 312—324
श्री हरिकिशोर सिंह 324—328
श्री धर्म पाल शर्मा 328—335
श्री युवराज 335—336
श्री सैफुद्दीन चौधरी 336—339
कुमारी मायावती 339—340
श्री जनक राज गुप्त 340—342
श्री भोगेन्द्र झा 342—345
डा० तम्बि दुरै 345—346
श्री रमेश चेन्नीथाला 346—348
श्री डी० डी० खनोरिया 348—349
प्रो० एन० तोम्बी सिंह 349—351
श्री इन्द्र जीत 351—354
श्री चन्द्र शेखर 354—355

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 355—356
श्री कपिल देव शास्त्री 355—356

लोक सभा

बुधवार, 27 फरवरी, 1991/8 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री कान्हू राम देवगम के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री देवगम 1952—57 तक पहली लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार के चाइबासा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रहे।

श्री देवगम पेशे से एक अध्यापक थे और विभिन्न हैसियतों में वह चाइबासा जिला स्कूलों से संबद्ध रहे। वे एक समाज सुधारक थे। "हो समाज महासभा" के द्वारा उन्होंने समाज की सेवा की। आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री देवगम ने 'हो भाषा' में कई पुस्तकें और कविताएं भी लिखीं।

उनका निधन 10 फरवरी, 1991 को 94 वर्ष की आयु में चाइबासा में हुआ।

अपने इस मित्र के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 फरवरी को आपको यह सूचना देने के लिए एक पत्र लिखा था कि मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के पश्चात्।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : स्थिति वास्तव में बहुत गम्भीर है। हुआ यह है कि रेलवे विभाग, रेलवे बोर्ड और रेलवे सुरक्षा बल की नौकरशाही राजनैतिक व्यवस्था की परवाह नहीं कर हैं। वे अभी भी सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। 1984 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं; मूलरूप में यह योजना थी कि रेलवे सुरक्षा बल को सैन्य बल बना दिया जाए। श्रीमती गांधी

ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके पश्चात् 1985 में कोई अन्य बहाना करके यह कहते हुए कि इसे अर्द्ध सैन्य बल बना दिया जाना चाहिए, उन्होंने इसे एक संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किया था। रेलवे सुरक्षा बल को सैन्य बल के रूप में लाना ही पूर्ण उद्देश्य नहीं था, अपितु इसका पूर्ण उद्देश्य, रेलवे सुरक्षा बल के कनिष्ठ कर्मचारियों की एसोसिएशन को दी गई मान्यता को वापस लेना था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि यह आपका अधिकार है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्होंने गैर-कानूनी ढंग से मान्यता समाप्त कर दी है··· (व्यवधान) वे पुनः मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं···(व्यवधान) प्रधानमन्त्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है, रेलवे मन्त्री इसे स्वीकार करते है, किन्तु इसे किया नहीं गया है। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह एक बहुत ही गंभीर विषय है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय की गंभीरता को कम नहीं कर रहा हूं, किन्तु मेरा कहना है, कि इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठाया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रेलवे मन्त्री को आकर स्पष्ट करना चाहिए।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : रेलवे मन्त्री ने पहले ही माननीय सदस्य को लिख दिया है····(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, रेलवे मन्त्री का दृष्टिकोण दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि वे समझते हैं कि हम वे लोग हैं जिनके पास न्यूनतम समझ भी नहीं है। तथ्य यह है कि हम पुनः मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं और अन्त में उन्होंने 10.59 बजे बड़े रूखेपन से यह कह दिया कि हम मान्यता दे देंगे किन्तु यह निर्धारित औपचारिकताओं के अध्यधीन होगी। महोदय, मुझे दुःख है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी जगह पर बैठें। अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि रेल मन्त्री ने पहले ही माननीय सदस्य को लिख दिया है। वे मामले की जांच कर रहे हैं और इस दिशा में उचित कार्यवाही करके माननीय सदस्य की संतुष्टि की जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने एश्योरेंस दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, जब इस मामले को उठाया गया था तब सारा सदन एक मत था। यह गवर्नमेंट कैसे इसकी अवहेलना कर सकती है। न केवल मिनिस्टर बल्कि सारे हाउस को मिसगाइड करने की कोशिश ब्यूरोक्रेसी द्वारा की जा रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मन्त्री महोदय ने वायदा किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मालवीय जी, वे आपकी बात नहीं सुन सके। कृपया अन्तिम पंक्ति दोहरा दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, रेल मन्त्री ने पहले ही माननीय सदस्य, श्री कुमारमंगलम को लिख दिया है और वे माननीय सदस्य को संतुष्ट करके निर्णय लेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्हें यहां आने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, उन्होंने आश्वासन दे दिया है। वे केवल पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री ही नहीं हैं अपितु संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं प्रधानमन्त्री से आश्वासन चाहता हूं। (व्यवधान) महोदय, मैं आपके आदेश को मानते हुए सदन के बीचोंबीच नहीं बैठा हूं अपितु आदेश आने तक मैं सभा में प्रतीक्षा करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजधानी में भवन निर्माण उप-नियम

[अनुवाद]

*62. **श्री वामनराव महाडीक** :

श्री हरीश पाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से राजधानी में भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भवन निर्माण उप-नियमों पर कब तक पुनर्विचार कर लिए जाने की संभावना है ?

[हिन्दी]

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) यह आवश्यक समझा गया था कि भवन उप-नियमों में संशोधन बृहद योजना के अनुरूप हों तथा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के संबंध में समरूप हो।

(ग) दिल्ली नगर निगम के संबंध में हाल ही में किए गए संशोधनों की पुनरीक्षा की जा रही है तथा इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक : महोदय, दिल्ली, मुम्बई तथा कलकत्ता जैसे प्रसिद्ध नगरों में काफी

बड़ी संख्या में गगनचुम्बी इमारतें बड़ी तेजी से बन रही हैं और उनमें जब कभी आग लगती है तो उसे बुझाने में काफी दिक्कतें आती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि भवन उप-नियमों तथा विकास और योजना नियमों में परिवर्तन करने के लिए इन पर विचार किया जाए। क्या सरकार ने इन भवन उप-नियमों में परिवर्तन करने का विचार किया है ताकि इस कठिनाई को दूर किया जा सके। यदि ऐसा है तो वे कौन से हैं?

[हिन्दी]

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नोत्तर में निवेदन किया है कि दिल्ली प्रशासन ने जो नियम प्रकाशित किए थे उसमें कुछ आपत्तियां हैं। उस वजह से उन आपत्तियों का निराकरण करके सम्बन्धित नियम बनाए जाएं इसके लिए उनको रोका गया है और उसकी कार्यवाही चल रही है। वैसे नियम 1983 में वह समन्वित है लेकिन दिल्ली प्रशासन ने नियम में संशोधन करके एक अधिसूचना जारी की। उसके मुताबिक जो संशोधन थे वे मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं थे। उसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को आपत्ति थी। उस वजह से यह कार्यवाही एक समन्वित नियम बनाने की दृष्टि से की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक : दिल्ली, कलकत्ता तथा मुम्बई जैसे नगरों में जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण ही सभी प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं भूमि सम्बन्धी भयंकर समस्याओं से निपटने के लिए क्या सरकार ने फर्श स्थान सूचकांक को बढ़ाने का विचार किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन महानगरों में भवन उप-नियमों तथा विकास और योजना नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, सरकार जनता की समस्याओं के सम्बन्ध में हर पहलू पर विचार करती है परन्तु यह प्रश्न केवल दिल्ली से संबंधित है। इसलिए दिल्ली से सम्बन्धित उपनियम के संशोधन के सम्बन्ध में जो प्रश्न था उसके सम्बन्ध में मैंने जानकारी दी है माननीय सदस्य सारे हिन्दुस्तान के नगरों की बात कर रहे हैं। अगर वे कोई प्रश्न पूछें तो उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी दूंगा।

श्री राम नाईक : आज दिल्ली के महानगर पालिका में और वैसे ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का जन-प्रतिनिधित्व नहीं है, दोनों डिजौल्व की हुई है। ये जो नए नियम बनाए गए हैं उसके सम्बन्ध में दिल्ली के जो एम० पीज हैं उनको यह शासन विश्वास में लेकर क्या उनके साथ इसकी चर्चा करेगा?

श्री दौलत राम सारण : ये जो नये नियम बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी उसमें सारी पब्लिक से आपत्तियां आमन्त्रित की गई थीं। लेकिन ये नियम समन्वित नहीं थे। सब एजेंसियां जो काम करने वाली हैं उनके समानरूप से नियम होने चाहिए इस दृष्टि से संशोधन करना आवश्यक समझा। जब दुबारा संशोधन की स्थिति आएगी तो उस समय माननीय सदस्य यदि कोई संशोधन देना चाहें तो दे सकते हैं।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त : महोदय, दिल्ली के सम्बन्ध में जो मुद्दा उठाया गया है वह देश के

अन्य महानगरों से भी सुसम्बद्ध है। मैंने यही देखा है कि लगभग सभी नगरों में आवास स्थिति काफी गम्भीर है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बनाए जा रहे मकानों की संख्या भी मांग की तुलना में बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश व्यक्ति जो अपना मकान बनाना चाहते हैं वे बड़ी निर्माण कम्पनियों के शोषण का शिकार हो जाते हैं। ये कम्पनियां भवन सम्बन्धी नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करती तथा पर्यावरण को दूषित कर रही हैं जिससे सभी प्रकार के संकट जैसे आग लगने की आशंका तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरे इत्यादि भी बढ़ते ही जा रहे हैं।(व्यवधान)

इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ ऐसे नियम बनाने का विचार कर रही है जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा सके। इमारतों का निर्माण करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए जिन्हें देश के सभी भागों में समान रूप से माना जाए तथा लागू किया जाए ताकि हम लोगों को बड़ी निर्माण कम्पनियों के शोषण से बचा सकें जो कि नियमों की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए विभिन्न रूप में उनका शोषण करती हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिप्लव जी, यह सवाल बाई-लॉज के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष जी, कम्पनियों के चंगुल का यहां कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो दिल्ली के उप नियमों के संशोधन का है। माननीय सदस्य ने महानगरों में मकानों की समस्याओं की ओर जो ध्यान दिलाया है उनके समाधान के अलग से प्रयत्न हो रहे हैं। माननीय सदस्य जब इस बारे में अलग से प्रश्न देंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष जी, शहरी विकास के सम्बन्ध में या भवन निर्माण के सम्बन्ध में कानून बनाने की बात बहुत अच्छी है। मेरी समझ के अनुसार जो बड़े-बड़े लोग हैं रुपया-पैसा देकर नियमों से बच जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, यह प्रश्न बाई-लॉज के बारे में है।

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष जी, जो बाई-लॉज बनाए जा रहे हैं उनका बहाना लेकर निगम के लोग और सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों को गिरा देती है। क्या सरकार कोई ऐसे नियम बनाने जा रही है जो कि झुग्गी-झोंपपियों पर लागू न हो और उनकी झुग्गियां गिराई न जा सकें ? उससे इस बात की गारंटी हो सके कि उनकी झुग्गी-झोंपड़ियां बहुत दिनों तक रह सकेंगी।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों के लिए बहुत चिन्तित हैं। उनको अच्छी कंडीशन के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य जब इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जा सकेगा।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी कहा गया कि दिल्ली में मेट्रोपालिटन कौंसिल और कारपोरेशन भंग है और जन प्रतिनिधि वहां नहीं है। दिल्ली में लंगड़ा प्रजातन्त्र है। दिल्ली की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से एकामंडेशन की भी समस्या बढ़ती जा रही है। डी०डी० ए० भवन निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने में फेल हुआ है। क्या बाई-लाज बनाते वक्त सरकार ने यह ध्यान रखा है कि वहां कितनी स्टोरी मकान बनाए जाएं जिससे वहां अधिक से अधिक

परिवार रह सकें ? बाई-लाज का संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है ताकि बढ़ती आबादी का समावेश किया जा सके ।

श्री दौलत राम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य के रिमार्क्स के बारे में कुछ नहीं कहना है । यह प्रश्न दिल्ली में मकान बनाने के लिए संशोधित उपनियमों में और संशोधन करने के सम्बन्ध में है जिनको कि स्थगित किया हुआ है । अगर माननीय सदस्य इस संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वह मैं उन्हें दे सकता हूं ।···(**व्यवधान**)···

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि उपनियमों में जो संशोधन किया जा रहा है उनमें क्या सरकार की यह नीति है कि एकामंडेशन को बढ़ाकर ऐसे उपनियम संशोधित किए जाएं ताकि जनता को रहने के लिए मकान मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । यह प्रश्न उपनियमों में संशोधन करने के बारे में है ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्रीमती उमा गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, सौन्दर्य विषयक तथा पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मकानों के अत्यधिक निर्माण करने के स्थान पर उनका समतल निर्माण करने पर विचार करेगी तथा क्या सरकार सभी ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

[**हिन्दी**]

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बाई-लाज के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है उस पर भी विचार कर सकते हैं ।

[**अनुवाद**]

श्रीमती उमा गजपति राजू : मैं नहीं समझती कि मन्त्री जी ने मेरा प्रश्न समझ लिया है । उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । क्या वह मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ?

[**हिन्दी**]

श्री दौलत राम सारण : मैं आपके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझा हूं ।

[**अनुवाद**]

श्रीमती उमा गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मल्होत्रा को बुलाया है ।

[**हिन्दी**]

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की बात को समझ गया हूं । इन्होंने छोटे मकानों के बारे में सुझाव दिया है लेकिन इस समय विशेषज्ञों की इसके बारे में अलग-अलग राय है । कुछ लोग कहते हैं कि मल्टी-स्टोरी मकान बनने चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बनने चाहिए । यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा है कि बिल्डिंग बाई-लाज को अमेंड करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्पैसिफिक रिकमंडेशन की है ? कौन से बिल्डिंग बाईलाज बदले हैं और किस-किस बिल्डिंग बाईलाज को सेंटर बदलवाना चाहता है ? क्या यह सही है कि इस समय 60 परसेंट कंस्ट्रक्शन आपके बिल्डिंग बाईलाज में एलाऊ है और कारपोरेशन ने और आप सबने इसको कहा हुआ है कि इसको बढ़ाकर 75 परसेंट तक किया जाए, क्योंकि, दिल्ली में जगह की बहुत कमी है और लोग अनोथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं और वह बाद में रैगुलराइज होता है ? इसी तरह से एफ०ए०आर० बढ़ाने की बात भी बिल्डिंग बाईलाज में कई बार रिकमंडेशंस में आई है कि एफ० ए० आर० को सेंट्रल गवर्नमेंट विदेशों की तरह कोई उसूल बनाकर बिल्डिंग बाईलाज को मास्टर प्लान के तहत ऐसा बना रही है जिससे दिल्ली में कोई मकान ठीक तरह से नहीं बन सकता तो मन्त्री महोदय यह बताएं कि यहां पर ज्यादा स्पेस आ सके, ज्यादा मकान बन सकें, उसके लिए बिल्डिंग बाईलाज में क्या अमेंडमेंट आप प्रपोज करते हैं और आपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बिल्डिंग बाईलाज में स्पेसिफिक अमेंडमेंट करने के लिए कहा है ?

श्री दौलत राम सारण : केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के बाईलाज में संशोधन करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।···

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इसमें लिखा है "यस सर"। मेंबर यह पूछता है।

[अनुवाद]

"क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से पूछा है कि····"

[हिन्दी]

आपने कहा यस सर और अब आप कह रहें हैं कि नहीं कहा··· **(व्यवधान)**···

श्री दौलत राम सारण : आप प्रश्नोत्तर पढ़िए न, प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से राजधानी में भवन निर्माण उपनियमों में संशोधन करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कहा है···

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह कहते हैं, यस सर। जब आपने यस सर कहा है तो अब आप नो सर कैसे कह सकते हैं।

श्री दौलत राम सारण : मेरा उत्तर तो सुन लीजिए जरा। दिल्ली के अन्दर मैंने जैसा निवेदन किया, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में लागू है और बचाव पालिका अधिनियम, 1911 नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में लागू है और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विकास क्षेत्र में लागू है। इसके अन्तर्गत उपनियम बने हुए थे। 1983 में समन्वय के आधार पर उन नियमों में नगर निगम ने संशोधन प्रकाशित किए, आपत्तियां आमन्त्रित कीं, उस पर आपत्तियां आयीं, एतराज हुए, फिर उन्होंने संशोधित करके फाइनल नोटिफिकेशन किया, उसमें आपत्ति थी। उस आपत्ति के कारण इन संस्थाओं में आपस में आपत्ति थी और उन आपत्तियों के कारण होम मिनिस्टर ने लिखा उनको कि उसमें समन्वित नियम बनाने चाहिए और हमारे मन्त्रालय के ध्यान में यह मामला आया तब हमारे मन्त्रालय ने उन सबको मिलाकर संशोधित करके समरूप से नियम बनाने चाहिए, यह कहा है और उस संबंध में हमने कहा है, जैसा मेरे उत्तर में कहा गया है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आपने क्या पुनर्विचार करने के लिए कहा है, यह क्यों नहीं बता रहे हैं ! बात दूसरी है, दिल्ली कारपोरेशन ने पब्लिक की डिमांड पर अपने बिल्डिंग बाईलाज एमेंड किए और उससे लाखों आदमियों को फायदा हो रहा है, लाखों अनोथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस रेगुलराइज हो रहे हैं। कुछ दो चार वेस्टेड इण्टरेस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के पास जाकर उसको रुकवाने के लिए इनसे यह डायरेक्टिव दिलवा दिया। यह बताते क्यों नहीं कि आखिर कौन से बिल्डिंग बाईलाज को एमेंड करने के लिए कहा है, आपने किसमें पुनर्विचार करने के लिए कहा है। आपको दो संस्थाओं ने आकर रिप्रेजेंट किया और आपने कारपोरेशन को डायरेक्टिव भेज दिया कि आप इसको दोबारा करिए। दिल्ली में उसका लाखों आदमियों को फायदा है, लाखों अनोथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस रैगुलराइज हो रहे हैं और उस 60 परसेंट को 66 और 75 परसेंट करने की बात हो रही है पर आप उनको लिख रहे हैं कि मत करो। इससे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ताल्लुक है, कारपोरेशन को आप डायरेक्टिव देते, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कौन से बाईलाज बनाता है···(**व्यवधान**)····आपने क्या कहा है, वह बताइए।

श्री दौलत राम सारण : माननीय सदस्य बड़ी नाराजगी में बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप सुनिये तो सही। माननीय सदस्य दिल्ली नगर निगम ने और दिल्ली प्रशासन ने जो नियम घोषित किये, उन नियमों के अनुसार स्थिति यह थी कि 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र अधिनियम अधिकतम 450 वर्ग फुट तक और दो फुट तक अधिकतम सैटबैक का उल्लंघन, जिसकी अनुमति की बात थी। अब इसमें स्थिति यह थी कि इसमें उन्होंने यह कहा कि···(**व्यवधान**)····आप सुनिए तो सही। आप तो नाराज हो रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इससे 10 लाख अनोथराइज मकान रैगुलराइज होते हैं और आप जानकर इसको रोक रहे हैं, स्थिति का आपको पता नहीं है। अध्यक्ष जी, यह 10 लाख मकान रैगुलराइज होने की बात है उनको कोई गिरा नहीं सकता, यह भी नहीं गिरा सकते····उसको रैगुलराइज करके कारपोरेशन ने सोचा···(**व्यवधान**)···डायरैक्टिव भेजने जा रहे हैं। इसको करने से पहले किसी से राय नहीं करते हैं···(**व्यवधान**)···

श्री दौलत राम सारण : किसी की जबरदस्ती से न नियम बनता है और न नियम संशोधित होता है।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आप बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, किसी की जबरदस्ती [illegible] संशोधित होता होता है और न नियम नया बनता है।····(**व्यवधान**)···नियम जनहित की दृष्टि से बनता है और आवश्यकता के अनुसार चलता है।····(**व्यवधान**)···

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या ये दस हजार [illegible] को गिराएंगे ? मकानों को बचाने की बात हो रही है।···(**व्यवधान**)···आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और इसको वापिस ले लीजिए।···(**व्यवधान**)····

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(**व्यवधान**)

जमाखोरों और कालाबारियों पर छापे

[अनुवाद]

+

*64. श्री हरीश रावत :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद भी कि सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है, न केवल इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई बल्कि बाजार से इनके स्टॉक भी गायब हो गए हैं;

(ख) क्या ये आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक ऊंचे मूल्यों पर बेची जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या आवश्यक वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए सरकार के प्रवर्तन अभिकरणों ने हाल ही में जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध छापे मारे हैं;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और दिल्ली में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने में कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

[illegible]ाड़ी युद्ध आरम्भ होने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। काफी हद तक उपभो[illegible]ओं द्वारा घबराहट में खरीदारी करने से मूल्य वृद्धि हुई है और उसके परिणामस्वरूप बाजार में [illegible]क वस्तुओं की कुछ सीमा तक कृत्रिम कमी हो गई थी। इस पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य स[illegible]ने कार्यवाही की और लोगों को पुनः विश्वास दिलाया कि सभी आवश्यक वस्तुओं के स्टाक पर्याप्त [illegible] में उपलब्ध हैं, अतः भविष्य में उनके उपलब्ध न होने के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहि[illegible] घबराहट में सामान्य आवश्यकताओं से अधिक की खरीदारी नहीं की जानी चाहिए। इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है और कुछ समय के बाद आम उपभोक्ता ने अपनी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं की खरीदारी बन्द कर दी। इसके अलावा राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे जमाखोरी-विरोधी अभियान तेज करें तथा भंडार नियंत्रण आदेशों को लागू करें। इन कदमों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य युद्ध जारी रहने के बावजूद थोड़ा निचले स्तरों पर स्थिर हो गए और बाजार में माल आने लगा।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की मदों की सामान्य मात्रा के आबटन के अलावा भारतीय खाद्य नि[illegible]म को 15 लाख मी० टन गेहूं बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर खुले बाजार में देने की अनुमति दी गई।

3. खाद्य तेलों के मामले में सरकार उसका आयात करती रही और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उसका स्टाक उपलब्ध करती रही। इसके साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा

हिंदुस्तान बेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन ने "धारा", "शंख" तथा "चैम्पियन" ब्रांड नामों से सुविधाजनक उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेल तथा वनस्पति के अपने उपभोक्ता पैकों की बिक्री आरम्भ की, जिससे निजी ब्रांडों के मूल्यों में भी नरमी आई।

4. एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1-1-1991 से 22-2-1991 की अवधि के दौरान मारे गये छापों की संख्या दर्शायी गई है।

5. इस अवधि में मारे गए छापों के दौरान 738 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 775 मुकदमें चलाए गए और 1136·63 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया।

अनुबन्ध

1-1-1991 से 22-2-1991 की अवधि (25-2-91 तक दी गई सूचना के अनुसार) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मारे गए छापों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	290
2.	असम	30
3.	बिहार	3
4.	गोवा	3
5.	गुजरात	1302
6.	हिमाचल प्रदेश	2807
7.	केरल	737
8.	मध्य प्रदेश	441
9.	महाराष्ट्र	1599
10.	मेघालय	33
11.	मिजोरम	35
12.	उड़ीसा	79
13.	पंजाब	1431
14.	राजस्थान	293
15.	तमिलनाडु	407

1 2	3
16. उत्तर प्रदेश	6778
17. पश्चिम बंगाल	116
18. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141
19. दमण व दीव	7
20. दिल्ली	471
21. पांडिचेरी	136
कुल :	17139

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अनशन पर हूं, लेकिन लाखों लोग जो कीमतों में वृद्धि के कारण अनशन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। सरकार के स्टेटमेंट में मन्त्री जी ने कहा है खाड़ी युद्ध के कारण लोगों ने घबराहट में अचानक खरीददारी बढ़ा दी है। यह सत्य हो सकता है, लेकिन सरकार को इस स्थिति को पहले से समझना चाहिए था, क्योंकि खाड़ी युद्ध की स्थिति कोई अचानक पैदा नहीं हुई है। जब यह स्थिति पहले से बनी हुई थी, तो सरकार को अनुमान लगाना चाहिए था कि इससे जमाखोरी बढ़ सकती है, व्यापारी इसका फायदा उठाने के लिए आगे आ सकते हैं और जमाखोरी कर सकते हैं। इस स्थिति को सरकार को समझना चाहिए था। हमने सरकार से प्रश्न किया था—इस दौरान विभिन्न राज्यों में कितने छापे मारे गए, ताकि जमाखोरों को पकड़ा जा सके ? बिहार जैसे राज्य में जहां केवल तीन छापे मारे गए हैं और तीन आदमियों को पकड़ा गया है, जमाखोरी के मामले में। यह बिहार जैसे राज्य की स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति पश्चिमी बंगाल से कई गुना अच्छी है। यदि आप चाहते हैं, तो मैं आंकड़े बताता हूं। पश्चिमी बंगाल में 115 छापे मारे हैं, शायद वहां मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश में 6778 छापे मारे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, सरकार ने यदि इस बात का अनुमान पहले से लगाया था कि जमाखोरी बढ़ सकती है, तो क्या कारण है कि सरकार ने पहले से इस जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए ? दूसरा—ऐसी स्थिति में जबकि छोटी-छोटी चीजों की कीमतें इतनी बढ़ रहीं हैं, इसको घटाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है। क्योंकि यह स्थिति माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमाखोरी रोकने के लिए कार्यवाही तभी की जाती है, जब जमाखोरी शुरू हो जाए और सरकार को दिखाई दे कि अगर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो हालात बिगड़ जाएंगे। लड़ाई का पहले से मालूम होगा, उसकी वजह से हम कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं समझते थे, संसद ने पहले से कानून बनाए हैं, जमाखोरी रोकने के लिए

एसेंशियल कामोडीटीज की सप्लाई कायम रखने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एसेंशियल कामोडिटीज कानून में स्पेशल पावर्स हैं और डिटेंशन, बगैर मुकदमे के की जा सकती है। स्थिति को काबू करने के लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पूरी तरह से किसी खास हालत में ही किया जा सकता है। हमने लड़ाई शुरू होने के बाद देखा कि लोगों में घबराहट है, कीमतें व्यापारी लोग नाजायज तौर से बढ़ा रहे हैं और लोग भी अपने इस्तेमाल की चीजें जरूरत से ज्यादा खरीद रहे हैं। मार्केट में जब भी वक्तन तौर पर कमी होती है, व्यापारी भी ज्यादातर जमाखोरी शुरू कर देते हैं। उसके लिए जो उपाय किए हैं उनमें सबसे पहला यह था कि डिहोर्डिंग के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए हमने हिदायत जारी की। उनसे हम हर महीने रिपोर्टें लेते हैं कितने छापे मारे, कितनी गिरफ्तारियां की, कितना माल बरामद हुआ, कितना जब्त किया गया, कितनों को सजा दी गई और कितने डिटेंशन हुए ? जब इस किस्म की चीजो को रोकने के लिए, नाजायज व्यापार को रोकने के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज जरूरी है कि कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए सप्लाई को बढ़ाना। इन हालात में मार्केट के अन्दर चीजों की कमी आ जाती है, जिसका आपने जिक्र किया। हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज है इनमें सबसे जरूरी जो चीजें हैं वे हैं—अनाज, चावल, गेहूं, चीनी (शुगर) और खाने का तेल। अनाज की हमारे भण्डार में कोई कमी नहीं है, जितना हमारे पास होना चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास चावल और गेहूं मौजूद है उसकी कभी मार्केट में कमी नहीं आने दी गई। फरवरी के महीने में एक लाख टन से ज्यादा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए गेहूं की तादाद बढ़ा दी गई। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : माननीय मन्त्री जी ने कुछ खाद्य पदार्थों का जिक्र किया जिसके विषय में उन्होंने कहा कि इनकी सप्लाई को बढ़ाने में अमुक-अमुक कदम उठाए हैं। उनसे कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? ये तो सब जगविदित है और इसके विषय में मंत्री जी को भी जानकारी है कि कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। एक एसेंशियल आइटम है—वह है दाल की। सरकार ने दालों को ओ०जी० एल० में रख करके उसको इम्पोर्ट करने की सबको खुली छूट दी और ड्यूटी भी घटाकर 10 प्रतिशत कर दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से कितनी दाल आयात की गई। क्या इसके बावजूद भी दाल की कीमतों में कोई घटौती हुई है और नहीं हुई तो उसका क्या कारण है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, दालों का सवाल अलग है लेकिन फिर भी अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं इसका जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है इन्होंने सवाल पूछा है आप इसका जवाब दे दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, दाल की कमी देश में इसलिए है, अन्दाजा लगाया गया कि जितनी हमारी जरूरत है 16 मिलियन टन से लेकर 10 मिलियन टन खपत इस देश में चाहिए और दाल की पैदावार पिछले सालों में ज्यादा बढ़ नहीं पाई। 11 मिलियन टन से लेकर 13 मिलियन के अन्दर, 1 करोड़ 10 लाख टन से लेकर 1 करोड़ 30 लाख टन तक बढ़ी है इससे ज्यादा नहीं हो पाई। पिछले सालों में दाल की इम्पोर्ट होती रही है लेकिन वह 4-5 मिलियन टन के करीब हुई है उससे हमारी कमी पूरी नहीं हुई। दाल की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय करना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत अर्से से कर रही है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इम्पोर्ट करने के बाद कीमतों में घटौती आई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, इम्पोर्ट में तो घटौती हुई है लेकिन इन हालात में कीमतों में कमी नहीं हो पाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ड्यूटी 35 परसेंट से 10 परसेंट घटाई गई थी। वह कीमत भी फूड मिनिस्ट्री की सिफारिश पर इसलिए घटाई गई थी कि कन्ज्यूमर्स को दाल सस्ती मिले।

(व्यवधान)

श्री छबिराम अर्गल : अध्यक्ष महोदय, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, केरोसिन आयल, डीजल, आदि सारी चीजों का वितरण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह वितरण ठीक प्रकार प्रकार से नहीं होता, इस कारण से भी कीमतों में वृद्धि हो रही है। कहीं पर कोटा ज्यादा दे दिया जाता है, कहीं पर कोटा कम दे दिया जाता है, मध्य प्रदेश को भी बहुत कम कोटा दिया गया है। इस तरह की जो राजनीतिक बेईमानी होती है, इसको दूर करने के लिए भी क्या सरकार कदम उठाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप डीजल के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री छबिराम अर्गल : मैं अनाज और खाद्य तेलों के बारे में पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश को कोटा कम क्यों दिया जाता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की मांग के अनुसार हमने गेहूं का कोटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बढ़ाया है और कायदा यही है कि भारत सरकार स्टेट्स को कोटा आवंटित करती है और उन असेंशल कमाडिटीज का वितरण आगे राज्य सरकारें करती हैं, यह उनका विषय है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने देश में किसी भी बुराई/समस्या के लिए खाड़ी-युद्ध को दोषी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य ही यह कहते हुए आरम्भ किया था कि खाड़ी में युद्ध शुरू होने के कारण ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध आरम्भ होने से पूर्व ही नमक से लेकर सीमेंट, हर वस्तु की कीमत नवम्बर, 1988 के मूल्यों की तुलना में पांच प्रतिशत से लेकर पैंतीस प्रतिशत तक बढ़ गई थी। मन्त्री जी ने यह भी बताया था कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है तथा उनकी कोई कमी नहीं है। बंगाल में कलकत्ता की गलियों में प्रत्येक राशन की दुकान के आगे लम्बी कतारें देखी जाती हैं। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी मांग के अनुरूप केन्द्र सरकार उन्हें सप्लाई नहीं कर रही है तथा इसीलिए वस्तुओं की कमी हो रही है। यदि आप विभिन्न राज्यों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मारे गए छापों के चार्ट को देखेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। वक्तव्य में उल्लिखित अवधि अर्थात 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने के लिए जिन राज्यों में छापे मारे गए वे इस प्रकार हैं : पश्चिम बंगाल 116। पांडिचेरी, एक लघु संघशासित प्रदेश—136, दिल्ली 471, बिहार में केवल 3 तथा उड़ीसा में 79 छापे मारे गए। क्या माननीय मन्त्री जी इस तथ्य पर गौर करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ही 116 छापे क्यों पड़े तथा क्या राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने के विरुद्ध कोई प्रभावकारी कदम उठाए हैं ? क्या यह सच्चाई है कि चूंकि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल द्वारा आपेक्षित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में असफल रही थी क्या इसीलिए इनकी कमी हो रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल सरकार ने काफी अधिक संख्या में छापे डाले हैं तथा काफी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है 116 छापों के दौरान 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

इससे प्रकट होता है कि राज्य में जमाखोरी की गई थी। जब वस्तुओं की जमाखोरी की जाती है, इसका अभिप्राय यही होता है कि राज्य में व्यापारियों के पास माल पर्याप्त मात्रा में होता है जिससे कि वे माल की अधिक से अधिक मात्रा में जमाखोरी करते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है पश्चिम बंगाल सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में पूर्णतः सन्तुष्ट है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, हमें यह सुनने को मिल रहा है कि बिहार में बहुत ज्यादा छापे नहीं मारे जा रहे हैं लेकिन इस विषय में दिल्ली की स्थिति क्या है? प्रधानमन्त्री पिछले दो महीनों से व्यापारियों और जमाखोरों से अपील कर रहे हैं कि वे कीमतें न बढ़ाएं लेकिन इन अपीलों का क्या असर पड़ा है? या क्या राजधानी दिल्ली में जमाखोरों और सरकार के बीच कोई मिलीभगत है? सरकार कीमतों को नियंत्रित करने में असफल रही है। मामला क्या है? क्या वह वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर रहे हैं या इसका कोई अन्य कारण है?

राव बीरेन्द्र सिंह : जमाखोरी के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन प्रभावी कार्यवाही कर रहा है। वे छापे डाल रहे हैं और लोगो को गिरफ्तार कर रहे हैं। यह कहना कि सरकार और कदाचार में लिप्त व्यापारियों में कोई मिलीभगत है ठीक नहीं होगा। देश के अन्य बड़े शहरों और दिल्ली में व्यापारियों द्वारा अनुचित तौर-तरीके अपनाने को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। युद्ध के जारी रहने के बावजूद कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें न केवल स्थिर हुई हैं अपितु उनमें गिरावट भी आई है। उदाहरण के लिए इस थोड़े से समय के दौरान गेहूं की कीमत 600 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गई थी और अब यह 350 रुपये प्रति क्विंटल पर उपलब्ध है। गेहूं का आटा 5.50 रुपये किलो बिक रहा था। अब यह दिल्ली में 4.00 रुपये या 4.20 रुपये प्रति किलो की दर से खुलेआम बिक रहा है।

[हिन्दी]

श्री नानी भट्टाचार्य : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कुछ मेजर्स हैं। जमाखोरी को, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, कानून है, यह मैं जानता हूं। उस कानून को लागू करने के लिए अगर तरह-तरह के इन्तजाम हों तो क्यों इन चीजों के दाम बढ़ते हैं? दूसरा, बराबर हम यह कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूं कि जब चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है, बढ़ोत्तरी को हम रोक नहीं पाते हैं तो उस वक्त दूसरी मेजर्स सरकार क्यों नहीं अपनाती है? अर्सेशियल कोमोडीटीज जैसे चावल, दाल, तेल, नमक, माचिस, कैरोसीन ऑयल, मोटा कपड़ा ये सब जरूरी चीजें हैं। ये चीजें किफायत से राशन की दुकान के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्सम के माध्यम से साधारण आदमी को क्यों नहीं बेची जाती हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कानून जुर्म को रोकने के लिए बनाये जाते हैं, चोरी कम करने के लिए बनाए जाते हैं। हमेशा से चोरी जुर्म है और इसके लिए सख्त सजा दी जाती है। लेकिन आज तक चोरी रुक नहीं पायी है। कानून जिस हद तक चोरी रोक सकता है वह रुकावट डालने के लिए हम ानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खास हालात में कई बार जुर्म बढ़ भी जाते हैं। जब लोगों को ज्यादा फायदा नजर आता है तो वे एक्सप्लाइटेशन करते हैं, मार्किट से अनाज ज्यादा उठाते हैं हैं। उसका इलाज यह है कि सख्त कार्यवाही करें। इसके लिए बार-बार स्टेट्स को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वे उचित कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० एन० सिंह देव····

(व्यवधान)

श्री ए० एन० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा को पिछले तीन महीने का पामोलीन तेल का कोटा न दिये जाने के कारण वहां इसकी कमी हो गयी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, उड़ीसा को फरवरी माह के लिए 1200 मिलियन टन पामोलिन तेल का कोटा आबंटित किया गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, अगर सरकार नाम की कोई चीज है तो वह मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने में असफल रहती है। अभी मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगी। यहां पर अनाज और शक्कर का कोटा मिलता है। मैं यह जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश को प्रति व्यक्ति पचास ग्राम शक्कर मिल रहा है क्या सरकार के हिसाब से उचित है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं यह कहना चाहती हूं कि जो खाद्यान्न तेल "धारा" ऑयल कारपोरेशन द्वारा बाजार में आ गया है, उसने उसके भाव बढ़ाए। क्या आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि कौन-सी नरमी पाई गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रही हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार की मांग के मुताबिक प्रत्येक गेहूं की मात्रा बढ़ाई है और 1200 टन पामोलीन आयल फरवरी के महीने में दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, चाहे हम मिसाईल और आण्विक हथियार न बना पायें परन्तु हमारे किसानों में इतनी क्षमता है कि देश की आवश्यकतानुसार दालों का उत्पादन वह कर सकते हैं। इस संबंध में कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि दालों का बाहर से आयात किया जा रहा है। इस प्रकार देश में किसानों को दालों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आश्वासन देंगे या उनका कृषि मन्त्रालय देश के कृषक समुदाय को लाभकारी मूल्य देने की अनुशंसा करेगा और उत्पादन को तुरन्त बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के द्वारा उसे वितरित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है क्योंकि बाजार में दालों के जो मूल्य हैं वह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री कैलाश मेघवाल ।

खाड़ी-युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक और जीवाणु हथियारों का प्रभाव

[हिन्दी]

*65. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध में रासायनिक तथा जीवाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को देखते हुए भारतीय उप-महाद्वीप में मानव-जीवन एवं पशु-जीवन पर उसके संभावित तात्कालिक और दूर-गामी प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके प्रभावों, यदि कोई हों, का निराकरण करने के लिए जो तात्कालिक एवं दीर्घ-कालिक कदम उठाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग के परिणाम ऐसे हथियारों के स्वरूप तथा उनके उपयोग की मात्रा पर निर्भर करेंगे । इस संबंध में इस समय कोई यथार्थवादी मूल्यांकन करना कठिन है । इसके अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का विचार है कि इन हथियारों के प्रयोग के स्थान की भारत से दूरी को देखते हुए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि हमारे देश पर इसका कोई प्रतिकूल असर पड़े ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था । जब से विश्व में युद्ध की संभावनाएं बनीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी अली जी कृपया शांत रहें ।

श्री कैलाश मेघवाल : सारी दुनिया में इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार हैं उनका क्या प्रभाव होगा । जिस तरह की धमकियां दी जाती रहीं, दो तरह के हथियार प्रयोग में लाने की बात चली और समुद्र में तेल रिसाया गया और तेल के कुओं में आग लगाई गई । इस रिसाव से समुद्र तट की वनस्पतियों और पक्षियों आदि पर घातक प्रभाव पड़ने वाला है और तेल के कुओं में लगी आग से जो धुआं उठ रहा है उसका भी घातक प्रभाव पड़ने वाला है । रासायनिक हथियारों और जीवाणु हथियारों का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है, क्योंकि आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, तो हिन्दुस्तान की सरकार ने इन हथियारों से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराना क्यों नहीं उचित समझा । यह बहुत बड़ी चूक है । क्या इस गंभीर विषय पर अब भी हिन्दुस्तान की सरकार कोई अध्ययन कराना चाहेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : यह बात गलत है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने युद्ध शुरू होने के बाद हथियारों के प्रयोग से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन नहीं किया। पूरा अध्ययन किया जा रहा है और पर्यावरण मन्त्रालय ने दूसरे मन्त्रालयों को, डिपार्टमेंट आफ साइन्स, डिपार्टमेंट आफ ओशनोग्राफी, मिट्रीलोजिकल डिपार्टमेंट को इस बात के लिए कहा है कि वह देखते रहें कि क्या बुरा असर हथियारों के इस्तेमाल से या इस तेल के सम्बन्ध से होगा। वाटर पोलुशन के लिए और आरकोशफीक पोलुशन के अध्ययन के लिए हमारे विशेषज्ञ बराबर इसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसा मालूम हुआ है अब तक के बारे में कि भारत के अन्दर इससे कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यह कहना कि इनसे कोई बुरा अवसर यहां पड़ेगा, यह सत्य नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूं। सुरक्षा इसलिए चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने मेरे जवाब में कहा है कि जी नहीं। दो लाइनों का सवाल जो मैंने किया है वह मैं पढ़ना चाहता हूं जिसके जवाब के में इन्होंने कहा है कि कोई अध्ययन नहीं किया गया है। मेरा पहला प्रश्न था कि "क्या खाड़ी युद्ध में रासायनिक तथा जीवाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को देखते हुए भारतीय उप-महाद्वीप में मानव-जीवन एवं पशु-जीवन पर उसके सम्भावित तात्कालिक और दूरगामी प्रभावों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ?" अभी आपने बताया कि अध्ययन कर रहे हैं, जबकि जवाब में लिखकर दिया है कि जी नहीं। लेकिन पूरक प्रश्न के जवाब में कहा है कि हां।

अध्यक्ष महोदय : अभी जो कह रहे हैं उसको मान लें, दूसरा सवाल पूछें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि विश्व के कई देशों ने अमरीका ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, सोवियत संघ और दूसरे विकसित तथा विकासशील देशों ने यह अध्ययन किया है कि रासायनिक हथियारों और जैविक हथियारों का मानव-जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका इस तरह का निष्कर्ष भी आया है कि भारतीय उप-महाद्वीप पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विश्व में जो अध्ययन हुए हैं चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा, रासायनिक वैज्ञानियों द्वारा या दूसरे संगठनों के द्वारा तो उन सब अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है कि भारतीय उप-महाद्वीप पर प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने का आप विचार रखते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं इनका पहला सवाल यह है

[अनुवाद]

क्या खाड़ी युद्ध में रासायनिक तथा जीवाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को देखते हुए भारतीय उप-महाद्वीप में मानव जीवन एवं पशु-जीवन पर उसके संभावित तात्कालिक और दूरगामी प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है। कि बॉयलॉजिकल एण्ड कैमिकल वैपन्स क्या हैं किस तरह से बने हैं, यह बहुत एडवांस्ड इन्स्टीट्यूट को नहीं मालूम कि किस-किस कंटरी के पास कैसे लैथल वैपन्स हैं जो उनके असर का अध्ययन करें। जब तक यह मालूम न हो कि कौन से वैपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके असर कैसे मालूम हों इसके जवाब में मैंने यह कहा है लेकिन हकीकत यह है कि हमारी स्टडी के मुताबिक "वार थयेटर" इतनी दूर है कि कैमिकल एण्ड बॉयलोजिकल वैपंस का भारत पर मामूली सा असर नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलारो : दो महाशक्तियों—सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच महासंहार के हथियारों, जिसमें रासायनिक हथियार भी शामिल हैं, को नष्ट करने के सम्बन्ध में समझौते और संधियां हुई हैं। खाड़ी युद्ध में इन हथियारो के प्रयोग की धमकी को दृष्टिगत रखते हुए, इन दो महाशक्तियों के बीच हुए समझौतों और उनके प्रभाव के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह प्रश्न रक्षा मन्त्री से करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि यहां पर असर नहीं होगा लेकिन न्यूजपेपर्स में यह बार-बार खबर आ रही है कि खाड़ी युद्ध के कारण इसका असर आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान में होने वाला है और वर्षा पर भी असर होने वाला है और अन्य जीवों और वनस्पतियों पर भी इसका असर होने वाला है तो इसमें हम किसे और क्या तथ्य समझें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारे मैट्रोलिजीकल डिपार्टमेंट की स्टडी के मुताबिक इस तेल का असर भारत के मानसून पर नहीं होगा।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, आपने बोला है कि रेल मन्त्री आएंगे लेकिन वे अभी आए नहीं है। इसलिए हम मजबूरी में वैल में बैठे हैं।

(इस समय श्री हरीश रावत और श्री पी० आर० कुमारमंगलम आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० एम० सईद। अगला प्रश्न।

श्री पी० एम० सईद : प्रश्न संख्या 66 (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राज मंगल पाण्डे को सुनिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह उनकी ओर से उत्तर दे रहें हैं ?

भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का एक दूसरे के यहां भेजा जाना

*66. **श्री पी० एम० सईद :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों को नियमित रूप से एक दूसरे के यहां भेजे जाने के बारे में हाल ही में कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या प्रमुख लाभ होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) भारत और चीन के मध्य एक सांस्कृतिक करार पर 28 मई, 1988 को हस्ताक्षर किए गए। करार में दोनों देशों के बीच संस्कृति एवं कला, शिक्षा, सामाजिक विज्ञानों, खेल, जन-स्वास्थ्य, प्रैस और प्रकाशन, प्रसारण, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्रों में प्रदर्शनियों, प्रदर्शन दलों, पुरातत्वविदों, विशेषज्ञों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों के आदान-प्रदान, छात्रवृत्तियां प्रदान करने, पुस्तकों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान तथा औषधि एवं जन-स्वास्थ्य तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुभव की भागीदारी के माध्यम से सद्भावना को बढ़ाने और सम्बन्धों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। करार से दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और सुदृढ़ हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : रेल मन्त्री कहां हैं ? उन्हें सदन में मौजूद होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय युवा नीति का बनाया जाना

[हिन्दी]

*61. **श्री मित्र सेन यादव :**

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय युवा नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) राष्ट्रीय युवा नीति कब तक बन जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) 18 से 20 मई, 1990 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा नेता सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर तथा भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय युवा नीति के शीघ्रतापूर्वक प्रतिपादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में 11 और 12 फरवरी, 1991 को आयोजित राष्ट्रीय युवा परिषद की प्रथम बैठक की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

रोहिणी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का आवंटन

[अनुवाद]

*63. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1990 में निकाले गए "ड्रा" के आधार पर रोहिणी के सैक्टर-15 में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का बड़ी संख्या में आवंटन किया था;

(ख) क्या इस क्षेत्र के अधिकांश आवंटियों ने आवंटन-एवं-मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेज तथा नियत राशि जमा कर दी है;

(ग) क्या इन आवंटियों को अभी तक इन फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है;

(ङ) क्या कब्जा देने में विलम्ब के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन आवंटियों को जुर्माने के रूप में कोई धनराशि देनी पड़ेगी, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बिजली, पेयजल आपूर्ति, मल-व्ययन व्यवस्था इत्यादि जैसी नागरिक सुविधाओं की अनुपलब्धता कारण कब्जा पत्र जारी नहीं किए गए ।

(ङ) और (च) कब्जा पत्र जारी होने की तिथि तक ऐसे आवंटियों को उनकी जमा राशि यो पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज दिया जाएगा ।

फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामों की स्वीकृति

*67. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा और राज्य सभा सहकारी ग्रुप आवास समितियों सहित बहुत सी सहकारी ग्रुप आवास समितियों को अपने सदस्यों को फ्लैट आवंटित करने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण से उनके नामों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो लोक सभा तथा राज्य सभा सहकारी ग्रुप आवास समितियों के ऐसे सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है जिनके नामों की स्वीकृति दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक नहीं दी है और यह कब से वहां लम्बित हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिनांक 31-5-84 के निर्देश के अनुसार सदस्यों को फ्लैटों के आवंटन से पूर्व सभी सहकारी सामूहिक आवास समितियों को पंजीयक, सहकारी समितियां के कार्यालय से प्रत्येक सदस्य की सदस्यता का सत्यापन करवाना आवश्यक है ।

(ख) और (ग) लोक सभा सहकारी सामूहिक आवास समिति लिमिटेड और राज्य सभा

सहकारी सामूहिक आवास समिति लिमिटेड के सभी सदस्यों के नाम पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं।

शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

68. **श्री रामदास सिंह :**

श्री तेज नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में, जो शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा प्रसार के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है। परियोजना के विशिष्ट लक्ष्यों में—प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, प्रौढ़ निरक्षरता में प्रबल कटौती, महिलाओं। अ०जा०, अ०ज०जा० और समाज के निर्धन वर्गों पर विशेष ध्यान सहित शैक्षिक अवसरों की समानता, जनता के कार्य और जीवन दशाओं के साथ शिक्षा का जुड़ाव, और विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक न्याय की समझ के समावेश को शैक्षिक गतिविधियों का विशेष अंग बनाने पर जोर देना शामिल है। 1990-95 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान लागत लगभग 360 करोड़ रुपए होगी, इसमें से 180 करोड़ रुपए यूनीसेफ, 120 करोड़ रुपए भारत सरकार और 60 करोड़ रुपए बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

*69. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) शेष सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति ने 26 दिसम्बर, 1990 को सरकार को

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) से परामर्श मांगा है। केब का परामर्श प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आवंटन

*70. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन व्यक्तियों को अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किए हैं, जो वर्ष 1980 से फ्लैटों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा इन्होंने किन-किन वर्षों में अपना पंजीकरण कराया है;

(घ) सभी पंजीकृत आवेदकों को कब तक फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बौसत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न आवास योजनाओं के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भूमि तथा आधारभूत सेवाओं की बाध्यताओं के कारण अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किए जा सके।

(ग) (i) 1979 में प्रारम्भ की गई न्यू पैटर्न स्कीम के अन्तर्गत आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों के श्रेणीवार ब्यौरे इस प्रकार है :—

श्रेणी	आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
मध्यम आय वर्ग	22567
निम्न आय वर्ग	26962
जनता	7919
	57448

(ii) विभिन्न स्व-वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
1982 स्कीम	7,154
1985 स्कीम	14,481
योग	21,635

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर में उल्लिखित 79,083 पंजीकृत व्यक्तियों के पिछले काया को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आवंटन किए जाने की संभावना है।

(ङ) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत प्राथमिकता सूची के अनुसार समय-समय पर फ्लैटों का आवंटन किया जाता है। स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन, प्रत्येक स्कीम में पात्र पंजीकृत व्यक्ति की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तथा स्व-वित्त पोषण फ्लैटों के आवंटन हेतु पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र में इंगित इलाके की पसंद के आधार पर लाटरी द्वारा फ्लैटों की प्रत्येक पृथक रिलीज के लिए किया जाता है।

दालों का मूल्य

*71. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दालों के आयात में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को कोई विशेष राहत नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, क्या दालों के मूल्य अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार किन उपचारात्मक उपायों पर विचार कर रही है;

(घ) क्या दिल्ली के दाल व अनाजों के व्यापारी संगठन शीघ्र ही दालों के मूल्यों में 10-15 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वास्तव में दालों के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

खाद्य और नागरित पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 3-2-1990 और 2-2-1991 के बीच दालों का थोक मूल्य सूचकांक 22.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। नवम्बर, 1990 के अन्तिम सप्ताह और फरवरी, 1991 के पहले सप्ताह के बीच मूल्य में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि अनिवार्य रूप से मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होने के कारण हुई है। यद्यपि उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के आधार पर आयात करने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन अपने स्वरूप से इस प्रकार के आयात बहुत मामूली होते हैं और वे इस अन्तर को पूरा नहीं कर सकते हैं। दालों के आयात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दालों पर पहले लगाए गए 35 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 1-11-1989 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है। देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचनानुसार, दाल एण्ड ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन अगस्त/सितम्बर, 1990 के दौरान उपभोक्ताओं को बाजार में चल रहे मूल्यों से 10 प्रतिशत कम दरों पर दालें सीधे ही बेचने के लिए राजी हो गई थी। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।

विवरण

दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई गई है :—

(1) सिंचित खेती प्रणाली के अधीन दालों की फसलों की पैदावार करना और दोहरी तथा बहु-फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित करना।

(2) अतिरिक्त क्षेत्र को दालों की फसलों के अधीन निम्नानुसार लाना :—

(क) सरसों, गन्ना, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई साधनों के साथ गर्मी में दालों के अधीन और रबी मौसम में मसूर के अधीन।

(ख) उत्तरी राज्यों में गेहूं के साथ रोटेशन में अल्पकालिक अरहर के अधीन।

(ग) रबी के मौसम में अवशिष्ट नमी का इस्तेमाल कर चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पकालिक किस्मों के अधीन।

(3) सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली में अरहर की अन्तर-फसल की पैदावार करना।

(4) उन्नत बीजों जैसे आदानों का अधिक इस्तेमाल करना, पौध संरक्षण उपाय करना, फास्फैटिक उर्वरकों और रिजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करना।

उपर्युक्त नीति निम्नलिखित दो कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है :—

(i) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम (एन० पी० डी० पी०)। एन० पी० डी० पी० 1985-87 से चलाया जा रहा है।

(ii) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन सेन्ट्रल सैक्टर प्रोग्राम जिसमें निम्नलिखित शामिल है :—

(क) पाड बोरर, कट वार्म और दीमक के विरुद्ध चना तथा अरहर के मामले में पौध संरक्षण अम्ब्रेला।

(ख) ग्रीष्म मूंग/उड़द के अधीन क्षेत्र का विस्तार।

दिल्ली में राशन की वस्तुओं की अनुपलब्धता

*72. श्री जयपाल सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में उचित दर की दुकानों पर राशन की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) राशन की वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारों में लिप्त उचित दर की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राजधानी में उचित दर की दुकानों पर राशन की वस्तुओं का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

(ग) दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों में राशन की वस्तुओं की उपलभ्यता की दैनिक आधार पर परिवीक्षा कर रहा है। उचित दर की दुकान के मालिकों को चोरबाजारी से रोकने के लिए प्रवर्तन उपायों में और तेजी लाई गई है, जनवरी तथा फरवरी के महीनों मे (20-2-91 तक) 281 उचित दर की दुकानों की जांच की जा चुकी है और कदाचार करने वाले उचित दर की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध 17 मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में तुर्कमान गेट के लोगों का पुनर्वास

[हिन्दी]

*73. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तुर्कमान गेट के निकट जिन लोगों के घर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिए गए थे, उन सभी का पुनर्वास किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी बहुत से लोगों का पुनर्वास होना बाकी है और क्या इस सम्बन्ध में उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) बेदखल किए गए 798 लोगों को नन्द नगरी, तुर्कमान गेट, जी० टी० रोड शाहदरा, माता सुन्दरी रोड तथा रणजीत नगर में बसाया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यद्यपि, तुर्कमान गेट एक्शन कमेटी से 5 व्यक्ति को मकान आवंटन के लिए मई, 1989 में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इन पांच व्यक्तियों का दावा वैध नहीं पाया गया था।

उचित दर की दुकानों पर खाद्य वस्तुओं की अनुपलब्धता

*74. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तव में विफल हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे काले बाजार में बेची जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। उचित दर की दुकानों के जरिए दी जाने वाली अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के स्टाक की स्थिति संतोषजनक है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की ध्यानपूर्वक परिवीक्षा करें, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को हेरा-फेरी से कालाबाजार में न भेजा जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि वे चोरबाजारी तथा अन्य कदाचारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं की कमियों की रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में एक नियन्त्रण कक्ष कार्य कर रहा है, जो सप्ताह के हर दिन कार्य करता है।

टीचर्स गाइड मैनुअल आफ मैथेमैटिक्स में वैदिक गणित का शामिल किया जाना

[अनुवाद]

*75. **डा० एस० के० पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने वैदिक गणित के काफी अंश को अपने स्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए "टीचर्स गाइड मैनुअल आफ मेथेमैटिक्स" में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैदिक गणित पर भाषणों को भी सम्मिलित किया जा रहा है, यदि हां, तो किस प्रकार और किस सीमा तक;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इस ज्ञानवर्धक सामग्री को अपनी गणित की पुस्तकों में भी वैकल्पिक सामग्री के रूप में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षक निर्देशिका में एन० सी० ई० आर० टी० ने गणित पाठ्यचर्या में प्रासंगिक समझे गए प्रकरणों में वैदिक गणित की सामग्री जोड़ दी है।

(ख) वैदिक गणित एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा संचालित अपर प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन सामग्री का एक भाग है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

*76. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि के आवंटन की मांग की गई थी और सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे कितनी धनराशि आवंटित की थी; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के लिए कितनी वार्षिक योजना राशि स्वीकृति की गई है और वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001, 23-1-1989 से लागू हुई है जिसमें क्षेत्रीय भू-उपयोग तथा बन्दोबस्त, नीति, प्राथमिकता तथा आस-पड़ौस शहरों में क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क तथा भौतिक एवं सामाजिक मूलभूत सुविधाओं की अन्तः संबंधित नीतियां शामिल हैं ताकि बाहर से दिल्ली में आने वाले कुछ संभावित लोगों को वहां बसाया जा सके तथा दिल्ली को भीड़भाड़ से मुक्त रखा जा सके।

(ख) और (ग) इस योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख कठिनाई संसाधनों की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान 867 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए कहा था—467 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजनाओं के लिए तथा 400 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र के लिए। तथापि, सातवीं योजना परिव्यय केवल 65 करोड़ रुपए था। इसमें से केन्द्र का अंशदान 35 करोड़ रुपए था जिसकी तुलना में सरकार ने वास्तविक रूप से 29.67 करोड़ रुपए रिलीज किए।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिये स्वीकृत 1990-91 के वार्षिक योजना आवंटन 10.00 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक सरकार ने 10.00 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

नकली डिग्रियां और अंक सूचियां दी जाना

[हिन्दी]

*77. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक राज्यों में नकली डिग्रियां और अंक सूचियां दिए जाने के बारे में चल रही जालसाजी का पर्दाफाश किया जाता रहा है जैसाकि समय-समय पर समाचारपत्रों में प्रकाशित होता रहा है;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में ऐसे कुल कितने मामले पकड़े गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जिन्होंने बी० एड० की परीक्षाओं में बैठे बिना ही बी० एड० की डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं; और

(घ) क्या सरकार का विशेषकर आगरा विश्वविद्यालय में, बी० एड० की नकली डिग्रियां

दिए जाने के बारे में चल रही जालसाजी की कोई जांच कराने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार केवल वे ही विश्वविद्यालय अपने आपको "विश्वविद्यालय" कहलाने या डिग्रियां प्रदान करने के हकदार हैं जो संसद अथवा राज्य विधान सभा अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं या जिन्हें विश्वविद्यालय समझे जाने का स्तर प्रदान किया गया है। सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात की जानकारी है कि ऐसी 27 संस्थाएं विद्यमान हैं, जो अपने आपको विश्वविद्यालय कहलाती हैं और डिग्रियां प्रदान कर रही हैं यद्यपि वे कानूनन ऐसा करने के लिए हकदार नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके छात्रों और आम जनता को ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी देता रहा है। कुछ मामलों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायालयों में मुकदमें भी दायर किये हैं और राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया है कि वे भी ऐसी संस्थाओं पर मुकदमे करें।

सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कभी-कभी ऐसे मामलों की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं जहां दाखिला, रोजगार इत्यादि प्राप्त करने के लिए नकली अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्रों का उपयोग किया जाता है। ऐसे मामले आवश्यक जांच के बाद समुचित कानूनी कार्रवाई के लिए सामान्यतः उस सम्बन्धित संस्था को भेज दिए जाते हैं, जिसकी अंक तालिका या प्रमाण पत्रों का तथाकथित जाली उपयोग किया गया हो। यदि अध्यापकों के ऐसे कोई विशिष्ट मामले जानकारी में लाये जाते हैं, जिन्होंने बी० एड० परीक्षा में बैठे बिना बी० एड० की डिग्रियां प्राप्त की है, तो सरकार समुचित जांच पड़ताल करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगी। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में विश्वविद्यालय में नकली बी० एड० डिग्री का कोई मामला नहीं हुआ है।

विवरण

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय दरभंगा
2. आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर
3. श्री नारायण मुक्त विश्वविद्यालय, क्वाइलोन
4. यूनिवर्सिटी न्यूजरूसलम, कुथूपरम्मा, केन्नोर
5. वर्ल्ड सोशल वर्क यूनिवर्सिटी, फेरुनगड़ी
6. सेंट जान विश्वविद्यालय, किजानत्तम
7. सेल्फ कल्चर विश्वविद्यालय, किजानत्तम
8. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर
9. तक्षसिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उत्तम नगर, नई दिल्ली
10. कर्मशियल यूनिवर्सिटी लि० दरियागंज, दिल्ली
11. संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली

12. अमृतसर विश्वविद्यालय, अमृतसर

13. पश्चिमी विश्वविद्यालय, कपूरथला

14. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अमृतसर व दिल्ली

15. टेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, बोडीनायाकनूर

16. डी० डी० बी० संस्कृत विश्वविद्यालय, पुथुर, तिरूची

17. बाईबल विश्वविद्यालय, अम्बूर उत्तरी आर्कोट

18. पूर्वी आर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर उत्तरी आर्कोट

19. ग्लोब विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्बाकोनम

20. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद

21. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

22. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद

23. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो कम्पलेक्स होम्योपेथी कानपुर

24. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय, (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल अलीगढ़

25. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय

26. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यापीठ कोसीकला (मथुरा)

27. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन, विश्वविद्यालय प्रतापगढ़

खाद्य तेलों का भंडार

[अनुवाद]

*78. **श्री राज मोहन रेड्डी :**

श्री नन्दलाल मीणा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में उपभोग के लिए खाद्य तेलों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका पर्याप्त भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य तेलों के ऊंचे मूल्यों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चूंकि खाद्य तेल में सट्टेबाजी की काफी अधिक गुंजाइश होती है, अतः सार्वजनिक हित में यह बताना वांछनीय नहीं समझा जाता कि सरकार के पास खाद्य तेलों की कितनी मात्रा उपलब्ध है। तथापि, सरकार सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के जरिए आयातित तेल की आपूर्ति बनाए रख सकेगी। खाद्य तेल के समग्र स्टाक उद्योग/व्यापार तथा सरकार के पास हैं। सरसों की शीघ्र ही आने वाली भरपूर फसल के साथ ही निकट भविष्य में खाद्य तेल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि, मुख्यतः मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा अधिक नकदी और साथ ही मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर के कारण हुई है। सरकार, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार तथा खाद्य तेल के आयात से संबंधित अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल का आयात करके इस अन्तर को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। देशीय तेलों की उपलब्धता में सुधार लाने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किए गए हैं। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं—वनस्पति में गैर-पारम्परिक तेलों के उपयोग पर उत्पादन शुल्क में रियायत देना, खाद्य तेलों के व्यापारियों/संसाधकों तथा उत्पादकों द्वारा रखी जाने वाली खाद्य तिलहनों व तेलों की स्टाक सीमाओं में कमी करना, पारम्परिक खाद्य तेल में गैर-पारम्परिक तेल के मिश्रण की अनुमति देना आदि। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे जमाखोरी-विरोधी अभियान चलाएं और खाद्य तिलहनों तथा तेलों के जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उचित मूल्य पर आयातित खाद्य तेल का वितरण जारी है। इसके अलावा, बाजार दखल कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, "धारा" ब्रांड नाम से उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों की बिक्री कर रहा है। यह ब्रांड बाजार में उपलब्ध तुलनीय किस्म के अन्य ब्रांडों से सस्ता है।

कुष्ठ रोगी

[हिन्दी]

*79. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार, कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी-कितनी है तथा इनमें से विभिन्न विकृतियों से ग्रस्त रोगियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) कुष्ठ रोगियों के उपचार और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोगियों का उपचार करने के पश्चात उनका पुनर्वास करने का है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दिनांक 31-12-1990 तक दर्ज किए गए रोगियों की संख्या 24.92 लाख थी। इसमें से लगभग 10 से 15 प्रतिशत रोगी विरूपताओं से ग्रस्त हैं। राज्यवार रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एन०एल०ई०पी०) एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है ताकि सन 2000 ई० तक इस रोग को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(i) रोग का पता लगाने संबंधी गतिविधियों को बढ़ाना और औषध सम्मिश्रणों जैसे बहु-औषध-उपचार (एम०डी०टी०) से उनका उपचार करना;

(ii) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ाना;

(iii) विकलांग रोगियों की रोग-निवारक शल्य चिकित्सा;

स्थानिकमारी वाले 196 जिलों में से 159 को बहु-औषध-उपचार के अन्तर्गत लाया गया है, जिसमें हाल ही में मंजूर किए गए 29 जिले भी शामिल हैं, जहां बहु-औषध-उपचार कार्य पिछले पांच वर्षों या इससे अधिक समय से चल रहा है, वहां कुष्ठ रोगियों की संख्या में काफी तेजी से गिरावट देखने में आई है। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप देश में रोग की व्याप्तता दर में 40 प्रतिशत से भी अधिक कमी आई है।

(ग) कल्याण मन्त्रालय ठीक हो गये कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देता है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिकार्ड किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 दिसम्बर, 1990 तक रिकार्ड किए गए कुष्ठ रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	241410
2.	अरुणाचल प्रदेश	1284
3.	असम	18771
4.	बिहार	473791
5.	गोवा	1754
6.	गुजरात	35067
7.	हरियाणा	1253
8.	हिमाचल प्रदेश	4097
9.	जम्मू व कश्मीर	6441
10.	कर्नाटक	87444
11.	केरल	68560
12.	मध्य प्रदेश	163510
13.	महाराष्ट्र	176283
14.	मणिपुर	1362
15.	मेघालय	1409

1	2	3
16.	मिजोरम	362
17.	नागालैंड	2025
18.	उड़ीसा	182449
19.	पंजाब	334
20.	राजस्थान	17385
21.	सिक्किम	320
22.	तमिलनाडु	347350
23.	त्रिपुरा	2772
24.	उत्तर प्रदेश	359383
25.	पश्चिम बंगाल	287216
26.	दादरा और नगर हवेली	210
27.	चण्डीगढ़	864
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1267
29.	दमण और दीव	209
30.	दिल्ली	4022
31.	लक्षद्वीप	192
32.	पांडिचेरी	87
	योग :	2492059

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में स्कूल आफ नर्सिंग का दर्जा बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

*80. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 8 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के जयप्रकाश नारायण अस्पताल के "स्कूल आफ नर्सिंग" का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान स्कूल के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा संबंधी अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति ने दिनांक 10 मई, 1990 की अपनी रिपोर्ट में सत्र 1990-91 से एक वर्ष का बी० एस० पी० (नर्सिंग) कार्यक्रम आजमायशी तौर पर प्रारंभ करने की सिफारिश की है ।

(ग) और (घ) स्कूल आफ नर्सिंग का दर्जा बढ़ाकर कालेज आफ नर्सिंग बनाने की योजना को लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है ।

(ङ) अतिरिक्त आधारभूत ढांचे की व्यवस्था तथा पदों के सृजन के विषय में दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

(च) इस मामले पर कालेज की स्थापना होने पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय पटसन समझौता

663. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच अन्तर्राष्ट्रीय पटसन समझौता जोकि 15 जनवरी, 1991 तक वैध था, का अनुमोदन अभी तक अधिकतर संबंधित देशों ने नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अन्तर्गत सदस्य देशों का सम्मेलन बुलाने के लिए भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस समझौते का अनुमोदन किया है और जिन्हें अभी इसका अनुमोदन करना है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पटसन तथा पटसन उत्पाद, 1989 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 40.2 के अनुसार समझौता 1 जनवरी, 1991 को या उसके बाद किसी और तारीख को अनन्तिम रूप से लागू होगा, बशर्ते कि उस तारीख तक समझौता के अनुबन्ध 'क' में निर्धारित अनुसार वास्तविक निर्यातों का कम से कम 85 प्रतिशत तक निर्यात करने वाली तीन सरकारों और समझौते के अनुबंध 'ख' में निर्धारित अनुसार वास्तविक आयातों का कम से कम 65 प्रतिशत तक आयात करने वाली 20 सरकारों ने अनुच्छेद 37 के पैराग्राफ 2(क) के अनुसरण में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अथवा अनुसमर्थन की स्वीकृति अथवा अनुमोदन के अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, अथवा अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत न्यासी को अधिसूचित कर दिया है कि वे समझौते को अनन्तिम रूप से लागू करेंगे ।

अब तक समझौते के अनुबंध 'क' में निर्धारित अनुसार वास्तविक निर्यातों का 89.128 प्रतिशत निर्यात करने वाले देशों ने टिप्पणी कालम में बताए अनुसार कार्रवाई की है :

देश	प्रतिशत	टिप्पणी
बंगलादेश	61·578	अनुसमर्थन
चीन	8.681	निर्णायक हस्ताक्षर
भारत	18.869	अनुसमर्थन
	योग : 89.128	

समझौते के अनुबंध 'ख' में निर्धारित अनुसार वास्तविक आयातों का 62.654 प्रतिशत तक निर्यात करने वाले निम्नलिखित 20 आयातक देशों ने टिप्पणी कालम में बताए अनुसार कार्रवाई की है :—

देश	प्रतिशत	टिप्पणी
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (11 देश)	24.008	हस्ताक्षर
मिश्र	2.390	"
फिनलैंड	0.077	"
इण्डोनेशिया	2.269	"
जापान	6.542	स्वीकृति
नार्वे	0.055	अनुसमर्थन
पाकिस्तान	12.974	"
स्वीडन	0.044	हस्ताक्षर
स्विटजरलैंड	0.198	निर्णायक हस्ताक्षर
अमरीका	14.097	स्वीकृति
	योग : 62.654	

उपरोक्त में से 33.866 प्रतिशत तक अंशदान करने वाले 5 देशों अर्थात जापान, नार्वे, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा स्विटजरलैंड ने अनुसमर्थन स्वीकृति अथवा निर्णायक हस्ताक्षर वाले अपने कागजात जमा कर दिए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय जूट परिषद ने 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1990 तक ढाका में हुए अपने

चौदहवें सत्र में यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 40 के अनुसार समझौते को लागू करने के लिए आई० जे० ए० 1989 के अपर्याप्त हस्ताक्षरों की अवस्था में कार्यकारी निदेशक अनुच्छेद 40.3 (रिपोर्ट का पैरा 13) के अनुसार 31 दिसम्बर, 1990 के बाद जब भी संभव हो, शीघ्र से शीघ्र बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध करेंगे। तदनुसार, आई० जे० ओ० ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध किया है। बैठक के मार्च, 1991 के अन्तिम सप्ताह में होने की सम्भावना है।

मानव शरीर में क्लोरीन-युक्त कीटनाशक

664. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारतवासियों के शरीर में क्लोरीनयुक्त कीटनाशकों की मात्रा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतवासियों के शरीरावयवों में संचित डी० डी० टी० का स्तर विश्व भर में सर्वाधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली के नागरिकों की शरीर-वसा में कीटनाशकों का स्तर सर्वाधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में बोतल के दूध में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के अवशेष औसत दर्जे से अधिक पाये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन विषैले रसायनों से भू-जल के स्रोतों पर भी प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने और सभी संबंधित जनों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय लोगों में से लिए गए मानव वसा नमूनों में डी० डी० टी० का स्तर कुछ अधिक ही था लेकिन पाकिस्तान जैसे अन्य विकासशील देशों के लोगों की तुलना में अधिक नहीं था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस बारे में महाराष्ट्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) हाल ही में सरकार ने डी० डी० टी० का प्रयोग केवल जन स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए और वह भी 10000 एम० टी० प्रतिवर्ष के स्तर तक सीमित कर दिया है। सरकारी तंत्र, उद्योगों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कीटनाशी अधिनियम और नियमों के अनुसार कीटनाशक के प्रत्येक डिब्बे पर एक जैसा लेबल और पर्ची लगी होनी अनिवार्य है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके उपयोग, प्रयोजन के बारे में सूचना, प्रयोग की जाने वाली मात्रा और प्रतीक्षा अवधि के बारे में

लाया गया हो ताकि भोजन के द्वारा मानव शरीर में प्रविष्ट होने वाले कीटनाशी अवशिष्टों की समस्या से बचा जा सके। ये लेबल और पर्चियां कम से कम तीन भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा में छपी होती हैं।

भारतीय रुई निगम का निर्यात सौदा

665. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वस्त्र मंत्री 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट का जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में दोषी पाये गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंकरस्य उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों की स्कूल साक्षरता परियोजनायें

666. **श्री बी० देवराजन :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों की स्कूली साक्षरता परियोजनाओं के अन्तर्गत परियोजना-वार वर्ष-वार और राज्य-वार कितने प्रतिशत व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में स्कूली छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों के सहयोग से 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राजस्थान राज्य के 2.00 लाख स्कूली छात्रों तथा संघशासित दिल्ली के 7,000 छात्रों को पिछले दो वर्ष के दौरान, स्वैच्छिक आधार पर, साक्षरता प्रयासों में अभी शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 2.00 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाए जाने की सम्भावना है। छात्रों का कार्य पूर्णतः व्यक्तिगत आधार पर है और ऐसी कोई परियोजना नहीं चला रहे हैं।

उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने साक्षरता प्रयास में स्कूली छात्रों को उनके कार्य अनुभव के एक भाग के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह आशा की जाती है कि अन्य राज्य सरकारें/संघशासित प्रशासन भी इसी प्रकार का निर्णय शीघ्र ले लेंगे। (प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को शिक्षित करे) कार्यक्रम आधार पर अतिरिक्त स्कूली छात्रों ने केरल, गोवा के पूरे राज्यों में, संघशासित प्रदेश, पांडिचेरी, गुजरात के 100 तालुकों, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के 31 जिलों में पूर्ण साक्षरता के लिए जन अभियान में स्वयं को सक्रिय रूप से शामिल किया है;

(ख) राज्यों/संघशासित प्रदेशों को इस उद्देश्य के लिए कोई सहायता पृथक रूप से प्रदान

नहीं की गई है। राज्य संसाधन केन्द्र, मास्टर शिक्षुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन शैक्षिक संस्थाओं को निःशुल्क साक्षरता किटें प्रदान करता है जो स्कूली छात्रों के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम में रुचि लेते हैं।

तुर्कमान गेट में रहने वाले परिवारों को स्थानान्तरित करना

667. **श्री के० एस०राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमान गेट से कई परिवारों को स्थानांतरित किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाली भूमि के उपयोग के लिए क्या योजना तैयार की गयी है;

(ग) लक्ष्यों और वित्तीय उपलब्धियों के स्तर पर इसके कार्यान्वयन के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ङ) तुर्कमान गेट से 798 परिवारों को स्थानांतरित किया गया था तथा उसके परिणामस्वरूप खाली हुई भूमि का 480 फ्लैट तथा 17 दुकानों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। इस निर्माण पर 121.08 लाख रुपये का व्यय किया गया है। अब और कोई निर्माण कार्य करने के लिए शेष नहीं है।

परिस्थितिकी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन करने की आवश्यकता

668. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें परिस्थितिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूली पाठ्यक्रमों में संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा इन पर राज्य सरकारों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंडल पांडे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विकसित संशोधित स्कूली पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को परिस्थिति विज्ञान की शिक्षा देने तथा उनके बीच पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने से संबंधित विषयों को जोड़ दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम निर्देशिका विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को अपनाने/रूपान्तरण करने के लिए भेज दिया गया है।

सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति

669. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ग चार के कर्मचारियों, जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की है अटेन्डेन्ट्स के तौर पर कार्यरत है, को प्रयोगशाला सहायकों के पद पर पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कुछ पदोन्नतियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नियन्त्रित मूल्य वाला कपड़ा

670. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा समाज के गरीब/कमजोर वर्गों के लिए नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए दिए गए नियन्त्रित कपड़े की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए पूर्ति की मात्रा अपर्याप्त पायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न प्रकार के नियन्त्रित कपड़े के उत्पाद मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'इस कपड़े के विक्रय में कोई लाभ नहीं कमाया जा रहा है' सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम जोकि कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन करता है, निम्नलिखित माध्यमों से कन्ट्रोल के कपड़े की सप्लाई करता है :—

1. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन० सी० सी० एफ०) ।
2. राज्य सहकारी उपभोक्ता परिसंघ
3. राज्य नगर आपूर्ति निगम
4. एन० टी० सी० के सहायक निगमों द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यापारी, तथा
5. एन० टी० सी० के सहायक निगमों द्वारा चलाए जा रहे एन० टी० सी० शोरूम ।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1990-91 (फरवरी, 1991 तक) की अवधि के दौरान दिल्ली को कन्ट्रोल के कपड़े की रिलीज के लिए एन०टी०सी० द्वारा जारी आवंटन/रिलीज आदेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निम्नलिखित के लिए जारी किए गए रिलीज आर्डर	
	सूती कन्ट्रोल का कपड़ा (लाख वर्ग मीटर में)	पालिएस्टर सूती कन्ट्रोल का कपड़ा (लाख मीटर में)
1987-88	5.17	—
1988-89	18.20	2.47
1989-90	58.95	3.00
1990-91 (21-2-91 तक)	5.44	0.76

(ग) दिल्ली को कन्ट्रोल के कपड़े की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन० टी० सी० "ना लाभ ना हानि" के आधार पर सभी प्रकार के कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री की कीमतें निर्धारित करता है। एन० टी० सी० केवल लागत के आधार पर कीमतें निर्धारित करता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सी कम्पनी संयंत्रों में पूंजी निवेश

671. **श्री बुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जाहुरा स्थित फल प्रसंस्करण संयंत्र में पेप्सी फूड्स परियोजना द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है और इस संयंत्र में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) आलू और खाद्यान्न प्रसंस्करण संयंत्र तथा चन्नो स्थित सोफ्ट ड्रिंक कंसट्रेट संयंत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया है और प्रत्येक एकक में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन एककों में दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) और (ख) मैं० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जहूरा स्थित फल प्रसंस्करण संयंत्र, आलू और खाद्यान्न प्रसंस्करण संयंत्र और चन्नो स्थित मृदु पेय सांद्रण संयंत्र के प्रस्तावित

पूंजी निवेश और प्रत्येक यूनिट में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या को संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) और (घ) मैं० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक इन यूनिटों में दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार नहीं दिया है।

विवरण

(लाख)

	प्रस्तावित पूंजी रोजगार		
	निवेश	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
जहूरा स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र	1978.40	136	3806
आलू और खाद्यान्न प्रसंस्करण संयंत्र	1887.24	15	897
मृदु पेय सान्द्रण संयंत्र	1086.99	17	515

राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

[हिन्दी]

672. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के नाम और उनकी अवस्थितियां क्या-क्या हैं;

(ख) इन मिलों में गत तीन वर्षों के दौरान कितना वस्त्र तैयार हुआ;

(ग) उनमें कार्यरत कामगारों की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय और आय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों से बन्द पड़ी ब्यावर (जिला अजमेर) स्थित कृष्णा मिल को फिर से चालू करने अथवा अधिगृहीत करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) राजस्थान में स्थित एन० टी० सी० के अधीन वस्त्र मिलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

1. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर
2. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
3. श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर (जिला अजमेर)
4. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर

(ख) एन० टी० सी० के अधीन 4 मिलों में से केवल 2 मिलें ही कपड़े का उत्पादन कर रही हैं। वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान इन दो मिलों द्वारा किए गए कपड़े के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है—

मिल का नाम	उत्पादन (मात्रा लाख मीटर में)		
	1987-88	1988-89	1989-90
एडवर्ड मिल्स	77.05	83.30	90.35
महालक्ष्मी मिल्स	71.99	78.36	87.23

(ग) इन मिलों में 31-12-1990 तक की स्थिति के अनुसार (नामावली पर) कार्यरत कामगारों की संख्या नीचे दी गई है—

एडवर्ड मिल्स	1365
महालक्ष्मी मिल्स	1262
श्री विजय काटन मिल्स	841
उदयपुर काटन मिल्स	603

(घ) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान इन मिलों के सम्बन्ध में आय तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

क्र०सं०	मिल का नाम	1987-88		1988-89		1989-90	
		कुल आय	कुल व्यय	कुल आय	कुल व्यय	कुल आय	कुल व्यय
1.	एडवर्ड मिल्स	8.65	8.86	10.47	11.58	12.18	12.45
2.	महालक्ष्मी मिल्स	5.46	6.44	7.16	8.19	8.48	8.61
3.	श्री विजय काटन मिल्स	7.15	7.99	8.95	9.73	11.47	11.20
4.	उदयपुर काटन मिल्स	6.75	6.94	8. 8	8.74	9.88	9.39

(ङ) से (च) वस्त्र नीति के अनुसार सरकार द्वारा रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने में रुग्णता की समस्या का निदान निहित है तथा सरकार नियमतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी कृष्णा मिल्स, ब्यावर के पुनरुद्धार के मामले में बी० आई० एफ० आर० द्वारा निर्णय लिया जाएगा जोकि एकक की आर्थिक अर्थक्षमता तथा अन्य सम्बद्ध कारकों पर आधारित होगा।

शुष्क शौचालय को स्वच्छ शौचालय में बदलना

[अनुवाद]

673 **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम लागत के सफाई कार्यक्रम के तहत शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए कुल कितनी परिव्यय राशि निर्धारित की गयी है;

(ख) इस सम्बन्ध में बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश में सफाई कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा चुके हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने अधिकतम संभावित सीमा तक मानव द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम लागत की स्वच्छता तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति की एक एकीकृत योजना आरम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख से कम जनसंख्या वाले 500 शहरों को सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया जाना है। इस योजना को जहां खुले स्थल पर मल त्याग का सहारा लिया जाता है वहां शुष्क शौचालयों पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को समक्रमिक रूप से केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता तथा हुडको से ऋण उपलब्ध कराकर आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से चलाई जा रही है :—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	—	45 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 50 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत लाभनुभोगियों का अंशदान।
निम्न आय वर्ग	—	25 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत लाभनुभोगियों का अंशदान।
मध्यम आय वर्ग/उच्च वर्ग	—	कोई आर्थिक सहायता नहीं, 75 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत लाभनुभोगियों का अंशदान।

1990-91 के दौरान शहरी जनसंख्या के आधार पर राज्य-वार 700 शहरों का नियतन किया गया है ताकि कार्यान्वयन के दौरान छूट अनुमेय करने के पश्चात् 500 शहरों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(घ) जी, हां।

दिल्ली में स्लम-निवासियों को राशन कार्ड

[हिंदी]

674. **श्री गोविन्दचन्द्र मुंडा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्लम-निवासियों को राशन कार्ड जारी करना बन्द दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का स्लम-निवासियों को कब तक नए राशन कार्ड जारी करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, 31-1-90 के बाद बनी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति राशन-कार्ड दिए जाने के हकदार नहीं हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने 31-1-90 तक मौजूद झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को स्थायी राशन कार्ड जारी करने के लिए 1990 में झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का एक बार के कार्य के रूप में सर्वेक्षण किया था।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला को अधिक प्रभावी बनाना

[अनुवाद]

675. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शिमला स्थित इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी को अधिक प्रभावी और कार्य निष्पादनोन्मुख बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या एक शासी निकाय का गठन किया गया है और यदि हां, तो इसके सदस्यों को नियुक्त करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) नए शासी निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (ग) सरकार ने श्री कृष्णा कृपलानी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 1984 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षिक ढांचे का पुनर्गठन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार इस संस्थान को शासी निकाय में अन्य व्यक्तियों के अलावा एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक सुविख्यात विद्वान होगा संस्थागत सदस्य जैसे विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्ययन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वित्त और शिक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि तथा 2 कुलपति शामिल हैं। शासी निकाय का मुख्य कार्य सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करना है जिसमें अन्यों के साथ-साथ

मानविकी भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान में चुनिन्दा विषयों में उच्च अनुसंधान को शुरू करना, आयोजित करना, मार्ग दर्शन करना तथा प्रोन्नत करना शामिल है।

इलेक्ट्रोपैथी पर जांच समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

676. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली सम्बन्धी जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वह अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को दे देगी;

(घ) इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) इसे कब तक मान्यता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति ने इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न करने की सिफारिश की है लेकिन यह सुझाव दिया है कि—(i) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद इस बात पर विचार करे कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी के समान होने के कारण होम्योपैथी के अन्तर्गत एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है, (ii) परिषद इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की मौजूदा संस्थाओं में होम्योपैथी को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में विचार कर सकती है और (iii) परिषद को बुनियादी ढांचे, पाठ्यचर्या और विभिन्न संस्थाओं में शिक्षण के मानकों की जांच तथा ऐसे संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की संभावना पर विचार करना चाहिए जो होम्योपैथी परिषद द्वारा शिक्षण संस्थाओं में लागू मौजूदा मानकों को पूरा करते हों।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जांच समिति की रिपोर्ट की आगे जांच की जा रही है और इसकी सिफारिशों/सुझावों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

677. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय खोलने का विचार है ;

(ग)यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) इस राज्य में इस विश्वविद्यालय के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) इस समय देश में निम्नलिखित 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं :—

(i) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(iii) दिल्ली विश्वविद्यालय

(vi) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

(v) उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

(vi) हैदराबाद विश्वविद्यालय

(vii) विश्व भारती

(viii) पांडिचेरी विश्वविद्यालय

(ix) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

(x) जामिया मिलिया इस्लामिया

असम और नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान लागू किया गया है। विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के कालेजों में जाली प्रवेश

[हिन्दी]

678. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सभी कालेजों में जाली प्रवेश के सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) क्या इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, तथाकथित जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर विभिन्न दिल्ली कालेजों में छात्रों के दाखिलों के सम्बन्ध में 1990 और जनवरी, 1991 तक भारतीय दंड संहिता के तहत छः मामले पंजीकृत किए गए हैं। जांच करने पर 23 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपभोक्ता हितों का संरक्षण

[अनुवाद]

679. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर को उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियां उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने में असफल रही हैं; और

(ख) राष्ट्रीय स्तर को उपभोक्ता शिकायत निवारण परिषदों द्वारा अब तक ऐसे कितने मामले उठाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, के तहत केन्द्र और राज्यों के स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन की बात कही गई है। ये परिषदें परामर्शदात्री स्वरूप की होती हैं। इसके अलावा, अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक प्रतितोष अभिकरण की बात भी कही गई है, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, शीघ्र और कम खर्च पर समाधान किया जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 15-2-1991 तक 308 मामलों का निपटान किया जा चुका है। इसी तरह, 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी में 30-9-90 तक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) द्वारा 9 4 मामलों तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों (जिला मंचों) द्वारा 9965 मामलों पर निर्णय किया जा चुका है।

फिजियोथ्रेपिस्ट के लिए संशोधित वेतनमान

680. **श्री जी० एस० वासवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अस्पतालों में वरिष्ठ फिजियोथ्रेपिस्ट को 2375-3500 रुपए का उच्च वेतनमान दिया गया है और दिल्ली प्रशासन में सीनियर फिजियोथ्रेपिस्टों और वरिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सकों को 1640-2900 रुपए का निम्न वेतनमान दिया गया है जबकि दोनों के ड्यूटी और शैक्षणिक योग्यतायें समान हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, तथा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली प्रशासन में जूनियर फिजियोथ्रेपिस्ट को 1640-2900 रुपए का वेतनमान देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पदोन्नति अवरुद्धता दूर करने तथा दोनों ेयों के लिए चयन ग्रेड देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ई चौधरी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के ीन अस्पतालों के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सकों का वेतनमान 1640-2900 रुपये हैं। केन्द्रीय सर- र स्वास्थ्य योजना के अधीन वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक के कोई पद नहीं हैं जबकि उस संगठन में 000-3200 रुपए के वेतनमान में भौतिक चिकित्सक ग्रेड-I के पद मौजूद हैं। वेतनमान में अन्तर ा कारण यह है कि दिल्ली प्रशासन में वरिष्ठ भौतिक चिकित्सकों के पद 350-574 रुपये के वेतन न में सृजित किए गए थे जिसे तीसरे वेतन आयोग द्वारा संशोधित करके 550-900 रुपए तथा ाथे वेतन आयोग द्वारा संशोधित करके 1640-2900 रुपये कर दिया गया था। जबकि केन्द्रीय रकार स्वास्थ्य योजना में भौतिक चिकित्सक ग्रेड-I का संशोधन पूर्व वेतनमान 650-960 रुपये ा। जो चौथे वेतन आयोग द्वारा 2000-3200 रुपए का संशोधित वेतन मान दिया गया था।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन नहीं है।

चयन ग्रेड देने की स्कीम चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी ई है।

ग्रामोन्मुख शिक्षा नीति

681. **श्री के० सी० त्यागी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ह :

(क) क्या सरकार द्वारा कोई ग्रामोन्मुख शिक्षा नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एन० ी० ई०) और इसके अनुपालनार्थ शुरू किए गए कार्यक्रम शैक्षिक अवसरों की समानता और प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के सर्वसुलभीकरण पर बहुत अधिक जोर देते हैं।

(ख) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता और विशेष ाक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों के लाभग्राही प्रमुख रूप से ग्रामीण हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई और दी गई धनराशि

682. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना में विभिन्न राज्यों को धनराशि आवंटन के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यवार अब तक वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना—1990-91 के लिए निधियां

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1990-91 के लिए आबंटन	15-2-1991 तक वर्ष 1990-91 के लिए जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	796.91	398.45
2.	बिहार	873.57	436.78
3.	गुजरात	372.36	186.18
4.	हरियाणा	156.34	78.17
5.	कर्नाटक	847.55	423.77
6.	केरल	328.61	164.30
7.	मध्य प्रदेश	836.86	418.43
8.	महाराष्ट्र	1039.03	519.51
9.	उड़ीसा	307.61	153.80
10.	पंजाब	295.61	147.82
11.	राजस्थान	582.19	291.09
12.	तमिलनाडु	875.40	437.70
13.	उत्तर प्रदेश	2295.53	1147.76
14.	पश्चिम बंगाल	677.42	338.71
15.	गोवा	26.04	13.02
16.	अरुणाचल प्रदेश	25.05	12.52
17.	असम	180.92	90.46
18.	हिमाचल प्रदेश	54.95	27.48
19.	जम्मू व कश्मीर	85.28	42.64

1	2	3	4
20.	मणिपुर	38.42	19.71
21.	मेघालय	28.15	14.07
22.	मिजोरम	19.71	9.85
23.	नागालैंड	33.02	16.51
24.	सिक्किम	21.88	10.93
25.	त्रिपुरा	19.21	9.62
26.	अण्डमान निकाबार द्वीप समूह	9.08	4·55
27.	चंडीगढ़	15.67	7.84
28.	दादर और नागर हवेली	7.13	3.57
29.	दमन व दीव	14.72	7·38
30.	लक्षद्वीप	7.28	3.65
31.	पांडिचेरी	26.88	13.45
32.	दिल्ली	0.33	0.17
	जोड़ :	10899.74	5449.89

सऊदी अरब को जूट के बोरे

683. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब सरकार द्वारा खाड़ी युद्ध के दौरान रेत के बोरों के रूप में प्रयोग रने के लिए कलकत्ता से 30 लाख जूट के बोरे खरीदे जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने सौदे को अन्तिम रूप देने के लिए सऊदी अरब को एक दल भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब को जूट के बोरों का निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पटसन के रेत के बोरों की सप्लाई के लिए सऊदी अरब में संभावित आयातकों से अनेक पूछ-ताछ सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुए है। ये पूछताछ सम्बन्धी पत्र भारत सरकार की मौजूदा निर्यात नीति की शर्तों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पटसन विनिर्माताओं तथा व्यापारी निर्यातकों को भेज दिए गए है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा व्यापार नीति के अनुसार निर्यात सम्भावित किए जाएंगे।

होजरी के सामान का निर्यात

684. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत स्थित होजरी उद्योग को पानी, बिजली, सड़क और संचार जैसी आधारभूत सुविधाएं देने का था क्योंकि इससे होजरी के सामान के निर्यात से ढेर सारी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

खाड़ी युद्ध के कारण वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव

[हिन्दी]

685. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

श्री वामनराव महाडीक : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के कारण वस्त्रों तथा तैयार वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव पड़ने से कितना घाटा हुआ है; और

(ख) वस्त्रों के निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खाड़ी क्षेत्र को परिधान सहित वस्त्र के निर्यात, भारत के कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 3.5 प्रतिशत भाग मात्र है। खाड़ी युद्ध से वस्त्रों के हमारे निर्यात अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं।

चीनी मिलें लगाने के लिए लाइसेंस

686. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री डी० पंडियन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के लिए लाइसेंस नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों की स्थापना के लिए चालू वित्त वर्ष में लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) चीनी मिलों की स्थापना के लिए चालू वित्त वर्ष में प्रदत्त लाइसेंसों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) नये लाइसेंस नीति संबंधी

दर्शी सिद्धांतों की 23-7-90 को घोषणा की गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस तारीख के जारी किए गए लाइसेंस नई नीति के तहत जारी किए गए हैं। लाइसेंस नीति की इस समय कार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख) दिनांक 23-7-90 की उक्त लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत नई ी फैक्ट्री की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र सीधे औद्योगिक ास विभाग को भेजे जाने अपेक्षित हैं तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात मार्च, 1990 से -2-91 तक नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से खाद्य ाल में 427 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	राज्य	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	36
2.	कर्नाटका	29
3.	पंजाब	25
4.	बिहार	16
5.	हरियाणा	11
6.	तमिलनाडु	6
7.	मध्य प्रदेश	4
8.	गुजरात	3
9.	उड़ीसा	1
10.	राजस्थान	1
11.	उत्तर प्रदेश	139
12.	महाराष्ट्र	156
	कुल	427

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात मार्च, 1990 से 15-2-91 तक नई चीनी फैक्ट्रियों स्थापना के लिए 14 आशय पत्र जारी किए गए हैं। राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य	मंजूर किए गए आशय पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	7
2.	पंजाब	2

1 2	3
3. उड़ीसा	2
4. आंध्र प्रदेश	1
5. महाराष्ट्र	2
कुल	14

योग संस्थान का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

687. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद और विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन संस्थानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, और विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य संबंधित मन्त्रालयों के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। तथापि, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुपर बाजार में हड़ताल

688. **श्री हरिशंकर महासे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इसके बिक्री केन्द्र बंद हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) हड़ताल की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 23 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 1990 की अवधि में कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण सुपर बाजार के अधिकतर बिक्री केन्द्र बंद रहे।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगों में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान और महंगाई भत्ते को संशोधित करना, सरकारी राजपत्रित अवकाश देना, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्रदान करना, छुट्टी यात्रा रियायत भत्ते की सुविधाएं देना इत्यादि शामिल थीं ।

(ग) और (घ) सुपर बाजार, दिल्ली के प्रबन्धों ने गुणावगुण के आधार पर कर्मचारियों की इन मांगों पर विचार किया और निम्नलिखित सुविधाएं देना स्वीकार किया :—

(1) 100 रु० प्रति माह के एक समायोज्य अग्रिम का भुगतान (14-12-1990 से लागू)

(2) 20 रु० प्रति माह का चिकित्सा भत्ता (14-12-1990 से लागू)

(3) आकस्मिक छुट्टियों की संख्या प्रतिवर्ष 15 से बढ़ाकर 24 करना; और

(4) कुछ शर्तों को पूरा करने पर पैकिंग क्लीनरों के पदों को पैकरों के स्तर तक अपग्रेड करना ।

उपर्युक्त उपायों से सुपर बाजार के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पुनःस्थापित हो गए हैं ।

दिल्ली में संशोधित जल प्रभार

[अनुवाद]

689. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल आपूर्ति एवं जल-मल व्ययन संस्थान, दिल्ली ने राजधानी में जल-प्रभार में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान के अनुच्छेद 30(1) में संशोधन

690. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में संशोधन के लिए संसद से सिफारिश की है, प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विद्यालयों में अंकतालिकाओं का भेजा जाना

691. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन करता है, बार-बार अनुरोधों के बावजूद अंकतालिकाएं नहीं भेजने और इस प्रकार छात्रों को कठिनाई में डालने वाली गंभीर भूल का पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) सीनियर सैकेंडरी स्तर के लिए पूरक परीक्षाओं की अंकतालिकाओं को भेजने में हुए कुछ विलम्ब के अलावा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) ने सैकेंडरी स्तर की मुख्य परीक्षाओं और पूरक परीक्षाओं की अंकतालिकाएं समय पर भेज दी थीं।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) ने उपयुक्त सुधारात्मक उपाय अपनाने के उद्देश्य से जांच-पड़ताल आरंभ कर दी है।

डाक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा

692. श्री एदुआर्दो फलेरो :

श्री अनन्तराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया है कि डिग्री प्राप्त करने से पूर्व सभी डाक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) और (ख) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को विशेष लाभ एवं भत्ते

693. डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष लाभों और भत्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करता है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को यह लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संगठन के कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए अर्हता मानदण्डों में सिविल कर्मचारियों के साथ समानता लाने हेतु कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राममंगल पांडे) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते और लाभ सामान्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते और लाभों की पद्धति के मुताबिक ही दिए जाते हैं। फिर भी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी विशेष जरूरतों के मुताबिक ही सुविधाओं को अपने अनुकूल बनाया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उनकी सेवावधि के मुताबिक निर्धारित 2 या 3 वर्षों के कार्यकाल की बजाय केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्नातकोत्तर या उससे अधिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का एक समान कार्यकाल का प्रावधान किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष कार्य भत्ते की सुविधा भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर भर्ती किए गए शिक्षकों को नहीं दी गई।

(ग) और (घ) वस्तुतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी भी सिविल कर्मचारी हैं। फिर भी, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने दिनांक 12-9-90 के अपने अभ्यावेदन में यह अपील की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खास तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को दिए जाएं। उपरोक्त कारणों से ही ये मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

महाराष्ट्र को पामोलीन

694. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 के दौरान पामोलीन तेल के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) क्या इसने महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों को असमंजस में डाल दिया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप इसके मूल्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों पर होने वाली वृद्धि से आम आदमी के परिवार का बजट गड़बड़ा जाएगा;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य को नवम्बर और दिसम्बर, 1990 के दौरान स्वीकृत आयात कोटा भी नहीं मिला;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य को खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक ठोस प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने आयातित खाद्य तेल के निर्गम मूल्य बढ़ाने का समर्थन इस आधार पर नहीं किया है कि इस समय इस वृद्धि से बाजार में अन्य खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है।

(ग) और (घ) खाद्य तेल का भण्डार सीमित होने के कारण महाराष्ट्र राज्य को नवम्बर, 1990 माह के लिए खाद्य तेलों का आबंटन लगभग 65% तक ही किया जा सका और दिसम्बर, 1990 के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यात्रा अनुदान की स्वीकृति

695. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कालेजों के प्रोफेसरों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रा अनुदानों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामान्यत: कितना समय लगता है;

(ख) क्या यह सच है कि यह अनुदान राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भुगतान करने में असाधारण रूप से अधिक समय लेता है, जिसके परिणामस्वरूप अत्याधिक विलम्ब होता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यात्रा पर गए कुछ प्रोफेसरों ने अपने व्याख्यान अक्तूबर, 1989 में दिए थे किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके यात्रा अनुदान अभी भी स्वीकृत नहीं किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग सामान्यतया यदि सभी दस्तावेज समय पर और सही ढंग से उसे प्राप्त हो जाते हैं तो कालेज शिक्षकों के लिए यात्रा अनुदान लगभग दो से तीन महीने में दे देता है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह रिपोर्ट की है कि आयोग संबंधित शिक्षक को भुगतान के लिए कालेज को आंकलित अनुदान का केवल 50% प्रदान करता है और शेष 50% सी०एस०आई०आर०, आई०एन०एस०ए०, आई०सी०एस०एस०आर०, आई०सी०एच०आर०, डी० एस०टी० जैसी अन्य एजेंसियों और कुछ मामलों में विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ग) ऐसा लगता है कि प्रलेखन के पूरा होने के बाद भी अत्यधिक विलम्ब के विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। केवल उन मामलों में, जहां निर्धारित सूचना/दस्तावेज समय पर नहीं भेजे जाते अथवा जो अपूर्ण हैं, अनुदानों को संस्वीकृत करने में पत्राचार के विनिमय के कारण विलम्ब हो जाता है।

(घ) और (ङ) वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुछेक मामले ऐसे हैं जिनमें यद्यपि अक्तूबर, 1989 के दौरान शिक्षकों ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, तथापि निर्धारित दस्तावेज न भेजने के कारण अथवा अपूर्ण सूचना के कारण अनुदानों का भुगतान नहीं किया जा सका और कुछ मामलों में आयोग द्वारा अभी दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने संबंधित संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे संबद्ध दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि अनुदान दिए जा सकें।

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल द्वारा चिकित्सा-उपकरणों का आयात

696. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री एम० एस० पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल द्वारा 30 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों के आयात में की गई अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई जांच कराई गई है तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच करने के लिए 23 नवम्बर, 1990 को दिल्ली प्रशासन द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई है। प्राथमिक रिपोर्ट/आरम्भिक जांच के आधार पर गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली के स्टोर अधिकारी और स्टोर क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है और गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का अस्पताल से बाहर तबादला कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार-रोधी विभाग ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पहले ही प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

खाद्यान्न संबंधी राज-सहायता

697. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को बेचे गए खाद्यान्नों के संबंध में राजसहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में वर्ष-वार दी गई ऐसी राज-सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस राजसहायता को बन्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के केन्द्रीय

निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम को इकनामिक लागत को कवर नहीं करते हैं। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को इस दृष्टि से कम स्तर पर रखा गया है ताकि सुविचारित जन नीति के रूप में उप भोक्ताओं को उचित दामों पर खाद्यान्न मुहैया किए जा सकें। इकनामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता के रूप में की जाती है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अदा की गई खाद्य राजसहायता का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रु०/करोड़
1988-89	2200
1989-90	2476 इसमें चीनी पर दी गई 44 करोड़ रुपये की राशि शामिल है
1990-91	1764 22-2-91 तक

(ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय खोलना

698. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर में, जामनगर जिले में तथा अन्य स्थानों पर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम मिले हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में तथा देश के अन्य भागों में ऐसे कितने विद्यालय खोले गए हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) गुजरात के विभिन्न जिलों में तथा देश में 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 के दौरान ऐसे कितने नये विद्यालय खोलने की संभावना है; और

(ङ) उपर्युक्त विद्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना प्रस्तावों की उपयुक्तता, भौतिक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अतः जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 के दौरान खोले जाने वाले विद्यालयों की ठीक-ठीक संख्या बता पाना असंभव है।

(ङ) नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं :

विवरण

नवोदय विद्यालय खोलने के मानदण्ड

नवोदय विद्यालय स्कीम के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। प्रथमतः राज्य सरकार की पेशकश पर आधारित स्थान का चुनाव किया जाता है। विद्यालय प्रारम्भ करने के लिए संबद्ध राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रारम्भिक तौर पर तीस एकड़ निःशुल्क भूमि, भवन तथा अन्य अवस्थापनाओं के लिए प्रदत्त की जाती हैं। जहां तक संभव हो इन विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदण्ड

भारत सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासनों/राज्य सरकारों अथवा पात्र संवर्गों के कर्मचारियों के संगठन द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं देते हुए प्रायोजित करने पर ही संगठन केन्द्रीय विद्यालय खोलता है :

(i) 15 एकड़ भूमि निःशुल्क अथवा नाममात्र मूल्य पर।

(ii) जब तक संगठन अपने भवन का निर्माण नहीं कर लेता तब तक केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए अस्थायी सुविधा।

(iii) कम से कम 50% स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर परियोजना क्षेत्र में भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं ! यदि;

(i) बच्चों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो।

(ii) उपरोक्त के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ को 100% आवासीय स्थान सहित अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हों।

(iii) उपक्रम/संस्थान विद्यालयों पर आने वाले सभी आवर्ती और अनावर्ती व्यय पूरे करने के लिए सहमत हों।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर बालिका विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

699. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के आधार पर बालिका विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास बालिका स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नए स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों की है। मौजूदा नीति के अनुसार 300 की जनसंख्या सहित सभी बासस्थानों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में 200 से अधिक) के लिए एक किलोमीटर के अन्दर एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूल और अपर प्राथमिक स्कूलों के बीच 3 : 1 का अनुपात हो तो अपर प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। यह आशा की जाती है कि विशेष रूप से अपर प्राथमिक स्तर पर अधिकाधिक स्कूल खोलने से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

खाद्यान्नों का नुकसान

[अनुवाद]

700. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का नुकसान हुआ और उनका मूल्य कितना था; और

(ख) इस तरह के नुकसानों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम को भंडारण और ढुलाई की अवस्था में खाद्यान्नों की हानियां होती हैं। 1990-91 के लिए भंडारण और मार्गस्थ हानियों के बारे में जानकारी वित्तीय वर्ष के लिए लेखों को बन्द कर देने के बाद प्राप्त होगी। 1989-90 के गत वर्ष के दौरान हुई खाद्यान्नों की भंडारण और मार्गस्थ हानियों की स्थिति नीचे दी गई है :—

मात्रा लाख मीटरी टन में/

मूल्य करोड़ रुपयों में

कुल भंडारण तथा मार्गस्थ हानियां		मात्रा के हिसाब से खरीद + बिक्री पर हुई हानि की प्रतिशतता
मात्रा	मूल्य	
2.96	87.94	0.85

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) खाद्यान्नों की वसूली के दौरान नमी से सम्बन्धित गुणवत्ता की विनिर्दिष्टियों को कड़ाई से लागू करना;

(2) प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा कम करना;

(3) 5000 मीटरी टन या उससे अधिक क्षमता वाले डिपुओं में तोल-सेतु लगाना;

(4) खुले वैगनों का कम से कम इस्तेमाल करना;

(5) डिपुओं में सुरक्षा को कड़ा करने अचानक निरीक्षणों में तेजी लाने, नियमित रूप से स्टाक का सत्यापन करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना;

(6) ढकी हुई भंडारण क्षमता में वृद्धि करना;

(7) बोरियों की मशीन द्वारा सिलाई शुरू करना।

इराक से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निकालना

[हिन्दी]

701. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी इराक में फंसे हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं; और

(ख) उन्हें वहां से निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में वनस्पति तेल मिलें

[अनुवाद]

702. **श्री कमल चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में वनस्पति तेल की मिलें स्थापित करने अथवा वनस्पति तेल की मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक तेल की मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से स्थान निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार की तरफ से जाब में वनस्पति तेल के एकक लगाने का कोई विचार नहीं है। नीति यह है कि क्षेत्रीय स्तर को यान में रखे बगैर किसी भी उद्यमी/संगठन से आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने हेतु प्राप्त ावेदन पत्रों की गुण-दोष आधार पर जांच की जाती है, जिनमें कच्चे माल की उपलब्धता, क्षेत्रीय संतुलन, स्थानिक नीति आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) सहकारी क्षेत्र से ऐसा कोई प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में तदर्थ आधार पर शिक्षकों तथा गैर-शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति

703. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तदर्थ आधार पर शिक्षकों तथा गैर-शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा 180 दिनों की सेवा पूरी होने से पूर्व उन्हें हटा दिया जाता है;

(ख) क्या निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना इन हटाए गए कर्मचारियों को एक दिन या इससे अधिक दिनों का व्यवधान देकर पुनः नियुक्त किया जाता है अथवा 180 दिन से कम अवधि के लिए नए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का अनुसरण करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार छः माह अथवा नियमित पदधारियों के कार्य-भार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रिक्त पदों को तदर्थ नियुक्तियों से भरा जाता है। परन्तु, तदर्थ आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पुनः चुने जाने पर कोई रोक नहीं है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं के वितरण में असमानता

[हिन्दी]

704. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्दर दी जाने वाली राशन की मात्रा सहित इन वस्तुओं के वितरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कुल उपलब्ध मात्रा, जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परस्पर जरूरतों आदि जैसी अनेक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

बच्चों में अन्धापन

[अनुवाद]

705. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1991 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में '80000 चिल्ड्रन ब्लाइन्ड ऐवरी ईयर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति वर्ष हजारों बच्चे विटामिन 'ए' तथा उपयुक्त आहार की कमी के ण अन्धे हो जाते हैं; और

(ग) इस संबंध में चेतना जगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। तथापि यह बताया ा है कि विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता की वास्तविक घटना के बारे में अब तक कोई -व्यापी अध्ययन नहीं किया गया है जो हर वर्ष अन्धे हो जाने वाले बच्चों की सही संख्या बता ।

विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता रोग निरोधन की एक योजना है जिसके अन्तर्गत –5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाता है। हर वर्ष लगभग 3 ड़ बच्चों को कवर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान विटामिन ए की पहली ाक खसरे के टीके सहित 9—12 महीने के सभी शिशुओं को दी जाएगी।

बहु प्रचार संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से विटामिन ए वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों के खाने बारे में पौषणिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। कल्याण मन्त्रालय द्वारा एकीकृत शिशु विकास ना कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषण, विटामिन ए से पौष्टिक किया हुआ दूध इस दिशा में अन्य ाय हैं। इन सभी उपायों के साथ कुपोषणजनित दृष्टिहीनता की व्यापकता दर धीरे-धीरे नीचे आती रही है।

खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति

706. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्तमान समय में देश में खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर है; र

(ख) इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर-तूबर) के दौरान खाद्य तिलहनों के मौजूदा उत्पादन अनुमानों के आधार पर खाद्य तेल की मांग र आपूर्ति के बीच लगभग 10.58 लाख मी० टन का अन्तर आंका गया है।

(ख) मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को यथासंभव सीमा तक दूर करने के लिए खाद्य तेल आयात किया जा रहा है।

उचित दर मूल्य की दुकानों से मूंगफली का रिफाइन्ड तेल और दालों की बिक्री

707. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य तेलों विशेषकर मूंगफली का रिफाइन्ड तेल और दालों के मूल्य गत दो महीनों के दौरान बहुत अधिक बढ़े हैं और यदि हां, तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन्हें उचित दर दुकानों के माध्यम से बेचने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जनवरी, 1991 में विगत दो महीनों की तुलना में खाद्य तेलों के उप-समूह के थोक मूल्य सूचकांक में 7.5% की वृद्धि हुई है। मूंगफली के तेल के मूल्य सूचकांक में 20.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

एक उप-समूह के रूप में दालों के थोक मूल्य सूचकांक में जनवरी, 1991 में विगत दो महीनों की तुलना में 7.4% की कमी हुई।

(ख) से (घ) आयातित खाद्य तेल का वितरण पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे आम खपत की और वस्तुओं, जिनमें दालें शामिल हैं, का वितरण करने पर विचार करें, तथापि, केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरण के लिए स्वयं दालें मुहैया करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जन्म-दर पर नियन्त्रण

708. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान जन्म-दर और वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान जनसंख्या वृद्धि-दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनसंख्या की वृद्धि दर में अपेक्षित कमी लाई जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में जन्म दर को कम करने के लिए और क्या कार्यवाही योजना शुरू की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्ष 1989 की अनन्तिम जन्म दर 30.5 (प्रति हजार आबादी) है। जनसंख्या की सहज वृद्धि दर भारत के महापंजीयक की नमूना-पंजीयन पद्धति से उपलब्ध जन्म और मृत्यु दरों के बीच अन्तर से निकाली जाती है। सातवीं योजना अर्थात वर्ष 1990 तक 1.87% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले वर्ष 1989 के सहज वृद्धि दर के नवीनतम अनन्तिम उपलब्ध अनुमान 2.03% है।

(ग) वृद्धि दर में मामूली वृद्धि जारी है। इसका कारण आजादी के बाद जन-स्वास्थ्य उपायों और चिकित्सा परिचर्या में सुधार होने से जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में तीव्र कमी होना है।

(घ) देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण के द्वारा बच्चों को जीवित रखने, जनसंख्या शिक्षा को तेज करने, सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि करने, नवीनतम संचार नीतियों को अपनाने और स्वैच्छिक संगठनों को इस काम में शामिल करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निचले स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देने की स्कीमें, महिला साक्षरता और महिलाओं के स्तरों में सुधार लाने जैसे संगत विकास कार्यक्रमों से सम्बद्धता स्थापित करने तथा उसे सुदृढ़ करने तथा क्षेत्र गहन दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा प्रदाय प्रणाली के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और चुने हुए राज्यों में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कई क्षेत्र परियोजनाओं को भी आरम्भ किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक सत्र वाले विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

709. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक सत्र लागू कर रखा है;

(ख) बिहार के किन विश्वविद्यालयों ने इसे पूरा या आंशिक रूप से लागू कर रखा है; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसे नहीं लागू किया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1989 में एक विस्तृत शैक्षिक केलेण्डर तैयार किया, जो 14-1-90 को विश्वविद्यालयों के पास भेज दिया गया था और यह शैक्षिक सत्र 1990-91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। चालू शैक्षिक सत्र के समाप्त होने के बाद ही इसके कार्यान्वयन से संबंधित सूचना का पता चलेगा।

स्वास्थ्य पर व्यय

710. **श्री छेदी पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी के लिए स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने 1989 में हुई अपनी बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 3 प्रतिशत के मौजूदा आबंटन की तुलना में कम से कम 7 प्रतिशत आबंटन करने की सिफारिश की थी तथापि, संसाधनों की कठिनाइयों को देखते हुए ऐसा करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए उप-पट्टे के फार्म

[अनुवाद]

711. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के लिए काफी संख्या में स्थायी पट्टे पहले ही निष्पादित कर दिए गए हैं;

(ख) क्या इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को उनके अनुमोदित सदस्यों को आवंटित फ्लैटों के संबंध में उप पट्टे अथवा हस्तांतरण विलेख आदि के निष्पादन के लिए फार्म नहीं दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संबंधित सोसाइटियों को उप पट्टे के अनुमोदित फार्म की सप्लाई के लिए कितना समय और लिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) समितियों के सदस्यों को आबंटित फ्लैटों के सम्बन्ध में उप पट्टे/हस्तांतरण विलेख के प्रपत्र को आगामी तीन महीनों में अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

712. **श्री हर्षवर्धन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1991 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नवोदय विद्यालय चल रहे थे;

(ख) क्या 1 जुलाई, 1991 तक उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों की संख्या 30 (तीस) है जहां 1 फरवरी, 1991 तक नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1 जुलाई, 1991 तक उत्तर प्रदेश के बकाया जिलों में नवोदय विद्यालय खोल पाना वास्तविक रूप से सम्भव नहीं है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं ।

केन्द्रीय विद्यालयों में टी० जी० टी० अध्यायकों की पदोन्नति का कोटा

[अनुवाद]

713. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की पदोन्नति हेतु कोटे का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 1989-90 में टी०जी०टी० अध्यापकों को पी०जी०टी० अध्यापकों के पद पर पदोन्नत करने के लिए निर्धारित कोटे को हाल में भरा गया है और 1990-91 का कोटा नहीं भरा गया है, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नति का कोटा निम्न प्रकार है :

(i) पी०आर०टी० से टी०जी०टी०	:	$33\frac{1}{3}\%$
(ii) पी०आर०टी० से प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका	:	100%
(iii) टी०जी०टी० से पी०जी०टी०	:	$33\frac{1}{3}\%$

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए टी०जी०टी० से पी०जी०टी० तक की कोटे में प्रोन्नति के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। परन्तु शारीरिक शिक्षा शिक्षक एसोसिएशन द्वारा रिट याचिका दर्ज कर दिए जाने के कारण 1990-91 के कोटे में प्रोन्नति के लिए डी०पी०सी० की बैठक समय पर नहीं की जा सकी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता कोष बनाया जाना

714. **श्री वसंत साठे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानून परवर्ती कार्रवाई के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के अभाव में प्रभावी नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोक कल्याण की अपेक्षा उपभोक्ता कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई राष्ट्रीय उपभोक्ता कोष बनाने का है जिसका सृजन निर्माताओं पर लगाए गए अधिक और न लौटाए जाने वाले उत्पादन कर और उपभोक्ताओं से 150 मदों से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के कोष के उपयोग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) विगत में अधिनियमित विभिन्न कानून उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावशाली रूप में रक्षा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनमें निहित

प्रक्रियाएं लम्बी और जटिल थीं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उपभोक्ता शिकायतों के सरल तथा शीघ्र निपटान के लिए एक तीन-स्तरीय प्रतितोष तंत्र की व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ) नागरिक पूर्ति विभाग ने वित्त मन्त्रालय के साथ इस मामले को उठाया है।

केरल को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

715. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री पी० सी० थामस :
श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से 1991 के दौरान, केरल को चावल, गेहूं, चीनी, खजूर-तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रतिमास मासिक आवंटन कितना है;

(ख) क्या इन आवश्यक वस्तुओं के आवंटन में कोई कटौती की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या चावल, गेहूं, चीनी और खजूर-तेल की कीमतें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या आवंटित आवश्यक वस्तुएं केरल द्वारा उठा ली गई थीं; और

(झ) क्या केरल को सप्लाई किए गए चावल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का आवंटन, स्टाक की स्थिति, अन्य राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा आदि को हिसाब में लेते हुए माह-दर-माह आधार पर (मिट्टी के तेल के मामले में ब्लाक आधार पर) किया जाता है।

(घ) और (ङ) चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में पिछली बार 25 जून, 1990 को निम्नवत संशोधन किया गया था :—

(रु० प्रति क्विंटल)

चावल कामन	चावल फाइन	चावल सुपर फाइन
289.00	349.00	370.00

गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में पिछली बार 1-5-90 को संशोधन किया गया था और ये मूल्य 234.00 रु० प्रति क्विंटल हैं।

चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को, धान तथा गेहूं के वसूली मूल्यों में संशोधन होने के बाद संशोधित किया गया था।

लेवी चीनी के उपभोक्ता मूल्य में 1-1-1989 से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

आयातित खाद्य तेल के मूल्य में 26-1-1991 से वृद्धि की गई है। इसे इस आयातित तेल के लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य में वृद्धि होने के कारण संशोधित किया गया है।

एस० के० ओ० मूल्यों में, खाड़ी अधिभार लगाये जाने के कारण 14/15 अक्तूबर, 1990 की मध्यरात्रि से 25% की वृद्धि की गई है।

(च) और (छ) इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ज) विवरण-2 संलग्न है।

(झ) केरल सरकार से गत छः महीनों के दौरान चावल की क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 के दौरान केरल को चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का माहवार आवंटन

(हजार मी० टन में)

माह	चावल	गेहूं	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
जनवरी, 90	100.0	20.0	12.0	2.5	23.7
फरवरी	125.0	20.0	12.0	2.5	23.7
मार्च	125.0	20.0	12.0	3.0	20.2
अप्रैल	125.0	20.0	12.0	3.0	20.2
मई	125.0	20.0	12.0	3.5	20.2
जून	125.0	20.0	12.0	3.5	20.2
जुलाई	135.0	20.0	12.0	3.5	21.5
अगस्त	155.0	20.0	12.0	5.0	21.5
सितम्बर	135.0	20.0	13.8	5.0	21.5
अक्तूबर	145.0	20.0	13.8	6.0	21.5
नवम्बर	145.0	20.0	12.0	4.0	24.6
दिसम्बर	135.0	20.0	12.0	कोई आवंटन नहीं	24.3
जनवरी, 91	142.5	30.0	12.0	कोई आवंटन नहीं	24.2
फरवरी	142.5	20.0	12.0	1.2	उ०न०

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

विवरण-2

1990-91 के दौरान केरल द्वारा चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की माहवार उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टन में)

माह	चावल	गेहूं	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
जनवरी, 90	97.6	21.0	2.77	23.39
फरवरी	113.3	15.3	0.82	23.25
मार्च	131.6	25.1	2.06	20.49
अप्रैल	114.2	15.5	2.57	20.27
मई	129.0	19.0	4.47	20.22
जून	139.7	21.7	3.26	20.32
जुलाई	135.8	20.7	3.00	20.45
अगस्त	168.0	21.5	4.62	21.48
सितम्बर	95.3	15.5	3.07	21.53
अक्तूबर	114.8	16.8	4.54	21.34
नवम्बर	128.4	19.1	4.01	24.34
दिसम्बर	136.8	19.8	1.10	23.56
जनवरी, 91	118.0	28.0	नगण्य	उ०न०
फरवरी	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

उ०न०=उपलब्ध नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को दिल्ली से बाहर तैनात करना

716. **श्री राम सागर (संबपुर)** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं, अधीक्षक अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं के सम्बन्ध में स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे कनिष्ठ अभियंताओं की संख्या कितनी है जो दस वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में हैं और जिन्हें निर्धारित स्थानांतरण नीति के अनुसार दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ग) ऐसे सहायक अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं, अधीक्षक अभियंताओं और मुख्य

अभियंताओं की संख्या कितनी है जो 10 वर्ष पूरा करने के बाद दिल्ली में तैनाती आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) इस स्थानांतरण नीति को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री बौलत राम सारण) : (क) समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों तथा उससे ऊपर के स्तर के इंजीनियरों को भारत में कहीं भी किसी विभाग के संगठन में या प्रतिनियुक्ति पर संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में कार्य करना अपेक्षित है लोकहित में उनका स्थानांतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक जगह से दूसरी जगह या सरकार के अन्य संगठन में किया जा सकता है। स्थानांतरणों का निर्णय लेते समय कई तथ्यों अर्थात अवधि स्थानांतरण मार्गनिर्देश, विकट क्षेत्र तैनाती, क्षेत्रीय अपेक्षाताओं, विभाग की प्रतिनियुक्ति नीति, विभाग की आवश्यकताओं और अधिकारियों की वैयक्तिक कठिनाईयों के मध्य विवेकपूर्ण संतुलन आदि को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, कनिष्ठ इन्जीनियरों को भर्ती के समय उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन इन्जीनियरों के ब्यौरे, जो 10 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में हैं और जिन्हें दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है, इस प्रकार हैं :—

श्रेणी	सिविल	विद्युत
कनिष्ठ इन्जीनियर	250+	253+
सहायक इन्जीनियर	41+	81+
कार्यपालक इन्जीनियर	6	11
अधीक्षक इन्जीनियर	5	4
मुख्य इन्जीनियर	2	—

(+लगभग)

(घ) सम्बन्धित स्थानांतरण तैनाती समिति/प्राधिकारियों द्वारा दस वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं। सरकारी कार्यों की अ यावश्यकता और स्थानांतरण मार्ग-निर्देशनों को ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर लम्बे समय से कार्यरत अधिकारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। जहां तक कनिष्ठ इन्जीनियरों के एक स्थान पर लम्बे समय से कार्य करने का सम्बन्ध है, मार्ग निर्देशनों के प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ इन्जीनियरों की सूची संकलित करने के पश्चात कनिष्ठ इन्जीनियरों के स्थानांतरण की एक तैयार सूची जारी की गई है। दिल्ली के बाहर रिक्तियों और कार्य की अत्यावश्यकता को देखते हुए इन कनिष्ठ इन्जीनियरों के स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

मणिपुर में बेकरी एकक

717. **श्री एन० तोम्बी सिंह :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल, मणिपुर में अच्छी किस्म की ब्रेड उपलब्ध कराने हेतु वहां पर आधुनिक बेकरी एकक शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्म देव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खेल प्रशिक्षकों के वेतनमान

[हिन्दी]

718. **प्रो० यदुनाथ पांडे :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति 2000-4000 रुपये के वेतनमान में की थी लेकिन 1987 में जब भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय खेल संस्थान के साथ विलय कर दिया गया तो जिन प्रशिक्षकों ने राष्ट्रीय खेल संस्थान से भारतीय खेल प्राधिकरण में पद भार ग्रहण किया उनका वेतन 1640 रुपए पर निश्चित किया गया था, और यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रशिक्षकों की योग्यताएं और कार्य समान है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों के लिए समान वेतनमान निश्चित करने का है और यदि हां, तो इस विसंगति को कब दूर किया जाएगा; और

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण में नियुक्त राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रशिक्षकों की वरिष्ठता उनके राष्ट्रीय खेल संस्थान में पद भार ग्रहण करने की तिथि से मानी जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन विसंगतियों को कब दूर किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन० आई० एस०) के साथ विलय से पूर्व भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० आई०) ने नई योजना के अधीन देशभर के चुने हुए तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए स्कूलों में दाखिल प्रतिभावना बच्चों के प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्य हेतु 2200-4000 रुपए के वेतनमान में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की थी ।

भारतीय खेल प्राधिकरण में राष्ट्रीय खेल संस्थान के विलय से पूर्व एन० आई०एस० के पास निम्नलिखित वेतनमानों में प्रशिक्षक थे :—

चयन ग्रेड	—	3700-5000 रु०
ग्रेड-I	—	3000-4500 रु०
ग्रेड-II	—	2200-4000 रु०

ग्रेड-III(ए)	—	1640-2900 रु०
ग्रेड-III(बी)	—	1200-2040 रु०

विलय के बाद निम्नतम ग्रेड अर्थात ग्रेड-III(बी) को समाप्त कर दिया गया था और जो प्रशिक्षक 1200-2040 रु० के वेतनमान में थे उनका निर्धारण अगले उच्च ग्रेड अर्थात ग्रेड-III(ए) 1640-2900 रु० में किया गया था।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रशिक्षकों की अर्हताएं और कार्य एक जैसे हैं। विलय के पश्चात् इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण में अब प्रशिक्षकों के चार वेतनमान हैं।

(ग) वरीयता नियमित सेवा के आधार पर तय की जाती है। सेवा उप-विधि हाल ही में शासी निकाय द्वारा संशोधित की गई है। उसी के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। प्रशिक्षकों को प्रचालित करने के लिए प्रारूप सूची तैयार की जा रही है। इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व उन्हें अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा।

राजस्थान में सोयाबीन एकक

[अनुवाद]

719. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सोयाबीन की खेती पर आधारित किसी एकक की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता, छूटों और लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) कोटा में 200 टन प्रति दिन क्षमता वाला एक सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र सहकारिता सेक्टर में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। आठवीं योजना अवधि के दौरान सहकारिता सेक्टर में एक सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कोटा में प्राइवेट सेक्टर में किसी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की राज्य सरकार समर्थन नहीं देती है। सामान्य सब्सिडी और राज्य की औद्योगिक नीति के अधीन उपलब्ध रियायतों पर कोई भी उद्यमी चित्तौड़गढ़ में एक संयंत्र स्थापित कर सकता है। सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र के लिए कोई विशेष सब्सिडी या रियायतें उपलब्ध नहीं हैं।

पेप्सी फूड द्वारा विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग

720. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग की मंजूरी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्वदेशी बाजार के लिए किसी विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) क्या मैसर्स पेप्सी फूड ने दिनांक 4 अप्रैल 1990 को सरकार को यह लिखा था कि उन्हें पेप्सी कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में "पेप्सी", "मिरिंडा" और "सेवन आप" अन्तर्राष्ट्रीय "ट्रेड मार्क लोगों" का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्म देव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वदेशी बाजार में प्रयोग के लिए किसी विदेशी ब्रांड नाम की स्वीकृति नहीं दी गई है। परन्तु भारतीय नाम पहले लगाकर मिश्रित नाम के प्रयोग की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा पर व्यय

721. **श्री जे० चौक्काराव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शिक्षा पर कितने प्रतिशत राशि व्यय की जाती है;

(ख) क्या इसमें वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) वर्ष 1989-90 में शिक्षा पर बजट सम्बन्धी खर्च राष्ट्रीय आय (नेट राष्ट्रीय उत्पादन) का लगभग 3.9% है।

(ख) शिक्षा पर खर्च की प्रतिशतता को बढ़ाने का हर प्रयास किया जाता है, जो अन्य विकासीय क्षेत्रों के संसाधनों और प्रतिस्पर्द्धा मांगों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) कोई समय नहीं निर्दिष्ट किया जा सकता है।

हथकरघा और विद्युत चालित करघा बुनकरों की कठिनाइयां

722. **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा, विद्युत चालित करघा बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के जमा होने और अन्य कारणों से अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के जमा होने और अन्य कारणों से सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :—

(1) हथकरघा मदों की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना लागू की गई है;

(2) बुनकरों के उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा उनकी बिक्रियों को बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान के साथ राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों का आयोजन;

(3) लागत संबंधी अड़चनों को कम करने के लिए हथकरघा बुनकरों को वित्तीय राहत देना ताकि वस्त्र उद्योग के अन्य क्षेत्रों के साथ हथकरघा बुनकर प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(4) बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए हैंक यार्न दायित्व योजना, आधुनिकीकरण योजना जैसी कई योजनाओं का प्रचालन;

(5) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा उचित कीमतों पर यार्न डिपो योजना के जरिए यार्न तथा रंजक मदों की आपूर्ति;

(6) केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही उत्पादन के लिए 2 मदों का आरक्षण; और

(7) मन्त्रालयों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अग्रता आधार पर हथकरघा मदों की आपूर्ति।

जहां तक विद्युतकरघा बुनकरों का संबंध है, किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) क्षेत्र के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए कदम;

(2) निम्नलिखित के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना :

(क) विद्युतकरघा सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन देना;

(ख) उनकी शेयर पूंजी में अंशदान करना ताकि वे अपनी विपणन सुविधाएं बढ़ा सकें; और

(ग) बुनकरों के कल्याण के लिए उचित विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाना।

नार्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले

723. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में कुल कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इन मामलों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) विभिन्न न्यायिक मामलों में मामलों की प्रकृति और पार्टियों के नामों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरुद्ध तीन

कानूनी मामले लम्बित पड़े हैं। विश्वविद्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुकदमें पर 26,40,444.45 रु० का व्यय वहन किया है।

(ग) पार्टियों के नाम और मामलों के स्वरूप निम्नलिखित हैं :—

(i) श्रीमती बी० लीला आओ को तदर्थ आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी क्योंकि वे पद के लिए योग्य नहीं पायी गयी थीं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है।

(ii) उपायुक्त के सहायक के न्यायालय में उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय बनाम शदप एसोसिएट्स। यह मामला सीवर के ढक्कन की आपूर्ति के लिए दरों में विवाद से संबंधित है।

(iii) गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल पीठ में उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय बनाम श्री लाल मक्तलंगा, यह मामला सहायक पुस्तकाध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति से संबंधित है।

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ में "चीफ" का रिक्त पद

724. **श्री कृपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ "चीफ" का पद खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह पद कब से खाली पड़ा है; और

(ग) सरकार इस पद को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) डा० पी० एल० वाही, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पी० जी० आई० एम० ई० आर०) के पूर्व पदधारी निदेशक, निदेशक के रूप में उनके बढ़े हुए कार्यकाल के पूरा होने पर 3-12-90 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के दिनांक 3-12-90 के पत्र के अनुसार पी० जी० आई० एम० ई० आर०, चंडीगढ़ एक्ट, 1966 की धारा 25 के तहत केन्द्रीय सरकार ने इस आशय का निदेश जारी किया कि डा० एस० डी० शर्मा, के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कार्यों की देखभाल तब तक करते रहेंगे जब तक कि पी० जी० आई० एम० ई० आर० नियम, 1967 के नियम 7(3) के उपबंधों अनुसार उक्त पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है। तदनुसार, दिनांक 3-12-90 (अपराह्न) को डा० एस० डी० शर्मा ने डा० पी० एल० वाही से कार्यभार ग्रहण किया और तभी से वे स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के निदेशक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं।

विशेष चयन समिति एवं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान निकाय की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 14-2-91

उक्त संस्थान के निदेशक की नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया है।

कताई मिलें

725. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वस्त्र नीति को उदार बनाए जाने के बाद नई कताई मिलों के लिए राज्य-वार कितने इर्सेंस जारी किए गए हैं;

(ख) कार्य कर रही अथवा निर्माणाधीन मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मिलों को वस्त्र मशीनरी की सप्लाई में देरी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का निर्यात के बदले में वस्त्र मशीनरी आयात करने का विचार और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 1-6-1988 की उदार नीति के बाद नई कताई मिलों के लिए जारी किए गए राज्यवार लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या		
	मद 23(1) और 23(5) के लिए (सूती और मानव निर्मित)	मद 23(3) (ऊनी वस्त्र)	100 प्रतिशत ई ओ (सूती-मानव निर्मित ऊन)
1	2	3	4
असम	×	×	×
आंध्र प्रदेश	दो	—	एक
बिहार	—	—	एक
गुजरात	एक	—	एक
हरियाणा	—	दो	दो
हिमाचल प्रदेश	चार	एक	—
जम्मू और काश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—
केरल	—	—	—

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	चार	—	चार/एक
महाराष्ट्र	दो	—	सात
उड़ीसा	तीन	—	—
पंजाब	तीन	दो	एक
राजस्थान	एक	एक	दो
तमिलनाडु	—	—	सात
उत्तर प्रदेश	एक	दो	एक
गोवा	—	—	एक
पांडिचेरी	—	—	—
दादरा और नागर हवेली	दो	—	—
	तेईस	आठ	उनत्तीस

(ख) से (ङ)

मिलों की किस्म	मौजूदा एकक
सूती/मानवनिर्मित फाईबर कताई एकक	781
उनी वस्त्र एकक	624

कताई मशीनों की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण दिनांक 30-6-1988 की अधिसूचना के अन्तर्गत सरकार की नीति संबंधी घोषणा के पश्चात सृजित व्यापक कताई क्षमता का होना है। यार्न के निर्यात की तुलना में वस्त्र उद्योग में अचानक विस्तार होने से भी आधुनिकीकरण की गति में वृद्धि हुई है तथा इसके फलस्वरूप कताई मशीनों की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। इन कारणों से कुछ कताई मशीनों की वितरण अवधि बढ़ गई है। फिर भी जहां पर वितरण अवधि लंबी होती है वहां ऐसी मशीनों के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की जा रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक नई मशीनों के आयात की अनुमति, जिसका कि स्वदेशी विकल्प नहीं है, आयात के रियायती शुल्क पर उनको दी जा रही हैं जिनका तीन वर्ष का विगत निर्यात निष्पादन रहा है। ऐसी अनुमति चार वर्ष की अवधि में मशीनों के मूल्य के चार गुना निर्यात दायित्व पर दी जाती है। यह सुविधा वस्त्र मशीनों की उन 23 विशिष्ट मदों के अतिरिक्त है जिसके आयात की अनुमति 40 प्रतिशत रियायती आयात शुल्क के अन्तर्गत दी जाती है जिसका निर्यात दायित्व 5 वर्ष की अवधि के लिए मशीन के मूल्य का पांच गुना (अथवा ऐसी मशीनों से प्राप्त किया गया उत्पादन का 75 प्रतिशत) होता है जिसे कि पूरा करना पड़ता है। शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों पर जरूरी वस्त्र मशीनों के आयात के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारत से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में तैनाती के लिए चयन किए गए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी

726. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में तैनाती के लिए चयन किए गए भारत में कार्यरत गैर्-शिक्षण और शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवश्यक अर्हताओं और अनुभव आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न पदों के लिए चयन सम्बन्धी मानदण्ड तथा चयन समितियों के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मनदंडों और प्रक्रियाओं का विगत में पालन किया गया है और काठमांडू और मास्को में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए कर्मचारियों के आगामी चयन में इनका पालन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो चालू अथवा आगामी महीने के दौरान भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) भारत से बाहर स्थित अलग-थलग पड़े केन्द्रीय विद्यालयों में काम करने की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी नियुक्तियों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन के लिए अतिरिक्त जरूरतों को निर्धारित करते हुए, समय-समय पर जैसा जरूरी होता है, प्रशासकीय निर्णय लिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में अपनाए गए नियम और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं :—

अर्हताएं/अन्य जरूरतें	मास्को	काठमांडू
1	2	3
	(1) अर्हकारी डिग्री में द्वितीय श्रेणी पी० जी० टी० के लिए एम० ए०, टी० जी० टी० के लिए बी० ए० और पी० आर० टी० के० लिए साधारण बी० ए०	वही
	(2) प्रशिक्षण अर्हता	वही
	(3) पी० जी० टी० के लिए 5 वर्षों का अनुभव टी०जी०टी० ड्राइन्ग शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए 4 वर्षों का अनुभव और पी० आर० टी०/ संगीत शिक्षक के लिए 4 वर्षों का अनुभव	वही

1	2	3
	(4) सेवाकालीन पाठ्यक्रम में सहभागिता	वही
	(5) बोर्ड की कक्षाओं में कम से कम 90% परिणाम	वही
	(6) सतर्कता का कोई मामला नहीं	वही
चयन संबंधी मानदंड और चयन समितियों का गठन	साक्षरता के माध्यम से निर्धारित गुणावगुण के आधार पर चयन के० वी० मास्को (1987) में पी०जी०टी० के लिए	साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित गुणावगुण के आधार पर चयन पी० जी० टी० के लिए, के०वी० काठमांडू (1989)
	1. यू० एस०एस०आर० में भारतीय राजदूत —अध्यक्ष	1. संयुक्त आयुक्त, के० वी० एस० —अध्यक्ष
	2. तत्कालीन राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय —सदस्य	2. डी० सी० (कार्मिक) के० वी० एस० —सदस्य
	3. तत्कालीन राज्य मंत्री/ विदेश मंत्रालय —सदस्य	3. ए० सी० (मुख्यालय) के० वी० एस० —सदस्य
	4. आयुक्त के०वी०एस० —सदस्य सचिव	4. विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि और
		5. विषय विशेषज्ञ
	मास्को	काठमांडू
	टी०जी०टी०, पी० आर०टी० और विभिन्न श्रेणियों के लिए (1987)	टी०जी०टी०, पी०आर० टी० और विभिन्न श्रेणियों के लिए (1987)
	1. आयुक्त, के०वी०एस० —अध्यक्ष	1. उपायुक्त (कार्मिक) —अध्यक्ष
	2. काउंसलर भारतीय दूतावास, मास्को —सदस्य	2. ए०सी० (मुख्यालय) —सदस्य
	3. विदेश मन्त्रालय के प्रतिनिधि—सदस्य	3. विषय विशेषज्ञ
	4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) (के०वी०एस०)—सदस्य सचिव	
	(घ) भरे जाने वाले पद निम्नलिखित हैं :—	
	मास्को	काठमांडू
	पी० जी० टी-5	—2

मास्को	काठमांडू
टी० जी० टी०-1	—1
पी० आर० टी०-6	—2
पुस्तकाध्यक्ष-1	—1
विभिन्न श्रेणियां शून्य	—2

हमीरपुर को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शिमला कार्यालय से जोड़ना

हिन्दी]

727. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और अन्य जिलों को मानोहर (जम्मू और कश्मीर) की बजाय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शिमला कार्यालय के साथ जोड़ने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है और हमीरपुर को शिमला कार्यालय से कब तक जोड़ा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में
कैमिस्ट के रिक्त पद

[अनुवाद]

728. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में कैमिस्टों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद रिक्त हैं और ये कब से रिक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) बंगलूर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कैमिस्टों का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

729. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, गेहूं, चावल, खाद्य तेलों आदि की कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पिछले चौदह महीनों के दौरान खाद्यान्न की कितनी मात्रा में कमी पाई गई;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-1, 2 और 3 में दी गई है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के पास प्राप्त हुई सांख्यिकीय रिपोर्टों के आधार पर, जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों में निम्नलिखित बढ़ोतरी/कमी हुई थी :—

(मीटरी टन में)

	खाद्यान्नों में हुई बढ़ोतरी/कमी
गेहूं	13,228 (बढ़ोतरी)
चावल	78,024 (कमी)
धान	12,865 (कमी)

(ग) और (घ) विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सभी कमियों की जांच करना और उन्हें नियमित करना अपेक्षित होता है । जिन कमियों का औचित्य नहीं होता है, ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो, चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है । भारतीय खाद्य निगम भी कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने और उन्हें यथासंभव कम से कम करने के लिए निवारक उपाय करता है ।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1990 और जनवरी, 1991 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1990 (जनवरी से दिसम्बर के दौरान आवंटन और उठान				1991 के दौरान आवंटन और उठान जनवरी			
	आवंटन		उठान		आवंटन		उठान	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	280.0	1,330.0	110.2	1208.6	40.0	130.0	13 4	117.2
अरुणाचल प्रदेश	9.6	92.0	7.7	87.2	0.8	8.0	0.5	7.2
असम	200.0	430.5	201.1	410.8	25.0	35.3	19.3	31.8
बिहार	512.0	117.0	428.3	26.6	42.0	8.0	39.0	2.0
गोआ	46.5	48.9	29.0	44.8	3.5	4.0	3.5	3.8
गुजरात	725.0	330.0	551.0	278.9	75.0	24.0	92.3	21.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	120.0	35.4	14.1	13.4	10.0	3.0	18.1	1.0
हिमाचल प्रदेश	120.0	78.0	69.9	51.1	10.0	6.5	8.5	5.4
जम्मू तथा कश्मीर	250.0	410.0	71.2	204.6	20.0	35.0	6.8	10.1
कर्नाटक	320.0	598.0	294.4	530.7	40.0	45.0	30.8	40.6
केरल	240.0	1,575.0	231.0	1504.5	30.0	142.5	28.0	118.0
मध्य प्रदेश	360.0	290.0	248.9	193.7	30.0	21.0	31.7	10.0
महाराष्ट्र	1,165.0	569.5	1069.3	537.6	100.0	45.0	105.5	54.7
मणिपुर	36.0	84.0	31.4	67.5	3.0	7.0	2.1	1.0
मेघालय	26.4	114.9	26.1	117.8	2.5	9.5	2.6	9.2
मिजोरम	15.0	90.0	14.2	93.0	1.25	7.5	0.8	8.8
नागालैंड	76.75	113.25	72.9	117.3	6.25	9.25	5.9	11.5
उड़ीसा	295.0	267.5	257.5	171.6	25.0	18.0	25.2	15.1
पंजाब	60.0	17.7	4.3	2.6	5.0	1.5	4.2	0.4
राजस्थान	840.1	38.4	571.1	13.3	70.0	3.2	83.7	1.3
सिक्किम	6.4	54.0	6.4	29.7	0.6	4.5	0.3	1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	360.0	736.8	204.4	695.8	30.0	65.0	10.7	51.9
त्रिपुरा	30.0	169.20	16.1	141.6	2.5	12.85	1.3	9.9
उत्तर प्रदेश	600.0	597.0	266.8	258.9	50.0	25.0	82.5	22.0
पश्चिम बंगाल	1080.0	854.0	898.4	592.5	90.0	60.0	84.5	46.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समुह	8.4	18.0	4.0	9.4	2.1	4.5	0.9	0.2
चंडीगढ़	21.6	4.8	16.6	3.8	1.8	0.4	1.9	0.3
दादर तथा नगर हवेली	1.4	6.0	0.2	1.9	0.2	0.5	—	—
दमन और दीव	1.80	5.40	0.6	2.6	0.15	0.45	—	—
दिल्ली	840.0	240.0	566.4	168.3	72.0	20.0	75.6	14.0
लक्षद्वीप	0.1	5.5	—	3.7	—	—	—	1.0
पांडिचेरी	5.50	24.0	2.0	10.1	0.75	2.0	—	0.3

विवरण-2

लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को बताने वाला विवरण ।

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मासिक कोटा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25281
2.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	247
3.	अरूणाचल प्रदेश	314
4.	असम	9617
5.	बिहार	33459
6.	चण्डीगढ़	372
7.	दादर तथा नगर हवेली	51
8.	दिल्ली	8721
9.	गोआ, दमन और दीव	539
10.	गुजरात	16194
11.	हरियाणा	6386
12.	हिमाचल प्रदेश	2019
13.	जम्मू तथा कश्मीर	2884
14.	कर्नाटक	17769
15.	केरल	11953
16.	लक्षद्वीप	71
17.	मध्य प्रदेश	25031
18.	महाराष्ट्र	29938
19.	मणिपुर	694
20.	मेघालय	662
21.	मिजोरम	261
22.	नागालैंड	426
23.	उड़ीसा	12393

	2	3
14.	पांडिचेरी	400
15.	पंजाब	7945
16.	राजस्थान	16914
17.	सिक्किम	165
18.	तमिलनाडु	22547
19.	त्रिपुरा	1001
20.	उत्तर प्रदेश	52926
21.	पश्चिम बंगाल	25888

विवरण-3

नवम्बर, 1989 से अक्तूबर, 1990 तक के तेल वर्ष के लिए खाद्य तेलों के आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	खाद्य तेल	
	आवंटन	उठान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	46250	37710
अरूणाचल प्रदेश	930	53
असम	2500	324
बिहार	10700	6882
गोवा	7200	6170
गुजरात	78450	66443
हरियाणा	7350	5238
हिमाचल प्रदेश	9700	6665
जम्मू तथा कश्मीर	7500	3504
कर्नाटक	49920	44696
केरल	43000	36674
मध्य प्रदेश	40000	22018

1	2	3
महाराष्ट्र	142000	135678
मणिपुर	2760	1342
मेघालय	2150	1321
मिजोरम	3250	943
नागालैंड	3800	2936
उड़ीसा	23000	13835
पंजाब	3950	1725
राजस्थान	9000	2562
सिक्किम	1450	504
तमिलनाडु	49800	45407
त्रिपुरा	2300	578
उत्तर प्रदेश	16050	4913
पश्चिम बंगाल	67400	35021
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2550	1100
चण्डीगढ़	760	377
दादर तथा नगर हवेली	700	709
दमन	780	708
दीव	650	430
दिल्ली	19900	13701
लक्षद्वीप	420	314
पांडिचेरी	6850	6713

दिल्ली में अस्पताल

730. **श्री तारीफ सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में कितने छोटे अस्पताल और प्रसूति गृह चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या उनमें उपचार, बिस्तरों, चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) इन व्यवस्थाओं के कब तक हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (बसई चौधरी) : (क) दिल्ली में सरकार द्वारा निम्नलिखित छोटे अस्पताल और प्रसूति केन्द्र ाए जा रहे हैं।

	छोटे अस्पताल	प्रसूति केन्द्र
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	4	2
दिल्ली प्रशासन	6	—
नई दिल्ली नगर पालिका	2	13
दिल्ली नगर निगम	31	104

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के लिए नई चीनी मिलें

731. श्री राजवीर सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के दातागंज, आंवला और फरीदपुर जिलों में ा मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के किसी भी भाग में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का प्रस्ताव करती है। किसी विशेष स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित करने हेतु आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तत उन पर सरकार द्वारा उस समय के लाइसेंस सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार जाता है।

मन्त्रियों और संसद सदस्यों को आवंटित किए जाने वाले फ्लैटों का आवंटन

732. श्री गंगा चरण लोधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्री एवं संसद सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें संसद ों तथा मन्त्रियों के लिए बनाए गए मकान, फ्लैट अथवा बंगले आवंटित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदंड रखा गया है?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बलवंत राम सारण) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के लिए सामान्य पूल से कोई मकान निर्धारित नहीं किए गए हैं। मन्त्रियों के लिए दिनांक 30 मई, 1990 की गजट अधिसूचना द्वारा मकान निर्धारित किए गए थे। तभी से, मन्त्रियों के लिए निर्धारित कोई मकान किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है।

मधुमेह जांच शिविर

[अनुवाद]

733. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐच्छिक संगठनों ने दिल्ली में अक्तूबर, 90 के दौरान निःशुल्क मधुमेह जांच शिविरों का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन शिविरों में उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा कितने पुरुष और कितनी महिलाओं की जांच की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इन ऐच्छिक संगठनों से भविष्य में अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे शिविर लगाने के लिए अनुरोध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ये शिविर सामान्यतया ये सुविधाएं प्रदान करते हैं : (i) उन सभी को मुफ्त ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग सेवाएं प्रदान करना जो ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं; (ii) रोगियों को रोग के बारे में जानकारी देना जिसमें शिविरों में आने वाले सभी रोगियों को उचित आहार चिकित्सा और डायाबिटीज मेलिटस उपचार के लिए व्यायाम की जानकारी देना भी शामिल है तथा (iii) डायाबिटीज मेलिटस के रोगियों का घर पर इलाज करने की धारणा को समर्थन सुदृढ़ करने के लिए परिवार शिक्षा देना।

सरकार ऐसे शिविर आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करती रहती है और करती रहेगी।

बिहार में फाइलेरिया रोग का प्रकोप

734. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से राज्य-वार कितने व्यक्ति फाइलेरिया रोग से पीड़ित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है; और

(ग) राज्य सरकारों को राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम इस समय 13 राज्यों

4 संघ राज्य क्षेत्रों के 204 शहरों में चलाया जा रहा है। फाइलेरिया नियंत्रण की 27 यूनिटें कमारी वाले राज्यों के सर्वेक्षण न किए गए जिलों में फाइलेरियासिस की समस्या का परि- कर रही हैं। इसके अतिरिक्त नियंत्रण यूनिटों से मुख्य रूप से जुड़े 192 क्लीनिक फाइलेरिया ों का पता लगाने तथा उनके उपचार के कार्य में लगे हुए हैं। विभिन्न नियंत्रण यूनिटों, सर्वेक्षण ों और क्लीनिकों द्वारा वर्ष 1987, 1988 और 1989 के सूचित किए गए मामलों की राज्य-संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, डिबनाशी साप्ताहिक छिड़काव तथा मच्छरों के अंडे देने के स्थानों ी कर मच्छर-रोधी उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान रोग के सूचित रोगियों की संख्या		
	1987	1988	1989
. आंध्र प्रदेश	7131	7017	5040
असम	46	5	1
बिहार	21113	6876	6862
गोवा	57	8	8
गुजरात	147	129	107
कर्नाटक	2485	1571	1011
केरल	1652	1019	636
3. मध्य प्रदेश	1174	1020	850
). महाराष्ट्र	6305	5258	5148
). उड़ीसा	4911	4948	2547
. तमिलनाडु	2603	2752	1413
2. उत्तर प्रदेश	3229	3099	4827
3. पश्चिम बंगाल	859	411	1050
). पांडिचेरी	55	10	70
. 28. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अनुपलब्ध	27	28
3. दमण और दीव	अनुपलब्ध	67	77
. लक्षद्वीप	51	1	71
कुल	52848	34218	29746

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	1987-88		1988-89		1989-90	
		नकद	सामग्री	नकद	सामग्री	नकद	सामग्री
						(लाख रुपए)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5.00	2.51	1.00	1·94	1.00	3.54
2.	असम	2.00	1.55	1.00	1.56	1.00	1.95
3.	बिहार	5.00	11.94	0.50	12.87	3.00	13.50
4.	गुजरात	3.37	2.66	2.00	19.19	9.50	7.52
5.	कर्नाटक	5.00	0.20	0.50	4.96	2.00	5.75
6.	केरल	5.00	11.53	1.00	7.74	1.00	8.70
7.	मध्य प्रदेश	5.00	2.42	0.50	0.70	2.00	2.65

1 2	3	4	5	6	7	8
8. महाराष्ट्र	14.25	15.50	30.82	18.35	14.50	15.88
9. उड़ीसा	4.43	5.33	3.50	6.66	7.87	7.28
10. तमिलनाडु	7.00	8.87	5.00	21.82	12.00	13.84
11. उत्तर प्रदेश	15.88	0.52	16.44	14.60	14.00	17.44
12. पश्चिम बंगाल	2.00	5.47	1.00	9.65	1.00	7.81
13. गोवा	शून्य	2.58	1.00	2.90	1.00	1.89
14. पांडिचेरी*	शून्य	2.99	शून्य	7.53	शून्य	5.14
15. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह*	शून्य	1.82	शून्य	3.89	शून्य	1.01
16. लक्षद्वीप*	शून्य	0.18	शून्य	0.39	शून्य	0.95
17. दमण और दीव*	शून्य	शून्य	शून्य	0.99	शून्य	1.26
कुल	73.93	76.07	64.26	135.75	69.87	116.11

* संघ राज्य क्षेत्रों को सारी सामग्री की सप्लाई केन्द्र से की जाती है इसलिए कोई नकद सहायता नहीं दी जाती ।

कुवैत से लौटे व्यक्तियों के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन

735. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से लौटे व्यक्तियों के बच्चों को केरल के विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) सरकार इस तथ्य से परेशान हो गई कि कुवैत से आए बच्चों की बड़ी संख्या केरल और देश के दूसरे भागों के स्कूलों में दाखिले लेगी। इन बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम से कम करने के लिए सरकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने ये निर्देश जारी किए कि जो बच्चे दाखिले के पात्र हों उन्हें स्थानांतरण प्रमाण पत्रों और दूसरे कागजात, जो सामान्य तौर पर अपेक्षित हैं, के बिना ही शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र के आधार पर दाखिला दे दिया जाए। इस बात को समझा गया कि इन आकस्मिक परिस्थितियों में इन परिवारों को ऐसे दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

केरल के मामले में एक केन्द्रीय दल ने राज्य में जाकर राज्य सरकार से विस्तृत विचार-विमर्श किया जिसके परिणामस्वरूप कुवैत से आए सभी बच्चों को निम्नलिखित अतिरिक्त छूटें गई :—

(i) इन बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए अलग संवर्ग के रूप में समझा जाएगा।

(ii) पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करने के लिए सी०बी०एस०ई० से संबद्ध कुछ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा XI शुरू की जाएंगी।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में दाखिले के लिए सामान्य ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

(iv) उपस्थिति की प्रतिशतता के सम्बन्ध में छूट दी जाएगी।

सरकार द्वारा अपनाए गए उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप यह उम्मीद की जाती है कि कुवैत से आये बच्चों को केरल के स्कूलों में दाखिले लेने में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी।

चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय वेतन ढांचा लागू करने की योजना

736. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा कर्मियों द्वारा वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि हेतु बहुधा हड़तालों/आन्दोलनों का सहारा लिए जाने के कारण, सेवारत चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सक सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सकों, निजी औषधालय

चलाने वाले और कनिष्ठ चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय वेतन ढांचा बनाने की कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो चिकित्सा कर्मियों में विभिन्न स्तरों पर असंतोष की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कम करने के लिए सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्वास्थ्य राज्य विषय है और इस प्रकार विभिन्न राज्य सरकारें डाक्टरों सहित अपने कर्मचारियों का वेतनमान निर्धारित करती हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, डाक्टरों के वेतनमान सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं । केन्दीय सरकार में नियुक्त डाक्टरों की शिकायतों की जांच की जाती है तथा समय-समय पर उपचारी उपायों को अपनाया जाता है ।

उन्नाव के लिए चीनी मिल

[हिन्दी]

737. **श्री अनवार अहमद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्नाव जिले में एक चीनी मिल की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरित पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

738. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज और विश्वविद्यालय सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के लाभों से कुछ ऐसे अध्यापकों को वंचित रखा गया था, जो इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि में सेवारत थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी अध्यापकों को इस योजना का लाभ मिले ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध कालेजों, विधि कालेजों के अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमानों की योजना

1-1-86 से कार्यान्वित करने के आदेश जारी किए हैं। केरल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य में ऐसे अनेक कम्पोजिट कालेज हैं जिनमें अध्यापक पूर्व डिग्री तथा डिग्री कक्षाओं को उसी कालेज में पढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि कालेज में अध्यापकों की कुल संख्या का 52% डिग्री पाठ्यक्रमों में होंगे और 48% पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में होंगे। राज्य सरकार ने वि०अ०आ० के संशोधित वेतनमान डिग्री कालेजों में 52% अध्यापकों को 1-1-86 से और पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में 48% अध्यापकों को 1-4-90 से, जब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना की अन्य शर्तें पूरी करते हुए 8 वर्ष की सेवा कर ले देने का निर्णय किया है।

नारियल तेल में उपलब्ध कोलस्ट्रोल

739. **श्री एस० कृष्ण कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल तेल में अधिक चिकनाई होती है जिसके कारण खून में कोलस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसके बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। नारियल के तेल में संतृप्त वसा के उच्च स्तर होते हैं। इसमें 87.9 प्रतिशत संतृप्त वसा वाले एसिड होते हैं जबकि असंतृप्त वसा वाले एसिड 8.6 प्रतिशत होते हैं।

(ग) और (घ) भारत तथा विदेशों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नारियल के तेल से रक्त में कोलेस्टेरोल का स्तर बढ़ता है।

चीनी मिलों से संबंधित मानदण्डों में परिवर्तन

740. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की मिलों की स्थापना से संबंधित मानदण्डों को परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब क्या परिवर्तन किए गए हैं और उनका चीनी मिलों के कार्यानिष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या दो चीनी मिलों के बीच की दूरी को कम करने से चीनी के उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है और इससे चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना लिए शर्करा उद्योग में लाइसेंसिंग नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

सरकारी फाइलों से कागज-पत्रों का गायब होना

741. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री 29 अगस्त, 1990 के अतारांकित न संख्या 3292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी फाइल में कुछ पृष्ठों के गायब हो जाने के मामले में कोई जांच करने का देश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच एजेंसी का दर्जा क्या है, इस जांच का आदेश कौन-सी तारीख को ा गया और इसकी रिपोर्ट कौन-सी तारीख तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंकरण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी । जांच का आदेश दे दिया गया है।

(ख) वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव स्तर के अधिकारी को सतर्कता मैन्युअल खण्ड-I के अध्याय के पैरा 2 के अनुसार प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया गया है जो इस बात की जांच करेंगे क्या वस्त्र मन्त्रालय और डब्ल्यू टी अनुभाग जिनके पास ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति से संबंधित डब्ल्यू टी अनुभाग की फाइल थी, के कर्मचारी/अधिकारी ने प्रथम टया कोई गलती की है। दिनांक 22-2- 1 को जांच का आदेश दिया गया था। अधिकारी को ा माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजना की तैयारी/मंजूरी

742. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारा 10 (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया) और ारा 11क (योजना का उपांतर) में मूल अन्तर क्या है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक धारा के अन्तर्गत कितने मामलों पर विचार किया ा;

(ग) क्या नियम, 1959 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने लिए इस समय कोई जांच बोर्ड है यदि हां, तो जांच बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या डी० डी० अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत पपनकलां और नरेला जैसी योज-ों पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जबकि, दिल्ली विकास अधिनियम, 57 की धारा 10 दिल्ली बृहद योजना और क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार करने और अनु-न करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित है, अधिनियम की धारा 11क प्राधिकरण और केन्द्रीय सरकार को दिल्ली बृहद योजना और

क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संशोधन करने का अधिकार देती है तथा उनमें कोई संशोधन करने के लिए अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है।

(ख) गत 4 वर्षों के दौरान धारा 10 के अन्तर्गत किसी मामले पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, धारा 11-क के तहत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए 11 मामलों में आम सूचनाएं जारी की गई है और इस अवधि (1-1-87 से 31-12-90 तक) के दौरान 16 मामलों में आम अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

(ग) प्राधिकरण ने दिनांक 14-3-85 के अपने संकल्प संख्या 38 में दिल्ली बृहद योजना में संशोधन करने के लिए जांच बोर्ड का गठन इस प्रकार था :—

(i) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

(ii) इंजीनियर सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण

(iii) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम

(iv) श्री रामलाल, सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण

(v) श्री दीप चन्द शर्मा, सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण

बाद में, प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात सर्व श्री रामलाल और दीप चन्द्र शर्मा की बोर्ड से सदस्यता समाप्त हो गई।

(घ) और (ङ) जोन I-1 (नरेला) के लिए क्षेत्रीय योजना धारा 10 के तहत क्षेत्रीय विकास योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 1974 के दौरान तैयार की गई थी। 268 हेक्टेयर का द्वितीय खंड दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के तहत तैयार किया गया था तथा अधिसूचित किया गया था। दिल्ली बृहद योजना—200. में पहचान किए गए शहरी विस्तार के खंड द्वारका (पपनकलां) की योजना पर अधिनियम की धारा 11-क के तहत कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग को भूमि का अन्तरण

743. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय से भूमि का अन्तरण दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग को करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) पुरानी दिल्ली को भीड़-भाड़ से मुक्त करने और पुरानी दिल्ली में रह रहे निम्न आय वर्गों को सामाजिक अर्थ-संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपाय करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने कतिपय प्रस्ताव बनाये हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों की जांच की गई है तथापि, भारत सरकार से मलिनबस्ती विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि अन्तरित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया

। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त खाली भूमि का पता लगाने में हो रही कठिनाइयों के कारण इसमें लम्ब हुआ है।

यमुना पार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रति योगिता

744. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र में केन्द्रीय व्यापार जिला परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे वर्ष 1978-79 में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था;

(ख) इस राष्ट्रीय प्रतियोगता के क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का क्या ब्यौरा है; और

(घ) क्या कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है; और यदि नहीं, तो सरकार का दोषी पाए ए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त एकल प्रविष्टि को उपयुक्त नहीं समझा गया था।

(ग) और (घ) यह परियोजना अभी आयोजना की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और इसलिए ह स्तर पर इसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन

745. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योजना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में बताया या है, विभिन्न नगर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर केन्द्र तथा सहभागी राज्य सरकारों द्वारा ब तक लगभग 139 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ख) क्षेत्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र—2001 के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निम्न-लिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) उपक्षेत्रों के लिए उप क्षेत्रीय योजनाएं सहभागी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सहित दिल्ली महा-नगर क्षेत्र के लिए एक कार्यात्मक योजना तैयार की जा रही है।

(iii) यह बोर्ड क्षेत्र के प्राथमिकता वाले तथा दिल्ली महानगर क्षेत्र के कस्बों में दूर संचार विद्युत, जलापूर्ति आदि जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की प्रगति का प्रबोधन कर रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही चालू तथा नई योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में) (क)	क्षेत्र (एकड़ में) (ख)	केन्द्र सरकार द्वारा 3/85 तक स्वीकृत ऋण (क)	बोर्ड द्वारा 4/85 से 1/91 तक स्वीकृत ऋण (ख)	12/90 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार किया गया व्यय	12/90 तक वास्तविक प्रगति	अभ्युक्ति
				(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हरियाणा गुड़गांव							
	चालू योजना							
1.	सैक्टर 15 (औद्योगिक) सं० 18, 19 तथा 20 का विकास	584.64 (1981 लागतों पर)	1145.03	251.00	230.00	1810.00	यह योजना पूर्ण हो गई है	
2.	सैक्टर 4 तथा 7 योजना का विकास	378.96 (1981 लागतों पर)	410.92	50.00	25.00	345.46	—वही—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	सैक्टर 4, 7 तथा 15 के मध्य सम्बद्ध सड़क का निर्माण	126.00 (1987 लागतों पर)	—	—	63.00	126.01	शत-प्रतिशत भूमि अर्जन भूमि विकास कार्य हाल ही में आरम्भ किया गया है और प्रगति पर है।	
4.	सौस्थानिक सैक्टर 32 तथा रिहायशी सैक्टर 37 भाग का विकास	1880.00	235.00	—	350.00	950.28	शत-प्रतिशत भूमि अर्जन बोर्ड केवल भूमि अर्जन के लिए वित्तीय सहायता देता है।	
पानीपत								
चालू योजनायें								
1.	सैक्टर 11 तथा 12 रिहायशी का विकास	683.87 (1981 लागतों पर)	486.95	87.00	273.50	867.74	जहां तक बोर्ड की वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है इस योजना को पूर्ण समझा जाए।	
नई योजनायें								
1.	ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निर्माण	9435 (1987 की कीमत)	—	—	46.00	89.54	भूमि कब्जे में एक मंजिली दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है। 21 सुविधा जनक दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है। 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							दुकानें पूर्ण हो गई हैं, 6 दुकानें पूर्ण हो गई हैं, 3 शोरूम का कार्य प्रगति पर है, 6 शोरूम भी प्रगति पर हैं।	
2.	सैक्टर-25 (औद्योगिक) चरण-2 अनौपचारिक क्षेत्र के लिए	253.00 (1987 की कीमत)	—	—	33.00	65.25	भूमि अधिग्रहण : 100% भूमि विकास : आरम्भ नहीं किया।	
3.	पानीपत में औद्योगिक सैक्टर 7 की योजना का विकास	693.00	135.00	—	108.00	—		
	योग : योजना 8	4695.82	—	388.00	1128.50	4254.28		
	पुरानी योजनायें (पूर्ण)							
1.	गुड़गांव में सैक्टर-14 (रिहायशी) योजना	574.92	156.23	40.35	—	262.95		
2.	गुड़गांव में सैक्टर-17 (रिहायशी) योजना	367.87	340.00	13.00	—	390.14		
3.	पानीपत में सैक्टर-25 (औद्योगिक) योजना	126.00	100.00	28.00	—	117.37		
	योग : योजना II	5764.61	—	4695.35	1128.50	5024.74		

		(लाख रुपयों में)
3/85 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा		469.35
के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1985-86	125.00
योजना बोर्ड द्वारा	1986-87	138.50
	1987-88	279.00
	1988-89	295.00
	1989-90	183.00
	1990-91	108.00
	योग :	1597.85

राजस्थान

अलवर

चल रही योजनायें

1 2	3	4	5	6	7	8
1. वाणिज्यिक परिसर योजना	37.73 (1986 की कीमत)	—	—	16.50	16.92	यह योजना पूर्ण हो गई है।
नई योजनायें						
1. रेल रोड ऊपरी पुल का निर्माण	235.00 (1987 की कीमत)	727 मीटर लंबी	—	70.00	137.79	भूमि अधिग्रहण : 100% भूमि विकास : ऊपरी संरचना 70%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हसनखान मेवाती नगर में रिहायशी योजना	328.00 (1989 की लागतों पर)	148.00	—	128.50	177.10	1. सर्वेक्षण, निर्धारण और लेबलिंग आदि—100% 2. सड़कों तथा नालियों आदि का निर्माण—90% 3. पार्कों तथा खुले स्थानों का विकास—45% 4. विद्युतीकरण की राशि जमा की—100% 5. जल आपूर्ति—15% भूमि अर्जन—100%
3.	शिवाजी पार्क वाणिज्यिक परिसर योजना	29.40 (1987 की कीमतों पर)	126 दुकानें तथा 8 कियोस्कि	—	14.70	23.73	यह योजना पूर्ण हो गई है।
4.	अलवर में ट्रक अमिनल्स का निर्माण	103.42 (1989 की कीमतों पर)	39.52	—	35.00	58.42	भूअर्जन—100% सर्वेक्षण, निर्धारण और लेविलिंग आदि—100% सड़कों का निर्माण—60% नालियों का निर्माण—15% विद्युतीकरण राशि जमा की 100% पार्कों का निर्माण—30%

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बुद्ध विहार विजय नगर एक्सटें० (अलवर) प्लाटेड विकास रिहायशी योजना	375.00 (1988 की कीमतों पर	219.00	—	24.00	52.40	(क) सर्वेक्षण, निर्धारण और लेव-लिंग—100% (ख) नाली, सड़कों आदि का निर्माण—25% (ग) भूअर्जन—60%
	भिवाड़ी						
	नई योजना						
1.	भिवाड़ी (भगत सिंह योजना में रिहायशी तथा वाणिज्यिक) योजना	250.00 (1988 की कीमत पर)	219	—	95.00	163.43	भूअर्जन—100% डब्ल्यू० बी० एच०—96% नालियां—55% सड़क तथा बी० टी० कार्य 51% कृषि—50%, जलपूर्ति—15% नलकूपों में बिजली दी—15% स्थल पर विद्युत लाइन के लिए आर०सी०सी० फल एकत्र किए।
2.	चन्द्र नगर और जवाहर नगर भिवाड़ी में रिहायशी योजना	500.00 (1989 की कीमतों पर)	315	—	250.00	414.85	भूअर्जन—80%
	कुल योजनाएं 8	1858.50			633.70	1044.64	

पुरानी योजनायें (पूर्ण की गयीं)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर में 14 रिहायशी तथा वाणिज्यिक योजनाएं	534.80	784.22	252.00	—	526.66	भूमि विवाद के कारण एक योजना को रद्द किया गया। 18 योजनाएं पूर्ण की गयीं।
2.	अलवर में कच्ची बस्ती का विकास	—	—	38.00	—	75.57	
3.	अलवर में आई० यू० डी० पी० काउंटर मेगनेट योजना	—	—	47.05	—	94.18	
	कुल योजनाएं 28	2393.35	—	337.05	633.70	1741.05	

ऋणों का सार (राजस्थान)

3/85 तक केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया	:	337.05 लाख रुपए	
राष्ट्र राजधानी क्षेत्र योजना द्वारा दिया गया			
1985-86	:	75.00 लाख रुपए	
1986-87	:	36.20 लाख रुपए	
1987-88	:	68.20 लाख रुपए	
1988-89	:	134.00 लाख रुपए	
1989-90	:	170.00 लाख रुपए	
1990-91	:	150.00 लाख रुपए	अभी दिया जाना है
दी गई कुल निधियां	:	970.75 लाख रुपए	

मेरठ

चालू योजनायें

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेडिकल कालेज के समक्ष मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर मार्ग के मध्य रिहायशी योजना	1450.97 (1988 की कीमतों पर)	269.96	46.00	310.00	1372.34	भूअर्जन—100% भूमि विकास—90%
2.	मेरठ-हापुड़ तथा मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर रिहायशी योजना	1296.03 (1988 की कीमतों पर)	446.96	151.00	190.00	1916.84	भूअर्जन—100% भूमि विकास—90%
3.	पल्लवपुरम में रिहायशी योजना	1524.80 (1985 की कीमतों पर)	432.84	115.00	625.00	1587.43	भूअर्जन—100% सड़क तथा नाली—94% जल आपूर्ति—99% विद्युतीकरण—95% एवारिकल्वर—91% मल निर्यास तथा शोधन—90%
4.	गढ़ मुक्तेश्वर मार्ग मेरठ में वाणिज्यिक परिसर योजना	292.44 (1988 की कीमतों पर)	103.42	30.00	32.00	168.97	भूमि अर्जन—100% भूमि विकास—70%

नई योजनायें

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेरठ में हाथ करघा नगर आवास तथा कार्य केन्द्र योजना	1516.40 (1989 की कीमतों पर)	217.45	—	610.00	750.84	भूमि अर्जन—100%
2.	मेरठ बेगमपुर पुल क्षेत्र का विकास	112.00 (1987 की कीमतों पर)	—	—	50.00	97.19	विकास तथा सुधार कार्य—80%
3.	मेरठ में कैंची निर्माण कार्य तथा आश्रय काम्पलेक्स	152.00 (1989 की कीमतों पर)	19.87	—	68.00	90.77	भूमि अर्जन—70%
4.	दिल्ली मार्ग मेरठ में खेल कूद सामान निर्माण और व्यापार एकक परिसर	1003.00 (1989 की कीमतों पर)	62.93	—	401.50	400.00	भू-अर्जन—43%
	हापुड़						
	चालू योजना						
1.	मेरठ तथा हापुड़ मार्ग, हापुड़ के मध्य रिहायशी तथा वाणिज्यिक	225.00 (1985 की कीमतों पर)	31.00	49.00 40.00 (ब्यौरों की प्रतीक्षा है)	50.00	217.79	भू अर्जन—100% भूमि विकास—100%। जहां तक बोर्ड की वित्तीय का संबंध है, इस योजना को पूर्ण माना जाए।

बुलन्दशहर खुर्जा
नई योजनायें (1990-91 के दौरान स्वीकृत)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बुलन्दशहर कार्यालय तथा वाणिज्यिक योजना	112.00	19.05	—	56.00	—	
2.	खुर्जा में ट्रांसपोर्ट नगर योजना	166.57	25	—	50.00		
	कुल योजनाए 11	7851.21	—	431.00	2442.50	6562.17	
	पुरानी योजनायें (पूर्ण हो गई हैं)						
1.	बागपत तथा मेरठ मार्ग के मध्य योजना संख्या II (ट्रांसपोर्ट नगर)	37.48	52.40	19.00	—	67.78	
2.	मेरठ तथा हापुड़ मार्ग पर योजना संख्या III (रिहायशी)		378.60	112.00	—	573.49	
	कुल योजनाएं 13	8380.29	—	562.00	2442.50	7203.44	

ऋणों का सार (उत्तर प्रदेश)

3/85 तक केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया	:	562.00 लाख रुपए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा		
1985-86 में	:	175.00 लाख रुपए
1986-87 में	:	225.00 लाख रुपए
1987-88 में	:	376.00 लाख रुपए
1988-89 में	:	507.00 लाख रुपए
1989-90 में	:	567.00 लाख रुपए
1990-91 में	:	592.50 लाख रुपए (12/90 तक)
योग	:	3004.50 लाख रुपए

ऋण तथा व्यय का सार

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	3/85 तक भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण	4/85 से 1/91 तक रा० रा० क्षे० योजना बोर्ड द्वारा दिया गया ऋण	केन्द्र द्वारा दिया गया कुल ऋण	योजनाओं/परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय
1.	हरियाणा	469.35	1128.50	1597.85	5024.74 (12/90 तक)
2.	राजस्थान	337.05	633.70	970.75	1741.05 (1/91 तक)
3.	उत्तर प्रदेश	562.00	2442.50	3004.50	7203.44 (12/90 तक)
	योग :	1368.40	4204.70	5473.10	13969.23

भारत में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां

746. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटिल :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियां हैं;

(ख) इस संबंध में उनके साथ सहयोग कर रही भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में सरकार के विचार क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान के स्कूलों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के लिए कमरों की कमी

747. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के लिए कमरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के चौथे चरण के लिए भी कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) शिक्षा विभाग द्वारा दोनों प्रस्तावों को संस्वीकृति दे दी गई है ।

अतिथि नियन्त्रण आदेश

748. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और देश के अन्य भागों में शादियों और अन्य समारोहों में अतिथियों की संख्या कम करने तथा खाद्य पदार्थों को सीमित करने के उद्देश्य से अतिथि नियन्त्रण आदेश लागू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे संपूर्ण देश में कब से लागू किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्य पदार्थों की खपत तथा उपयोग को नियमित करने के लिए अतिथि नियंत्रण आदेश जारी कर दिए गए है या लागू किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ऐसे आदेश जारी करने की शक्तियां उन्हें प्रत्यायोजित की गई हैं।

दिल्ली प्रशासन ने हाल में दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश, 1991 जारी किया है, जिसके तहत विवाह अथवा अन्तिम संस्कार से संबंधित पार्टियों/समारोहों में 200 व्यक्तियों तक तथा अन्य पार्टियों व समारोहो के मामले में 50 व्यक्तियों तक को खाना परोसे जाने की सीमा बांध दी गई है। अतिथियों की अनुमत संख्या को परोसे जाने वाले खाद्य मदों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यह आदेश 1-3-1991 से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं से धन

749. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की उन योजनाओं को धन देने के लिए जो संसाधन की कमी के कारण अब तक बहुत कम प्रगति कर पाई है, वित्तीय संस्थाओं और मुक्त बाजार से धन एकत्रित करने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाए हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में बनाए गए प्रस्तावों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वित्तीय परियोजनाओं के लिए बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण लेने पर विचार किया गया है।

(ख) जी, हां। बोर्ड की पिछली बैठक 15-1-91 को हुई थी।

(ग) शहरी विकास मन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऊर्जा मन्त्री, राजस्थान तथा हरियाणा के मुख्य मन्त्री, दिल्ली के उप राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मन्त्री तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों ने भाग लिया। बोर्ड ने पहले लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की तथा निम्नलिखित पर बल दिया :—

(i) योजना आबंटन को बढ़ाने की आवश्यकता,

(ii) क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने की आवश्यकता,

(iii) इस क्षेत्र तथा आस-पड़ोस के शहरों में दूर संचार सुविधाओं को बढ़ाना,

(iv) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा द्रुत मार्गों के शीघ्र विकास की आवश्यकता,

(v) क्षेत्र में रेलवे के शीघ्र विकास की आवश्यकता, तथा

(vi) इनलैंड कन्टेनर डिपो को दिल्ली से बाहर स्थापित करने की आवश्यकता।

उदयपुर में "कैट स्कैनिंग" यन्त्र

[हिन्दी]

750. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उदयपुर संभाग (मंडल), जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, में 'कैट स्कैनिंग" यन्त्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत कैट स्कैनिंग मशीन लगाने के लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अन्धे और विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण

751. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्धे और विकलांग व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है और क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब सर्वेक्षण करने का कोई विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी भावी पीढ़ियां इन रोगों से बची रहें, कोई निरोधात्मक उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) 1986-89 के दौरान दृष्टिहीनता की व्यापकता पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 120 लाख दृष्टिहीन व्यक्ति हैं । इसके अलावा, वर्ष 1981 में तत्कालीन समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा किए गए विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :—

(i) चलने फिरने में विकलांगता	54.30
(ii) श्रवण संबंधी विकलांगता	30.20
(iii) वाक् संबंधी विकलांगता	17.50

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

पेप्सी फूड्स के सम्बन्ध में कृषि अनुसंधान

[अनुवाद]

752. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसंधान और कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु पेप्सी फूड्स का 100 एकड़ का फार्म स्थापित करने पर कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ख) इस अनुसंधान केन्द्र के अध्ययनों/निष्कर्षों/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कृषि अनुसंधान पर 1.08 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी ।

(ख) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फील्ड स्तर पर अनुसंधान क्रियाकलापों में काफी कार्य किया जा चुका है । फार्म स्तर पर खेती की बेहतर तकनीकों के विकास पर प्रारम्भिक रूप से ध्यान दिया गया है । अपने परीक्षण फार्मों में उन्होंने निम्नलिखित तकनीकों को आरम्भ किया है :—

(1) अच्छे किस्म की पौध उगाने के लिए 21 कि० मी० की "प्लास्टिक-टनल) नर्सरियां ।

(2) 25-30 प्रतिशत तक पैदावार बढ़ाने के लिए "डीप चिसलिंग" तकनीक ।

(3) बढ़िया किस्म की क्यारियां बनाकर और सीधे बीज बोकर यथार्थ रूप में खेती ।

(4) जनवरी/फरवरी में बेहतर कीमतें प्राप्त करने के लिए शीतकाल के बाद तक पैदा होने वाली फसलें आरम्भ करना ।

(5) स्थानीय भाषा में अनुवाद की गई "टमाटर उत्पादन गाइड" का मुफ्त वितरण ।

(6) 40 किसान प्रशिक्षण शिविरों में प्रदर्शनों के माध्यम से 1400 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

उपर्युक्त के अलावा टमाटर की खेती में प्रयुक्त विभिन्न नई-नई खोजों और तकनीकों पर अनेक अनुसंधान प्रलेख तैयार किए जा रहे हैं ऐसी सूचना दी गई है ।

कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाओं का विकास

753. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रथम चरण को कार्यान्वित करने की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) किन-किन विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना में सहायता देने का विचार

(घ) क्या केरल राज्य में कोई कालेज/विश्वविद्यालय इस योजना में शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कालेजों को लघु/सूक्ष्म कम्प्यूटर उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालयों को और अधिक विकसित कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की योजना है। वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सातवीं योजना के अंत तक लगभग 800 कालेजों को अनुमानत: 6.82 करोड़ रुपये लागत पर लघु/सूक्ष्म कम्प्यूटर प्रणाली खरीदने के लिए सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना के अंत तक 104 विश्वविद्यालयों को भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए थे। सातवीं योजना में आयोग ने इस उद्देश्य के लिए 11.66 करोड़ रुपये की सहायता दी। यह एक चालू योजना है तथा 8वीं योजना की अवधि में भी जारी रहेगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। केरल राज्य में जिन विश्वविद्यालयों/कालेजों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केरल राज्य में जिन विश्वविद्यालयों/कालेजों को कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं उनके नाम

विश्वविद्यालय

1. कालीकट विश्वविद्यालय
2. कोचीन विश्वविद्यालय
3. केरल विश्वविद्यालय
4. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय

कालेज

1. एस० एन० कालेज, केन्नानौर
2. एन० एस० एस० प्रशिक्षण कालेज, ओटापालम
3. एम० ई० एस० मांपड़ कालेज, डाकखाना—मांपड़ कालेज
4. गवर्नमेंट विक्टोरिया कालेज, पालघाट
5. क्राइस्ट कालेज, इनिन्जम्लाकुडा
6. सेंट जोसफ कालेज, इरिन्जालाकुडा
7. नेहरू आर्टस साइन्स कालेज, कसारागौड
8. सेन्ट मेरीज कालेज, वायनाड

9. मर्सी कालेज, पालघाट
10. पययानर कालेज, कन्नानौर जिला
11. सर सैयद कालेज, तैलपारौबा
12. एम० ई० एस० कालहुदी कालेज, पालघाट
13. गवर्नमेंट कालेज, कसारागौड
14. एम० ई० एस० आसाम्बी कालेज, एडाविलांगु
15. एम० ई० एस० प्रोन्नानी कालेज, डाकखाना दक्षिण प्रोन्नानी
16. सेंट थामस कालेज, त्रिचूर
17. फारूक कालेज, कालीकट
18. फारूक प्रशिक्षण कालेज, कालीकट
19. एन० एस० एस० कालेज, ओटापालम
20. मालाबार क्रिश्चियन कालेज, कालीकट
21. सेंट जोसफ कालेज, कालीकट
22. गवर्नमेंट के० के० टी० एम० कालेज, पुलुट
23. निर्मलागिरि कालेज, तेल्लीचेरी
24. विमला कालेज, त्रिचूर
25. लोचाला कालेज आफ सोशल साइन्स, त्रिवेन्द्रम
26. एस० डी० कालेज, एलेप्पी
27. एस० एन० कालेज फार वीमेन, क्विलोन
28. महात्मा गांधी कालेज, त्रिवेन्द्रम
29. सेंट जेवियर्स कालेज, त्रिवेन्द्रम
30. प्रोविडेंस वीमेन्स कालेज, कालीकट
31. श्री नारायण प्रशिक्षण कालेज, नोन्डुन्गान्डा
32. आल सेंट्स कालेज, त्रिवेन्द्रम
33. सेंट जोन्स कालेज, अंचल
34. मिलाद-ए-शेरीफ
मेमोरियल कालेज, कयामुकुलम
35. टी० के० एम० कालेज, आफ आर्टस एण्ड साईन्स क्विलोन
36. बिशप मूर कालेज, कल्लूमाला, मावेलिकरा
37. सेंट जोसेफस कालेज फार वीमेन, एलेप्पी

38. एन० एस० एस० कालेज, पंडालम
39. फातिमा माता नेशनल कालेज, क्विलोन
40. क्रिश्चियन कालेज, चेंगन्नूर
41. इकबाल कालेज, पेरिंगाम्माला
42. श्री नारायण कालेज, चेभपाझान्थी
43. श्री नारायण कालेज, पुनालुर
44. एन० एस० एस० कालेज, शेरतल्लई
45. गवर्नमेंट आर्टस कालेज, त्रिवेन्द्रम
46. कालेज फार वीमेन, त्रिवेन्द्रम
47. एन० एस० एस० कालेज, निलामेल
48. श्री नारायण कालेज, शिवागिरी, वरकला
49. पीठ मेमोरियल प्रशिक्षण कालेज, मावेलिक्कारा
50. माउंट तावोर प्रशिक्षण कालेज, पथानापुरम
51. सेंट ग्रेगोरिस कालेज, कोटाराकारा
52. टी० के० माधव मेमोरियल कालेज नंगगिआर कुलांगरा
53. देवास्वम बोर्ड कालेज, संस्थामकोटाह
54. निर्मला कालेज, मुवाटु पोझा
55. एन० एस० एस० प्रशिक्षण कालेज, कोट्टायम
56. सेंट बर्पमेनस कालेज, चेंगपचेरी
57. सेंट थोमस कालेज, पालई
58. सेंट जोसेफ प्रशिक्षण कालेज, मन्नानाम
59. सेंट थोमस प्रशिक्षण कालेज, पालानी
60. भारत माता कालेज, कोचीन
61. कुरियाकोस इलियास कालेज, मन्नानाम
62. मेडिकल कालेज, कोट्टायम
63. सेंट जोवियर्स कालेज, फार वीमेन इरानकुजन
64. एजम्पशन कालेज, चेंगाचेरी
65. न्यूमैन कालेज, थोडूपुझा
66. यूनियन क्रिश्चियन कालेज, अलवई
67. टाइटस II टीचर्स कालेज, तिरूवल्ला

68. महाराजास कालेज, इरनाकुलम

69. सेंट पीटर्स कालेज, कोलेनचेरी

70. सेंट थोमस कालेज, पाझावांगडी

71. श्री शंकर कालेज, कोलेनचेरी, कलाची

कपड़ा मिल के बुनाई विभागों का उपयोग न करना

754. **श्री बामनराव महाडीक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम मुम्बई, (बम्बई) शहर में इसके द्वारा अधिगृहीत की गई कपड़े की मिलों से बुनाई विभागों का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या शहर के भिवंडी और अन्य भागों में गैर-सरकारी पार्टियों को बुनाई के ठेके दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनाई का कार्य अधिगृहीत कपड़ा मिलों से बेरोजगार कर्मियों को देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) जी, हां। एन० टी० सी० (एस० एम०) जोकि वर्ष 1983 में सरकार द्वारा अधिगृहीत 13 वस्त्र मिलों का प्रबन्ध कर रहा है, इन अधिगृहीत मिलों के बुनाई अनुभागों का उपयोग कर रहा है।

(ख) एन० टी० सी० की मिलों ने भिवण्डी में तथा शहर के किसी भी अन्य भाग में किसी भी प्राइवेट पार्टी को बुनाई का कोई ठेका नहीं दिया है।

(ग) चूंकि बुनाई का क्रियाकलाप बहुत खर्चीला है इसलिए एन० टी० सी० बुनाई के क्रियाकलाप को कम करने में लगा हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में शहर-वार केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

755. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय शहर-वार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के विभिन्न भागों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों अथवा राज्य सरकारों ने कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) विवरण के रूप में संलग्न सूची से अनुसार राजस्थान राज्य में वर्तमान में 42 केन्द्रीय विद्यालय और 20 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव मिले हैं। प्रायोजक एजेन्सियों के नाम और उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

स्थान का नाम	प्रायोजक एजेंसी	सुविधाओं के ब्यौरे		
		भूमि (एकड़ में) अपेक्षित/उपलब्ध	अस्थाई स्थान अपेक्षित/उपलब्ध	आवासीय स्थान अपेक्षित/उपलब्ध (स्टाफ का %)
1. पोकरण	रक्षा मंत्रालय	15/16	12/12	50% कुछ नहीं
2. ब्यावर	राज्य सरकार	15/15	12/08	50% कुछ नहीं
3. फुलेरा	रेलवे मंडल	15/14	12/10	50% 6 क्वार्टर
4. चित्तौड़गढ़	राज्य सरकार	15/कुछ नहीं	12/कुछ नहीं	50% कुछ नहीं
5. धौलपुर	राज्य सरकार	15/कुछ नहीं	12/कुछ नहीं	50% कुछ नहीं
6. कोटा	राज्य सरकार	15/कुछ नहीं	12/कुछ नहीं	50% कुछ नहीं
7. दोसा	राज्य सरकार	15/कुछ नहीं	12/कुछ नहीं	50% कुछ नहीं
8. टोंक	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
9. डूंगरपुर	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
10. सिरोही	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
11. बूंदी	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
12. खण्डेला	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—

केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और अन्य अनुबन्धों/शर्तों को पूरा करने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

राजस्थान राज्य में काम कर रहे नवोदय विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	स्थान/गांव का नाम	क्र० सं०	स्थान/गांव का नाम
1.	नागौर	2.	चुरू
3.	बांसवाड़ा	4.	उदयपुर
5.	जयपुर	6.	भीलवाड़ा
7.	चित्तौड़गढ़	8.	जालौर
9.	सीकर	10.	कोटा
11.	बाड़मेर	12.	डूंगरपुर
13.	अजमेर	14.	जैसलमेर
15.	जोधपुर	16.	श्रीगंगानगर
17.	टोंक	18.	झालावाड़
19.	अलवर	20.	पाली

राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्र० सं०	केन्द्रीय विद्यालयों का नाम	क्र० सं०	केन्द्रीय विद्यालयों का नाम
1.	अजमेर नं० 1 (सी०आर०पी०एफ०)	2.	अजमेर नं 2 (सी०आर०पी०एफ०)
3.	अलवर	4.	अन्ता
5.	अनूपगढ़	6.	अविकानगर (टोंक)
7.	बनाड़ (जोधपुर)	8.	बांसवाडा
9.	भरतपुर	10.	बीकानेर नं० 1
11.	बीकानेर नं० 2	12.	बीकानेर नं० 3 (एन० ए० एल०)
13.	देवली	14.	अलवर, इतारामा
15.	जयपुर नं० 1	16.	जयपुर कैन्ट नं 2
17.	जयपुर नं० 3 (एम०आर०ई०सी०)	18.	जयपुर नं० 4 (खातीपुरा)
19.	जैसलमेर	20.	जलीपा कैन्ट
21.	झुंझनू	22.	जोबनेर
23.	जोधपुर नं० 1 (एयरफोर्स)	24.	जोधपुर नं० 2 (एयरफोर्स)

सं०	केन्द्रीय विद्यालयों का नाम	क्र०सं०	केन्द्रीय विद्यालयों का नाम
5.	जोधपुर नं० 1 (आर्मी)	26.	जोधपुर नं० 2 (आर्मी)
7.	जोधपुर (बी०एस०एफ०)	28.	खेतड़ीनगर नं० 1
9.	खेतड़ीनगर नं० 2	30.	पीठा
1.	सालवड़ खेटा	32.	खाउंटखाडू
3.	नसीराबाद	34.	राजपुरा (दरीबां माइन्स)
5.	श्रीगंगानगर	36.	सूरतगढ़ नं०-1
7.	सूरतगढ़ नं०-2	38.	[illegible]
9.	उदयपुर एकलिंगगढ़	40.	उत्तरलाई
1.	जावर माइन्स	42.	चूरू

चीनी और खाद्य तेलों का आयात

नुवाद]

756. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री [illegible] :

श्री आनन्द सिंह :

श्री [illegible] :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का बड़ी मात्रा में चीनी और खाद्य तेलों को आयात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों और चीनी, उनकी मात्रा तथा उनका मूल्य तथा जिन देशों से आयात किया जाएगा उनके नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) : चीनी—सरकार चालू वित्तीय वर्ष में चीनी का आयात करने पर विचार नहीं कर रही है।

खाद्य तेल : मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है। खाद्य तेल के बाजार के शीघ्र प्रभावित हो जाने वाले स्वरूप को देखते हुए यह बताना जनहित में नहीं होगा कि खरीद/आयात कितनी मात्रा में तथा कहां से किया जाएगा।

नारियल तेल का उत्पादन

757. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल तेल का वर्तमान कुल उत्पादन और खपत क्या है; और

(ख) उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) देश में नारियल तेल का कुल उत्पादन और खपत अनुमानतः 2.50 लाख मी० टन है।

(ख) सरकार द्वारा नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

1. नारियल को तिलहन घोषित किया जा चुका है।

2. नारियल के तेल और नारियल उत्पादों की उत्पादकता, संसाधन और विपणन सुधारने के लिए एन० सी० डी० सी० ने ई० ई० सी० के सहयोग से केरल में एक परियोजना लागू की है।

3. नारियल समेत तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों में मराठी भाषा लागू करना

[हिन्दी]

758. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं;

(ख) महाराष्ट्र राज्य के केन्द्रीय विद्यालयों में इसी राज्य के कितने विद्यार्थी हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों में मराठी भाषा को एक विषय के रूप में लेने की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों में मराठी भाषा को एक विषय के रूप में लागू करने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में 30-4-90 तक 39,943 छात्र दाखिल थे।

(ख) ऐसे विवरण अनुरक्षित नहीं रखे गये हैं।

(ग) और (घ) नियम यह है कि उन केन्द्रीय विद्यालयों में जहां 20 या उससे अधिक छात्र क्षेत्रीय भाषा के रूप में मराठी पढ़ने के इच्छुक हैं वहां इसे पढ़ाया जाए।

महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

759. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हैं, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) महाराष्ट्र में नानदेड़, प्रभनी, बीद, चन्द्रपुर, ओस्मानाबाद और औरंगाबाद की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ख) शैक्षिक पिछड़ापन बृहत रूप से सामाजार्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप है।

(ग) आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करें।

दिल्ली में डबल रोटी का बिक्री मूल्य

[अनुवाद]

760. डा० सी० सिल्वेरा :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में डबल रोटी के बिक्री मूल्य में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वजन की डबल रोटी का वर्तमान बिक्री मूल्य क्या है; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 400 ग्राम की डबल रोटी	2.10 रुपये
800 ग्राम की डबल रोटी	4.20 रुपये

(ग) दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए डबल रोटी का मूल्य बढ़ाया गया है।

गुरु तेगबहादुर अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु

761. श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह जनवरी, 1991 में गुरु तेगबहादुर अस्पताल, दिल्ली में डाक्टर की लापरवाही से एक रोगी की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या अस्पताल के कुछ कर्मचारियों और कुछ बाहरी व्यक्तियों ने डाक्टरों से हाथापाई की

थी और यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) से (ग) ऐसी शिकायतें थीं कि जनवरी 1991 में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हुई मौत का कारण ड्यूटी पर तैनात डाक्टर की लापरवाही थी। संबंधित डाक्टर ने भी एक कर्मचारी द्वारा उस पर हमला किए जाने के बारे में शिकायत की थी। दिल्ली प्रशासन ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था जिसके प्राप्त होने पर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। संबंधित डाक्टर को उसके कथित दुराचरण के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधायें

762. श्री पी० एम० सईद : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली अनधिकृत बस्तियों में पानी और बिजली की सप्लाई जैसी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई हैं;

(ख) क्या इन बस्तियों में साफ पानी की भारी कमी बताई गई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बलिहत राम सारण) : (क) दिल्ली प्रशासन के निदेशों के अन्तर्गत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान को कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने की शर्त पर 1-1-1991 से पूर्व बनी अनधिकृत कालोनियों को क्रमशः बिजली और पानी की आपूर्ति करनी अपेक्षित है।

(ख) और (ग) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि इस प्रकार की 318 कालोनियों में से इसने 255 कालोनियों में जलापूर्ति की व्यवस्था की है, जबकि शेष कालोनियों में निवासियों ने उथले या गहरे नलकूपों के माध्यम से अपने प्रबन्ध किए हैं।

14 अन्य कालोनियों में दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान का कार्य प्रगति पर है, 11 कालोनियों के सम्बन्ध में योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है, 69 कालोनियों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और शेष कालोनियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से कच्चा पानी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

लचीली सम्पूरक योजना के अन्तर्गत पेशेवर चिकित्सकों की पदोन्नतियां

763. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अतारांकित प्रश्न संख्या 5464 के 18 अप्रैल, 1990 को दिए गए उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भौतिकी चिकित्सकों और पेशेवर चिकित्सकों के लिए उच्च श्रेणी के पद प्रथम श्रेणी में अवर तथा प्रवर स्तर) बनाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और

(ग) क्या सरकार उनकी पदोन्नतियों के लिए लचीली सम्पूरक योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने पर विचार रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए उच्च ग्रेड के पद बनाने का प्रश्न विचाराधीन है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के भौतिक चिकित्सक और व्यावसायिक चिकित्सक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक 4-2-91 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हुई थी। संघ के प्रतिनिधियों से कुछ और सूचना भेजने के लिए कहा गया है ताकि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जा सके।

भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों की प्रोन्नति के लिए फ्लैक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोखिम भत्ता समिति की सिफारिशें

764. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोखिम भत्ता समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने जोखिम भत्ते के अधिकारी विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की सूची तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में मन्त्रालयीय कर्मचारी और गैर मन्त्रालयीय कर्मचारी

765. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में ग्रुप "बी" के श्रेणी चार के कितने-कितने मंत्रालयीय और गैर मंत्रालयीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा ये कब से कार्य कर रहे हैं; और

(ख) सरकार का "फ्लेक्सिबल कंम्पलीमेंटिंग स्कीम" के अंतर्गत इनकी पदोन्नति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दसई चौधरी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पदों की श्रेणियां ।

(ख) फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम के अन्तर्गत नहीं आती ।

विवरण

क्रमांक	पद का नाम	वर्गीकरण	स्वीकृत पदों की संख्या	जिस तारीख से पदासीन पदधारक कार्य कर रहा है
1.	प्रशासन अधिकारी	अनुसचिवीय	5	18-10-85 28-01-86 28-01-86 03-02-86 01-07-89
2.	हिन्दी अधिकारी	अनुसचिवीय	1	01-08-89
3.	भंडार अधिकारी	अननुसचिवीय	1	07-10-88
4.	सीनियर रीफ्रेक्शनिस्ट	अननुसचिवीय	2	29-07-86 13-03-89
5.	सम्पर्क अधिकारी	अननुसचिवीय	1	रिक्त
6.	आहारविद	अननुसचिवीय	1	रिक्त
7.	भौतिक चिकित्सक ग्रेड-I	अननुसचिवीय	2	21-11-85 एक पद रिक्त

गिरिडीह और धनबाद जिलों के लिए केन्द्रीयविद्यालय

[हिन्दी]

766. **श्री रामदास सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह और धनबाद जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं;

(ख) क्या इन जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त कम है; और

(ग) वर्तमान समय में इन जिलों में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है और वर्ष 1991-92 के दौरान नये विद्यालय खोलने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने की केन्द्रीय विद्यालय संगठन की एक प्रणाली है जिसके मुताबिक मंत्रालय भारत सरकार के विभाग या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति या भारत सरकार के उद्यमों या उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यालय प्रायोजित किए जाते हैं और उनके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाता है। जिलेवार आधार पर विद्यालय आबंटित करने की कोई प्रथा नहीं है।

(ग) गिरीडीह और धनबाद जिले में 14 केन्द्रीय विद्यालय हैं। किसी भी प्राधिकृत एजेंसी का ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास लंबित नहीं है जिसमें आधाराभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ वर्ष 1991-92 में इन जिलों में कोई केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रायोजित किया गया हो।

पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

[अनुवाद]

767. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री नन्दलाल मीणा :

डा० चिन्ता मोहन :

श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड परियोजना के कार्यकरण की जांच हेतु सरकार द्वारा गठित की गई तीन सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष और इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) पेप्सी की विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करने और उनकी वर्तमान दशा का पता करने के लिए सरकार द्वारा तीन अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया था।

(ख) और (ग) इस दल के निष्कर्षों पर कोई दृष्टिकोण अपनाने से पहले मै० पेप्सी फूड्स से अग्रिम तथ्य और सूचना एकत्र करनी पड़ेगी। कमेटी की रिपोर्ट पर कोई दृष्टिकोण अपनाने का प्रश्न तभी उठता है जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए।

कीमतों में वृद्धि

768. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री आनन्द सिंह :
श्री कमल चौधरी :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री सूरज नारायण जड़िया :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री कल्पनाथ राय :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री गोपाल पचेरवाल :
श्री एम० एस० पाल :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री वी० कृष्ण राव :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री रामेश्वर प्रसाद :
श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :
श्री पलाई के० एम० मंय्यू :
श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :
श्री वामनराव महाडीक :
श्री प्रोफेसर भा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी युद्ध के कारण गत तीन माह के दौरान सभी वस्तुओं और दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं सहित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, दालों, चीनी और चाय जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को निश्चित करने का है; और

(घ) कीमतों को कम करने हेतु किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 10-11-90 और 9-2-91 के बीच चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाया गया है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के जरिए सप्लाई कराने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी तथा खाद्य तेलों आदि के मूल्य, सरकार द्वारा नियत किए जाते हैं।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य से दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दोनों उपाय किए जा रहे हैं। किए गए उपायों में मोटे तौर पर ये शामिल हैं—आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्नों की वसूली तथा उनका सुरक्षित भंडार बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य नियामक उपायों को लागू करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना ताकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में किसी भी असामान्य वृद्धि को रोका जा सके।

विवरण

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव 9-2-1991 10-11-90
1	2
चावल	+3.2
गेहूं	+21.1
ज्वार	+15.9
बाजरा	+36.9
चना	—3.4
अरहर	—0.8
मूंग	+4.7
मसूर	+14.5
उड़द	+3.7
आलू	—32.6
प्याज	+21.0
दूध	—4.5
मछली	—9.2
गोश्त	+0.5
लाल मिर्च	+12.3
चाय	+1.8

1	2
मिट्टी का तेल	+0.1
आटा	+11·1
चीनी	+2.0
गुड़	—15.0
नमक	+6.6
वनस्पति	+9.3
बिजली का तेल	+19.3
सरसों का तेल	+11.6
नारियल का तेल	+14.5
मूंगफली का तेल	+23.2
सूती कपड़ा (मिल का)	+1.3
साबुन (कपड़े धोने का)	स्थिर
साबुन (नहाने का)	स्थिर
दियासलाई	स्थिर
सभी वस्तुएं	+2.7

रुई का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

769. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रुई का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कम होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो देश की रुई पर आधारित विभिन्न संस्थाओं को इस वर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में रुई की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या देश में रुई की मांग को देखते हुए सरकार का इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी मात्रा में रुई के निर्यात की अनुमति दी गई है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। रुई सलाहकार बोर्ड ने 17 दिसम्बर, 1990 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 1989-90 मौसम के दौरान हुए 133.50 लाख गांठों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1990-91 रुई मौसम के

दौरान रुई की 122 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया । तथापि, रुई उपजकर्ता संघ ने वर्ष 1990-91 के लिए रुई के अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया है ।

(ख) रुई सलाहकार बोर्ड ने 17 दिसम्बर, 1990 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1990-91 के दौरान 110.00 लाख गांठों की रुई की मिल खपत तथा 7.50 लाख गांठों की रुई की गैर-मिल खपत का अनुमान लगाया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान अब तक कपास की 11.55 लाखों गांठों के निर्यात कोटे रिलीज किए गए हैं ।

नवोदय विद्यालय खोलना

770. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री सूर्य नारायण यादव :

डा० चिन्ता मोहन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में नवोदय विद्यालय खोलने का हाल ही में निर्णय किया है;

(ग) देश भर में ऐसे कुल कितने नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे; और

(घ) सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति कब तक कर लेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) नवोदय विद्यालय स्कीम देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना पर आधारित है । सबसे पहले राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर स्थान का चुनाव किया जाता है । संबद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा शुरू में विद्यालय प्रारंभ करने के लिए 30 एकड़ निःशुल्क भूमि और भवन तथा अन्य अवस्थापनाएं प्रदत्त की जाती हैं । इन स्कूलों की स्थिति यथासंभव ग्रामीण क्षेत्रों में होगी । देश में अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं । नवोदय विद्यालयों को खोलना भौतिक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है अतः निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सकता ।

मन्त्रियों/संसद सदस्यों के निवास स्थानों पर किया गया व्यय

771. **श्री आर० एन० राकेश :**

डा० चिन्ता मोहन :

श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा भारत सरकार के सचिवों के कार्यालयों और निवास स्थानों को सजाने और उनके विस्तार पर वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पृथक-पृथक किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गैर आवंटित फ्लैट

[अनुवाद]

772. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री आर० एम० भोये : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अभाव में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स काफी संख्या में गैर आवंटित पड़े हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण के ऐसे फ्लैटों के शीघ्र आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) पेयजल/बिजली इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाओं के अभाव के कारण ।

(ग) इन सेवाओं के बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति समय-समय पर मामले की निगरानी रखती है ।

नई दिल्ली में पालिका प्रसूति अस्पतालों में शिशुओं की मृत्यु

[हिन्दी]

773. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से जून, 1990 की अवधि के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका के प्रसूति अस्पतालों में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण शिशुओं की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) जनवरी, 1990 से जून, 1990 की अवधि के दौरान डाक्टरों की लापरवाही के कारण नई दिल्ली नगरपालिका के पालिका प्रसूति अस्पतालों में किसी नवजात शिशु की मौत नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । श्रीमती उर्मिला के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । श्रीमती उर्मिला, धर्म पत्नी श्री सुरेश चन्द्र 34 सप्ताह की गर्भावधि में पालिका प्रसूति अस्पताल में दाखिल हुई थी, जिनके गर्भाशय में मृत शिशु था । उन्होंने 15 मई, 1990 को एक मृत शिशु को जन्म दिया । शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई । यह पाया गया कि बच्चे को—

(i) जन्मजात जलोदर था।

(ii) नाभि-नाल में एक वास्तविक गांठ थी।

(iii) नाभि-नाल गर्दन के चारों तरफ तीन बार लिपटी हुई थी।

उपर्युक्त तीन कारणों से बच्चे की गर्भाशय के भीतर मृत्यु हो गई थी जो अपरिहार्य थी।

देश में आवास परियोजनाओं में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

774. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवास परियोजनाओं में बहुत कम पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आवास क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) क्रमिक पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास क्षेत्र में निवेश पर्याप्त रूप से उत्तरोतर बढ़ोतरी हुई है फिर भी 1951 से ही अर्थ-व्यवस्था में कुल निवेश के अनुपात के रूप में आवास क्षेत्र में निवेश में समग्र कमी रही है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों सम्बन्धी प्रतिस्पर्धी भागों तथा विकसित भूमि एवं सामग्रियों की आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं को देखते हुए आवास क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशियां आकर्षित करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) आवास निर्माण हेतु धनराशि के स्रोतों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन किया गया है तथा पारिवारिक क्षेत्र से अपना घर-ऋण-योजना के माध्यम से संसाधनों के संग्रहण में वृद्धि के लिए इसने विभिन्न उपाय किए गए हैं। यह भूमि विकास तथा आश्रय उन्नयन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है तथा नए संस्थानों को बढ़ावा देने के अलावा बैंक और विद्यमान आवास वित्त संस्थाओं के माध्यम से अधिक संसाधन जुटा रहा है। वे शीर्ष सहकारी समितियों को पुनर्वित्त भी उपलब्ध कर रहे हैं।

(ii) बैंकिंग क्षेत्र से वार्षिक संवर्धनशील निक्षेपों का 1.5% नए निर्माण तथा मरम्मत, दोनों को शामिल करते हुए आवासीय कार्यकलापों के लिए, लगाने के लिए कहा गया है।

(iii) जीवन बीमा तथा सामान्य जीवन बीमा का आवास सम्बन्धी नियतन भी क्रमिक रूप से बढ़ा है।

(iv) हुडको के परिचालनों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा

निम्न आय वर्ग के लिए संसाधनों का 55% दिए जाने के साथ पर्याप्त वृद्धि हुयी है।

(v) आवास वित्त की सुलभता में सुधार करने तथा नवीनतम तरीकों के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कैनफिन होम, पी० एन० बी० आवासीय वित्त संस्थान, एच० डी० एफ० सी०, एल० आई० सी० हाऊसिंग फाइनान्स इन्स्टिट्यूशन, जी० आई० सी० गृह वित्त निगम इत्यादि जैसे कई क्षेत्रीय आवास वित्त संस्थानों का गठन किया गया है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धनों तथा असुरक्षित वर्गों के लिए इन्दिरा आवास योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से अंतर्गत परिव्यय उपलब्ध किए जाते हैं।

सामान की भीड़ के कारण प्रभावित निर्यातकों को राजसहायता

776. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन निर्यातकों को उचित राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है जिन्हें हवाई अड्डों पर सामान की भीड़ के कारण चार्टर उड़ानों से अपना सामान भेजने पर, मजबूर होना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने सामान की भीड़ को कम करने के लिए वस्त्र निर्यात सवर्द्धन परिषद के सहयोग से चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया था;

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह नीति किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुई है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, इस वर्ष व्यस्ततम कार्गो अवधि के दौरान एयर इण्डिया की योजना अतिरिक्त कार्गो क्षमता प्रदान करने की है।

"169 छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश" शीर्षक समाचार

777. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1990 के नवभारत टाइम्स में "169 छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के आदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 169 छात्रों के प्रवेश के लिए आदेश जारी किए गए थे।

केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली में स्थित क्वार्टरों का गिराया जाना

778. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो/तीन वर्ष पूर्व केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली में स्थित पांच क्वार्टरों को असुरक्षित घोषित कर दिया था और उन्हें गिराए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या इन क्वार्टरों को गिरा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें न गिराए जाने और हाल ही में इन क्वार्टरों में से एक की मरम्मत पर भारी खर्च करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) जी, नहीं। परन्तु, कुछ क्वार्टर गिराए गए थे अथवा अन्य कारणों से गिराये जाने हैं अर्थात स्कूल भवन के निर्माण और खेल के मैदानों आदि के विकास के लिए एक क्वार्टर की मरम्भत के लिए 34,678 रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्यान्न भंडारण

[हिन्दी]

779. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था में विद्यमान अनियमितताओं को दूर करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को रियायती दरों पर आटा मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन/सुझाव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार ने निजी क्षेत्र में भंडारण क्षमता का सृजन करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम जैसी संबंधित एजेन्सियों द्वारा इस प्रकार की क्षमता का उपयोग उनके पास पहले से ही उपलब्ध क्षमता की तुलना में उनकी जरूरतों पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूट आधुनिकीकरण कोष योजना

[अनुवाद]

780. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जूट अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार ने जूट आधुनिकीकरण कोष योजना की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेवार कारणों का गहन अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) सरकार ने देश में पटसन की अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इन कदमों में से कुछ हैं :—

1. 150 करोड़ रु० की राशि से पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना ।
2. 100 करोड़ रु० की राशि से विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना ।
3. पटसन बोरों में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न, चीनी, यूरिया तथा उर्वरक का आरक्षण ।
4. रियायती शुल्क पर पटसन मशीनों की विनिर्दिष्ट मदों के आयात की अनुमति ।
5. विविधीकृत पटसन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से छूट।
6. पटसन माल के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०) प्रदान करना ।
7. विविधीकृत पटसन उत्पादों के अन्तरिक तथा बाह्य विपणन के लिए सहायता प्रदान करना ।
8. पटसन मिलों द्वारा सभी प्रकार के फाईबरों के इस्तेमाल में लोचशीलता की अनुमति प्रदान करना ।
9. विश्व व्यापी निविदाओं के आधार पर पटसन माल पर होने वाली क्षति में हिस्सा बंटाना ।

(ख) और (ग) सरकार ने पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना की प्रगति की मानीटरिंग के लिए एक समिति का गठन किया है । समिति समय-समय पर बैठकें करती है तथा इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का शीघ्र उपयोग करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देती है । इस योजना के ढांचे के भीतर यह मिल के प्रबंधकों पर निर्भर करता है कि वे आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाएं क्योंकि उनकी मिलों की दीर्घकालिक अर्थक्षमता बनाए रखने का यह एक वांछनीय उद्देश्य है ।

महाराष्ट्र को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

781. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

श्री वसन्त साठे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक माह से विभिन्न आवश्ययक वस्तुओं की कितनी मांग की गई और कितनी उसे सप्लाई की गई; और

(ख) राज्य को इन मदों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) विवरण—1, 2, 3 और 4 संलग्न हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का आवंटन, केन्द्रीय स्टाक में इन मदों की समग्र उपलभ्यता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, खुले बाजार में उपलब्ध ऐसी मदों की मात्रा आदि के आधार पर किया जाता है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के लिए चावल और गेहूं की माहवार मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टन में)

माह	मांग		आवंटन		उठाई गई मात्रा	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1990						
जनवरी	100.0	250.0	52.0	100.0	51.0	87.8
फरवरी	75.0	150.0	47.0	100.0	43.4	79.0
मार्च	75.0	125.0	47.0	100.0	50.7	102.6
अप्रैल	23.0	55.0	23.0	55.0	41.4	83.2
मई	75.0	125.0	71.0	125.0	46·1	92.6
जून	75.0	85.0	47.0	85.0	49.3	96.6
जुलाई	57.0	100.0	47.0	100.0	56.6	94.6
अगस्त	55.0	100.0	47.0	100.0	47.8	61.6
सितम्बर	55.0	100.0	47.0	100.0	32.6	95.1
अक्तूबर	65.0	100.0	49.5	100.0	34.1	100.4
नवम्बर	52.0	100.0	47.0	100.0	37.3	79.7
दिसम्बर	52.0	100.0	45.0	100.0	47.3	96.1
जनवरी, 91	52.0	100.0	45.0	100.0	54.7	105.5

विवरण-2

वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के लिए खाद्य तेलों की मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

(मात्रा मी० टनों में)

माह	आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 1990	6500	8035
फरवरी	8000	9115
मार्च	9000	9776
अप्रैल	11000	8423
मई	12000	8946
जून	13000	10129
जुलाई	14500	10878
अगस्त	16500	16013
सितम्बर	16500	16377
अक्तूबर	16500	16531
नवम्बर	10000	10021
दिसम्बर	—	1718
जनवरी, 1991	—	278

नोट : तेल वर्ष 1989-90 (नवम्बर से अक्तूबर) के लिए खाद्य तेलों की 168000 मी० टन मात्रा की मांग की गई थी तथा तेल वर्ष 1990-91 के वास्ते अभी तक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-3

वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के लिए मिट्टी के तेल की मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

(मी० टन में)

माह	आवंटन	तदर्थ आवंटन	कुल आवंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
जनवरी, 1990	129570	—	129570	130442
फरवरी	129570	—	129570	130710

1	2	3	4	5
मार्च	114458	—	114458	120058
अप्रैल	114458	—	114458	119191
मई	114458	—	114458	116257
जून	114458	—	114458	113247
जुलाई	122058	—	122058	121272
अगस्त	122058	—	122058	121820
सितम्बर	122058	2000	124058	124340
अक्तूबर	122058	500	122558	120876
नवम्बर	134753	500	134253	133582
दिसम्बर	133285	500	132785	132233
जनवरी, 91	132404	500	131904	—

नोट : मिट्टी के तेल का आवंटन पुराने आधार पर किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के तीन विभिन्न ब्लाकों में किए गए आवंटनों में उपयुक्त वृद्धि कर दी जाती है। निर्धारित आवंटनों के अलावा प्राकृतिक प्रकोपों जैसी अप्रत्याशित स्थितियों से निबटने के लिए समय-समय पर तदर्थ आवंटन भी किए जाते हैं।

विवरण-4

वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के लिए चीनी की मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

माह	माहवार आवंटन
जनवरी, 90 से जनवरी, 91	39938

नोट : 1-10-86 को अनुमानित आबादी के आधार पर 425 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराने की दर पर लेवी चीनी का आवंटन किया जाता है।

महाराष्ट्र में नई कताई तथा रुग्ण मिलों को वित्तीय सहायता

782. **प्रो० महादेव शिवनकर :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार में वित्तीय दृष्टि से रुग्ण कताई मिलों के लिए तथा निकट भविष्य में स्थापित की जाने वाली नई सहकारी कताई मिलों के लिए विश्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सहायता के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए तथा क्या इनमें "रेणुका आदिवासी सहकारी सूत गिरनी" किवांत, मंछाहे का अनुरोध भी शामिल है; और

(ग) इन मिलों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शुक्लदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी०डी०सी०) से 3 सहकारी कताई मिलों, किनवात, जलगांव तथा शादा प्रत्येक में एक, को वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया है। जी हां, रेणुका आदिवासी सहकारी को भी शामिल किया गया है।

(ग) एन०सी०डी०सी० के अधिकारियों द्वारा किनवात और जलगांव (जमोद) की एककों के संबंध में स्थल अध्ययन किया गया है। एन० सी० डी० सी० के अधिकारियों द्वारा फरवरी के अन्तिम सप्ताह के दौरान शादा स्थित एकक के संबंध में स्थल अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों के पदों का सृजन

783. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सुपरिंटेन्डिंग इन्जीनियर और इससे ऊपर के दर्जे के कितने पदों का सृजन किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के कितने पदों का सृजन किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संवर्ग के अधीन सृजित अधीक्षक इन्जीनियर तथा उससे ऊपर एवं कनिष्ठ इन्जीनियर के पदों की संख्या तथा जिन पर व्यय की पूर्ति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बजट अनुदान से की जाती है, वर्ष 1988 से 1990 के दौरान इस प्रकार है :—

वर्ष	अधीक्षक इन्जीनियर तथा ऊपर के पदों की संख्या	कनिष्ठ इन्जीनियरों के पदों की संख्या
1988	10	298
1989	3	65
1990	14	160

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में नवोदय विद्यालय खोलना

784. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में प्राथमिकता के आधार पर एक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जिले में नवोदय विद्यालय कब तक खोला जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले (उ० प्र०) में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए मिले प्रस्तावों को उ० प्र० राज्य सरकार के पास उनकी सिफारिशों के लिए अग्रेषित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योग

785. **श्री हरीश रावत** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा रखी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989 और 90 के दौरान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए पांच कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं ।

(ख) शून्य ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में ऊन की उपलब्धता

786. **श्री हरीश रावत** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल द्वारा भारत में तिब्बती ऊन के आयात पर प्रतिभार लगाने के कारण उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊन बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ऊन उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऊन बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ऊन उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो बुनकरों को सस्ती दरों पर अच्छी किस्म की ऊन समय पर सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

[अनुवाद]

787. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिन्हें भूमि आवंटित की गई है;

(ख) इन्हें किस क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है;

(ग) शेष सोसाइटियों को भूमि आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं और इन सोसाइटियों को कब तक भूमि आवंटित की जाएगी;

(घ) क्या इन सोसाइटियों द्वारा फ्लैटों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है और ऐसा न करने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार फ्लैटों का तेजी से निर्माण किस तरीके से सुनिश्चित करने का है जिससे दिल्ली में आवास की भारी कमी की समस्या को हल किया जा सके ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) 518 ।

(ख) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेहरौली, कालकाजी, मालवीय नगर, ओखला, पंखा रोड, रोहतक रोड, कड़कड़डुमा, शालीमार बाग, पश्चिम पुरी, प्रीतमपुरा, बोडेला, रोहिणी, मंडावली-फाजलपुर, चिल्लांदुल्लुपुर, मयूर विहार, गीता कालोनी, सी०बी०डी० शाहदरा तथा योजना विहार में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित की गयी है ।

(ग) पर्याप्त भूमि के अभाव में बाकी समितियों को आवंटन नहीं किया गया है । शेष समितियों को भूमि के आवंटन के लिए फिलहाल कोई समय सीमा नहीं दर्शाई जा सकी है ।

(घ) और (ङ) समितियों द्वारा भूमि का कब्जा लेने के 5 वर्ष के भीतर, अनुग्रह अवधि सहित, फ्लैटों का निर्माण पूर्ण करने की अनुमति है । इसके पश्चात् निर्धारित से लिफ्ट्रायक वृद्धि की अनुमति सामान्य दंड लगाने के पश्चात् दी जाती है ।

दिल्ली में पट्टे पर मकान और भूखंड

738. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

श्री तारीफ सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पट्टे पर दिए गए मकानों/भूखंडों की संख्या कितनी है;

(ख) उन पर किस दर से पट्टे की राशि की वसूली की जा रही है;

(ग) प्रतिवर्ष पट्टे की कितनी राशि वसूल की जानी होती है तथा वास्तव में कितनी राशि वसूल की जा रही है; और

(घ) दिल्ली में पट्टा प्रणाली को पूर्ण स्वामित्व में बदलने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री सैलजा राम सारण) : (क) भू-स्वामित्व वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रशासित पट्टा संपत्तियों की संख्या करीब 6.5 लाख है।

(ख) इन अभिकरणों द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक भूमि किराये की दर इस प्रकार है :—

दिल्ली नगर निगम :	प्रीमियम का ढाई प्रतिशत।
भूमि और विकास कार्यालय :	पुनर्वास संपत्तियों के मूल पट्टाधारियों, जिनके मामले में प्रति सौ वर्ग गज अथवा उसके टुकड़े के लिए भूमि किराया मात्र एक रुपया देय है, को छोड़कर प्रीमियम का ढाई प्रतिशत। कतिपय अप्रतिबन्धित पट्टों के मामले में प्रीमियम का 5 प्रतिशत भूमि किराए के रूप में वसूल किया जाता है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण :	तैयार फ्लैटों के मामले में प्रथम दो वर्ष के लिए भूमि किराया 1 रु० प्रति वर्ष वसूल किया जाता है तथा तत्पश्चात् भूमि की कीमत का ढाई प्रतिशत वसूल किया जाता है। भू-खंडों के मामले में प्रथम पांच वर्ष के लिए भूमि किराया 1 रु० प्रति वर्ष वसूल किया जाता है और तत्पश्चात् प्रीमियम का ढाई प्रतिशत देय होता है।

(ग) पट्टा संपत्तियों से वसूल की जाने वाली राशि प्रीमियम, हरजाने, दुरुपयोग प्रभारों इत्यादि पर निर्भर करते हुए प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। भू-स्वामित्व वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा पट्टा संपत्तियों से 27.55 करोड़ रुपए का कुल वार्षिक राजस्व वसूल किया जाता है।

(घ) दिल्ली में 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी भूखंडों को भू-धृति की पट्टा प्रणाली से पूर्ण-स्वामित्व में परिवर्तित करने के लिए विकल्प की अनुमति देते हुए अक्तूबर, 1989 में जारी आदेशों के बाद इस संबंध में विभिन्न विकल्प सुझाते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मामले की पुनरीक्षा की जा रही है तथा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अधीन फ्लैटों के निर्माण में कमी

789. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अधीन वर्ष 1987, 1988, 1989, 1990 के दौरान कितने फ्लैट निर्मित करने का प्रस्ताव था, कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और क्या इनके निर्माण में प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य में कोई कमी आई थी;

(ख) यदि हां, तो कमियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मकान/फ्लैट निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर पूरे हों, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) योजना के अधीन पंजीकृत किए गए सभी वर्गों के प्राथियों को कब तक फ्लैट आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में ब्यावर स्थित नवोदय विद्यालय का भवन

[हिन्दी]

790. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़ (ब्यावर) जिले में नवोदय विद्यालय के पास अपना भवन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विद्यालय के लिए भवनों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) विद्यालय अस्थाई स्थान पर चल रहा है । विद्यालय के स्थाई भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

आवश्यक वस्तुओं के आवंटन संबंधी मानदंड

791. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या कई राज्यों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इन मानदंडों के उल्लंघन के प्रति आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति के लिए चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

केन्द्रीय पूल से चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, केन्द्रीय पूल में भंडारों, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा, विगत में उठाई गई मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

लेवी चीनी का आवंटन 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति माह 425 ग्राम किया जाता है ।

मिट्टी के तेल का आवंटन पुराने आधार पर किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के तीन विभिन्न खंडों में किए गए आवंटनों में उपयुक्त वृद्धि कर दी जाती है । इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक प्रकोपों जैसी अप्रत्याशित स्थितियों से निबटने के लिए समय-समय पर तदर्थ आवंटन भी किए जाते हैं ।

तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है र इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गत समय में किए गए आवंटन तथा उनके ा उठाई गई मात्रा के संबंध में दावे करते हुए समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भिन्न वस्तुओं का अधिक आवंटन किए जाने की मांगें की जाती रही हैं।

(ग) सभी मांगों को भंडारों की स्थिति तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जरूरतों को ते हुए, यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन

अनुवाद]

792. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करने और इसे रोज- ार के अवसरों को बढ़ाने एवं पौष्टिक आहार कार्यक्रमों से जोड़ने का है, जैसाकि दिनांक 20 नवंबर, 990 के इकानामिक्स टाइम्स में प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण णाली के बारे में सरकारी नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक जनसंख्या के मजोर वर्गों का सम्बन्ध है, लाभभोगियों की संख्या कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक

793. **डा० सुधीर राय** :

श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1991 के नवभारत टाइम्स में "तबादले ा करने की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की स्थानांतरण से पूर्व दोन्नति तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने की मांग पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शासी मंडल द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं में दिए गए क्रम के अनुसार शिक्षकों की प्रोन्नति पहले की जाती है। इसके बाद स्थानांतरण/सीधी भर्ती की जाती है। इस दृष्टि से वर्ष 1990-91 में वार्षिक स्थानांतरणों से पहले पी० आर० टी० का

प्रधानाध्यापकों और टी० जी० टी० के रूप में प्रोन्नयन किया गया और वर्ष 1989-90 के लिए टी० जी० टी० को पी० जी० टी० के रूप में प्रोन्नतियां पहले ही कर दी गई हैं, जो कि मद्रास उच्च न्यायालय से अनुमति लेने के लिए लंबित रखी गई थीं क्योंकि वहां पी० ई० टी० शिक्षकों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई है। वर्ष 1990-91 के लिए पी० जी० टी० के वार्षिक स्थानांतरणों से पहले इन्हें भी प्रभावी कर दिया गया है। परन्तु 1990-91 के लिए पी० जी० टी० शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण पहले चरण में करने प्रस्तावित हैं; क्योंकि 1990-91 के लिए पी० जी० टी० की प्रोन्नति सूचियों को विभागीय प्रोन्नति समिति (डी० पी० सी०) की क्लियरेंस की आवश्यकता है। चूंकि यह संगठन का सामान्य प्रशासनिक कार्य है इसलिए शिक्षकों के स्थानांतरणों का नियमन करने के लिए शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों सहित समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का मूल्यांकन

794. **श्री शांताराम पोटवुखे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की सार्थकता का मूल्यांकन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से उस अधिनियम में कुछ कमियां हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे उपभोक्ता सेवा के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 19.6 के कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा करती रहती है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम में परिकल्पित प्रतितोष तंत्र स्थापित कर लिए हैं जो उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल तथा कम खर्च पर निवारण कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे एक जागरूक उपभोक्ता सामने आ रहा है जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है।

(घ) से (च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाने के वास्ते सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिशों पर इन सुझावों पर विचार करने एवं चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में यौन शिक्षा प्रारम्भ करना

795. **श्री शान्ताराम पोटवुखे** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री सी० सिलवेरा :

श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इस महीने के प्रारंभ में यौन सलाहकारों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों का एक सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) किन-किन देशों के कितने-कितने विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्मेलन में हुई चर्चा, विशेषकर अन्य चिकित्सा विषयों के साथ यौन विज्ञान के रखने पर, ध्यान दिया है; और

(घ) हाई स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य यौन शिक्षा प्रारम्भ करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्केन्डिनेविया, बेनेल्क्सेा, बेल्जियम, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ग) और (घ) यद्यपि सरकार को संयोजकों से सम्मेलन में हुई चर्चाओं की विस्तृत रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है तथापि, यौन शिक्षा के मानव प्रजनन जैसे कुछ घटक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जीव-विज्ञान छात्रों को पहले से ही पढ़ाए जा रहे हैं ।

आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट

796. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985 की वस्त्र नीति के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा सम्बन्धी आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट, जो जनवरी, 1990 में प्रस्तुत की गई थी, की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) आबिद हुसैन समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है ।

गर्भ निरोधक गोलियों के खाने से दौरा (स्ट्रोक) पड़ना

797. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

श्री बी० कृष्ण राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा वर्ग की महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों के खाने से दौरे पड़ने लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो खाने की गोलियों की बजाय अन्य उपायों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री बसई चौधरी) : (क) किए गए अध्ययनों के आधार पर यह प्रतीत नहीं होता कि खाये जाने

वाले गर्भ निरोधकों, जिसमें ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टोजन्स की कम खुराक होती है, के उपयोग से छोटी आयु वर्ग की महिलाओं को दौरे पड़ने लगते हैं।

(ख) भारत में विभिन्न अन्य गर्भ निरोधक उपाय/विधियां जैसे पुरुष/महिला नसबंदी, आई० यू० डी० और कन्डोम भी परिवार नियोजन के स्वीकारकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं।

सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य

798. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री मंजय लाल :

श्री तारीफ सिंह :

श्री एम० एस० पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के लिए "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ;

(ख) लक्ष्य पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990 के अन्त तक डाक्टरों, उपकरणों और जनशक्ति की कमी को किस हद तक दूर किया गया और कितनी कमियां अभी दूर की जानी हैं;

(घ) वर्ष 1990 के अन्त तक मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया जैसे रोगों की रोकथाम सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो इन कार्यक्रमों में पीछे हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर "सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लिए रखे गए कुछेक लक्ष्यों के मुकाबले 1990 की उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों से यह पाया गया है कि उपलब्धियों में कमी का मुख्य कारण प्रशिक्षित प्रयोगशाला तकनीशियनों की उपलब्धता वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयां, बहुद्देश्यीय संवर्ग में रिक्तियां तथा धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से घरों में मलेरिया होने की स्थिति में छिड़काव कराने से मना करना है।

(ग) स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों की तैनाती करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है। अपर्याप्तताओं को काफी सीमा तक पूरा कर दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, कोई कमी नहीं है लेकिन पुराने उपकरणों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया, उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संशोधित कार्य-योजना के कार्यान्वयन से ही देश में इस रोग की घटनाओं में कमी आ रही है। उदाहरण के लिए देश में 1976 की तुलना में 1989 में मलेरिया के रोगियों में 68 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ङ) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र पीछे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. असम, 2. उड़ीसा, 3. बिहार, 4. पश्चिम बंगाल, 5. गुजरात, 6. जम्मू और कश्मीर 7. मणिपुर, 8. तमिलनाडु, 9. मध्य प्रदेश, 10. उत्तर प्रदेश, 11. केरल, 12. सिक्किम, 13. त्रिपुरा, 14. हरियाणा, 15. राजस्थान, 16. अरुणाचल प्रदेश, 17. लक्षद्वीप।

इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

योजनाओं के नाम	लक्ष्य	1989-90 उपलब्धियां
1. राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम		
(क) क्षयरोग के नए रोगियों का पता लगाना	1,60,0000	16,38,397
(ख) थूक जांच	33,95,850	24,24,002
2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम		
(क) ए० पी० आई० लक्ष्य	1.9	1.95 (अनन्तिम)
3. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम		
(क) पता लगाए गए कुष्ठ रोगी	60 प्रतिशत	62 प्रतिशत
4. गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम		
(क) पता लगाए गए रोगी	39792 (1984 में रोगी)	4798 (1990 के अन्त तक 4798 रोगियों का पता लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है)
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम		
(क) मोतियाबिन्द के आपरेशन	12.84 लाख	4.80 लाख

विवरण 2

वर्ष 1978, 1985 और 1988 के दौरान डाक्टरों, डेंटिस्टों, नर्सों, सहायक नर्स धात्रियों और फार्मेसिस्टों की संख्या

श्रेणियां	1978	1985	1988
डाक्टर	2,35,631	3,08,258	3,31,630 (1987)
डेन्टिस्ट	7,411	9,598	9,796
नर्सें	1,35,103 (1979)	1,97,735	2,45,405
सहायक नर्स धात्रियों	54,959 (1979)	98,543	1,32,923
फार्मेसिस्ट	1,07,452	2,04,878 (1984)	2,20,249 (1987)

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में दन्त चिकित्सा अनुभाग

799. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री तारीफ सिंह :

श्री एम० एस० पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलना आजाद मेडिकल कालेज का दन्त चिकित्सा अनुभाग कब से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या इसके कार्यकरण की कमियां अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समय शैक्षणिक और डाक्टरों के स्वीकृत पदों की तुलना में कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, कितने मूल्य की अधिक खरीद की गई है जो अप्रयुक्त है और काम न कर रहे उपकरण का मूल्य कितना है तथा मरम्मत/अतिरिक्त कलपुर्जों की आवश्यकता के कारण ये कितने समय से बेकार पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के दन्त चिकित्सा अनुभाग के वर्तमाव कार्यकरण की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दसई रचौधी) : (क) 1983 से मौलाना आजाद मेडिकल कालेज का डेंटल विंग विद्यमान रहा है।

(ख) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मौलना आजाद मेडिकल कालेज में एक प्राथमिक जांच की गई थी जिसके लिए एक विशिष्ट अभिकरण द्वारा स्थापित की जाने वाली एक विस्तृत जांच अपेक्षित थी। यह अभिकरण स्थापित कर दिया गया था और दिल्ली प्रशासन के वित्त विभाग द्वारा एक विशेष लेखा-परीक्षा की जा रही है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के डेंटल विंग में मंजूर शुदा पदों के साथ-साथ भरे हुए पदों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली डेंटल विंग में मंजूर किए गए और भरे हुए पदों के ब्यौरे

मंजूर किए गए पद		भरे हुए पद
प्रोफेसर	3	1
सहं प्रोफेसर	2	—
सहायक प्रोफेसर	7	2
प्राध्यापक	2	1
प्रदर्शक	6	5
कनिष्ठ रेजीडेंट	20	13
पूल अधिकारी	—	1
सी०ए०एस० ग्रेड-I	2	2

इसके अतिरिक्त शिक्षण को सुविधामय बनाने के लिए अन्य अस्पतालों से अंशकालिक आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है। इस समय चार वरिष्ठ डाक्टर अंशकालिक आधार पर डेंटल कालेज में कार्य कर रहे हैं।

काला-आजार की रोकथाम संबंधी उपाय

800. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री संजय लाल :

श्री यदुनाथ पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काला-आजार के निवारण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1990 से देश में राज्य-वार कितने व्यक्ति काला-आजार से प्रभावित

हुए और इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा कितने व्यक्ति इलाज के बाद ठीक हो गए; और

(घ) सरकार ने उनके इलाज के लिए क्या कदम उठाए हैं और उस अवधि में राज्य-वार तथा माह-वार इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक (अनन्तिम) काला-आजार से प्रभावित व्यक्तियों और इससे हुई मौतों की संख्या नीचे दिए अनुसार :—

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1990 (अनन्तिम)		
		रोगी	मौतें	सूचित होने की तारीख
1.	असम	1 × ×	—	नवम्बर
2.	बिहार	54005	590	दिसम्बर
3.	दिल्ली	27 × ×	—	दिसम्बर
4.	महाराष्ट्र	6 × ×	—	दिसम्बर
5.	कर्नाटक	1 × ×	—	अगस्त
6.	तमिलनाडु	6 × ×	—	21 अगस्त
7.	उत्तर प्रदेश	8	1	दिसम्बर
8.	पश्चिम बंगाल	2917	16	नवम्बर
		56971	607	

टिप्पण : × × — 4 बिहार से मंगाए गए और अन्य जांच की जा रही है। उपचार किए गए व्यक्तियों की संख्या की सूचना संबंधित जिलों से प्राप्त नहीं हो रही है। तथापि मौजूदा पद्धति के अनुसार कालाआजार का पता लगाए गए/निदान किए गए सभी रोगियों को उपचार सुविधाएं दी जा रही हैं।

(घ) काला-आजार रोगियों को उपचार प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ब्लॉक तथा जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में किया जा रहा है। उपचार के प्रथम चरण के लिए आवश्यक औषधियां राज्यों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी जाती हैं और औषध-प्रतिरोधी (रेजिस्टेंट) रोगियों के लिए उपचार के द्वितीय चरण की औषधि पेंटामिडीन केन्द्र सरकार द्वारा खरीदी जाती है और राज्यों को सप्लाई कर दी जाती है। जिन रोगियों पर सोडियम एन्टिमनी ग्लुकोनेट द्वारा प्रथम चरण के उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें पेन्टामिडीन द्वारा उपचार के

ाए मेडिकल कालेजों और रेफरल अस्पतालों में भेज दिया जाता है। 1990-91 के दौरान केन्द्र रकार ने कालाआजार के नियन्त्रण के लिए बिहार राज्य को 2.5 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल ो 0.5 करोड़ रुपए राज्यों की सहमति से केन्द्र सरकार के 50 : 50 के हिस्से के आधार पर दिए ए। राज्यों द्वारा कालाआजार के नियन्त्रण के लिए अपने-अपने संसाधनों से इतनी ही धनराशि खर्च रना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार के हिस्से में से, वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार और पश्चिम गाल को औषधि (पेन्टामिडीन) नीचे दिए अनुसार सप्लाई की गई है :—

ाज्य	सप्लाई के दौरान पेंटामिडीन की मात्रा	सप्लाई की गई औषधि का मूल्य
हार	31560 वायल	56,80,800 रुपये
श्चिम बंगाल	200 वायल	36,000 रुपये

इसके अलावा छिड़काव करने के लिए अपेक्षित कीटनाशक भी राज्य सरकारों को सप्लाई किए ा रहे हैं।

राजस्थान में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

हिन्दी]

801. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ह :

(क) वर्ष 1990 और 1991 में माह-वार राजस्थान को उपलब्ध कराई गई विभिन्न निवार्य वस्तुओं की मांग, आवंटन तथा राज्य द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) नियत समय में अपेक्षित कोटे का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य को इन वस्तुओं के कोटे में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में खपत और पूर्ति की स्थिति क्या है; और

(ङ) चीनी का मूल्य नियमित करने और उसे स्थिर रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चार विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का आवंटन काफी अग्रिम में किया जाता है, ताकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवंटित मात्रा को उठा सकें। आयातित खाद्य तेलों के मामले में, सरकार के पास स्टाक न होने के कारण दिसम्बर, 1990 तथा जनवरी, 1991 में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन नहीं किया गया।

(ङ) और (च) चावल गेहूं तथा आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, केन्द्रीय पूल में मौजूद स्टाक, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा गत समय में उठाई गई मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान रखते हुए केन्द्रीय पूल से किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का आवंटन अनुपूरक समय का होता है और यह किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता है।

चीनी तथा मिट्टी के तेल के आवंटन का मापदण्ड संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) लेवी चीनी का मूल्य 1-9-1988 से 5.25 रु० प्रति कि० ग्रा० नियत किया गया है। खुली बिक्री की चीनी के मूल्य में भी मामूली-सी वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्ष 1990-91 में राजस्थान के लिए चावल और गेहूं की माहवार मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

(हजार मी० टनों में)

माह	मांग		आवंटन		उठाई गई मात्रा	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1990						
जनवरी	4·0	100.0	3.2	70.0	1.3	63.7
फरवरी	4.0	100.0	3.2	70.0	1.9	70.1
मार्च	4.0	100.0	3.2	70.0	1.8	57.5
अप्रैल	4.0	100.0	3.2	70.0	1.2	47.9
मई	4.0	70.0	3.2	70.0	1.6	34.4
जून	4.0	70.0	3.2	70.0	0.7	31.8
जुलाई	4.0	70.0	3.2	70.1*	0.1	48.8
अगस्त	4.0	70.0	3.2	70.0	1.0	53.5
सितम्बर	4.0	70.0	3.2	70.0	1.0	43.9
अक्तूबर	4.0	70.0	3.2	70.0	0.9	27.3
नवम्बर	4.0	70.0	3.2	70.0	1.0	42.0
दिसम्बर	4.0	70.0	3.2	70.0	0.8	50.2
1991						
जनवरी	4.0	70.0	3.2	70.0	1.3	83.7

* इसमें बाढ़-राहत के लिए 100 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

वर्ष 1990-91 में राजस्थान के लिए खाद्य तेलों की मांग, आवंटन और उठाई गई मात्रा

(मात्रा मी० टनों में)

माह		आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 90	—	200	शून्य
फरवरी	—	100	शून्य
मार्च	—	200	84
अप्रैल	—	300	55
मई	—	350	184
जून	—	350	240
जुलाई	—	750	345
अगस्त	—	1750	430
सितम्बर	—	1900	479
अक्तूबर	—	2600	657
नवम्बर,	—	1500	797
दिसम्बर	—	आवंटन नहीं किया गया	648
जनवरी, 91	—	आवंटन नहीं किया गया	80

नोट : तेल वर्ष 1989-90 (नवम्बर से अक्तूबर) के लिए खाद्य तेलों की 25000 मी० टन मात्रा की मांग की गई थी तथा तेल वर्ष 1990-91 के वास्ते अभी तक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 1990-91 में राजस्थान को मिट्टी के तेल का माहवार आवंटन

(संख्या मी० टनों में)

माह	नियमित आवंटन	तदर्थ आवंटन	कुल आवंटन	बिक्री
1	2	3	4	5
जनवरी 90	23980	200	24180	24547
फरवरी	24980	—	23980	24810
मार्च	20395	—	20395	21174
अप्रैल	20395	—	20395	20814

1	2	3	4	5
मई	20395	—	20395	20492
जून	20395	—	20395	21902
जुलाई	21118	2000	23118	22763
अगस्त	21118	—	21118	21131
सितम्बर	21118	—	21118	20403
अक्तूबर	21118	—	21118	20456
नवम्बर	24870	—	24870	23644
दिसम्बर	24618	—	24618	24346
जनवरी 91	24553	—	24553	—

नोट : मिट्टी के तेल का आवंटन पुराने आधार पर किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के तीन विभिन्न ब्लाकों में किए गए आवंटनों में उपयुक्त वृद्धि कर दी जाती है। नियमित आवंटनों के अलावा प्राकृतिक प्रकोपों जैसी अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए समय-समय पर तदर्थ आवंटन भी किए जाते हैं।

वर्ष 1990-91 में राजस्थान को सेवी चीनी का माहवार आवंटन

(हजार टनों में)

माह	आवंटन
1	2
जनवरी 1990	16.9
फरवरी	16·9
मार्च	16.9
अप्रैल	16.9
मई	16.9
जून	16.9
जुलाई	16.9
अगस्त	16.9
सितम्बर	19.5
अक्तूबर	19.5

1	2
नवम्बर	16.9
दिसम्बर	16·9
जनवरी, 1991	16.9

नोट : लेवी चीनी का आवंटन 1-10-86 को अनुमानित आबादी के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर किया जाता है ।

कमजोर वर्ग के लोगों को डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ

802. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में गंदी बस्तियों, गांवों, गरीब लोगों, किसानों, श्रमिकों आदि को सस्ती दरों पर डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) खाद्य प्रसंकरण उद्योग मन्त्रालय ने इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रुग्ण और बन्द कपड़ा मिलें

[अनुवाद]

803. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री आर० गुंडू राव :

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

श्री गुलाब चन्द कटारिया

श्री वामनराव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण और बन्द पड़े कपड़ा मिलों के नामों और उनके स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार का इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्म देव नारायण यादव) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) केन्द्रीय रूप से यह जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(ग) सरकार ने अर्थक्षम पाई जाने वाली बंद पड़ीं/रुग्ण वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए पैकेज तैयार करने के लिए एकक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिए निवारक, सुधारक और उपचारी उपाय निर्धारित करने और लागू करने के लिए एक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की भी स्थापना की है। कमजोर परन्तु अर्थक्षम एककों को रियायती दर पर विशेष ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। तथापि, गैर-अर्थक्षम एककों को स्थायी रूप से बन्द होना पड़ेगा।

विवरण

31-12-1990 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी सूती/गाडन फाइबर वस्त्र मिलों की सूची

क्रम सं०	मिल का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	श्री रामचन्द्र स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, पोंडलापका
2.	श्री श्रीनिवास स्पिनिंग मिल्स, चित्तूर
3.	श्री कल्याण श्रीनिवास टेक्सटाइल प्रा० लिमिटेड, चन्द्र गिरि
4.	आंध्र काटन मिल्स लिमिटेड, प्रोदत्तुर
5.	श्री श्रीनिवास स्पिनिंग मिल्स प्रा० लिमिटेड, पाडलस, आंध्र प्रदेश
6.	सर्वराय टेक्सटाइल्स लिमिटेड, विजयानगरम
7.	डी० वी० राम गोपाल मिल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद
बिहार	
8.	बिहार काटन मिल्स, फुलवाड़ीशरीफ
गुजरात	
9.	दी फाइन निटिंग कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
10.	गुजरात स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
11.	स्टार आफ गुजरात टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
12.	गांधीधाम स्पिनिंग मैनिफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, आदिपुर कच्छ
13.	श्री मांडवी स्पिनिंग मिल्स, मांडवी
14.	मानकचौक एण्ड अहमदाबाद मैनूफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
15.	मार्सडन स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, अहमदाबाद

1	2
16.	भलाकिया मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
17.	तरुण कार्मशियल मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
18.	अहमदाबाद काटन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, नं० 1 (बगीचा मिल्स), अहमदाबाद
19.	अभय मिल्स, अहमदाबाद
20.	आर्योदय स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
21.	प्रसाद मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
22.	श्री बंसीधर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
23.	श्री विवेकानन्द मिल्स लिमिटेड
24.	कार्मशियल अहमदाबाद मिल्स कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
25.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लिमिटेड, नं० 1, अहमदाबाद
26.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लिमिटेड, नं० 2, अहमदाबाद
27.	ओमेक्स इंवेस्टर्स लिमिटेड, अहमदाबाद
28.	भारत सूर्योदय मिल्स, अहमदाबाद
29.	अहमदाबाद जुबली मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद (अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एंड केमिको कं० लिमिटेड, नं० 2)
30.	अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
31.	आर्योदय गिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
32.	अजीत मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
33.	विजय मिल्स कं० लिमिटेड, अहमदाबाद
34.	श्री अमृत मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
35.	महाराणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड. पोरबन्दर
36.	नवज्योत मिल्स लिमिटेड, कड़ी
37.	गायकवाड़ मिल्स लिमिटेड, बिल्लीमोर
38.	नवजीवन मिल्स लिमिटेड, कलोल
39.	पी० जी० टेक्सटाइल मिल्स, बड़ौदा
40.	कलोल मिल्स लिमिटेड, कलोल
41.	श्री यमुना मिल्स लिमिटड, बड़ोदरा

1	2
हरियाणा	
42.	उषा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, फरीदाबाद
43.	हिसार टेक्सटाइल्स मिल्स, हिसार
कर्नाटक	
44.	श्री कृष्णराजेन्द्र मिल्स लिमिटेड, मैसूर
45.	टी० आर० मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, कामराजपथ, बंगलौर
46.	श्री शंकर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, देवनगिरि
47.	वेलारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं०, वेलारी
48.	चिगतरी मिल्स देवनगिरि
49.	वीजापुर को-आप० स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, वीजापुर
50.	दि को-ओप० स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, रायगढ़
51.	वगलकोट को-आप० स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, वगलकोट
मध्य प्रदेश	
52.	होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड, यूनिट नं० 1 इन्दौर
53.	होप टेक्सटाइल लिमिटेड, यूनिट नं० 2, इन्दौर (राजबहादुर कन्हैयालाल भंडारी मिल्स)
महाराष्ट्र	
54.	मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	ब्राडबुरी मिल्स लिमिटेड, मुम्बई
56.	स्वान मिल्स लिमिटेड, मुम्बई-70 (यूनिट—करला स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स)
57.	रघुवंशी मिल्स लिमिटेड, मुम्बई
58.	श्रीनिवास काटन मिल्स, लिमिटेड, मुम्बई
59.	न्यू ग्रेट इस्टर्न स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लिमिटेड, मुम्बई
60.	कमला मिल्स लिमिटेड, मुम्बई
61.	माडर्न मिल्स लिमिटेड, मुम्बई
62.	खानदेश स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, खानदेश

1	2
63.	राजन (टेक्सटाइल्स) मिल्स लिमिटेड,
64.	लोकमान्य मिल्स लिमिटेड, वारसी
65.	न्यू रवि स्पिनिंग एंड मेनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, अंकलेश्वर
तान	
66.	जयपुर स्पिनिंग एंड मेनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, जयपुर
67.	सुदर्शन टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, कोटा
68.	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर
69.	कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर
नाडु	
70.	वसन्त मिल्स लिमिटेड
71.	राधाकृष्णा मिल्स लिमिटेड, कोयम्बतूर
72.	मेत्तुर टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मेत्तुर, सलेम
73.	जयलक्ष्मी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर
74.	के० जी० एस० स्पिनर्स, कोयम्बतूर
75.	मधु स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर
76.	दि नरसिम्हा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर
77.	दि सूर्या स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर
78.	मेक इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कोयम्बतूर
79.	श्री कोतान्द्रम स्पिनिंग मिल्स, मदुरै
80.	प्रभु स्पिनिंग मिल्स, धारापुरम
81.	शिवमणि स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, धर्मपुरी
82.	कावेरी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुडकोटई
83.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल, लिमिटेड, मदुरै
84.	श्री बालकृष्ण स्पिनर्स (प्रा०) लिमिटेड, सलेम
85.	गोल्डन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, सलेम
86.	पूनकोडी टेक्सटाइल्स, कुमारपालयम
87.	एम० कमलम डाइन काटन मिल्स, चेंगलपेट
88.	लक्ष्मी सरस्वती काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुचेंगोड

1	2
उत्तर प्रदेश	
89.	मदन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हस्तीनापुर
90.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कं० लिमिटेड, अकबरपुर
91.	मार्डन स्पिनर्स लिमिटेड, मोदीनगर
92.	विशाल सिंटेक्स लिमिटेड, मोदीनगर
93.	मयूर सिंटेक्स लिमिटेड, बुलन्दशहर
94.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मऊनाथभंजन
95.	जे० के० मैनुफेक्चर्स लिमिटेड, कानपुर
96.	जे० के० काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लिमिटेड, कानपुर
पश्चिमी बंगाल	
97.	इंडिया लिनोलियम लिमिटेड, (विक्टोरिया डिवीजन) घुसुरी, हावड़ा
98.	बंगोदय काटन मिल्स, परगना पो० ओ० पानीहटी
99.	मोहिनी मिल लिमिटेड, बेलघारिया, कलकत्ता
100.	दुनवार मिल्स लिमिटेड, श्याम नगर, 24 परगना
101.	स्वान मिल्स (बसंती काटन मिल लिमिटेड), पानीहटी, 24 परगना
102.	बोरीह काटन मिल्स कं० लिमिटेड, बौरिया, हावड़ा
दिल्ली	
103.	दिल्ली क्लाथ मिल्स, दिल्ली

दिसम्बर 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार गैर-लघु उद्योग रुग्ण एककों की सूची

1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र कॉटन मिल्स लिमिटेड
2.	दक्षिण फैब्रिक्स लिमिटेड

1	2
3.	ए० पी० रेयनस लिमिटेड
4.	हेमलता टेक्सटाइल्स
5.	वेंकटाचलपति मिल्स लिमिटेड
6.	भाग्यनगर सिल्क मिल्स लिमिटेड
बिहार	
7.	दुमरान टेक्सटाइल्स लिमिटेड
8.	बिहार वूलन फैब्रिक्स लिमिटेड
9.	बिहार काटन मिल्स लिमिटेड
चंडीगढ़	
10.	लेदरवन कंपनी (प्रा०) लिमिटेड
11.	अंगोरा स्पिनर्स (प्रा०) लिमिटेड
दिल्ली	
12.	डायर इन्टरनेशनल प्रा० लिमिटेड
13.	अजंता टेक्टाइल्स लिमिटेड
14.	राधिका वूलन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड
गुजरात	
15.	अरोदया स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
16.	अरोदया गिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
17.	भारत सुर्योदया मिल्स लिमिटेड
18.	कॉमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कंपनी लिमिटेड
19.	श्री बंसीधर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
20.	नवज्योत मिल्स लिमिटेड
21.	कलोल मिल्स लिमिटेड
22.	अहमदाबाद जुबली मिल्स
23.	ओमैक्स इन्वेस्टर्स लिमिटेड
24.	फरफूरल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा० लिमिटेड
25.	कमला मिल्स

1	2
26.	हुर्षिसिंग मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
27.	हंसपा निट (प्रा०) लिमिटेड
28.	मोहन कारपेट्स (इण्डिया) लिमिटेड
29.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लिमिटेड
30.	मेघदूत डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड
31.	न्यूमर लिमिटेड
32.	प्रसाद मिल्स
33.	राज प्रकाश स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
34.	वनिया सिल्क मिल्स प्रा० लिमिटेड
35.	नागरी मिल्स कम्पनी लिमिटेड
36.	के० के० इन्टरलाइनिंग प्रा० लिमिटेड
37.	ग्लेमर डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड
38.	नवजीवन मिल्स लिमिटेड
39.	यमुना मिल्स कम्पनी लिमिटेड
40.	पी० टी० टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड
41.	बड़ौदा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड
42.	भरोच टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड
43.	जे० आर० बखारिया एंड संस प्रा० लिमिटेड
44.	पृथ्वी काटन मिल्स लिमिटेड
45.	पदमनी टेक्सटाइम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
46.	यूनिवर्सल सिंथेटिक्स
47.	घन्नामल सिल्क मिल्स प्रा० लिमिटेड
48.	रीटा टेक्सटाइल्स प्रा० लिमिटेड
49.	नीरंजन मिल्स लिमिटेड
50.	वेनिसन्स
51.	अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
52.	अहमदाबाद श्री रामकृष्णा मिल्स लिमिटेड

1	2
53.	गायकवाड़ मिल्स लिमिटेड
54.	गीता फैब्रिक्स प्रा० लिमिटेड
55.	श्री विवेकानन्द मिल्स लिमिटेड
56.	स्टार ऑफ गुजरात टेक्साइल मिल्स लिमिटेड
57.	विजया मिल्स कम्पनी लिमिटेड
58.	पटेल मिल्स कम्पनी लिमिटेड
59.	डायमंड टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लिमिटेड
60.	मनसुखराम टेक्सटाइल्स प्रा० लिमिटेड
61.	रोहित मिल्स लिमिटेड
62.	रुस्तम मिल्स एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
63.	शुभ सागर काटन मिल्स लिमिटेड
64.	जगदीश प्रोसैससं प्रा० लिमिटेड
65.	अनंत मिल्स लिमिटेड
66.	श्री बन्सीधर प्रा० लिमिटेड
67.	अरुना मिल्स लिमिटेड
68.	कांटीनेन्टल टेक्सटाइल्स मिल्स
69.	महाराना मिल्स लिमिटेड
70.	गांधीधाम स्पिनिंग एंड मैन्फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
71.	श्री मांदवी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
हरियाणा	
72.	रोहतक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
73.	जी० टी० एम० सिन्थेटिक्स लिमिटेड
74.	तिरुपति वूलन मिल्स लिमिटेड
75.	रामा फैब्रिक्स लिमिटेड
76.	एलसन काटन मिल्स लिमिटेड
77.	उषा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
78.	आनंद सिंथेटिक्स प्रा० लिमिटेड
79.	उमेश सिंथेटिक्स एंड कम्बर्स प्रा० लिमिटेड

1	2
केरल	
80.	त्रावनकोर रेयनस लिमिटेड
81.	कथायी काटन मिल्स लिमिटेड
82.	त्रचूर काटन मिल्स लिमिटेड
83.	कुन्नाथारा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
84.	कालीकट माडर्न स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
85.	थिरुवेपथी मिल्स प्रा० लिमिटेड
कर्नाटक	
86.	श्री सिद्धेश्वरा टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लिमिटेड
87.	श्री गनेसर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
88.	फारचून काटन मिल्स (प्रा०) लिमिटेड
89.	नन्दी हुसबी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
90.	राजा सिल्क हाउस प्रा० लिमिटेड
91.	विवेक टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड
92.	कर्नाटका वूलनस लिमिटेड
93.	श्रीकृष्णा राजेंद्रा मिल्स लिमिटेड
94.	डनफोर्ड इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीयल (प्रा०) लिमिटेड
95.	सपन सिल्क (आई) लिमिटेड
96.	तुंगभद्रा फैब्रिक्स लिमिटेड
97.	गोग्टे टेक्सटाइल लिमिटेड
98.	देवनगिरि काटन मिल्स लिमिटेड
महाराष्ट्र	
99.	ब्राडबुरी मिल्स लि०
100.	बम्बई वूलन मिल्स लि०
101.	एलोरा सिल्क मिल्स प्रा० लि०
102.	फेन्सी कारपोरेशन लि०
103.	जेस्मीन मिल्स प्रा० लि०
104.	श्रीराम मिल्स लि०

1	2
105.	श्री शक्ति मिल्स लि०
106.	स्वान मिल्स लि०
107.	पोद्दार सिल्क एंड सिंथेटिक्स लि०
108.	साधना टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लि०
109.	स्ट्रेच फाइबर (इंडिया) लि०
110.	श्री कृष्णा वूलन मिल्स (प्रा०) लि०
111.	राधाकृष्णा रामनारायण लि०
112.	वूलन एंड टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०
113.	नीर फैरिक्स लि०
114.	इन्डी वेलवेट सिल्क मिल्स प्रा० लि०
115.	ओरियन्टल वूलन टेक्सटाइल्स मिल्स प्रा० लि०
116.	केडल वीविंग मिल्स कम्पनी लि०
117.	इलकोन सिंथटिक्स
118.	एस० बी० टेक्सटाइल्स
119.	कर्मचन्द तुलसी दास
120	कमला मिल्स लि०
121.	एल० डी० टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज लि०
122.	मार्डन मिल्स लि०
123.	नेशनल रियन कारपोरेशन लि०
124.	न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लि०
125.	निरलोन सिंथेटिक फाइबर्स एंड केमिकल लि०
126.	न्यू इण्डिया रेयन मिल्स कंपनी लि०
127.	फोइनिक्स मिल्स लि०
128.	राजा बहादुर मोती लाल पूना मिल्स
129.	रघुवंशी मिल्स लि०
130.	पुनम वूलन मिल्स लि०
131.	प्रीमियर सिंथेटिक्स प्रोसेसरस लि०
132.	श्रीनिवास काटन मिल्स लि०

1	2
133.	स्कोर्टेक्स (प्रा०) लि०
134.	टेरिटैक्स निटिंग इन्डस्ट्रीज
135.	विशनु निटिंग इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०
136.	विपन सिल्क मिल्स
137	महाराजा फाइबर्स एंड फिलामेंट प्रा० लि०
138.	शराफ टेक्सटाइल्स लि०
139.	खटाऊ मानकजी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लि०
140.	नवश्री काटन एंड सिल्क मिल्स लि०
141.	किश्को मिल्स लि०
142.	खन्ना सिल्क मिल्स प्रा० लि०
143.	बम्बई फाइन वर्सटेड मेनुफैक्चर्स
144.	ख्व वूलन मिल्स लि०
145.	सेठ इन्डस्ट्रीज लि०
146.	लवीनो कपूर काटन्स लि०
147.	एस० के० डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स
148.	मोडेला टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०
149.	रमेश अग्रवाल डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्रा० लि०
150.	शिव सिल्क मिल्स
151.	टेक्स-किंग सिंथेटिक्स प्रोसेसर्स प्रा० लि०
152.	इमराल्ड वूलन मिल्स (प्रा०) लि०
153.	राजन टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०
154.	लोकमणि मिल्स बर्शी लि०
155.	लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल
156.	माधवनगर काटन मिल्स लि०
157.	मराठे टैक्सटाइल मिल्स
158.	विनय काटन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०
159.	खानदेश स्पिनिंग वीविंग मिल्स लि०

1	2
गोआ	
160.	गोआ टेक्सटाइल्स लि०
मध्य प्रदेश	
161.	देवास सिंथेटिक्स (प्रा०) लि०
162.	हुकुमचन्द मिल्स लि०
163.	होप टेक्सटाइल्स
164.	राजकुमार मिल्स प्रा० लि०
165.	पोलीपिक प्रा० लि०
166.	श्री सज्जन मिल्स लि०
167.	विनोद मिल्स कं० लि०
168.	बिलासपुर स्पि० मिल्स एंड इण्डस्ट्रीज
उड़ीसा	
169.	उड़ीसा टेक्सटाइल्स एंड स्टील लि०
पंजाब	
170.	फाइन स्पि० एंड वी० मिल्स लि०
171.	के० एन० ओ० वुलन मिल्स
172.	कपिला वर्सटेड स्पि० एंड वी० मिल्स लि०
173.	एम० एच० वूलन मिल्स
174.	पंजाब वूलन
राजस्थान	
175.	जयपुर स्पि० एंड वी० मिल्म लि०
176.	सिद्धा सिनटेक्स लि०
177.	कृष्णा मिल्स लि०
178.	पोद्दार स्पि० मिल्स लि०
179.	राजस्थान वूलटेक्स लि०
180.	अजय पेपर मिल्स लि०
181.	सराफ सिंथेटिक्स (राज०) लि०
182.	विकास वूलन मिल्स (प्रा०) लि०

1	2
183.	भीलवाड़ा वूलटेक्स लि०
184.	मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लि०
185.	जोधपुर वूलन लि०
186.	सुमन सिंथेटिक्स लि०
187.	परफेक्ट थ्रेड मिल्स लि०
188.	सागर स्पि० मिल्स लि०
189.	बांसवाड़ा टेक्सटाइल मिल्स लि०
190.	बांसवाड़ा फेब्रिक्स लि०
तमिलनाडु	
191.	बिन्नी लि०
192.	कावेरी स्पि० एंड वी० मिल्स लि०
193.	लक्ष्मी शनमुगा स्पि० मिल्स लि०
194.	कांची प्रिंट्स प्रा० लि०
195.	वीरराघव टेक्सटाइल लि०
196.	मीटर टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि०
197.	शिवमणि स्पि० मिल्स लि०
198.	श्री जनार्धन मिल्स लि०
199.	श्री रामलिंगा चोदमबिकई मिल्स लि०
200.	वसंत मिल्स लि०
201.	भवानी मिल्स लि०
202.	मधु स्पि० एंड वी० मिल्स (प्रा०) लि०
203.	राधाकृष्णा मिल्स लि०
204.	रवीन्द्र मिल्स लि०
205.	श्री हरी मिल्स (प्रा०) लि०
206.	सुजमि टेक्सटाइल (प्रा०) लि०
207.	मुथुलक्ष्मी मिल्स (प्रा०) लि०
208.	रुकमणि काटन एंड स्पि० मिल्स
209.	तिरोर काटन स्पि० एंड वी० मिल्स लि०

1	2
210.	सिम्नामणि स्पि० मिल्स लि०
211.	रुक्मणि मिल्स लि०
212.	पारामाउंट टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०
213.	महालक्ष्मी मिल्स लि०
214.	श्री नदीआम्बल टेक्सटाइल मिल्स लि०
उत्तर प्रदेश	
215.	मदन इंडस्ट्रीज लि०
216.	मयूर सिनटेक्स लि०
217.	विशाल सिनटेक्स लि०
218.	मोदी थ्रेड्स लि०
219.	मार्डन स्पिनर्स लि०
220.	उपासना टेक्सराइल्स लि०
221.	मोदी स्पि० एंड वी० मिल्स कं० लि०
222.	मोदी कार्पेट्स लि०
223.	अमिताभ टेक्सटाइल्स लि०
पश्चिम बंगाल	
224.	बंगाल नेशनल टेक्सटाइल मिल्स लि०
225.	दुनबार मिल्स लि०
226.	इण्डिया जूट एंड इण्डस्ट्रीज लि०
227.	श्री मेनु० कं० लि०
228.	विनार लि०
229.	आर्टवर्क एक्सपोर्ट लि०
230.	कलकत्ता सिल्क मेनु० कं० लि०
231.	इण्डियन फाइबर्स लि०
232.	जतिया काटन मिल्स लि०
233.	धकेश्वरी काटन मिल्स लि०
234.	बंगोदय काटन मिल्स लि०
235.	श्रीदुर्गा काटन स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०
236.	सिल्वर फाइबर मिल्स (प्रा०) लि०
237.	मयूराक्षी काटन मिल्स लि०

झुग्गी झोंपड़ी शिविरों का सर्वेक्षण

804. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन द्वारा 1 दिसम्बर, 1990 से 31 जनवरी, 1991 की अवधि के बीच झुग्गी झोंपड़ियों का सर्वेक्षण करा कर उन्हें "सर्वे नंबर" दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन शिविरों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक शिविर/क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध की जाएंगी;

(च) इन सुविधाओं के लिए प्रत्येक शिविर में उपरोक्त अवधि में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(छ) वर्ष 1991 से 1993 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री बौलत राम सारण) : (क) से (छ) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे पेय जल, परिधीय पथ प्रकाश पोल, भुगतान तथा उपयोग जन सुविधा परिसर जिसमें शौचालय तथा स्नानागार, चल शौचालय गाड़ियां, डलाव/कूड़ा करकट एकत्र करने के लिए, कूड़ा-दान गलियों में ईंटों के खड़न्जे शामिल हैं, उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिसम्बर, 1989 में जनवरी, 1991 तक इन सुविधाओं के प्रावधान पर 13.53 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। 1991-92 से 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है तथा 1992-93 के लिए आयोजनों प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना निरंतर चल रही है तथा उसका उत्तरोत्तर कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा सभी झुग्गी समूहो को लाभान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षणों की संख्या नहीं दी गई है। तथापि, झुग्गी निवासियों को राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ दिल्ली प्रशासन ने एक सर्वेक्षण किया है।

राजस्थान की पेय जल योजना

805. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को वित्त वर्ष 1991-1992 में कार्यान्वित किए जाने के लिए कोई पेयजल योजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी योजना है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन से लोगों के कहां तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बौलत राम सारण) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर तथा अलवर में जल आपूर्ति तथा मल व्ययन सुविधाओं की वृद्धि के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु 514.60 करोड़ रुपये की अनुमानित

लागत के आरंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वार्षिक स्थिति तथा योजना साधनों की वचनबद्धता के साथ परियोजना प्रस्ताव संशोधित करें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का मकान बनाने का लक्ष्य

806. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आठवीं योजना के अन्त तक विभिन्न श्रेणी के कितने मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) इन मकानों के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बहुत अन्तर है, जिसके कारण पंजीकृत आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पंजीकृत आवेदकों को मकान देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के योजना के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1,20,000 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) इन फ्लैटों के निर्माण के लिए द्वारका फेज-I, द्वारका फेज-II, रोहणी फेज-I, II, III, IV तथा V, नरेला फेज I, II एवं III, जसोला, धीरपुर और दिल्ली की अन्य कालोनियों में बाकी अन्य पाकेटों में क्षेत्र सुनिश्चित किए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का पिछला बकाया मुख्य रूप से भूमि की कमी तथा मूलभूत संरचनात्मक सेवाओं की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने आवासीय भवनों में वृद्धि संबंधी तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने तथा पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित करने हेतु एक योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया।

चीनी का खराब होना

808. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदामों में खराब हुई चीनी की मात्रा का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में (प्रति वर्ष के हिसाब से) और चालू वर्ष का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चीनी को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने रिपोर्ट दी है कि चीनी की निम्नलिखित मात्रा खराब पाई गई थी :—

(आंकड़े मी० टन में)

वित्त वर्ष	देसी चीनी	आयातित चीनी
1987-88	1958	542
1988-89	371	186
1989-90	1843	329
1990-91 (अनंतिम) (4/90 से 12/90)	731	672

(ग) भारतीय खाद्य निगम चीनी के स्टॉक के उचित रख-रखाव के लिए पैकिंग, हैंडलिंग, गोदाम की आवश्यकताओं, रक्षि-सामग्री, हाइजीन और बोरों के ढेर लगाने आदि से संबंधित हिदायतों का अनुपालन करता है। तथापि चीनी की प्रकृति आद्रर्ता-अवशोषी होने कारण काफी सावधानियां बरतने के बावजूद भी यह लाने ले जाने में तथा लंबी अवधि तक भंडारण करने विशेषतया मानसून और उच्च आद्रर्ता क्षेत्रों/अंचलों में इसके स्टॉक खराब हो जाते हैं।

कामगारों को वेतन मान और अन्य सुविधायें

[हिन्दी]

809. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० (सरकारी उपक्रम) कानपुर में सरकारी नियमों के अनुसार सेवा शर्तें, वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि, नही तो कब तक ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) कानपुर के वस्त्र कामगारों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों तथा एन०ई०डब्ल्यू०एच० शाखा, धारीवाल (पंजाब) के वस्त्र कामगारों के सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेशों के अनुसार कामगारों की उद्योग-सह-क्षेत्र के आधार पर वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

दूसरे अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण

[अनुवाद]

810. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा मार्च, 1988 में निजामुद्दीन (हुमायूं का मकबरा) के पास दूसरे अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना की प्रगति धीमी है, यदि हां, तो सरकार इसमें तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस परियोजना की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि निजामुद्दीन के समीप 32.27 एकड़ के एक भूखंड पर एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि खरीद ली गई है तथा यातायात आवागमन और वाहनों को पार्क करने के लिए वैचारिक योजना परामर्शदाता द्वारा तैयार कर ली गयी है मिट्टी भरने का कार्य प्रगति पर है तथा दो तरफ चाहर दिवारी का निर्माण कर लिया गया है। सम्बन्धित अभिकरणों/विभागों से मंजूरी की शर्त पर यह परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण हो जाने की संभावना हैं।

पंजाब में कपास की खरीद

811. **श्री कमल चौधरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा गत एक वर्ष के दौरान पंजाब से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कपास खरीदा गया; और

(ख) भारतीय कपास निगम द्वारा चालू वर्ष के लिए कपास की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1989-90 के कपास मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम लि०, ने पंजाब से 116.05 करोड़ रु० मूल्य की कपास की लगभग 2.86 लाख गांठों की खरीद की।

(ख) वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के आरंभ में सी०सी०आई० ने वाणिज्यिक आधार पर पंजाब से कपास की 2.25 लाख गांठों की खरीदारी करने का कार्यक्रम बनाया था।

पंजाब में मलिन बस्ती क्षेत्रों का विकास

812. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में मलिन बस्ती क्षेत्रों के विकास की तत्काल आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पंजाब में इस बारे में इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) पंजाब में मलिन बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार के लिए यदि कोई योजना प्रस्तावित हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) "शहरी विकास" राज्य का विषय है तथा मलिन बस्ती उन्मूलन/सुधार की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत "शहरी मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार" नामक मलिन बस्ती सुधार हेतु एक योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लागत पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सामुदायिक स्नानागार तथा शौचालय, गलियों को चौड़ा करना तथा खड़न्जे लगाना एवं पथ-प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं शहरी मलिन बस्तियों में उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत 99.8 लाख स्लम निवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। वर्ष 1990-91 के लिए इस योजना हेतु 165 लाख रुपये का परिव्यय है। यह राज्य पेयजल, मल-व्ययन, पथ-प्रकाश की व्यवस्था के बारे में बस्तियों के सुधार हेतु पांच बड़े कस्बों में 2.3 लाख की मलिन बस्ती जनसंख्या के लिए 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से पंजाब शहरी नवीकरण परियोजना को भी क्रियान्वित कर रहा है। राज्य, केन्द्रीय सहायता के साथ निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना को भी शहरी मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना के अनुरूप क्रियान्वित कर रहा है। निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत 39 लाख रुपये के कुल आवंटन में से 29.5 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ) 1991-92 के दौरान उपर्युक्त मलिन बस्ती सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2 लाख अतिरिक्त जनसंख्या को शामिल करने की संभावना है।

दिल्ली और पंजाब में प्रशीतन केन्द्र

813. **श्री कमल चौधरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और पंजाब में कुछ प्रशीतन केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास इसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न खतरे

814. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेन्टिक्लोरोफिनाइल (पी० सी० पी०) और लिण्डेन जैसे कीटनाशकों का लकड़ी की सुरक्षा के लिए प्रयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कीटनाशकों का पंजीकरण

कृषि मन्त्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ने सूचित किया है कि कीटनाशकों का आयत, विनिर्माण और उपयोग कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अधीन विनियमित किया जाता है। पंजीकरण समिति नामक एक समिति का गठन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, जो इन कीटनाशकों को इनकी गुणकारिता के बारे में तथा मनुष्यों और पशुओं के प्रति इनकी निरापदता के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पंजीकृत करती है। इस समिति द्वारा, लकड़ी के परिरक्षण के लिए नहीं, बल्कि कृषि प्रयोजनों के लिए पेंटाक्लोरोफेनोल (पी. सी. पी.) और लिंडेन, पंजीकृत किया गया है।

पेंटाक्लोरोफेनोल (पी. सी. पी.)

यद्यपि (पी. सी. पी.) में लकड़ी का परिरक्षण, फफूंदी से सुरक्षा, दीमक अथवा भृंग-आक्रमण से होने वाले नुकसान को रोकने के गुण हैं, तथापि भारत में गैर-कृषि क्षेत्रों में डिकॉट और मोनो-कॉट वीड्ड के नियंत्रण के लिए शाकनाशी के रूप में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन इसको तकनीक और 12.5% योज पंजीकृत हैं। एक संपर्कशील गैर चयनात्मक शाकनाशक के रूप में कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग अनुमोदित नहीं किया गया है।

पी. सी. पी. अत्यधिक विषैला होता है भले ही इसके मार्ग, लम्बाई और प्रकोप की अवधि कुछ भी क्यों न हो (पी. सी. पी-) के भिन्न-भिन्न विलेयकों, माध्यमों और ग्रेडों के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के लिए गंभीर मुखीय एल. डी. 50 मिलि० ग्राम/कि० ग्रा० के बीच होती है। सीमित प्रमाणों से पता चलता है कि पी. सी. पी. के प्रकोप का अत्यधिक खतरनाक मार्ग वायु के माध्यम से है। यह त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में जलन उत्पन्न करता है। चूहों में प्राणघातक खुराक देने से सांस का फूलना, तापमान में बढ़ोत्तरी, कंपकपी, बात कर पाने में कठिनाई, सांस का रुकना और हृदय गति का रुकना पाया गया।

काफी सघन मात्रा में (पी. सी. पी.) का विषैला असर गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। यह चुहियों, चूहों, चूजों तथा पशुओं के प्रति इम्यूनोटाक्सिक पाया गया है। इसे चूहों के प्रति कैंसरजनक नहीं पाया गया और न ही कम से कम एक कैंसरजनक संदूषण मौजूद होने के कारण अत्यधिक म्यूटाजेनिक ही पाया गया है।

प्रयोगशाला पशुओं में कैंसर के लिए तकनीकी पी. सी. पी. को कैंसरजनक बताया गया है। मनुष्य पर पी. सी. पी. के प्रभाव का स्वरूप वही है जो प्रयोगाधीन जन्तुओं में पाया जाता है। व्यावसायिक और प्रकोप खटनाओं से त्वचा पर ददोरे, श्वसन रोग, तंत्रिका संबंधी परिवर्तन, सिर दर्द, जी मिचलाना आदि खतरों को प्रलेखित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन के 1990 के प्रकाशन के अनुसार इस रसायन पदार्थ पर चीन, स्वीडन, न्यूजीलैंड आदि समेत 15 देशों में प्रतिबन्ध/रोक लगाई गई है। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर कृषि मन्त्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस रासायनिक पदार्थ के प्रयोग की पुनरीक्षा की है जिसे सरकार को प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

लिन्डेन

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गन्ना व चावल के लिए लिन्डेन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। पशु चिकित्सा और वन-विज्ञान में इसका इस्तेमाल सीमित है। लिन्डेन को 85—225 मिग्रा०/किग्रा० के ओरल एल. डी. 50 और 909—1000 मिग्रा०/किग्रा० के बीच एक्यूट डर्मल, एल. डी. 50 के साथ साधारण रूप से खतरनाक माना गया है। चूहों पर किए गए आहार संबंधी दीर्घकालीन अध्ययनों से पता चला कि 50 पी. पी. एम. (2.5 मिग्रा०/किग्रा०/दैनिक) पर प्रभाव का स्तर नगण्य था। यदि अन्य क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बन कीटनाशकों के साथ तुलना करें तो यह प्रभावहीन स्तर लिन्डेन में अधिक होता है। आई. ए. आर. सी. ने 1971 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से लिन्डेन के संबंध में सुरक्षा, विरूपता और उत्परिवर्तजनन के अलावा सभी आंकड़ों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि चूहे में लिन्डेन से कैंसर होता है। वास्तव में चूहों में उनके पूरे जीवन के दौरान 100 पी. पी. एम. तक लिन्डेन देने पर ट्यूमर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं देखी गई। चूहे में लिन्डेन की अधिक मात्रा की खुराक से जिगर के ट्यूमर बनना देखा गया है। लिन्डेन के साथ किए गए अध्ययनों से निष्कर्षतः यह साबित होता है कि यह जीनो-टाक्सिक नहीं है और इस प्रकार यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि लिन्डेन कैंसरजनक है। तथापि, ए. एस. ई. पी. ए. द्वारा इसकी आगे और जांच होने तक लिन्डेन को संभावित कैंसरजनक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. ए. आर. सी.) ने लिन्डेन को मानव में कैंसरजनक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है जब कि यू. एस. ई. पी. ए. के. मूल्यांकन के अनुसार पशु अध्ययनों (चूहों) में केवल सीमित प्रमाण का पाया जाना स्वीकार किया गया है तथा कैंसरजनकता के प्रमाण के रूप में कोई मानव संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकाशन से पता चलता है कि इस रसायन पर कनाडा, मेक्सिको, केन्या, अर्जेन्टीना, स्विटजरलैंड, थाईलैंड और अमेरिका सहित बहुत देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है। तथापि, लिन्डेन की यू. एस. पर्यावरणिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा विशेष जांच की जा रही है।

उपर्युक्त को देखते हुए इस रसायन के इस्तेमाल की समीक्षा डा० श्री एस० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में स्थापित की गई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है और इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ वेतनमानों का न दिया जाना

815. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों को, प्राइमरी अध्यापकों को देय सामान्य वेतनमान और अध्यापन भत्ते ही दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सामान्य वेतनमान में 12 वर्ष पूरे करने के बाद भी वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, नहीं। प्रयोगशाला सहायकों को 100 रुपए प्रति माह के शिक्षण भत्ते सहित रु० 1200-30-1560-ई० बी०-40-2040 का वेतनमान दिया जाता है। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को वेतममान-1200-30-1380-ई० बी०-30-1560-ई० बी०-40-1800 ई० बी-40-2040 रु० और वरिष्ठ वेतनमान (12 वर्ष बाद) 100 रुपया प्रति माह शिक्षण भत्ते सहित रु० 1400-40-1600-50-1650-ई० बी०-50-1950 ई० बी०-50-2250-ई० बी०-50-2300-60-2600 है।

(ख) प्रयोगशाला सहायकों के लिए कोई वरिष्ठ वेतनमान नहीं हैं।

भारत के बाहर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधी मानदंड

816. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने से संबंधित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने देश में ही केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार करते हुए निम्नलिखित मानक अपनाए हैं :

निशुल्क या नाम मात्र लागत पर पन्द्रह एकड़ भूमि।

जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपना स्वयं का भवन बनाने में समर्थ हो पाए तब तक केन्द्रीय विद्यालय को चलाने के लिए अस्थायी प्रबंध। जहां स्कूलों से उचित दूरी में वकल्पिक सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां कम से कम 50% स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई पृथक मानदंड नहीं है। किन्तु विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों पर शिक्षण और आवासीय सुविधाएं तथा छात्रों की उपलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अदालती आदेशों के तहत सेवा में बहाल किए गए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (दिल्ली क्षेत्र) के अध्यापक

817. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालन संगठन (दिल्ली क्षेत्र) के जिन अध्यापकों की सेवाएं 1985 में

समाप्त कर दी गई थीं और जिन्हें फिर अदालती आदेशों के तहत सेवा में बहाल किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे अध्यापकों को उनकी सेवा समाप्ति की अवधि के वेतन के बकाया का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) इस प्रकार का केवल एक मामला स्नातकोर अध्यापक से सम्बन्धित था ।

(ख) और (ग) जी, नहीं क्योंकि यह मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की गई अपील के अधीन है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना

818. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं, उनका गत पांच वर्षों के दौरान, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन कर्मचारियों की बाद में न्यायालयों के आदेशानुसार सेवाएं बहाल कर दी गयीं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन सेवा-बहाल कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की अवधि के उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियां

[हिन्दी]

819. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में कमियों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन तथा उसकी जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है । केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों की ओर इन प्रशासनों का ध्यान दिलाया है और इसे अधिक प्रभावी तथा उपभोक्ताओं हेतु लाभप्रद बनाने के लिए

उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण आव श्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उचित दर दुकानों के परिसर तक सुपुर्द करने की व्यवस्था की जाए तथा भंडारों की सुपुर्दगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोक्ता समितियों/सतर्कता समितियों की उपस्थिति में की जाए। एक और पहलू, जिसकी ओर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया गया है, यह है कि उचित दर दुकानों के अन्तर्गत अधिक लाभ-भोगियों को लाया जाए तथा दूरस्थ और दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर दुकानें चलाई जायें। इन उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तन तंत्र को कड़ा करने तथा सम्बन्धित राज्य प्रशासन अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण करने के उपाय सुझाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति

[अनुवाद]

820. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं और उन्हें भारतीय मेडिकल बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी संस्थाओं को मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार की जानकारी है, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा कोई मेडिकल कालेज नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

ग्राम स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के परिणामों का विश्लेषण

[हिन्दी]

821. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के परिणामों का विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) ग्राम स्वास्थ्य योजना अथवा जन स्वास्थ्य योजना नाम की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, 1978, 1979 और 1984 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य गाइड (सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) योजना का मूल्यांकन किया गया है।

(ख) संलग्न विवरण में इन मूल्यांकनों के परिणाम संक्षेप में दिए गए हैं।

विवरण

ग्राम स्वास्थ्य गाइड (सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) योजना के मूल्यांकन का सारांश

क्षेत्र	प्रथम मूल्यांकन (1978)	द्वितीय मूल्यांकन (1979)	तृतीय मूल्यांकन (1984)
1	2	3	4
1. लक्ष्य, भूमिकाएं, और उत्तर-दायित्व	—विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लक्ष्यों, भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को योजना में स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है —प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर पर्यवेक्षकों द्वारा यह माना गया कि योजना के प्रमुख लक्ष्य निकटतम स्वास्थ्य सुविधाएं, छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज और स्वास्थ्य शिक्षा होने चाहिए, जबकि अन्य अधिकारियों के विचार इससे मेल नहीं खाते । —राज्य, जिला और निम्नतम स्तरों के लिए विस्तृत रूप से योजना के कार्यात्मक लक्ष्य बतलाए गए हैं किन्तु इस बात की आवश्यकता समझी गई थी कि योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए विशिष्ट वर्गों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन लक्ष्यों का विकास किया जाना चाहिए ।	लोगों की सहज पहुंच में स्वास्थ्य सेवाओं और छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्राथमिक कार्य माने गए।	छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज प्राथमिक उत्तरदायित्व माना गया ।

1	2	3	4
	—थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद इस योजना से सम्बन्धित सभी लोगों को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता समझी गयी। जनसंचार साधनों का उपयोग करके भी योजना के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में जन-समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता समझी गयी।		
II. चयन प्रक्रिया	—सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में सामुदायिक नेताओं की काफी शिरकत थी।	—सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के चयन में माप-दंडों, प्रक्रिया और तंत्र से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं किया गया।	—अक्तूबर, 1981 में भारत सरकार द्वारा चयन मापदंड हेतु सुझाए गए परिवर्तनों से अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नावाकिफ थे तथा जहां-जहां इन परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त हुई वहां विभिन्न कारणों से इनका कार्यान्वियन नहीं हो पाया।
	—आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की शिरकत से जन समुदाय द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन हो।		
	—पुरुष अभ्यार्थियों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।	—स्कूलपूर्व बच्चों व स्त्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक	—काफी संख्या में लोगों ने महिला स्वास्थ्य गाइडों की अपेक्षा पुरुष गाइडों को पसंद किया।

1	2	3	4
		महिला कार्यकर्ताओं को चुने जाने की आवश्यकता है।	
	—बेरोजगारों और दुकानदारों की अपेक्षा भूतपूर्व सैनिकों व दाइयों को ज्यादा ही तरजीह दी जानी चाहिए।		
	—कालेज और उच्चतर शिक्षा वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।		
III.	—सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की औसत आयु 26 वर्ष पाई गई।	—प्रायः 60 प्रतिशत कार्यकर्ता 20-29 वर्ष की आयु समूह के थे।	—महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की औसत आयु 31.9 और 30.2 थी।
	—लिंग के आधार पर लगभग 94 प्रतिशत कार्यकर्ता पुरुष थे।	—10 प्रतिशत से कम कार्यकर्ता महिलाएं थीं।	—22 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाएं थीं।
	—प्रायः 74 प्रतिशत कार्यकर्ता विवाहित थे।		—प्रायः 84 प्रतिशत कार्यकर्ता विवाहित थे।
	—प्रायः 71 प्रतिशत कार्यकर्ता निर्धारित शैक्षणिक मापदंड पूरा करते थे।	—प्रायः 95 प्रतिशत कार्यकर्ता निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरा करते थे।	
	—लगभग 70 प्रतिशत कार्यकर्ता व्यवसाय से कृषक थे।	—लगभग 54 प्रतिशत कार्यकर्ता कृषक थे।	—लगभग 70 प्रतिशत स्वास्थ्य गाइड कृषक थे।

1	2	3	4
	—लगभग 21 प्रतिशत कार्यकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे।	—लगभग 29 प्रतिशत कार्यकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित थे।	—लगभग एक-चौथाई स्वास्थ्य गाइड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे।
IV. प्रशिक्षण	—सभी समर्थ प्रशिक्षकों को इस स्कीम के कार्यान्वित करने से पहले पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।	—इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लाने के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी प्रशिक्षकों के पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।	—प्रशिक्षण दिए जाने से पहले स्वास्थ्य गाइडों के प्रशिक्षिकों को अवश्य प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारियों को इस योजना में सतत शिक्षा की आवश्यकता है ताकि वे विकास की बातें सीख सकें तथा इस सहभागिता को सुदृढ़ किया जा सके।
	—पर्याप्त सहायता जैसे पुस्तकें, मैनुअल, शिक्षण सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।	कम से कम एक तिमाही चुने हुए उपकेन्द्रों पर एक से दो दिन का स्वास्थ्य गाइडों का विषय परिचायक कार्यक्रम बड़ा सहायक होगा। सतत शिक्षा के कार्यक्रम ऐसा तैयार किया जाए कि इसके प्रत्येक स्वास्थ्य गाइड अपनी कार्यकुशलताओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुदृढ़ करवा सके।
	—निवारणात्मक तथा संवर्धनात्मक पहलुओं के बारे में क्षेत्रीय प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।	प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन विकसित करने की पद्धति को विकसित किया जाना चाहिए।	

1	2	3	4
	—प्रशिक्षण कार्यक्रम में एलोपैथिक पद्धति पर बल दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए सुविधाओं के विकास के बारे में अन्य पद्धतियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।	स्वास्थ्य गाइडों को विषय परिचायक प्रशिक्षण देने के लिए नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों जैसे पौषणिक पूरकों, पर्यावरणिक सफाई, पीने के पानी का शुद्धिकरण आदि पर बल दिए जाने की आवश्यकता है।	जैसाकि दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित है, प्रशिक्षण का अधिकतर भाग उपकेन्द्रों ग्रामों में आयोजित किया जाना चाहिए। पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए।
	—स्वास्थ्य गाइडों के ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। —इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।		विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। पोषणों की तकनीकों, आहार व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रमुख घटनाओं इत्यादि पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।
V. प्रबंध पहलू/ सभार तंत्र	—दवाइयों और औषधों की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति करने की बात पर बल दिया गया।	स्थानीय आवश्यकतों के अनुसार दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में खरीद तथा आपूर्ति की आवश्यकता थी।	विशेष रूप से इस योजना के मानीटरिंग पहलू पर बल देते हुए स्वास्थ्य गाइड योजना में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को समय-समय पर विषय परिचायक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

1	2	3	4
	—ग्राम पंचायत को मानदेय के भुगतान का उत्तर-दायित्व सौंपने की संभावना का पता लगाया जाए ।	तीसरे चिकित्सा अधिकारी का पद तत्काल भरा जाए।	सरकारी कोष पंचायतों या वी० एच० सी० के माध्यम से स्वास्थ्य गाइडों को नियमित रूप से आवश्यकता पर आधारित दवाइयां प्रदान की जाएं ।
	—तीसरा चिकित्सा अधिकारी एलोपैथिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए परन्तु अन्य पद्धतियों के रोगियों पर भी विचार किया जाए।	प्रशिक्षण प्रारंभ होने से काफी समय पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु मैनुअल उपलब्ध कराया जाए ।	प्रशिक्षण समाप्त होने से पहले मैनुअल स्थानीय भाषा में अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य गाइडों द्वारा खोये जाने वाले मामलों में मैनुअल को बदला जाना चाहिए ।
	—साधारण मानीटरिंग पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।	चिकित्साधिकारियों विशेष रूप से चिकित्साधिकारी तीसरे की भूमिकाओं और उत्तर-दायित्वों के स्पष्ट विनिर्देशन की आवश्यकता थी ।	स्वास्थ्य गाइड किट के लिए आवंटन को उचित रूप से बढ़ाया जाए ।
	—स्वास्थ्य गाइडों द्वारा रिकार्ड के रखरखाव के कार्य-कलाप को वैध बनाया जाए ।		—स्वास्थ्य गाइडों को गर्भ निरोधकों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जाए ।
	—योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस योजना के आगे विस्तार कार्य का सावधानीपूर्वक नियोजन किया जाना चाहिए ।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य गाइड योजना शुरू करने के लिए एक उद्देशीय कार्यकर्त्ताओं को बहु-	—मानदेय की राशि में वृद्धि की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए। —प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का रिकार्ड रखने के लिए स्वास्थ्य

1	2	3	4
		उद्देशीय कार्यकर्त्ताओं में बदलने के कार्य को अगुआ कार्य बनाना चाहिए ।	गाइडों को डायरियों की आपूर्ति नियमित रूप से की जानी चाहिए । —आपूर्तियों, मानदेय, दवाइयों इत्यादि की समस्याओं को मासिक बैठकों में हल किया जाए । —प्रशिक्षण के बारे में नियमित सूचना मासिक आधार पर एकत्र की जाए ।
कार्यनिष्पादन/ जिन कार्यक्रमों में भाग लिया गया	—छोटी-मोटी बीमारियों, सामूहिक बैठकें, मुद्रित सामग्री का वितरण और व्यक्तिगत सम्पर्क ।	—निरोध का वितरण, ज्वर के रोगियों का संभावित उपचार (0—5 वर्ष) की आयु के बच्चों को टीका लगवाना ।	—स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मासिक विवरण में एक माह के दौरान स्वास्थ्य गाइडों से संयुक्त कार्य कार्यकलापों को शामिल करने का अनुरोध किया जाए । —80 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य गाइडों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, प्राथमिक सहायता, छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करते हुए परिवार नियोजन कार्यकलापों में अपने कार्य निष्पादन में संतुष्ट महसूस किया ।
—	—	—परिवार कल्याण सेवाएं	—व्यक्तिगत स्वच्छता और पौष्टिक

1	2	3	4
		और मातृ एवं शिशु परिचर्या सेवाएं महत्वपूर्ण क्रम की नहीं पाई गई।	आहार के बारे में जानकारी देने के क्षेत्रों, कंडोमों के भंडारण और आपूर्ति, नसबंदी और चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन के लिए व्यक्तियों को भेजना और महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देने में स्वास्थ्य गाइड बहुत ज्यादा सफल नहीं थे। इसके लिए प्रमुख कारणों में प्रशिक्षण की कमी आपूर्तियों की कमी और स्वास्थ्य कर्मचारियों का असहयोग बताया गया था।
VI. सामुदायिक सहभागिता	—लोगों को स्वास्थ्य गाइडों के कार्य की निगरानी के लिए तैयार किया गया लेकिन इस योजना के व्ययों के लिए अंशदान करने के लिए शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे।	—नवीन दृष्टिकोण और माडलों का आम जनता को शामिल करने की बात को बढ़ावा देने के लिए पता लगाए जाने की आवश्यकता है, जो इस समाज के अनुकूल बैठे। —उपर्युक्त सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यनीतियों का विकास और इस योजना के बारे में	—प्रत्येक गांव को एक बी०एच० सी० और एक एम्ओज बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बी०एच०सी० एक संतोषजनक पर्यवेक्षी भूमिका निभा सके। —बी० एच० सी० को प्रत्येक माह स्वास्थ्य गाइड के कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। बी० एच० सी० को स्वास्थ्य गाइड और सामुदायिक स्वास्थ्य जरूरतों के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

1	2	3	4
		सही ज्ञान प्रदान करने, स्वास्थ्य गाइडों के कार्य, विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों, सामुदायिक सदस्यों और जन-नेताओं की भूमिकाओं और उत्तर दायित्वों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।	—स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों को बी० एच० सी० की बैठकों में भाग लेना चाहिए। —बी०एच०सी० को स्वास्थ्य गाइडों की भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में सामुदायिक सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए।
स्वीकार्यता	—सभी वर्गों अर्थात समुदाय के सदस्यों, खंड विकास अधिकारियों, जिला परिषदों और स्वास्थ्य सेवा संगठनात्मक संरचना, से काफी ज्यादा समर्थन मिलता रहा है। —लगभग सभी प्रतिभागियों ने इस योजना को जारी रखना चाहा। —डर, जैसे वे पैसा इत्यादि बनाने के लिए निजी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के साथ लगातार बातचीत शुरू की जाए।	—समुदाय के अधिकतर सदस्यों ने बताया कि यह योजना दो कारणों के लिए जारी रखी जानी चाहिए जो इस प्रकार हैं : (क) घरों पर उपचार उपलब्ध था। (ख) निःशुल्क उपचार उपलब्ध था।	—92.7 प्रतिशत समुदाय सदस्य इस योजना के जारी रहने के पक्ष में हैं।

भारतीय हथकरघा निर्यात निगम द्वारा प्रदर्शनियां

822. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हथकरघा निर्यात निगम द्वारा 1990 में विभिन्न देशों में आयोजित प्रदर्शनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रदर्शनियों में कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इन प्रदर्शनियों से कितनी आय हुई ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० ने वर्ष 1990 के दौरान दोहा (कतार) में स्वर्ण आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन किया।

(ख) 8.83 लाख रु०

(ग) 7.79 लाख रु०

तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को स्ववित्तपोषित बनाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

823. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को स्ववित्तपोषित बनाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत व्यय का वहन छात्रों द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कार्यकारी समिति ने यह नोट किया है कि तकनीकी संस्थाओं में व्याप्त वर्तमान शिक्षा शुल्क की संरचना अधिकांशता स्वतन्त्रता पूर्व स्तर की है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। समिति का यह भी विचार है कि तकनीकी संस्थाओं के शिक्षा-शुल्क को उपयुक्त स्तर पर लाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वसूल किये गये शिक्षा शुल्क और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत में कुछ युक्तियुक्त सम्बन्ध हो। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक ऐसे कार्यकारी दल की नियुक्ति की है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि तकनीकी संस्थाओं में व्याप्त शिक्षा (ट्यूशन) शुल्क में संशोधन करने की आवश्यकता है।

जहां तक मेडिकल शिक्षा का संबंध है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने भी सिफारिश की है कि मेडिकल तथा पूर्व मेडिकल पाठ्यक्रमों में शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण

[हिन्दी]

824. **श्री छेदी पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियो के लिए आवास निर्माण हेतु इस वर्ष कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अगस्त, 1988 में जारी सरकारी ग्रंजूरी के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नवम्बर, 1990 में स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों — I, II, III और IV के 644 क्वार्टरों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं ।

निर्माण कार्य पहली फरवरी, 1991 को प्रारम्भ हुआ था और इसके अगस्त, 1992 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

जिला शैक्षिक कम्प्लेक्सों की स्थापना

[अनुवाद]

825. **श्री पुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शैक्षिक कम्प्लेक्सों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है;

(ख) क्या ऐसे कम्प्लेक्सों का वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार करेगी या सम्बन्धित राज्य सरकारें करेंगी;

(ग) क्या सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव को आजमाने के लिए स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन-कौन से राज्यों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की पुनरीक्षा समिति (आचार्य राममूर्ति समिति) ने शैक्षिक परिसरों की स्थापना की सिफारिश की है ।

(ख) से (घ) सरकार को समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना है अतः इनकी जांच की जा रही है ।

निर्यातकों द्वारा हेराफेरी

826. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1990 को "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर कोटा लेने के लिए आवेदन करते समय लगभग 65 तैयार वस्त्र निर्यातकों को जाली ऋण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए० ई० पी० सी०) ने वर्ष 1991 के लिए एफ० सी० एफ० एस० प्रणाली के अन्तर्गत परिधान कोटाओं के लिए आवेदन-पत्रों के साथ प्रस्तुत जाली/अवैध ऋण-पत्रों के 100 से अधिक मामले, इन आवेदन पत्रों की जांच करते समय पकड़े हैं। ए० ई० पी० सी० ने आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990-मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रक्रिया पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों से संबंधित निर्यातकों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

गाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

827. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री 3 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 385 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1964 में नियुक्त संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार इस जिले में एक भी ऐसा यूनिट नहीं था जो फल एवं सब्जी उत्पादों का परिरक्षण और उनकी डिब्बाबंदी कर सके। इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राइवेट सैक्टर में एक यूनिट है जिसकी फल एवं सब्जी उत्पादों को तैयार करने के लिए संस्थापित क्षमता 50 मी० टन है।

फ्लैटों, प्लाटों और दुकानों का बारी से पहले आबंटन

828. **श्री राम सागर (सैदपुर)** :

श्री नन्द लाल मीणा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फ्लैटों, प्लाटों और दुकानों के बारी से पहले आवंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए फ्लैटों, प्लाटों और दुकानों के बारे से पहले आवंटन करने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र लंबित पड़े हैं।

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा इसे प्रस्तुत न करने के कारण क्या हैं; और

(घ) उन सभी प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करने और आवेदकों को प्लाट, फ्लैट और दुकानें आवंटित करने क लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुमोदित शहरों का विकास

729. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने ऐसे 600 कस्बों का पता लगाया है जिनके बारे में बताया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से वे बहुत तेजी से फैल रहे हैं इनमें से 329 तो ऐसे हैं जहां आर्थिक विकास दिखायी देने लगा है या वहां पर विकास की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन 600 कस्बों का ब्यौरा क्या है जो जनसंख्या की दृष्टि से तेजी से फैल रहे हैं;

(ग) उन 329 कस्बों का ब्यौरा क्या है जहां पर आर्थिक विकास की संभावनाएं दिखाई देने लगी है;

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) में कितने कस्बे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं और उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें ये स्थित है;

(ङ) क्या आयोग ने उपरोक्त कस्बों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी और यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने केवल उन 600 शहरों का उल्लेख किया है जिनमें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 600 शहरों की सूची में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण में 329 शहरों की एक सूची दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला तथा राज्य दर्शाये गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लाभान्वित किए गए 380 कस्बों में से 157 कस्बों का राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा पता लगाया गया था।

उद्योग मन्त्रालय द्वारा औद्योगिक विकास के लिए हाल ही में आरम्भ की गई विकास केन्द्रों की योजना चयनित 60 विकास केन्द्रों में से 21 एन० सी० यू० शहरों को शामिल किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित कस्बों को लाभान्वित करते समय छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास कार्यक्रम को आठवीं योजना में जारी रखा जाना है। राज्य सरकारों से इस संबंध में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय शहरीकरण द्वारा जेम्स के रूप में पता लगाए गए शहरों की सूची।

राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले शहर (एन० पी० सी०)

तालिका "क"

राज्यों तथा संघ राज्यों की राजधानियां

क्र० सं०	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
3.	दीसपुर-गोहाटी	असम
4.	पटना	बिहार
5.	पणजी	गोवा
6.	गांधीनगर	गुजरात
7.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
8.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
9.	जम्मू (शरदकालीन) (राजधानी)	—वही—
10.	बंगलौर	कर्नाटक
11.	त्रिवेन्द्रम	केरल
12.	भोपाल	मध्य प्रदेश
13.	बम्बई	महाराष्ट्र
14.	शिलांग	मेघालय
15.	इम्फाल	मणिपुर
16.	एजवल	मिजोरम

1	2	3
17.	कोहिमा	नागालैंड
18.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
19.	जयपुर	राजस्थान
20.	गंगतोक	सिक्किम
21.	मद्रास	तमिलनाडु
22.	अगरतला	त्रिपुरा
23.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
24.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
25.	पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
26.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा
27.	सिलवासा	दादर तथा नागर हवेली
28.	नई दिल्ली	दिल्ली
29.	कवारत्ती	लक्षद्वीप
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

टिप्पणी : इन शहरों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियां हैं। राजनीतिक शासन के संघीय ढांचे में अपने प्रशासनिक कार्यों के कारण ये राष्ट्रीय प्राथमिकता के पात्र हैं। इन शहरों के मामले में जनसंख्या मानदंड नहीं अपनाया गया है। दमण तथा द्वीव 1981 में तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र का भाग था और आज भी इसके प्रशासक का मुख्यालय पणजी में ही है।

तालिका "ख"

1981 के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

(तालिका "क" में पहले ही लिए गए शहरों के अलावा)

क्र० सं०	शहर	राज्य
1	2	3
1.	अहमदाबाद	गुजरात
2.	पूणे	महाराष्ट्र
3.	नागपुर	—वही—
4.	कानपुर	उत्तर प्रदेश

टिप्पणी : एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को राष्ट्रीय प्राथमिकता शहरों का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे न केवल मिलियन (दस लाख) से अधिक बिन्दु को पार कर गए हैं परन्तु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका अत्याधिक महत्व है।

तालिका "ग"

वे शहर जिनकी जनसंख्या 2001 में 1 लाख हो जाएगी।

क्र० सं	शहर	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तन	आंध्र प्रदेश
2.	विजयवाड़ा	तृष्णा	—वही—
3.	धनबाद	धनबाद	बिहार
4.	जमशेदपुर	सिंहभूमि	—वही—
5.	रांची	रांची	—वही—
6.	बोकारो इस्पात शहर	धनबाद	—वही—
7.	सूरत	सूरत	गुजरात
8.	बड़ौदरा	बड़ौदरा	—वहीं—
9.	हुगली धारवाड़	धारवाड़	कर्नाटक
10.	कोचीन	अर्नाकुलम	केरल
11.	इन्दौर	इन्दौर	मध्य प्रदेश
12.	जबलपुर	जबलपुर	—वही—
13.	ग्वालियर	ग्वालियर	—वही—
14.	दुर्गभिलाई	दुर्ग	—वही—
15.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	उड़ीसा
16.	लुधियाना	लुधियाना	पंजाब
17.	अमृतसर	अमृतसर	—वही—
18.	जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान
19.	कोटा	कोटा	—वही—
20.	कोयम्बतूर	कोयम्बतूर	तमिलनाडू
21.	मदुरै	मदुरै	—वही—
22.	तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली	—वही—

1	2	3	4
23.	सालेम	सालेम	तमिलनाडु
24.	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
25.	आगरा	आगरा	—वही—
26.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	—वही—
27.	मेरठ	मेरठ	—वही—

टिप्पणी : दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले सम्भावित शहरों की यह सूची जनसंख्या प्रक्षेपों की जनसांख्यिकी प्रक्रिया पर आधारित है । यह भी नोट किया जाए की इन शहरों में आर्थिक तथा जनसांख्यिकी संवेग के उदाहरण मिले हैं । सक्रिय शहरीकरण उत्पन्न करने के लिए इन शहरों में रोजगार तथा आर्थिक विकास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, परन्तु साथ ही में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने हैं कि शहरी सुविधाएं समाप्त न हो । यह विचार किया जाएगा कि कुछ हद तक इन शहरों ने एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए काउण्टर मैंगनेट की भूमिका निभाई है परन्तु यदि हम नहीं चाहते हैं कि ये शहर वर्तमान एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के भाग्य बने जो राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है । संक्षिप्त में जबकि इन शहरों को समर्थन देने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए तो यह पता लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए कि इन शहरों में प्रवसन पर नियंत्रण लगाया जाए ।

तालिका "घ"

आर्थिक संवेग उत्पन्न करने की संभावना वाले अन्य शहर

क्र० सं०	शहर	जिला	राज्य
1.	अंकलेश्वर	भड़ौच	गुजरात
2.	मंगलौर	दक्षिण खंड	कर्नाटक
3.	दुर्गापुर	बर्धमान	पश्चिम बंगाल
4.	हाल्दा	मिदनापुर	—वही—
5.	पारादीप	कटक	उड़ीसा
6.	कोरापट	कोरापट	—वही—
7.	डिबरूगढ़	लखीमपुर	असम

टिप्पणी : शहरों की आर्थिक विकास सम्भावना का मूल्यांकन करने के लिए आयोग द्वारा की गई सांख्यिकी प्रक्रिया के आधार पर । ये शहर तालिका "क" "ख" तथा "ग" में नहीं लिए गए हैं ।

तालिका "ङ"

अवशिष्ट शहरों की सूची

क्र० सं०	शहर/कस्बा	जिला	राज्य
1.	बुद्ध गया	गया	बिहार
2.	थानेश्वर-कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
3.	लेह	लद्दाख	जम्मू तथा कश्मीर
4.	मैसूर	मैसूर	कर्नाटक
5.	जगदलपुर	बस्तर	मध्य प्रदेश
6.	पुरी	पुरी	उड़ीसा
7.	अलीगढ़	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
8.	दार्जलिंग	दार्जलिंग	पश्चिम बंगाल
9.	बोलपुर शांतिनिकेतन	वीरभूमि	—वही—

टिप्पणी : यह अवशिष्ट शहरों की सूची है इसका उद्देश्य कुछ शहरों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकता शहरों की सम्पूर्ण का चित्रांकन करना है जो समाज, सांस्कृतिक तथा अन्य कारणों से विचारणीय है।

राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले शहर

तालिका "क"

आर्थिक संवेग उत्पन्न करने की संभावना वाले शहर

क्र० सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	गन्तूर	गन्तूर	आंध्र प्रदेश
2.	वारंगल	वारंगल	—वही—
3.	राजामुंदरी	पूर्वी गोदावरी	—वही—
4.	वैलोर	वैलोर	—वही—
5.	कुरनूल	कुरनूल	—वही—
6.	निजामबाद	निजामबाद	—वही—
7.	तिरुपति	चितूर	—वही—

1	2	3	4
8.	कुडापा	कुडापा	आंध्र प्रदेश
9.	भीमवरम	पश्चिमी गोदावरी	—वही—
10.	खामम	खामम	—वही—
11.	महबूब नगर	महबूब नगर	—वही—
12.	करीम नगर	करीम नगर	—वही—
13.	ओंगले	पराकसम	—वही—
14.	नरासरावटेट	गुनतूर	—वही—
15.	नालगोंडा	नालगोंडा	—वही—
16.	मदनपल्ले	चितूर	—वही—
17.	अदिलाबाद	अदिलाबाद	—वही—
18.	धर्ममावरम	अनन्तपुर	—वही—
19.	सिदिपेट	मेढक	—वही—
20.	दिगबोई	लखमीपुर	असम
21.	बिहार शरीफ	नालंदा	बिहार
22.	बेरमो	गिरधी	—वही—
23.	पतरातू	हजारीबाग	—वही—
24.	देहरी	रोहतास	—वही—
25.	हजारीबाग	हजारीबाग	—वही—
26.	बेगूसराय	बेगूसराय	—वही—
27.	गिरधी	गिरधी	—वही—
28.	नरकतियागंज	पश्चिम चम्परन	—वही—
29.	नवसारी	वलसाड़	गुजरात
30.	आनन्द	खेड़ा	—वही—
31.	हिमतनगर	साबरकंठ	—वही—
32.	पानीपत	करनाल	हरियाणा
33.	फरीदाबाद	फरीदाबाद	—वही—
34.	हिसार	हिसार	—वही—
35.	सोनीपत	सोनीपत	—वही—

1	2	3	4
36.	सिरसा	सिरसा	हरियाणा
37.	जिन्द	जिन्द	—वही—
38.	गुलबर्ग	गुलबर्ग	कर्नाटक
39.	दवनगेरे	चिदुर्ग	—वही—
40.	शिमोगा	शिमोगा	—वही—
41.	रायचुर	रायचुर	—वही—
42.	तुमकुर	तुमकुर	—वही—
43.	बिदार	बिदार	—वही—
44.	हरीहर	चित्रदुर्ग	—वही—
45.	करवार	उत्तरी कन्नाड	—वही—
46.	त्रिचूर	त्रिचूर	केरल
47.	कन्नौर	कन्नौर	—वही—
48.	शोरनूर	पालाघाट	—वही—
49.	रायपुर	रायपुर	मध्य प्रदेश
50.	बिलासपुर	बिलासपुर	—वही—
51.	सतना	सतना	—वही—
52.	राजनन्दगांव	राजनन्दगांव	—वही—
53.	देवास	देवास	—वही—
54.	भिंड	भिंड	—वही—
55.	मुरेना	मुरेना	—वही—
56.	इटासरी	होशंगाबाद	—वही—
57.	विदिशा	विदिशा	—वही—
58.	गूना	गूना	—वही—
59.	छत्तरपुर	छत्तरपुर	—वही—
60.	शहडोल	शहडोल	—वही—
61.	बेतुल	बेतुल	—वही—
62.	उज्जैन	उज्जैन	—वही—
63.	पीथमपुर	धार	—वही—

1	2	3	4
64.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
65.	धूले	धूले	—वही—
66.	नानडेड	नानडेड	—वही—
67.	इचलकरंजी	कोल्हापुर	—वही—
68.	चन्द्रापुर	चन्द्रापुर	—वही—
69.	परभानी	परभानी	—वही—
70.	बिड	बिड	—वही—
71.	नासिक	नासिक	—वही—
72.	तुरा	पश्चिम गारो हिल्स	मेघालय
73.	कटक	कटक	उड़ीसा
74.	बेहरामपुर	गनजम	—वही—
75.	संबलपुर	संबलपुर	—वही—
76.	भटिंडा	भटिंडा	पंजाब
77.	बाटाला	गुरुदासपुर	—वही—
78.	होशियारपुर	होशियारपुर	—वही—
79.	फगवाड़ा	कपूरथला	—वही—
80.	गोबिन्दगढ़	पटियाला	—वही—
81.	रूपनगर	रूपनगर	—वही—
82.	अलवर	अलवर	राजस्थान
83.	भिलवाड़ा	भिलवाड़ा	—वही—
84.	भरतपुर	भरतपुर	—वही—
85.	तूतीकोरिन	तिरूनेलवेली	तमिलनाडु
86.	तिरूपर	कायम्बतूर	—वही—
87.	शिवकासी	रामनाथपुरम	—वही—
88.	होसुर	धर्मपुर	—वही—
89.	इरोडे	पेरियार	—वही—
90.	बरेली	बरेली	उत्तर प्रदेश
91.	गाजियाबाद	गाजियाबाद	—वही—

1	2	3	4
12.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
13.	गोरखपुर	गोरखपुर	—वही—
14.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	—वही—
15.	हरिद्वार	सहारनपुर	—वही—
16.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	—वही—
17.	हलद्वानी	नैनीताल	—वही—
18.	उन्नाव	उन्नाव	—वही—
19.	ऋषिकेश	देहरादून	—वही—
20.	मथुरा	मथुरा	—वही—
21.	आसनसोल	वर्धमान	पश्चिम बंगाल
22.	सिलिगुड़ी	दार्जिलिंग	—वही—
23.	कृष्णनगर	नादिया	—वही—

टिप्पणी : आयोग द्वारा की गई संख्यिकी प्रक्रिया में लक्ष्य मानदंडों को लागू करके इन शहरों तथा नगरों को चुना गया है। 20,000 से जनसंख्या वाले नगरों पर विचार नहीं किया गया है।

तालिका "ख"

30 प्रतिशत और उससे अधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों के मुख्यालय
(पहली वाली सूची में लिए गये जिलों को छोड़कर)

क्र० सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1.	मछली पट्टनम	कृष्णा	आन्ध्र प्रदेश
2.	जामनगर	जामनगर	गुजरात
3.	राजकोट	राजकोट	—वही—
4.	भावानगर	भावानगर	—वही—
5.	जूनागढ़	जूनागढ़	—वही—
6.	अम्बाला	अम्बाला	हरियाणा
7.	बल्लारी	बल्लारी	कर्नाटक
8.	रतलाम	रतलाम	मध्य प्रदेश

1	2	3	4
9.	जालंधर	जालंधर	पंजाब
10.	अजमेर	अजमेर	राजस्थान
11.	बीकानेर	बीकानेर	—वही—
12.	कांचीपुरम	चेंगलपट्टू	तमिलनाडु
13.	ऊटाकमंड	नीलगिरी	—वही—
14.	तिरूनेलवेली	तिरूनेलवेली	—वही—
15.	देहरादून	देहरादून	उत्तर प्रदेश
16.	झांसी	झांसी	—वही—
17.	दमण	दमण	गोवा, दमण तथा दीव
18.	यमन	यमन	पांडिचेरी
19.	माहे	माहे	—वही—
20.	कराईकल	कराईकल	—वही—

टिप्पणी : इस सूची में राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में और तालिका "क" के अन्तर्गत लिए गए शहर शामिल नहीं हैं। ऐसे शहरों को राज्यों प्राथमिकता शहर घोषित करने का अभिप्राय यह है कि ऐसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का समर्थन करके विकास प्रक्रिया में तेजी लाना और इससे आर्थिक आधार में विस्तार करने में उनकी सहायता करना ताकि बड़े शहरों में प्रवसन की आवश्यकता को कम किया जा सके। संक्षिप्त में क्षेत्र के भीतर ही प्रवसन होगा और इससे वास्तविक शहरीकरण में सहायता मिलेगी।

तालिका "ग"

90 प्रतिशत और उससे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों के मुख्यालय

क्र० सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	शिलचर	काचर	असम
2.	दिफू	मिकिर हिल्स	—वही—
3.	धुबरी	गोलपारा	—वही—
4.	तेजपुर	दारंग	—वही—
5.	नौगांव	नौगांव	—वही—

1	2	3	4
6.	जोरहाट	शिवसागर	असम
7.	हाफ्लौंग	उत्तरी काचर हिल्स	—वही—
8.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	बिहार
9.	नवादा	नवादा	—वही—
10.	सासाराम	रोहतास	—वही—
11.	छपरा	सारन	—वही—
12.	सिवान	सिवान	—वही—
13.	गोपालगंज	गोपालगंज	—वही—
14.	बतिहा	पश्चिमी चंपरन	—वही—
15.	मातीहरी	पूर्वी चंपरन	—वही—
16.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	—वही—
17.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	—वही—
18.	हाजीपुर	वैशाली	—वही—
19.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	—वही—
20.	दरबंगा	दरबंगा	—वही—
21.	मधुबनी	मधुबनी	—वही—
22.	सहरशा	सहरशा	—वही—
23.	पुरनिया	पुरनिया	—वही—
24.	कटिहार	कटिहार	—वही—
25.	दुमका	संथाल परगना	—वही—
26.	डालटनगंज	पलामू	—वही—
27.	पालनपुर	बांस कंठ	गुजरात
28.	मंडी	मंडी	हिमाचल प्रदेश
29.	धर्मशाला	कांगड़ा	—वही—
30.	चम्बा	चम्बा	—वही—
31.	ऊना	ऊना	—वही—
32.	बिलासपुर	बिलासपुर	—वही—
33.	केलौंग	लाहोल और स्पीति	—वही—

1	2	3	4
34.	हमीरपुर	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
35.	कुल्लू	कुल्लू	—वही—
36.	नहान	सिरमौर	—वही—
37.	पुलवामा	पुलवामा	जम्मू तथा कश्मीर
38.	कपवाड़ा	कपवाड़ा	—वही—
39.	डोडा	डोडा	—वही—
40.	उधमपुर	उधमपुर	—वही—
41.	कारगिल	कारगिल	—वही—
42.	कोटायम	कोटायम	केरल
43.	मालापुरम	मालापुरण	—वही—
44.	इडुकी	इडुक्की	—वही—
45.	कलपेट्टा	वेनाड	—वही—
46.	रायगढ़	रायगढ़	मध्य प्रदेश
47.	सियोनी	सियोनी	—वही—
48.	पन्ना	पन्ना	—वही—
49.	सिद्धि	सिद्धि	—वही—
50.	जाबुआ	जाबुआ	—वही—
51.	रायसेन	रायसेन	—वही—
52.	मांडला	मांडला	—वही—
53.	बालाघाट	बालाघाट	—वही—
54.	अम्बीकापुर	सरगुजा	—वही—
55.	रत्नगिरि	रत्नगिरि	महाराष्ट्र
56.	ढक्तुल	पूर्वी मणिपुर	मणिपुर
57.	तेमंगलौंग	पश्चिमी मणिपुर	—वही—
58.	करोंग सेनापति	उत्तरी मणिपुर	—वही—
59.	विलियम नगर	पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय
60.	नोनगेस्टोइन	पश्चिमी खासी हिल्स	—वही—
61.	जोवई	जैयन्तिया हिल्स	—वही—

1	2	3	4
62.	तुवेंसांग टाउन	तुवेंसांग	नागालैंड
63.	मौन	मौन	—वही—
64.	बालेश्वर	बालेश्वर	उड़ीसा
65.	बारीपाडा	मयूरभंज	—वही—
66.	धेनकनाल	धेनकनाल	—वही—
67.	फुलबनी	फुलबनी	—वही—
68.	बोलनगीर	बोलनगीर	—वही—
69.	भवानी पटना	कालहांडी	—वही—
70.	बाड़मेर	बाड़मेर	राजस्थान
71.	जालौर	जालौर	—वही—
72.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	—वही—
73.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	—वही—
74.	मानगन	उत्तरी सिक्किम	सिक्किम
75.	नामची	दक्षिणी सिक्किम	—वही—
76.	गयालसिंग	पश्चिम सिक्कम	—वही—
77.	धर्मपुरी	धर्मपुरी	तमिलनाडु
78.	केलाशहर	उत्तरी त्रिपुरा	त्रिपुरा
79.	उदयपुर	दक्षिणी त्रिपुरा	—वही—
80.	जौनपुर	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
81.	राय बरेली	राय बरेली	—वही—
82.	घोंडा	घोंडा	—वही—
83.	बस्ती	बस्ती	—वही—
84.	बाराबांकी	बाराबांकी	—वही—
85.	लखीमपुर	खेरी	—वही—
86.	अलमोड़ा	अल्मोड़ा	—वही—
87.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	—वही—
88.	चमोली	चमोली	—वही—
89.	नरेन्द्र नगर	टेहरी गढ़वाल	—वही—
90.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	—वही—

1	2	3	4
91.	फतेहपुर	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
92.	सीतापुर	सीतापुर	—वही—
93.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	—वही—
94.	बहराइच	बहराइच	—वही—
95.	बेला प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	—वही—
96.	दियोरिया	दियोरिया	—वही—
97.	आजमगढ़	आजमगढ़	—वही—
98.	बलिया	बलिया	—वही—
99.	पौड़ी गढ़वाल	गढ़वाल	—वही—
100.	घाजीपुर	घाजीपुर	—वही—
101.	बांकुरा	बांकुरा	पश्चिमी बंगाल
102.	मिदनापूर	मिदनापुर	—वही—
103.	पुरुलिया	पुरुलिया	—वही—
104.	सूरी	बिरभूम	—वही—
105.	कूंच बिहार	कूच बिहार	—वही—
106.	मालदाह	मालदाह	—वही—
107.	मुरशीदाबाद	मुरशीदाबाद	—वही—
108.	तेज	लोहित	अरुणाचल प्रदेश
109.	बमिदिला	पश्चिमी कामेंग	—वही—

टिप्पणी : ये निम्नतम शहरीकृत अत्यधिक निर्धन जिले हैं। इन जिलों से प्रवसन की संभावना अत्यधिक है। उत्साही शहरीकरण के अनुसार हमारी नीति को शहरों में प्रवसन को नियन्त्रित करने के लिए उप-क्षेत्रीय स्तर पर रोजगारोत्पत्ति तथा आर्थिक विकास पर लक्षित होना चाहिए।

तालिका-घ

शेष-सूची

क्र०सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	तिनसुखिया	लखीमपुर	असम

1	2	3	4
2.	बोंगईगांव	गोलपाड़ा	असम
3.	पोरबन्दर	जूनागढ़	गुजरात
4.	पाटन	जूनागढ़	—वही—
5.	महेसाना	महेसाना	—वही—
6.	द्वारका	जामनगर	—वही—
7.	बहादुरगढ़	रोहतक	हरियाणा
8.	डलहौजी	चम्बा	हिमाचल प्रदेश
9.	गुलमर्ग	बारामूला	जम्मू तथा कश्मीर
0.	बेलगांव	बेलगांव	कर्नाटक
1.	मांडिया	मांडिया	—वही—
2.	मेडीकेरी	कोडगु	—वही—
3.	कालीकट	कोजीकोड	केरल
4.	एलिपे	एलिपे	—वही—
5.	पटियाला	पटियाला	पंजाब
6.	पठानकोट	गुरुदासपुर	—वही—
7.	कोडिकनाल	मदुरै	तमिलनाडु
8.	नैनीताल	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
9.	मसूरी	देहरादून	—वही—
0.	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी	पश्चिम बंगाल

टिप्पणी : यह सूची उन नगरों की है जो आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय आधार पर राज्य स्तर पर प्राथमिकता के पात्र हैं। यह एक निदर्शी सूची है और इसमें संशोधन का प्रावधान है।

बाट और माप मानक (डिब्बाबन्द वस्तुएं) नियम, 1977 में संशोधन

830. **श्री राम सागर (सैंदपुर)** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाट और माप मानक (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 1977 में संशोधन करने का विचार है ताकि निर्बाध रूप से मूल्यों में तेजी एवं मनमानी वृद्धि को रोकने के लिए "सभी करों सहित अधिकतम बिक्री मूल्य" शब्द से पहले "उत्पादन लागत" शब्द को जोड़ा जाए; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह विषय बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 तथा उस अधिनियम, जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं, के विषय क्षेत्र के बाहर है ।

खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान क्षति

831. **प्रो० एन० तोम्बी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान मणिपुर राज्य सरकार की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गत दो वर्षों के दौरान मणिपुर के किसी बाहरी स्थान से ढुलाई के दौरान भारी मात्रा में चावल की तथाकथित चोरी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के नोटिस में एक ऐसा मामला आया था जिसमें जांच करने पर यह पाया गया था कि कुछ परिवहन ठेकेदारों, जिन्हें दीमापुर के रास्ते गुवाहाटी से इम्फाल ढुलाई करने का कार्य सौंपा गया था, द्वारा स्टाक का गबन किया गया था । अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर और चूंकि इसमें प्राइवेट पार्टियां अन्तर्ग्रस्त थीं, इस समस्त मामले की गहराई के साथ जांच करने के लिए, इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था । जहां तक इस मामले में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की असफलता का सम्बन्ध है, श्रेणी-2 के तीन अधिकारियों और श्रेणी-3 के 15 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और जांच कार्यवाही प्रगति पर है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना

832. **प्रो० एन० तोम्बी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने के०वि० सं० पुनरीक्षा समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट दो वर्ष से भी अधिक हुए दे दी थी, की कुछ सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (ग) इस मामले पर खासी मंडल द्वारा विचार किया गया था जिसने सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के तौर तरीके के बाबत सुझाव देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को उपाध्यक्ष की सहमति से एक उप समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

'पेप्सी फूड्स' द्वारा निर्यात

833. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० ने यह दावा किया है कि उसने 2.84 करोड़ रु० मूल्य के पदार्थों का निर्यात किया है;

(ख) किन-किन पदार्थों का निर्यात किया गया है और पदार्थ वार इनका मूल्य कितना है; और

(ग) प्रतिबद्धता के अनुसार पेप्सी फूड्स द्वारा निर्मित कितने पदार्थों का निर्यात किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मैं० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० ने अपने 4-3-1991 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान उनके निर्यात प्रभाग का कारोबार 284.60 लाख रुपए रहा है। उन्होंने निर्यात की गई वस्तुओं और प्रत्येक वस्तु के मूल्य के बारे में कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं।

मैं० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० ने 1-4-90 से 30-9-90 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे तीन अधिकारियों के उस दल को प्रस्तुत किए थे जिसका गठन पेप्सी परियोजना की दशा का पता लगाने के लिए किया गया था, ये ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

मूल्य (लाखों में)

वस्तु	रुपये
धान की भूसी का आसवन	17.13
बासमती चावल	12.08
मिर्च	6.31
काजू की गिरी	13.22
श्रिम्प	14.32
अन्य	23.84
जोड़ :	86.90

(ग) दल ने यह पाया कि आशय-पत्र में निर्धारित 40 प्रतिशत निर्यात के वायदे के लिए मैं० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों में से कोई निर्यात नहीं किया गया। इस दल ने आगे बताया है कि चयन सूची में से 86.90 लाख रुपये का निर्यात किए जाने की सूचना दी गई है।

आटा चक्कियों को रियायती दर पर गेहूं

834. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न एसोसिएशनों के संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की आटा चक्कियों को प्रति माह लगभग 45000 टन गेहूं रियायती दरों पर दिए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को जनवरी और फरवरी, 1991 के प्रत्येक महीने के दौरान दिल्ली में स्थित रोलर फ्लोर मिलों, आटा चक्कियों, डबल रोटी निर्माताओं, व्यापारियों और सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, केन्द्रीय भंडार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आदि को 320 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 54,000 मीटरी टन तक गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

पटौदी हाउस हटमैंट्स

835. **श्री के० चोक्का राव :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पटौदी हाउस हटमैंट्स किस वर्ष खाली करवाया था;

(ख) इस भू-खंड के उपयोग के लिए सरकार की भावी योजनायें क्या हैं; और

(ग) इसके उपयोग के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) पटौदी हाउस के हटमैंट्स अप्रैल, 1990 तक खाली करा लिए गए थे।

(ख) इस भूमि को सामान्य पूल वास के निर्माण हेतु इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

(ग) वास्तकीय ड्राइंग तथा अभिकल्प सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

झुग्गी समूहों के लिए भूमि

836. **श्री के० चोक्का राव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई दिल्ली क्षेत्र में पार्कों और ऊपरी पुलों के नीचे बन रहे झुग्गी समूहों को अन्य जगह बसाने के लिए भूमि का आबंटन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि रखी गई है और उससे कितने लोगों का पुनर्वास किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने झुग्गी-झोंपड़ी समूह की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित त्रि-आयामी रणनीति तैयार की है :—

(i) आवश्यक परियोजनाओं के लिए तुरन्त आवश्यक भूमि से झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों का पुर्नस्थापन तथा पुर्नवास करना;

(ii) सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ठ झुग्गी-झोंपड़ी समूहों, जिनकी ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तुरन्त आवश्यकता नहीं है, में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करना; तथा

(iii) सार्वजनिक भूमि पर स्थित पता लगाये गये झुग्गी-झोंपड़ी समूहों, जिन्हें किसी परियोजना के अन्तर्गत पुर्नस्थापन तथा उसी स्थान पर उन्नयन के लिए उद्दिष्ठ नहीं किया गया है, का उसी स्थान पर उन्नयन ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "स्थल एवं सेवा" विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 8700 परिवारों के पुर्नस्थापन के लिए लगभग 198.75 एकड़ भूमि उद्दिष्ठ की है । तथापि, ऊपरी पुलों के नीचे और पार्कों में झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे लोगों के लिए नितांत रूप से कोई विशिष्ट योजना नहीं है ।

फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली के निकट गंदी बस्तियां

837. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, पंडारा रोड और संसद मार्ग जैसे अनेक क्षेत्रों में गंदी बस्तियां पनप रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बौलत राम सारण) : (क) यद्यपि, फिरोजशाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग और पंडारा रोड से सटे हुए क्षेत्रों में कुछ बंगलों तथा सरकारी कालोनियों में झुग्गियां बनी हुई हैं परन्तु नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इन क्षेत्रों में कोई नई मलिन बस्तियां नहीं पनप रही हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

द्वारका में समूह आवास समितियों का जमीन पर कब्जा

838. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका चरण-I, नई दिल्ली में कितनी समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की जा रही है;

(ख) समूह आवास समितियों को वहां पर भूमि के आवंटन में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) समूह आवास समितियों, जिन्हें मार्च, 1991 तक आंशिक भुगतान करने के लिए कहा गया है, को भूमि का कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बौलत राम सारण) : (क) 260।

(ख) और (ग) सामूहिक आवास समितियों को द्वारका चरण-I में भूमि आवंटित करने का निर्णय 1989-90 में लिया गया था । इसके अनुसरण में समितियों की एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी । समितियों को वरीयता देने के लिए अपनाये गए मापदण्डों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कई याचिकायें दायर की गई है । तथापि, सैक्टर निर्धारण के लिए लाट्री पहले ही निकाल ली गई है

तथा याचिकाओं में न्यायालय के आदेश पर निर्भर करते हुए कब्जा सौंपने का कार्य 31 जुलाई, 1991 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

तमिलनाडु में परिवार राशन कार्ड

839. **श्री एन० डेनिस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के उन बहुसंख्यक लोगों की कठिनाइयों से अवगत है जो परिवार राशन कार्ड पाने में असफल रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार लोगों को पारिवारिक राशन कार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों को बम्बई से अन्य स्थानों पर ले जाना

[हिन्दी]

840. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में भीड़-भाड़ को समाप्त करने की दृष्टि से कुछ सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को बम्बई से आसपास के कस्बों और उप-राजधानी नागपुर ले जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय को बम्बई शहर से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के अनुमोदन से अपने कार्यालयों की अवस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना

841. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों के लिए कोई आवास योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जब तक पिछली योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों के विद्यमान पिछले बकाया को नहीं टाया जाता है तब तक कोई नयी योजना लागू करना वांछनीय नहीं होगा ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत विषैली धातु

गुजराती]

842. **श्री मान्धाता सिंह** : : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वनस्पति तेल में निकल की विद्यमानता को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत एक "विषैली धातु" के रूप में माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अन्तर्गत निकल को विषाक्त धातुओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार आहार सम्बन्धी सेवन के कारण निकल के मानव के लिए विषाक्त होने की सूचना नहीं है ।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को चिकित्सीय सुविधायें

[हिन्दी]

843. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों में मरने वाले की संख्या बढ़ती ही जा रही है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंस्थान संस्थान द्वारा गैस त्रासदी के पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कोई मार्गदर्शक जारी किए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गैस त्रासदी के पीड़ितों को धीमी और कष्टकारी मृत्यु की यंत्रणा भुगतनी पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री वसई रचौधरी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तीव्र, मध्यम और मन्द रूप से प्रभावित क्षेत्रों से क्रमशः 26.82, 34964 और 18675 व्यक्तियों के लिए गए नमूनों (प्रभावित क्षेत्रों में रजिस्टर किए गए कुल 80021 व्यक्तियों तथा प्रभावित न हुए (नियंत्रित) क्षेत्र के 15931 व्यक्तियों के नमूने के संबंध में मृत्यु दर के आंकड़े एकत्र कर रही है। 1986 से वर्षवार अपरिष्कृत वार्षिक मृत्यु दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन मृत्यु दरों से पता चलता है कि इस

अवधि के दौरान मौतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बहरहाल, यह देखा जा सकता है कि तीव्र रूप से प्रभावित क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में हर वर्ष मृत्यु दर अधिक रही है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जहरीली गैस से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार में सहायता प्रदान करने के लिए 1986 में एक वर्किंग मैनुअल "द हैल्थ प्राबलम्स आफ भोपाल गैस विक्टिम्स—एसैसमेंट एण्ड मैनेजमैंट" तैयार किया। अध्ययनों से निकले निष्कर्षों के आधार पर इस मैनुअल को 1989 में अद्यतन बनाया गया था।

(घ) और (ङ) परिषद द्वारा किए गए दीर्घावधि जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययनों से अन्तर्गत किए गये अवलोकनों से पता चलता है कि नियंत्रित क्षेत्रों के मुकाबले प्रभावित क्षेत्रों में लाक्षणिक श्वसनीय रुग्णता दर अभी भी अधिक है। क्लीनिकल जानपदिक रोग विज्ञान के अन्तर्गत किये गये अवलोकन इस निष्कर्ष का और बल प्रदान करते हैं। फेफड़े की समस्याओं का मुख्य कारण धूम्रपान पाया गया। इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्र में अधिकतर मौतें श्वसन प्रणाली के विकारों के कारण बताई गई हैं। इसे मद्दे नजर रखते हुए परिषद ने मध्य प्रदेश सरकार को धूम्रपान-रोधी अभियान चलाने के बारे में लिखा है और धूम्रपान-रोधी दिवस मनाने में डीन गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल की सहायता की है।

विवरण

भोपाल के गैस से प्रभावित तथा नियंत्रित क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या पर वार्षिक अपरिष्कृत मृत्यु दर

क्षेत्र/वर्ष	तीव्र रूप से प्रभावित	मध्यम रूप से प्रभावित	मंद रूप से प्रभावित	कुल प्रभावित	नियंत्रण
1986	14.10	9.66	4.88	9.98	6.04
1987	11.79	7.06	8.16	10.02	7.23
1988	9.18	7.72	6.00	7.84	5.00
1989	8.55	7.27	6.92	7.67	7.27

शोधकर्ताओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

[अनुवाद]

844. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के बहुत सारे शोधकर्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान कई वर्षों से नहीं मिल रहा है जबकि उनके फार्म भर कर निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुदान मंजूरी करने के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत यथा प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि "आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रोन्नति और समन्वय के लिए तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य सम्बन्धित निकायों के परामर्श से यथा उपयुक्त सभी कदम उठाएं ।

(ख) से (घ) वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, [illegible] विषय विशेषज्ञों, जिन्हें ये परियोजनायें भेजी जाती है, की सिफारिशों के आधार पर प्रति वर्ष औसतन लगभग 300 दीर्घ अनुसंधान परियोजनाएं और 1500 लघु अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित करता है। कुछ मामलों में आयोग को अपनी टिप्पणियां देने में विशेषज्ञों ने पर्याप्त समय लिया। जूनियर रिसर्च फैलोशिप, रिसर्च एसोसिएटशिप और रिसर्च साइन्टिस्ट इत्यादि जैसी योजनाओं के सम्बन्ध में सामान्यत: उम्मीदवारों की कार्यभार संभालने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शीघ्र अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के मामले में एक राष्ट्रीय परीक्षा तथा रिसर्च एसोसिएटशिप रिसर्च साइन्टिस्ट आदि के मामले में जांच समिति द्वारा जांच और छंटाई और बाद में साक्षात्कार की पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान जारी करने की पद्धति में तेजी लाने के लिए, आयोग ने अब विश्वविद्यालयों के माध्यम से लघु अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण कर दिया है और मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को उनकी टिप्पणियों के लिए आयोग के कार्यालय में एक दल में आमंत्रित भी किया जाता है। कालेजों में अध्यापक शिक्षा वृत्ति की योजना भी विश्वविद्यालय स्तर पर विकेन्द्रित की गई है। आयोग ने यह बताया है कि इन मामलों में किसी भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गैर प्राधिकृत वाणिज्यिक/रिहायशी भवनों को गिराने सम्बन्धी नीति

845. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की गैर प्राधिकृत वाणिज्यिक/रिहायशी भवनों को गिराने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति है जोकि गत कुछ वर्षों के दौरान काफी संख्या में बनाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को स्पष्ट नीति अपनाने और गत कुछ वर्षों के दौरान ऐसे सभी गैर-कानूनी/अवैध रूप से कब्जा किए गए निर्माणों को गिराने के लिए निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गैर-प्राधिकृत निर्माणों को गिराने में कितना समय लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) आवासीय तथा व्यवसायिक दोनों प्रकार के सभी अनधिकृत निर्माणों पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 तथा 344(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। अनधिकृत निर्माण का पता लगाने पर स्वामी/निर्माता को नगर निगम अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अधीन 75 घण्टे का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि स्वामी/निर्माता कारण बताओ नोटिस का अनुपालन नहीं करता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाया जाता है तो अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश पारित किए जाते हैं तथा 6 दिन के भीतर अनधिकृत निर्माण गिराने का नोटिस दिया जाता है। यदि स्वामी/निर्माता इस अवधि के दौरान अनधिकृत निर्माण गिराने में असफल रहता है तो उस अनधिकृत निर्माण को गिराने द्वारा कार्रवाई की जाती है। चूंकि इस गिराने प्रक्रिया में कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयां हैं इसलिए आवश्यक कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी तंत्र के संगठन के कारण अन्तिम कार्रवाई करने में कुछ समय लगता है।

सुस्पष्ट कानूनी प्रावधानों तथा उपर्युक्त बताई गई स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सरकार की ओर से कोई अन्य अनुदेश अपेक्षित नहीं है।

स्टेशनरी डिपो, कलकत्ता का बन्द किया जाना

846. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री 28 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्टेशनरी डिपो, कलकत्ता के बन्द होने से सरकारी विभागों को उचित दरों पर उत्तम क्वालिटी की स्टेशनरी की उपलब्धता में कोई कठिनाई महसूस की गई है;

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार द्वारा सरकारी विभागों को स्टेशनरी की वस्तुयें उपलब्ध कराने के कुछ अनियमितताएं हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली में अन्य सहकारी संस्थाओं को भी सरकारी विभागों को ऐसी वस्तुयें बेचने की आज्ञा देने का कोई प्रस्ताव है ताकि उनमें एक प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) यह प्रमाणित करने के लिए अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है कि क्या भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय को बन्द करने के बारे में आदेश जारी करने के पश्चात लेखन-सामग्री की खरीद में कोई मितव्ययिता आई है। इसी बीच, लेखन-सामग्री कार्यालय के कार्यकलापों को बन्द करने के बारे में आदेशों को रद्द करने और उनके कार्यकलापों को पुन: आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है।

(घ) इस संबंध में इस मंत्रालय के ध्यान में कुछ भी नहीं आया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन/कब्जा लिया जाना

[हिन्दी]

847. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली निवासियों को आवंटित फ्लैटों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा चालू वित्त वर्ष (1990-91) के दौरान आवंटित किये गये और कब्जा दिये गए फ्लैटों की संख्या क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 18-2-1991 तक कुल 14,380 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। आज की तारीख के अनुसार 16,597 कब्जा-पत्र जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए कब्जा-पत्रों में पिछले वर्षों में जारी किए गए आवंटन पत्रों के मामले भी शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों के ब्यौरे

क्र० सं०	वर्ष	आवंटित फ्लैटों की संख्या
1.	1987-88	14,114
2.	1988-89	32,147
3.	1989-90	25,445
	योग :	71,706

अनुकम्पा आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण और आवंटन

[अनुवाद]

848. **श्री मदन लाल खुराना** :

श्री गंगाचरण लोधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1990-91 सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण किया है और आवंटन किया है और उनमें से कितने फ्लैट बिना बारी के विपति अनुकम्पा के आधार पर वर्ष-वार आवंटित किए गए हैं और तत्संबंधी आवंटन का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक फ्लैटों को तैयार होने के बावजूद आवंटित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आवंटन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा फ्लैटों को खाली करना

(दिल्ली)

849. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या शहरी विकास मन्त्री की यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों ने, न्यायालय द्वारा उन्हें फ्लैटों को खाली न करने सम्बन्धी आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक सरकारी फ्लैटों को खाली नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्यों की सूची क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, नहीं। सामान्य पूल में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर के निर्माण हेतु जमीन

850. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के निर्माण हेतु भूमि दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) भवन के लिए भूमि प्रदान करा दी गई है और यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी० पी० डब्ल्यू० डी०) को सौंप दिया गया है।

नलेटी में केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना

851. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) स्थित नलेटी के लोगों ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां तो, इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार अपेक्षित निर्धारित सुविधाओं के मुकाबले निम्नलिखित सुविधाओं की पेशकश करते हुए

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नमेटी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रायोजित किया :

मद	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार अपेक्षित सुविधायें	प्रायोजक राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधायें
1. भूमि	15 एकड़	10 एकड़
2. अस्थाई स्थान	12 कमरे	09 कमरे
3. आवासीय स्थान	स्टाफ का 50%	कुछ नहीं
4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की संख्या	200	200

(ख) प्रश्न नहीं उठता, चूंकि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर में 10+1 और 10+2 पाठ्यक्रम आरम्भ करने की मांग

852. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में 10+1 और 10+2 पाठ्यक्रम शुरू कराये जाने की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो, क्या सरकार का 1991-92 के सत्र से 10+1 पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 में विद्यालय के स्तरोन्नयन का प्रस्ताव भौतिक सुविधाओं के अभाव में अनुमोदित नहीं हो सका । वर्तमान में वर्ष 1991-92 के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में सरकारी मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

853. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बंगलौर और उसके आसपास मकानों के निर्माण के लिए एक संघटित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के मकानों के लिए पहले की योजना पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलम राम सारण) : (क) यद्यपि सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है फिर भी पर्याप्त निधियों की उपलब्धता तथा प्रावधान पर निर्भर करते हुए बंगलौर में समय-समय पर सामान्य पूलवास का निर्माण आरम्भ किया गया है।

(ख) अब तक विभिन्न टाइप के 828 क्वार्टर निर्मित किए गए हैं। हाल ही में 15 एकड़ माप की भूमि का एक प्लाट बंगलौर विकास प्राधिकरण से खरीदा गया है जिसका कब्जा कुछ न्यायिक मामलों के कारण बंगलौर विकास प्राधिकरण ने अभी तक नहीं दिया है। इस भूमि पर टाइप बी०, सी० तथा डी० के 672 क्वार्टरों के निर्माण का अनन्तिम निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू रोजगार योजना का मूल्यांकन

854. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था; और

(ग) क्या इस योजना के शुरू से इसके कार्यान्वयन का सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अर्ध-रोजगार में लगे निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। दो प्रकार के रोजगार की परिकल्पना की गई है—मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार।

(ग) योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन राज्य सरकारों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी राज्य सरकारों के पास भी जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा अब तक सूचित की गई प्रगति इसके साथ संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना			शहरी
		अब तक दी गई केन्द्रीय धन राशि	स्वीकृति आर्थिक सहायता	प्रशिक्षित प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षण ले रहे व्यय का सं०	अब तक दी गई केन्द्रीय धन राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	452.28	82.64	800	524.84
2.	बिहार	400.88	348.22	1298	680.13
3.	गुजरात	220.84	0.72	1816	600.32
4,	हरियाणा	61.68	6.98	479	125.55
5.	कर्नाटक	385.63	63.55	476	612.62
6.	केरल	173.17	9.58	—	219.71
7.	मध्य प्रदेश	401.10	24.88	3005	859.38

1	2	3	4	5	6
8.	महाराष्ट्र	471.84	32.21	7028	820.50
9.	उड़ीसा	1 5.36	54.00	820	301.39
10.	पंजाब	118.75	—	—	235.94
11.	राजस्थान	235.09	—	—	499.31
12.	तमिलनाडु	542.35	31.15	3336	562.10
13.	उत्तर प्रदेश	1000.66	13.78	72	1987.35
14.	पश्चिम बंगाल	430.46	—	—	443.87
15.	गोवा	9.34	—	—	30.88
16.	अरुणाचल प्रदेश	14.64	—	—	9.02
17.	असम	66.23	—	—	142.86
18.	हिमाचल प्रदेश	28.80	—	—	55.55
19.	जम्मू और कश्मीर	50.21	—	278	46.19
20.	मणिपुर	20.02	—	—	42.61
21.	मेघालय	14.63	—	—	13.19
22.	मिजोरम	9.43	—	—	25.09
23.	नागालैंड	17.49	—	—	16 33
24.	सिक्किम	11.77	—	80	20.29

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	10.00	—	140	45.10
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.85	—	—	5.55
27.	चंडीगढ़	18.57	—	—	5.87
28.	दादरा तथा नागर हवेली	4.85	—	—	1.87
29.	दमन और दीव	9.10	—	—	4.70
30.	लक्षद्वीप	4.74	—	—	12.30
31.	पांडिचेरी	10.64	—	—	24.85
32.	दिल्ली	60.00	—	—	—
	योग :	5385.19	667.74	20578	8975.00

* प्रगति आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार हैं ।

(लाख रुपये में)

मजदूर रोजगार योजना			आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना		
सूचित किया गया व्यय	उत्पन्न कार्य दिवसों की संख्या	अब तक नियमित केन्द्रीय धन राशि	स्वीकृत आर्थिक सहायता	स्वीकृत ऋण राशि	उन्नयन किए जाने वाले आवासीय इकाइयों की संख्या
7	8	9	10	11	12
111.92	152287	413.07	107.99	404.39	13496
311.94	519681	366.42	360.00	1470.50	45000
3.33	—	201.89	1.27	4.77	159
79.76	72417	56.15	62.62	234.84	7828
150.60	17796	352.25	147.36	552.60	18420
134.56	268452	158.23	282.63	112.85	35329
143.22	153677	374.29	366.16	1441.81	45772
146.79	473384	372.26	245.25	946.01	30656
56.36	107350	105.62	55.10	216.95	6877
124.84	93183	108.56	56.76	212.85	7095
75.37	—	215.11	—	—	—
434.32	1050969	431.32	424.00	1669.52	53000

7	8	9	10	11	12
110.14	215935	919.60	445.62	1746.81	55702
92.31	57112	329.67	323.78	1269.67	40472
5.27	11800	7.79	—	—	—
—	—	3.70	—	—	—
—	—	49.87	55.59	211.21	6948
24.11	2770	8.28	—	—	—
10.00	31800	23.62	24.87	93.27	3109
—	—	7.46	7.59	28.81	948
—	—	3.75	—	—	—
—	—	3.88	—	—	—
—	—	5.78	—	—	—
23.34	—	3.10	—	—	—
41.24	55874	3.28	2.61	9.93	326
1.34	1708	1.33	—	—	—
9.26	—	10.58	1.82	6.81	221
—	—	1.05	—	—	—
1.74	4714	1.70	—	—	—
11.24	38000	1.05	—	—	—
4.38	7155	8.04	—	—	—
—	—	9.70	—	—	—
2089.38	3494764	4560.00	2971.02	11581.09	371374

कर्नाटक में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

8 5. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजना के अधीन देश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का उस राज्य में कुछ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सेक्टर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए जाते हैं । किसी भी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य सेक्टर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोला जा सकता है ।

(ख) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना प्रस्तावित है जिनमें से 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 1991-92 के दौरान खोला जाना प्रस्तावित है ।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (4 विशेषज्ञताओं सहित 30 बिस्तरों वाली संस्थायें) भी स्थापित की जाती है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना प्रस्तावित है जिनमें से राज्य सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

कर्नाटक में रेशम के कीड़े पालना

856. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की जलवायु और मिट्टी शहतूत की खेती के लिए अत्यन्त अनुकूल है;

(ख) उस राज्य में अब तक रेशम के कीड़े पालन सम्बन्धी कितनी परियोजनायें शुरू की गई हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में शहतूत की खेती कुल कितने हेक्टेयर भूमि में करने का प्रस्ताव है और जहां खेती की जानी है उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां ।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में जिसमें बंगलौर, बेलगाम, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिन्नापुर्म, चिकमगलूर, उत्तर कन्नड़, धरवाड़, गुलबर्गा, हासन, कोलार, कोडागु,

पांडया, मैसूर, राइचुर, शिमोगा, टुमकुर और डी० कन्नड़ जिले शामिल हैं, ऐसी आशा है कि 25, 674 डच हैक्टेयर भूमि पर शहतूत की खेती की जाएगी।

(ग) कर्नाटक में चलाई गई रेशम की खेती की परियोजनायें निम्नलिखित हैं :

1. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना।
2. डच सहायता प्राप्त रेशम उत्पादन परियोजना।
3. यू जी फ्लाई के नियंत्रण पर भारत-डच सहयोग परियोजना।
4. विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना।

परिवार नियोजन का कार्य निष्पादन

857. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों की वर्ष 1990-91 के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य-निष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में नसबन्दी और नसबन्दी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन में अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) राज्यों से नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990-91 (अप्रैल से दिसम्बर, 1990 तक) के दौरान परिवार नियोजन का राज्य-वार और विधिवार कार्यनिष्पादन को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) भारत सरकार नसबन्दी के स्वीकारकर्त्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं देती। तथापि नसबंदी के स्वीकारकर्त्ता को मजदूरी की हानि के लिए 100 रुपये की धन-राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। कुछेक राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने योजनायें शुरू की हैं जिसके अन्तर्गत नसबन्दी के वे स्वीकारकर्त्ता जिनकी केवल लड़कियां ही हैं दीर्घ कालिक परिपक्वता वाले सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र के हकदार हैं।

विवरण

1990-91 (अप्रैल 90 से दिसम्बर 1990 तक परिवार नियोजन का राज्य-वार और विधिवार कार्य निष्पादन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिकरण	नसबन्दी	आई० यू० डी० निवेशन	प्रचलित गर्भ निरोधका के उपयोगकर्ता	मुख-सेव्य गोली के उपयोगकर्त्ता
1	2	3	4	5	6
I. प्रमुख राज्य (एक करोड़ अथवा इससे अधिक जनसंख्या					
1.	आंध्र प्रदेश	309540	165653	793707	175985
2.	असम	34924	19344	35913	8663

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	103952	93223	117170	38302
4.	गुजरात	138488	293719	793542	110181
5.	हरियाणा	57399	99485	457386	34704
6.	कर्नाटक	208137	145130	219292	71585
7.	केरल	130850	80915	290365	38913
8.	मध्य प्रदेश	148919	216817	1249270	210914
9.	महाराष्ट्र	358235	292450	1068071	372553
10.	उड़ीसा	91280	104933	262979	61709
11.	पंजाब	61721	227448	425770	54194
12.	राजस्थान	81075	116938	285441	57306
13.	तमिलनाडु	269076	279341	225776	156160
14.	उत्तर प्रदेश	175425	852536	1212399	162107
15.	पश्चिम बंगाल	183649	82234	235764**	85571
II.	छोटे राज्य				
1.	हिमाचल प्रदेश	14034	24134	58353	10422
2.	*जम्मू और कश्मीर	2584	5664	6878	2318
3.	मणिपुर	2488	5335	2212	498
4.	मेघालय	393	1117	1709	1062
5.	नागालैंड	951	581	13	90
6.	सिक्किम	379	1153	543	1637
7.	त्रिपुरा	3937	1514	4436	2472
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1186	1117	1581	411
9.	अरुणाचल प्रदेश	877	1578	1027	974
10.	चण्डीगढ़	1488	3890	7628	271
11.	दादरा और नगर हवेली	454	165	78	214
12.	दिल्ली	22248	50104	256027	4851
13.	गोवा	3047	2320	13879	2329

1	2	3	4	5	6
14.	दमण और दीव	261	95	334	157
15.	लक्षद्वीप	17	79	204	53
16.	मिजोरम	2755	1763	1468	981
17.	पांडिचेरी	5934	3142	7652	849
III.	**अन्य अभिकरण**				
1.	रक्षा मंत्रालय	12320	10025	55438	5149
2.	रेल मंत्रालय	20074	9327	291746	4800
	नि:शुल्क वितरण			**8414051**	**1678385**
	वाणिज्यिक वितरण			**3481481**	**407282**
	अखिल भारत	2448096	3193269	11895532	2085667

**आंकड़े अनन्तिम हैं।

*नवम्बर तक उपलब्धि।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण राशि में वृद्धि करना

859. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु दी जानी वाली ऋण राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना में आवास पर पूंजी निवेश में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा जून, 87 में बढ़ाई गई थी। निर्माण की लागत में वृद्धि को देखते हुए गृह निर्माण अग्रिम के प्रयोजनार्थ अधिकतम लागत सीमा को दिसम्बर, 90 में संशोधित किया गया था। गृह-निर्माण अग्रिम की स्वीकृति लाभभोगियों की आकलित देय क्षमता और सम्पूर्ण वित्तीय कठिनाइयों से सम्बद्ध है।

(ग) देश में आवास की कमी को देखते हुए आवास पर निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है किन्तु निवेश की मात्रा आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् आवंटन पर निर्भर करेगी।

फिजियोथेरापिस्टों का वर्गीकरण

861. **श्री जी० एस० वासवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में फिजियोथेरापिस्टों को "पैरा मेडिकल स्टाफ" वर्ग से स्वास्थ्य सेवा के "जनरल स्टाफ" वर्ग में शामिल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या फिजियोथेरापिस्टों ने मांग की है कि उन्हें विशेषज्ञ की श्रेणी प्रदान की जाए; और

(घ) यदि हां, तो उनके वर्गीकरण में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा के कार्य-चिकित्सकों को "परा-चिकित्सीय स्टाफ" श्रेणी से सामान्य श्रेणी स्टाफ में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। विशेषज्ञ के रूप में उनके वर्गीकरण के लिए दिल्ली प्रशासन में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

मानव जीन उपचार पद्धति (ह्यूमेन जीन थेरापी) का प्रयोग

862. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी पैनल ने असाध्य चर्म कैंसर के मरीजों तथा बच्चों में आनुवांशिक बीमारी का जो उनके असंक्रामय पद्धतियों को नष्ट कर देती है, के उपचार के लिए मानव जीन उपचार पद्धति पहली बार प्रयोग करने का अनुमोदन किया है;

(ख) क्या सरकार की भारत में इस तरह की उपचार पद्धतियां आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किये जा रहे कार्य का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुण्डका में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय

863. **श्री ओकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शहरीकृत गांव मुंडका में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का एक औषधालय खोलने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस गांव में केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारी रह रहे है तथा उन्हें औषधालय के अभाव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़

रहा है, इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के औषधालय खोलने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उक्त औषधालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में नवोदय विद्यालय

864. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितने नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) ये विद्यालय किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) किन-किन स्थानों पर विद्यालय-भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(घ) शिक्षा सत्र 1991-92 के दौरान इस राज्य में सरकार द्वारा किन स्थानों पर नये नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार कर्नाटक राज्य में अट्ठारह नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ग) उत्तरी कनारा और कुर्ग जिलों को छोड़कर अन्य सभी नवोदय विद्यालयों में भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(घ) वर्ष 1991-92 के शिक्षा-सत्र के दौरान कर्नाटक में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	स्थान/गांव का नाम	जिले का नाम
1.	दोड्डाबल्लापुर	बंगलौर
2.	बासिनूर	चिकमंगलूर
3.	येनिगदाले	कोलार
4.	शिवरागुड्डा	मांड्या
5.	कुकनूर	रायचूर
6.	गजनूर	शिमोगा

1	2	3
7.	सेलिमेरी	उत्तरी कन्नारा
8.	मचिनाकेड़ा	हासन
9.	नारायणपुर	कोलार
10.	गलिबेडु	कुर्ग
11.	भीमा रायंगुड़ी	गुलबर्गा
12.	केलागिरी	बारबाड़
13.	कोथाली-कुप्पावड़ी	बेलगाम
14.	अलमती डेम	बीजापुर
15.	चिक्काबोगिहाल्ली	बेल्लारी
16.	मेटीकुड़का	चिकबुर्ग
17.	होंडारबला चमारजंगरा	मैसूर
18.	गोल्लाहाल्ली	तुमकुर

कर्नाटक में अस्पतालों का आधुनिकीकरण

865. श्री एच० सी० श्रीकांतैय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की राज्य सरकार ने कर्नाटक में अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उक्त राशि देने के लिए सहमत हो गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बनवारी लाल चौधरी) : (क) जी हां। कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित आर्थिक सहायता की मांग की है :—

(I) रायचूर जिला अस्पताल परियोजना के लिए 90 लाख डालर का अनुदान; और

(II) राज्य में मेडिकल कालेजों के कैंसर विंगों में 2.09 करोड़ रुपये की लागत के उपस्कर देने के लिए विदेशी आर्थिक सहायता।

(ख)(I) ऋण सहायता के लिए रायचूर के प्रस्ताव को पहले ही ओपैक को भेज दिया गया है, हालांकि करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(II) मेडिकल कालेजों के लिए कैंसर उपस्करों के संबंध में आवश्यक योजना बनाने के लिए तथा बजट व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर दिया गया है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके।

कर्नाटक को चावल और गेहूं

866. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से माहवार कर्नाटक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी-कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की सप्लाई की गई;

(ख) उक्त महीनों के दौरान राज्य की कुल मांग कितनी थी;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने चावल और गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कर्नाटक के सम्बन्ध में अप्रैल, 1990 से चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उनके चावल और गेहूं के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। कर्नाटक सरकार ने भी गेहूं और चावल के आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था। कर्नाटक के लिए चावल के आवंटन को फरवरी और मार्च, 1991 के महीनों के लिए 3000 मीटरी टन और जनवरी, 1991 के मास के लिए गेहूं के आवंटन को 10,000 मीटरी टन बढ़ाने और फरवरी तथा मार्च, 1991 के लिए 5,000 मीटरी टन और बढ़ाने के लिए इजाजत दी गई थी। तथापि, कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, बाजार उपलब्धता, उठान की प्रकृति, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सामेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका उद्देश्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की समस्त आवश्यकता/मांग को पूरा करना नहीं होता है।

विवरण

कर्नाटक के संबंध में अप्रैल, 1990 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

	मांग		आवंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
अप्रैल, 1990	75.0	25.0	50.0	25.0	47.6	24.5
मई, 1990	75.0	25.0	50.0	25.0	44.2	24.0
जून, 1990	75.0	25.0	50.0	25.0	40.1	21.6
जुलाई, 1990	75.0	25.0	50.0	25.0	43.3	23.6

1	2	3	4	5	6	7
अगस्त, 1990	75.0	25.0	50.0	25.0	41.6	24.2
सितम्बर, 1990	75.0	25.0	55.0	30.0	39.2	25.5
अक्तूबर, 1990	75.0	25.0	50.0	30.0	38.9	26.0
नवम्बर, 1990	75.0	50.0	48.0	30.0	42.2	26.3
दिसम्बर, 1990	75.0	50.0	45.0	30.0	40.6	27.7
जनवरी, 1991	75.0	50.0	45.0	40.0	40.6	30.8
फरवरी, 1991	75.0	50.0	48.0	45.0	उ०न०	उ०न०
मार्च, 1991	75.0	50.0	48.0	45.0	उ०न०	उ०न०
जोड़	900.0	425.0	589.0	375.0	418.3 (जनवरी, 1991 तक)	251.2 (जनवरी, 1991 तक)

सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर सरकारी आवास छोड़ना

867. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर उन्हें आवंटित सरकारी आवास छोड़ना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति को सभी उपक्रमों के मामले में पूरी तरह कार्यान्वित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें सामान्य पूल आवास प्राप्त है तथा जिन्हें एक नये संघटित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाता है, उन्हें अपने आवास को दो वर्ष की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अवधि कुछ मामलों में मामले की योग्यता के आधार पर बढ़ाई गई थी।

हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु स्थानों का चयन

[हिन्दी]

868. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु चयन किए गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 1985 के दौरान अथवा उसके बाद नवोदय विद्यालय का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के 12 में से 8 जिलों — मंडी, शिमला, चम्बा, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में नवोदय विद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। शेष जिलों में से सोलन और बिलासपुर जिलों के लिए राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्ताव मिले हैं। परन्तु, इन जिलों में वित्तीय दबावों के कारण विद्यालय स्थापित नहीं किए जा सके।

हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने लिए धनराशि का आबंटन

869. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में संस्कृत की प्रोन्नति तथा विकास के लिए 369.00 लाख रु० के अन्तरिम आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस कार्य के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता।

चीनी एककों को कर की प्रतिपूर्ति

[अनुवाद]

870. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवों की समिति ने दो लाख टन चीनी का पोत लदान करने के पश्चात् चीनी विकास कोष से चीनी उद्योग को 14 प्रतिशत कर की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने सचिवों की समिति के सुझावों/सिफारिशों पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सचिवों की समिति के निर्णय को उल्ट दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) सरकार ने सचिवों की समिति के चीनी के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के प्रावधान के अतिरिक्त निर्यात की गई मात्रा पर चीनी विकास कोष से 14 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर की वापसी भी करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पहले विचार किया था। दो प्रकार से सहायता देने की बजाय सरकार चीनी निर्यात के लिए केवल नकद प्रतिपूर्ति योजना के रूप में ही सहायता के प्रश्न पर विचार कर रही है।

दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

871. **श्री तारीफ सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है और अधिग्रहित की जानी है;

(ख) कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) उनमें से कितने लोगों को वैकल्पिक रिहायशी भू-खंड प्रदान कर दिये गये हैं; और

(घ) क्या उनके लिए कुछ व्यावसायिक भूखंड भी आरक्षित किए गए हैं और यदि हां, तो कितने लोगों को व्यावसायिक भू-खंड आवंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री कौलत राम सारण) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 4070 बीघा तथा 16 विस्वा कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दिल्ली में 20,392 बीघा तथा 3 विस्वा भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

(ख) 1855 भूमिधरों की भूमि अधिग्रहित की गई है।

(ग) उन भू-स्वामियों से, जिनकी भूमि के संबंध में 31-12-88 के पश्चात अवार्ड घोषित किये गये हैं, दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

(घ) अधिग्रहण की गई कृषि भूमि के बदले में वैकल्पिक प्लाट देने की योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्लाट आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उनके मामले में कतिपय अनुबन्धों की शर्तें पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों के मामले में 10% तक आरक्षण किया गया है।

निर्यात हकदारी नीति

872. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलेसिलाये वस्त्रों के सम्बन्ध में निर्यात हकदारी नीति, 1990 का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन सालों के मानदण्डों की तुलना में क्या कोई वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) परिधानों के सम्बन्ध में वर्ष 1991-93 के दौरान लागू होने वाली निर्यात हकदारी वितरण नीति अगस्त, 1990 में घोषित की गई थी। नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1991-93 के लिए एक नई दीर्घकालीन परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति अगस्त, 1990 में घोषित की गई थी। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नोक्त प्रकार हैं

विभिन्न पद्धतियों में वार्षिक स्तरों को निम्नोक्त प्रकार से पुनः वितरित किया गया है :

पद्धति	प्रतिशतता
1. पिछली निष्पादन हकदारी (पी०पी०ई०) पद्धति	60%
2. पहले आओ पहले पाओ (एफ०सी०एफ०एस०) पद्धति	10%

पद्धति	प्रतिशतता
3. विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम०ई०ई०) पद्धति	18%
4. सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी (पी०एस०ई०) पद्धति	2%
5. गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन०क्यू०ई०) पद्धति	10%

(1) पी० पी० ई० पद्धति

पी० पी० ई० स्थानान्तरण पर लागू सभी चालू प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। इसमें स्थानान्तरण द्वारा ली गई हकदारी शामिल नहीं है जिसे कि पुन: स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

(2) एफ० सी० एफ० एस० पद्धति

किसी देश/श्रेणी के लिए एक दिन में वैयक्तिक निर्यातकों द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के लिए परिमाणात्मक सीमा को छोड़कर प्रतिबन्धित शर्तों को हटा दिया गया है। स्तरों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समस्त एफ० सी० एफ० एस० मात्रा प्रथम अवधि के दौरान ही रिलीज कर दी जाएगी।

(3) एम० ई० ई० पद्धति

भारतीय सिलेसिलाए परिधानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना को और प्रोत्साहित करने के लिए एम० ई० ई० पद्धति के अन्तर्गत आबंटन 10% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मौजूदा एककों के लिए आधार अवधि में 20 लाख रुपये के न्यूनतम वार्षिक निर्यात निष्पादन की शर्त लागू की गई है।

(4) पी० एस० ई० पद्धति

अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या एपेक्स हथकरघा विपणन सहकारिता को आबंटन के मापदण्ड को कीमत वसूली की बजाए एककों की उत्पादन क्षमता से जोड़ा गया है। इस प्रकार पी०एस० ई० पद्धति को एम० ई० ई० पद्धति के निकट लाया गया है।

(5) एन० क्यू० ई० पद्धति

गैर-कोटा देशों में उपलब्ध सम्भाव्यता के दोहन और कोटा देशों में गैर-कोटा मदों को प्रोत्साहन करने के लिए एन० क्यू० ई० पद्धति में आबंटन को 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। उच्च सम्भाव्यता वाले के गैर-कोटा देशों को निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से एन० क्यू० ई० का एक भाग इस उद्देश्य से कुछ अभिज्ञात देशों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। यह योजना वर्ष 1992 और 1993 के लिए लागू होगी। पहले से ही स्थानान्तरित हकदारी, जिसे कि पुन: स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। एन० क्यू० ई० पद्धति में आधार अवधि को पी० पी० ई० पद्धति की आधार अवधि के समक्ष कर दिया गया है। आधार अवधि के दौरान न्यूनतम निर्यात निष्पादन के शर्त को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

873. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल के निर्गम मूल्यों में 26-1-1991 से निम्नवत वृद्धि की गई है :

खुला तेल 14,150 रु० प्रति मी० टन से 16,500 रु० प्रति मी० टन

15 किग्रा० के टीनों में 14,500 रु० प्रति मी० टन से 19 000 रु० प्रति मी० टन

युवाओं-संबंधी उच्च स्तरीय बैठक

[अनुवाद]

874. श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को शामिल करने तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय युवा परिषद की पहली बैठक 11-12 फरवरी, 1991 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

(ख) परिषद के दो कार्यकारी दलों द्वारा निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :

(I) शिक्षा का अधिकार,

(II) युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम,

(III) रोजगार,

(IV) युवाओं में जागरूकता बढ़ाना,

(V) स्वास्थ्य जागरूकता,

(VI) ग्रामीण युवाओं के लिए विकास के अवसर,

(VII) परिवार नियोजन,

(VIII) इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका तथा महत्व,

(IX) मौजूदा युवा कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना,

(X) कालेज के छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा की आवश्यकता,

(XI) युवा विकास हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना,

(XII) ग्रामीण स्तर पर समुदाय युवा केन्द्र,

(XIII) संस्कृति की भूमिका और युवा,

(XIV) राष्ट्रीय प्रहरी की स्थापना, और

(XV) युवाओं को शामिल करने के लिए अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ।

(ग) और (घ) परिषद द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य-वार पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता

875. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुषों और महिलाओं में, राज्यवार, साक्षरता के नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इन राज्यों में साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रामंगल पांडे) : (क) देश में साक्षरता सम्बन्धी आंकड़े दशवार्षिक जनगणना कार्य के माध्यम से एकत्रित किए गए हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता की दर 36.23% थी। 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका 15-35 आयु वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को 1995 तक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, ये देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न भाग है।

सभी राज्यों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपना कर उस विशेष क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि में निरक्षरता उन्मूलन करने के प्रयास पर जोर दिया गया है। तदनुसार पूरे केरल और गोवा के राज्यों और संघशासित पांडिचेरी गुजरात के 100 तालुकों और आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 31 अन्य जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है/किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान यह आशा की जाती है कि ऐसे अभियान 30 और जिलों में भी शुरू किए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निरक्षर व्यक्तियों की संख्या	पुरुष	महिलाएं
	भारत*	424,256,000	182,644,855	241,611,145
1.	आन्ध्र प्रदेश	37,514,855	16,466,545	21,048,310
2.	बिहार	51,593,730	22,239,088	29,354,642

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	19,189,955	7,997,371	11,192,584
4.	हरियाणा	8,252,720	3,579,280	4,673,440
5.	हिमाचल प्रदेश	2,462,531	1,015,650	1,446,881
6.	जम्मू और कश्मीर	4,390,613	2,016,091	2,374,522
7.	कर्नाटक	22,852,997	9,686,351	13,166,646
8.	केरल	7,528,948	3,099,675	4,429,273
9.	मध्य प्रदेश	37,634,276	16,269,003	21,365,273
10.	महाराष्ट्र	33,163,365	13,398,623	19,804,742
11.	मणिपुर	833,335	336,775	496,560
12.	मेघालय	880,628	424,686	455,842
13.	नागालैंड	445,052	207,715	237,337
14.	उड़ीसा	17,343,086	7,041,143	10,301,923
15.	पंजाब	9,928,566	4,722,332	5,206,234
16.	राजस्थान	25,907,745	11,372,998	14,534,747
17.	सिक्किम	208,647	96,661	211,986
18.	तमिलनाडु	25,770,418	10,220,293	15,550,125
19.	त्रिपुरा	1,188,259	509,445	678,814
20.	उत्तर प्रदेश	80,756,753	36,020,825	44,735,928
21.	पश्चिम बंगाल	32,236,494	14,087,856	18,148,638
22.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	91,420	44,278	47,142
23.	अरुणाचल प्रदेश	500,506	241,111	259,395
24.	चण्डीगढ़	159,030	79,148	79,882
25.	दादरा और नगर हवेली	76,021	33,443	42,578
26.	दिल्ली	2,392,080	1,087,198	1,304,882
27.	गोवा, दमन और दिव	470,978	188,719	282,259
28.	लक्षद्वीप	18,084	7,084	11,000
29.	मिजोरम	197,072	91,427	106,645
30.	पांडिचेरी	266,856	104,041	1162,81[illegible]

* इसमें असम को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि 1981 की जनगणना के समय वहां चल रही खराब परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

वर्ष 1991-92 के दौरान नवोदय विद्यालय खोलना

876. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991-92 के दौरान कितने नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे; और

(ख) किन-किन जिलों में ये विद्यालय खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के शिक्षा सत्र के दौरान देश में नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है ।

परिवार नियोजन के क्षेत्र में राज्यों का कार्य निष्पादन

877. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है;

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम में किस राज्य ने सबसे अधिक लक्ष्य प्राप्त किया था; और

(ग) क्या परिवार नियोजन की ओर और अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई श्रीनिवास) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 675 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । राज्यों से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के लिए परिवार नियोजन के चारों तरीकों के निर्धारित राज्यवार वार्षिक लक्ष्यों तथा अब तक (अप्रैल-दिसम्बर, 1990) की उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) बड़े राज्यों में अब तक केरल, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने नसबन्दी, आई०यू०डी० निवेशनों, प्रचलित गर्भनिरोधकों के समकक्ष उपयोगकर्ताओं तथा मुख सेव्य गोली के समकक्ष उपयोगकर्ताओं के वार्षिक लक्ष्यों की उच्चतम प्रतिशतता प्राप्त की है ।

(ग) परिवार नियोजन की ओर अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए किसी नए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1990-91 के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

नसबन्दी

*अप्रैल से दिसम्बर तक की उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	वार्षिक लक्ष्य 1990-91	संख्या	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
I. बड़े राज्य (1 करोड़ या इससे अधिक आबादी)				
1.	आन्ध्र प्रदेश	650000	309540	47.6
2.	असम	254000	34924	13.7
3.	बिहार	550000	103952	18.9
4.	गुजरात	258000	138488	53.7
5.	हरियाणा	102000	57399	56.3
6.	कर्नाटक	360000	208137	57.8
7.	केरल	200000	130850	65.4
8.	मध्य प्रदेश	350000	148919	42.5
9.	महाराष्ट्र	575000	358235	62.3
10.	उड़ीसा	220000	91280	41.5
11.	पंजाब	120000	61721	51.4
12.	राजस्थान	225000	81075	36.0
13.	तमिलनाडु	425000	269076	63.0
14.	उत्तर प्रदेश	785000	175424	22.3
15.	पश्चिम बंगाल	500000	183649	36.7
II. छोटे राज्य				
1.	हिमाचल प्रदेश	34000	14034	41.3
**2.	जम्मू और कश्मीर	38000	2584	6.8
3.	मणिपुर	10000	2488	24.9
4.	मेघालय	8000	393	49.1

1	2	3	4	5
5.	नागालैंड	1500	951	63.4
6.	सिक्किम	1000	379	37.9
7.	त्रिपुरा	11000	3937	35.8
8.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2000	1186	59.3
9.	अरुणाचल प्रदेश	2300	877	38.1
10.	चण्डीगढ़	3500	1488	42.5
11.	दादरा और नगर हवेली	1000	454	45.4
12.	दिल्ली	40000	22248	55.6
13.	गोवा	4500	3047	67.7
14.	दमन और दीव	350	261	74.6
15.	लक्षद्वीप	70	17	24.3
16.	मिजोरम	3000	2755	91.8
17.	पांडिचेरी	5600	5934	106.0
III. अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	30800	12320	40.0
2.	रेल मंत्रालय	40480	20074	49.6
	अखिल भारत	5803900	2448096	42.2

* आंकड़े अनन्तिम

** नवम्बर तक की उपलब्धि

वर्ष 1990-91 के राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

आई० यू० डी० विवेशन

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	वार्षिक लक्ष्य 1990-91	अप्रैल से दिसम्बर तक की उपलब्धि*	
			संख्या	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
I. बड़े राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक आबादी)				
1.	आन्ध्र प्रदेश	450000	165653	36.8
2.	असम	90000	19344	21.5

1	2	3	4	5
3.	बिहार	475000	93223	19.6
4.	गुजरात	460000	293719	63.9
5.	हरियाणा	210000	99485	47.4
6.	कर्नाटक	262000	145130	55.4
7.	केरल	150000	80915	53.9
8.	मध्य प्रदेश	370000	216817	58.6
9.	महाराष्ट्र	525000	292450	55.7
10.	उड़ीसा	200000	104933	52.5
11.	पंजाब	350000	227448	65.0
12.	राजस्थान	250000	116938	46.8
13.	तमिलनाडु	550000	279341	50.8
14.	उत्तर प्रदेश	1535000	852536	55.5
15.	पश्चिम बंगाल	225000	82234	36.5
II.	छोटे राज्य			
1.	हिमाचल प्रदेश	60000	24134	40.2
2.	**जम्मू व कश्मीर	26000	5664	21.8
3.	मणिपुर	8000	5335	66.7
4.	मेघालय	2000	1117	55.9
5.	नागालैंड	2500	581	23.2
6.	सिक्किम	1300	1153	88.7
7.	त्रिपुरा	2500	1514	60.6
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1500	1117	74.5
9.	अरुणाचल प्रदेश	2400	1578	65.8
10.	चंडीगढ़	10000	3890	38.9
11.	दादरा व नगर हवेली	200	165	82.5
12.	दिल्ली	126000	50104	39.8

1	2	3	4	5
13.	गोवा	3500	2320	66.3
14.	दमन व दीव	330	95	28.8
15.	लक्षद्वीप	150	79	52.7
16.	मिजोरम	2700	1763	65.3
17.	पांडिचेरी	4200	3142	74.8
III. अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	24400	10025	41.1
2.	रेल मंत्रालय	20320	9327	45.9
	अखिल भारत	6400000	3193269	49.9

ऋ आंकड़े अनन्तिम।

* नवम्बर तक की उपलब्धि।

वर्ष 1990-91 के राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां प्रचलित गर्भ निरोधकों के समकक्ष उपयोगकर्ता

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	वार्षिक लक्ष्य 1990-91	*अप्रैल से दिसम्बर की उपलब्धियां	
			संख्या	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
I. बड़े राज्य (1 करोड़ या इससे अधिक आबादी)				
1.	आंध्र प्रदेश	1078300	53707	73.6
2.	असम	40000	33913	89.8
3.	बिहार	359100	117170	32.6
4.	गुजरात	600000	793542	132.3
5.	हरियाणा	552360	457386	82.8
6.	कर्नाटक	264630	219292	82.9
7.	केरल	297200	290365	97.7

1	2	3	4	5
8.	मध्य प्रदेश	1100000	1249270	113.6
9.	महाराष्ट्र	969000	1068071	110.2
10.	उड़ीसा	291600	202979	100.5
11.	पंजाब	473600	423770	89.9
12.	राजस्थान	400000	285441	71.4
13.	तमिलनाडु	389000	225776	58.0
14.	उत्तर प्रदेश	1459500	1212399	83.1
15.	पश्चिम बंगाल	418700	235764	56.3
II.	छोटे राज्य			
1.	हिमाचल प्रदेश	75000	58353	77.8
2.	**जम्मू व कश्मीर	16000	6878	43.0
3.	मणिपुर	5100	2212	43.4
4.	मेघालय	3000	1709	57.0
5.	नागालैंड	900	13	1.4
6.	सिक्किम	800	543	67.9
7.	त्रिपुरा	1600	4436	277.3
8.	अण्डमान और निकोबार दीप समूह	1580	1581	100.1
9.	अरुणाचल प्रदेश	300	1027	342.3
10.	चण्डीगढ़	11180	7628	68.2
11.	दादरा और नगर हवेली	940	78	8.3
12.	दिल्ली	450000	256027	56.9
13.	गोवा	12900	13879	107.6
14.	दमण और दीव	750	334	44.5
15.	लक्षद्वीप	1000	204	20.4
16.	मिजोरम	4240	1468	34.6
17.	पांडिचेरी	9900	7652	77.3
III.	अन्य एजेंसियां			
1.	रक्षा मंत्रालय	61350	55438	90.4
2.	रेल मंत्रालय	400000	291746	72.9
	निःशुल्क वितरण	9749530	8414051	86.3
	वाणिज्यिक वितरण	5330000	3481481	65.3
	अखिल भारत	15079530	11895532	78.9

* आंकड़े अनन्तिम।

** नवम्बर तक की उपलब्धि।

वर्ष 1990-91 के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां मुख सेव्य गोली के समकक्ष उपयोगकर्ता

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	वार्षिक लक्ष्य 1990-91	अप्रैल से दिसंबर तक की उपलब्धि संख्या	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
I. बड़े राज्य (1 करोड़ या इससे अधिक आबादी)				
1.	आन्ध्र प्रदेश	225128	175985	78.2
2.	आसाम	30000	8663	28.9
3.	बिहार	59700	38302	64.2
4.	गुजरात	90000	110181	122.4
5.	हरियाणा	32800	34704	105.8
6.	कर्नाटक	77900	71585	91.9
7.	केरल	50300	38913	77.4
8.	मध्य प्रदेश	220000	210914	95.9
9.	महाराष्ट्र	286600	372553	130.0
10.	उड़ीसा	53900	61709	114.5
11.	पंजाब	47900	54194	113.1
12.	राजस्थान	50000	57308	114.6
13.	तमिलनाडु	173600	156160	91.0
14.	उत्तर प्रदेश	224900	162107	72.0
15.	पश्चिम बंगाल	124600	85571	68.7
II. छोटे राज्य				
1.	हिमाचल प्रदेश	12000	10422	86.9
2.	जम्मू व कश्मीर	4000	2318	58.0
3.	मणिपुर	500	498	99.6
4.	मेघालय	2000	1062	53.1
5.	नागालैंड	1000	90	9.0
6.	सिक्किम	1300	1637	125.9

1	2	3	4	5
7.	त्रिपुरा	2100	2472	117.7
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	380	411	108.2
9.	अरुणाचल प्रदेश	700	974	139.1
10.	चंडीगढ़	900	271	30.1
11.	दादरा व नगर हवेली	180	214	118.9
12.	दिल्ली	8000	4851	60.6
13.	गोवा	2300	2329	101.3
14.	दमन व दीव	120	157	130.8
15.	लक्षद्वीप	300	53	17.7
16.	मिजोरम	1580	981	62.1
17.	पांडिचेरी	1040	849	81.6
III. अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	2960	5149	174.0
2.	रेल मंत्रालय	4100	4800	117.1
	निशुल्क वितरण	1792788	1678385	93.6
	वाणिज्यिक वितरण	700000	407282	58.2
	अखिल भारत	2492788	2085667	83.7

* आंकड़े अनन्तिम ।

** नवम्बर तक की उपलब्धि ।

केरल को जल पूर्ति के लिए विश्व बैंक से सहायता

878. श्री के० मुरलीधरण : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से विश्व बैंक ऋण से शहरों में पेय जल की पूर्ति की गम्भीर कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) केरल सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से चल रही केरल जलपूर्ति और स्वच्छता परियोजना के विस्तार तथा पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें केरल के शहरों के लिए निम्नलिखित पेयजल पूर्ति योजनाएं शामिल है :

(i) वर्ष 1996 में 0.54 मिलियन प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 125 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति-दिन की सकल प्रति व्यक्ति पूर्ति मुहैया करने के लिए 8.82 करोड़ रुपये की लागत से कालीकट जल पूर्ति योजना चरण-II; और

(ii) वर्ष 2006 तक 0.73 मिलियन प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 160 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मुहैया करने के लिए 26 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेटर त्रिवेन्द्रम जलपूर्ति योजना चरण-I;

भारत सरकार द्वारा यह प्रस्ताव विश्व बैंक को औपचारिक अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एम० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण

899. **श्री नन्दलाल मीना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने एम० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण किया गया और अब तक, वर्षवार, निर्मित फ्लैटों के साथ इनकी तुलना कैसे की जा सकती है और इनके बारे में भावी योजना क्या है और किन क्षेत्रों में इनका निर्माण किया जाएगा; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एम० आई० जी० के लिए पंजीकृत सभी व्यक्तियों को वर्ष 1994-94 तक फ्लैट प्रदान कर पाएगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 344 मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। 1989-90 तक निर्मित मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भविष्य में, फ्लैटों का निर्माण द्वारका चरण-I तथा II, नरेला चरण I, II, III रोहणी चरण I, II तथा III, IV एवं V, जसोला, धीरपुर क्षेत्रों तथा अन्य कालोनियों के शेष पाकेटों में भू म तथा मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत सभी शेष पंजीकृत व्यक्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक फ्लैट आबंटन की सम्भावना है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मध्यम आय वर्ग के मकानों सम्बन्धी सामान्य सारांश

मार्च, 90 को समाप्त, वर्षवार	मध्यम आय वर्ग
1966-67	72
1967-68	16
1968-69	878

1	2
1969-70	475
1970-71	414
1971-72	2352
1972-73	3331
1973-74	1216
1974-75	646
1975-76	182
1976-77	1920
1977-78	568
1978-79	1089
1979-80	2012
1980-81	3260
1981-82	3673
1982-83	1368
1983-84	2849
1984-85	1452
1985-86	5670
1986-87	2060
1988-88	5264
1988-89	3052
1989-90	2312
जोड़ :	46131

भारतीयम 89

880. [illegible] यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नवम्बर, 1989 में "भारतीयम, 89" के नाम से कोई सांस्कृतिक शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली से बाहर के बच्चों के लिए "स्लम" जैसी रिहाइश के निर्माण पर भारी धनराशि खर्च की गई और सतर्कता आयोग इस प्रकार की रिहाइश के निर्माण के लिए दिए गए ठेकों से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई जांच कर रहा है;

(ग) क्या उक्त अधिकारियों ने ही अब भारतीयम कार्यक्रम और भारतीयम ग्राम पर वीडियो कैसेट तैयार किये हैं यदि हां, तो कितने और किस उद्देश्य से; और

(घ) इन कैसेटों पर कुल कितना खर्च हुआ है और उनकी बिक्री से कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रति माड्यूल 87,000/- रुपए की लागत पर 151 माड्यूल, लागत प्रभावी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अर्धस्थायी शिविर सुविधा के रूप में रिकार्ड समय पर निर्मित किए गए। ये माड्यूल अग्नि प्रतिरोधक पी० वी० सी० शिंगलों से कवर किए सघन मिडियम वाले फाइब्र के क्लैड और वैल्डेड स्टील सुपर-ढांचों सहितजली-भूमी के ब्लाकों और ईंटों से लगभग 5' ऊंची दिवारों के बनाए गए थे। निर्माण का कार्य बिल्डिंग सैंटर द्वारा पूरा किया गया था और यह संगठन हुडको (केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम) व दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्लम ब्रिग के संयुक्त प्रयासों द्वारा विकसित किया गया था। प्रत्येक माड्यूल में लगभग 46 शिविरार्थी ठहराए गए थे। इन शिविरों में सम्पूर्ण भारत से बुलाए गए 6700 से अधिक अध्यापकों व बच्चों को ठहराया गया था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी० टी० ई०) ने निर्माण की तकनीकी जांच की थी। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने मामले की आगे की जांच के लिए पुन: विभाग को भेजा है।

(ग) और (घ) वीडियो कैसेट तैयार करने के लिए विभाग द्वारा 2 लाख रुपए दिए गए थे। कुल 260 कैसेट तैयार किए गए। इन कैसेटों का उद्देश्य देश के बच्चों और युवाओं में वृहद् स्तर पर भारतीयम और राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण संदेश का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य सभी संबंधितों में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और शारीरिक स्वस्थता की आवश्यकता और उसकी तकनीकी जानकारी भी उत्पन्न करना था। इनका वितरण सभी एजेंसियों तथा भारतीयम जो एक सतत् कार्यक्रम है, से संबंध रखने वालों में किया गया था।

इन कैसटों की बिक्री से कोई राशि एकत्र नहीं की गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन विकास परियोजनाएं

881. **श्री माणिकराम होडल्या गावीत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहर की तेजी से बढ़ रही आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन चल रही विकास परियोजनाओं पर कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाई की है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वह मकानों के निर्माण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विकास परियोजनाएं मूल तथा भूत आधारभूत सेवाओं की कमी के कारण दिल्ली की तेजी से बढ़ रही आवास की आवश्यकताओं का सामना नहीं कर सकती ।

(ग) इन सेवाओं के बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक स्थाई समिति समय-समय पर मामले की जांच करती है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शेष पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक फ्लैट आवंटित करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की गृह वचनबद्धताएं

882. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री छेदी पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी आवास संबंधी वचनबद्धता को निभाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या-क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि तथा आधारभूत सेवाओं की कमी ।

(ग) आवास के पिछले बकाया को समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने आवास में वृद्धि करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल करने और योजनावधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए एक योजना तैयार करने का कार्य आरम्भ किया है ।

हृदय रोग पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

883. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री आर० एम० भोए :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 माह के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग के रोकथाम पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गोष्ठी में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) गोष्ठी के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 10 से 14 जनवरी, 1991 को निवारक हृदय विज्ञान और हृदयवाहिका जानपदिक रोग विज्ञान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें भारत और नेपाल, श्रीलंका, बंग्लादेश, अमेरिका, यू० के०, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, चेकोस्लोवाकिया और जाम्बिया देशों के 300 वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

(ग) इस सेमिनार में भाग लेने वालों के नाम, उनके देशों के नाम के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) विचार गोष्ठी के वैज्ञानिक कार्यक्रम में आमवास हृदय रोग, कोरोनरी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, युवाओं में हृदयवाहिका जोखिम कारकों आथोर्टी-आर्थराइटिस एंडीमायोकार्डियल फाइब्रोसिस के कारणों और रोकथाम के विभिन्न पहलुओं और तम्बाकू नियन्त्रण पर गहन समीक्षा और अलग-अलग चर्चाएं हुई। इन रोगों के जोखिम कारकों पर उपलब्ध सूचना और उनके नियंत्रण के लिए निवारक कार्य नीतियों पर आलोचनात्मक चर्चाएं हुई। हृदयवाहिका रोगों के खतरे को रोकने के लिए योजना-बद्ध और सुदृढ़ निवारक कार्यक्रमों हेतु आवश्यक सूचना तैयार करने पर अनुसंधान प्राथमिकताएं प्रस्तुत की गई। विचार गोष्ठी में विशेषज्ञों में निम्नलिखित बातों पर सहमति थी—

(1) हृदयवाहिका रोगों का भारत में खतरा बढ़ता जा रहा है और यदि इन्हें रोकने के लिए सुदृढ़ कार्रवाई नहीं की गई तो अगले दो दशकों में यह बड़ी महामारी का रूप ले लेगा;

(2) समुचित निवारक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए इन रोगों के कारणों के बारे में काफी सूचना उपलब्ध है; और

(3) भारत के विभिन्न भागों में जोखिम कारकों के बढ़े हुए स्तर तथा हृदय रोगों की व्यापकता का पता लगाने के लिए सुनियोजित महामारी विज्ञान अध्ययनों के माध्यम से और अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

विवरण

निवारक हृदय-विज्ञान एवं हृदयवाहिका जानपदिक रोग विज्ञान (10-14 जनवरी, 1991) पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले विदेशी वक्ता।

क्रम सं०	नाम	देश
1.	डा० सलीम युसुफ	अमेरिका
2.	प्रोफेसर एच० केस्टेलूट	बेल्जियम
3.	प्रोफेसर डेविड डे० पी० बार्कर	इंग्लैंड
4.	प्रोफेसर जैक हृश	कनाडा

1	2	3
5.	डा० पाल वाल्टन	अमेरिका
6.	डा० डाडरिक ग्रोबी	नीदरलैंड्स
7.	डा० ल्विन लैवार्थ	अमेरिका
8.	डा० कृष्णा सोमर्स	आस्ट्रेलिया
9.	डा० चन्द्रा पटेल	इंग्लैंड
10.	डा० मार्क स्टीनहाफ	अमेरिका
11.	डा० एलिजाबैथ बैरेट-कानर	अमेरिका
12.	डा० ए० सी० आर्न्टजेनियस	नीदरलैंड्स
13.	डा० रैफेल ओगानाव	रूस
14.	प्रोफेसर जैड० पीसा	चेकोस्लोवाकिया
15.	डा० लैरी क्लेरविज्ज	कैलिफोर्निया
16.	डा० पाल मेककेला	इंग्लैंड
17.	प्रोफेसर रिचर्ड हेलर	आस्ट्रेलिया
18.	डा० कीथ डाल	इंग्लैंड
19.	प्रोफेसर बाल राबन	इंग्लैंड
20.	डा० जी० पी० सटन	इंग्लैंड
21.	डा० जे० पी० एसी० नरूला	अमेरिका

भारतीय संकाय की सूची

(क) भारतीय संकाय की सूची (दिल्ली से बाहर)

1. प्रो० पी० एल० वाही,
   निदेशक,
   स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,
   चंडीगढ़-160012

2. प्रो० आर० पी० सप्रू,
   प्रोफेसर हृदय रोग विज्ञान,
   हृदय रोग विज्ञान विभाग,
   चंडीगढ़-160012

3. डा० अब्राहम जोसिफ,
   अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा विभाग,
   क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लूर।

4. प्रो० पी० एस० किदवई,
विभागाध्यक्ष,
हृदय रोग विज्ञान विभाग,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

5. डा० पी० एम० दलाल (तंत्रिकाजानपदिकरोग विज्ञानी),
3118, म्यूनिसिपल बिल्डिंग नं० 3,
फ्लैट-18, दूसरा तल, ब्लाक रोड, हाजी अली,
बम्बई।

6. प्रो० के० जी० बालकृष्णन,
विभागाध्यक्ष,
हृदयरोग विज्ञान विभाग,
श्री चित्रातिरूमल आयुर्विज्ञान संस्थान,
तिरुवनन्तपुरम।

7. डा० आर० सुब्रामणियम,
अतिरिक्त प्रोफेसर; हृदयरोग विज्ञान,
श्री चित्रातिरूमल आयुर्विज्ञान संस्थान,
तिरूवनन्तपुरम।

8. प्रो० आई० एस० आनन्द,
अतिरिक्त प्रोफेसर, हृदयरोग विज्ञान,
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,
चंडीगढ़।

9. प्रो० एम० कृष्णस्वामी,
विभागाध्यक्ष, हृदयरोग विज्ञान,
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
वेल्लूर।

10. प्रो० सुमन किनारे,
विभागाध्यक्ष, विकृति विज्ञान,
के० ई० एम० अस्पताल,
बम्बई।

11. प्रो० एम० एस० वालियाथन,
निदेशक,
श्री चित्रातिरूमल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान,
तिरूवनन्तपुरम-695011

12. डा० जय प्रकाश मुलियिल,
एसोसिएट प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा,
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
वेल्लूर-632002

13. प्रो० एन० के० गांगुली,
प्रोफेसर, प्रायोगिक चिकित्सा,
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,
चंडीगढ़ ।

14. डा० रणजीत बसु,
निदेशक (अनुसंधान और विकास),
बायो-बिहैवियरल साइंस,
155-ए, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कलकत्ता ।

15. डा० कमला कृष्णास्वामी,
उपनिदेशक,
राष्ट्रीय पोषण संस्थान,
हैदराबाद ।

16. डा० गफूरुन्निसा,
राष्ट्रीय पोषण संस्थान,
हैदराबाद ।

17. प्रो० जार्ज चेरियन,
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, हृदयरोग विज्ञान,
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
वेल्लूर ।

18. डा० प्रकाश सी० गुप्ता,
वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक,
टाटा इनस्ट्रिच्यूट आप फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड,
बम्बई ।

(ख) दिल्ली से भारतीय संकाय की सूची

1. प्रो० एम० एल० भाटिया,
निदेशक,
एस्कोर्ट हर्ट इनस्टिट्यूट,
न्यू ओखला रोड ।

2. प्रो० जे० एस० बजाज,
अध्यक्ष,
चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।

3. प्रो० एन० गोपीनाथ,
निदेशक,
सीताराम भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान,
न्यू महरौली रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया।

4. प्रो० एच० एस० वासिर,
कार्डियोलाजी विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

5. प्रो० आर० टंडन,
विभागाध्यक्ष कार्डियोलाजी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

6. प्रो० एम० खलीलुल्लाह,
निदेशक,
गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल।

7. प्रो० ए० सी० मनसंचदा,
कार्डियोलाजी विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

8. प्रो० एस० श्रीवास्तव,
कार्डियोलाजी विभाग,
अखिल भारतीय विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

9. प्रो० के० के० तलवार,
कार्डियोलाजी विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

10 प्रो० के० के० सेठी,
कार्डियोलाजी विभाग,
गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल।

11. प्रो० डी० एस० गम्भीर,
कार्डियोलाजी विभाग,
गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल।

12. डा० वी० के० बहल,
सह-प्रोफेसर, कार्डियोलाजी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

13. प्रो० जी० डी० गुप्ता,
राम तीर्थ अस्पताल।

14. प्रो० एम० के० मेहरा,
शरीर विज्ञान विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

15. ब्रिगेडियर चड्ढा,
सीताराम भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान,
न्यू महरौली रोड, इंस्टिट्यूशनल एरिया।

16. डा० विश्व देव,
सहायक प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

17. श्री तपस राय,
भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ,
न्यू महरौली रोड, इंस्टिट्यूशनल एरिया।

18. डा० के० एस० रेड्डी,
सह-प्रोफेसर, कार्डियोलाजी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

पब्लिक स्कूलों को बन्द करने का प्रस्ताव

884. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कुल कितने पब्लिक स्कूल हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार धनी और निर्धन दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए पब्लिक स्कूलों को बन्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) दिल्ली में गैर-सहायता-प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों की कुल संख्या 430 है।

(ख) से (घ) गैर-सहायता-प्राप्त निजी पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इनकी समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग), 19(1)(छ), 30(1) और 31-क का उल्लंघन होगा।

मलेरिया निवारण

885. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में मलेरिया के रोगियों की वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में मलेरिया फैला है;

(ग) क्या मलेरिया अन्य किसी भी रोग की तुलना में अधिक घातक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, चण्डीगढ़, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली में मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मलेरिया के रोकने/कम करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपायों को जारी रखा जा रहा है :—

— उपयुक्त कीट नाशकों का चुनिंदा विवेकपूर्ण अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव।

— रोगियों का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए पाक्षिक निगरानी।

— ग्रामीण क्षेत्रों में इन्जीनियरी छुट-फुट संशोधनों के माध्यम से जीव पर्यावरणिक नियंत्रण तरीके तथा शहरी क्षेत्रों में रसायनों तथा लार्वानाशी मछली के उपयोग एवं पर्यावरण में सुधार कर लार्वानाशी उपाय।

— मलेरिया के अत्यधिक प्रकोप वाले इलाकों में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपायों तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि के जरिए समुदाय की भागीदारी पर बल देते हुए विशिष्ट साज-समान (स्पेशल इन-पुट) उपलब्ध करना।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अर्थक्षम बनाना

886. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए एक नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम को अर्थक्षम बनाने से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बन्द पिलों को पुनः चालू करने में कितनी सहायता मिल पाएगी ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। एन० टी० सी० मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं :— खर्चीले क्रियाकलाप को समाप्त करना, अधिक कीमत के यार्न और कपड़े के उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, श्रमिक बल का उचित उपयोग करना, स्वैच्छा के आधार पर फालतू

श्रमिक बल का योक्तिकीकरण आदि ।

केरल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

887. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता की दूसरी किस्त देने की मांग की है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पहली किस्त के उपयोग को प्रमाणपत्र भेज दिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि पहली किस्त का समुचित उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि दी गई सहायता का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए जिसके लिए यह दी जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के वेतनमानों की संशोधन की योजना को कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा में स्तरों को बनाए रखने के अल्प उपायों के लिए, भारत सरकार 1-1-86 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त व्यय के ७०% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है । केरल सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करने के वास्ते 38.34 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की थी । केन्द्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये दो किस्तों में केरल सरकार को अब तक 30.00 करोड़ रु० की कुल राशि जारी की है । उपर्युक्त सहायता की अनुसूचित उपयोगिता का कोई उदाहरण केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है जब, केन्द्र सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए दिए गए अनुदानों को वास्तविक व्यय के ब्यौरे राज्य सरकार भेजेगी तब बकाया राशि दी जाएगी ।

सरकारी कालोनियों में लॉन का रख-रखाव

888. श्री नन्दलाल मीणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास कालोनियों में लॉन का समुचित ढंग से रख-रखाव किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके रख-रखाव में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) उद्यान विभाग का प्रयास उचित मार्गनिर्देशन तथा प्रभावी देख-रेख के माध्यम से अनुरक्षण का स्तर सुधारने का रहा है । तथापि,

काफी हद तक इन प्रयासों की सफलता, लॉन तथा इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को रोकने में वहां के निवासियों के सहयोग पर निर्भर करती है।

क्षय रोगियों की संख्या

889. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में क्षय रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्षयरोग की प्रभावशाली ढंग से रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) क्षयरोग एक अधिसूचनीय रोग नहीं है, इसलिए क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से सम्बन्धित यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 1955-58 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तथा देश के विभिन्न भागों में किए गए बाद के सीमित सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान है कि कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 प्रतिशत लोग विकिरण विज्ञान द्वारा प्रमाणित फेफड़े के क्षयरोग से पीड़ित हैं। जिनमें से लगभग एक चौथाई रोगी अर्थात 0.4 प्रतिशत रोगियों के थूक में रोग के लक्षण हैं अथवा संक्रमण है।

(ख) और (ग) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि देश में वर्ष प्रति वर्ष क्षयरोग में वृद्धि हो रही है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से क्षयरोगियों की कुल संख्या अधिक होती जा रही है।

(घ) देश में क्षयरोग की समस्या को कम करने के लिए जिले में स्थित वर्तमान स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थाओं के माध्यम से क्षयरोगियों का पता लगाने के लिए उपचार सुविधाओं वाले सुसज्जित और कर्मचारियों से लैस जिला क्षयरोग केन्द्र देश के प्रत्येक जिले में खोले जा रहे हैं। अब तक कुल 378 जिलों में जिला क्षयरोग केन्द्र खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 330 क्षयरोग क्लिनिक देश में कार्य कर रहे हैं। गम्भीर रूप से बीमार क्षयरोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 47000 क्षयरोग पलंग भी उपलब्ध हैं। रोग निवारक उपाय के रूप में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक वर्ष तक की आयु के बच्चों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है। सहायता के पैटर्न के अनुसार प्लान स्कीम के तहत राज्य द्वारा संचालित क्षयरोग केन्द्रों तथा स्वयंसेवी निकायों द्वारा संचालित क्षयरोग क्लिनिकों को क्षयरोगियों के उपयुक्त और कारगर इलाज के लिए क्षयरोग रोधी अनिवार्य औषधियां सप्लाई की जा रही हैं। क्षय रोग के बारे में जन-साधारण को जानकारी देने के लिये दूरदर्शन स्पाटों, आकाशवाणी स्पाटों, तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और लघु पुस्तिकाएं और पैम्फलेट छाप कर जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है।

तैयार मकानों की खरीद के लिए ऋण

890. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी देश भर में कहीं भी तैयार मकानों की खरीद के लिये ऋण पाने के हकदार हैं;

(ख) क्या उन्हें राज्य आवासीय बोर्डों से भी तैयार मकान खरीदने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो क्या हरियाणा, उड़ीसा जैसे राज्यों के कुछ राज्य आवासीय बोर्डों से तैयार मकान खरीदने के लिये ऋण की मंजूरी के लिये, आपके मन्त्रालय को भेजे गये आवेदन रद्द कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गृह निर्माण अग्रिम राज्य आवासीय बोर्डों या अन्य से तैयार मकान नकद भुगतान आधार पर खरीदने के लिए अनुमेय है न कि किराया खरीद आधार पर खरीदने के लिए। राज्य आवासीय बोर्डों को स्व-वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों के सम्बन्ध में गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी राज्य आवासीय बोर्ड द्वारा कतिपय मानक निबन्धनों और शर्तों की मंजूरी के पश्चात् ही दी जाती है। इस प्रकार के फ्लैटों के लिए गृह निर्माण अग्रिम के आवेदनों को तदानुसार निपटाया गया है।

11.59 म० प०

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रेल मंत्री कहां हैं ? पिछली सरकार द्वारा एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की गई थी लेकिन इस सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। (व्यवधान)

रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन को पुनः मान्यता प्रदान करने और 1974 की हड़ताल के पश्चात् बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में

12.00 मध्याह्न

(इस समय श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे जाकर अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर सभी माननीन सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आप रेल मंत्री को अभी बुलाइए। (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : रेल मंत्री को अभी बुलाओ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि श्री जनेश्वर मिश्र आए हैं और वे बयान करने वाले हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके अपनी-अपनी सीटों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शांत रहिए। मेहरबानी करके आप अपने स्थान पर जाइए। सदन को कार्यवाही में बाधा पहुंचाना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मंत्री महोदय अपना बयान देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

(इस समय श्री वसुदेव आचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए। अब हम श्री जनेश्वर मिश्र को सुनेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप सब लोग बैठिये। शास्त्री जी आप भी बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र।

मैं हरीश रावत जी और कुमारमंगलम जी से कहूंगा—प्लीज रिज्यूम योर सीटस।

(इस समय श्री पी० आर० कुमारमंगलम तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इन लोगों को पहले से ही मालूम था

कि रेल मिनिस्टर आज बयान करने वाले हैं और मंत्री जी सारी बातों को मानने वाले हैं, तो फिर सदन में जो नाटक हुआ, यह किसलिये हुआ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अगर ये वाकई कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो इस सरकार से अपना सपोर्ट वापस करें। क्यों नहीं करते सपोर्ट वापस ? (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) इन्हें पहले ही पता था कि आज मंत्री जी कर्मचारियों की मांगों को मानने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : शायद सभी को पता था, बता दिया गया था। इस तरह सदन की कार्यवाही कैसे होगी।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (सदर दिल्ली) : न जाने कितने लोगों की इन्होंने छंटनी कर दी।

श्री मदन लाल खुराना : इन्हें सब कुछ पहले ही मालूम है, मंत्री जी क्या बयान करने वाले हैं, तख्ताप्रेस लेने वाले हैं। सारी मांगें मानी जा रही हैं। आज सुबह ही इनकी रेल मंत्री जी से बात हो चुकी थी। इन्हें पता था कि आज मंत्री जी सदन में बयान देने वाले हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आज सुबह बाहर लोग कह रहे थे कि ये लोग इस तरह सदन के बीच में आकर बैठेंगे। सब कुछ पहले से ही तय हो गया था। पहले ही एनाउंस कर दिया गया था।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह मजदूरों का सवाल है। जब इन्हें पहले से पता था कि उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो फिर यह नाटक क्यों किया गया, धरना क्यों सदन के बीच में दिया गया। (व्यवधान)

यदि आप वाकई दुःखी हैं तो सरकार को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। एकदम सपोर्ट वापस लो।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह सब आपकी मिलीभगत से ही हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पहले ये सपोर्ट को विथड्रा करें क्योंकि इनको मालूम है कि ये इनकी इस मांग को मानने वाले हैं। जब ऐसा है, तो फिर वहां सदन में इतना शोर क्यों किया जा रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष जी, सरकार मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकार के बारे में हमेशा सहानुभूतिपूर्वक और सक्रियता से विचार करती रही है। हमारी दृष्टि तो सरकार में

जाने से पहले से ही यह रही है कि जो कोई भी कर्मचारी संगठन हों, उनसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से निपटा जाए।

मधु जी और श्री जार्ज फर्नान्डीज जी इस विभाग में थे और उस समय इनको मान्यता नहीं दी गयी, लेकिन हमारी दृष्टि यह रही है कि जब कभी यह मांग आये, इस पर विचार किया जाये। इस पर विचार करने से पहले हमने रेल मंत्री जो पिछली सरकार में रहे, श्री जार्ज फर्नांडीज साहब से बात की थी श्री कुमारमंगलम साहब, हमारी सरकार में, मंत्रि-परिषद के सभी सीधी और विपक्ष में बैठे नेता लोग श्री खुराना वगैरह ने हम पर दबाव डाला। (व्यवधान)

सब लोगों ने हम पर दबाव डाला। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : रेल संरक्षण बल एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने की मांग हम कांग्रेस के शासनकाल से ही कर रहे हैं। इसे अवैध रूप से वापिस ले लिया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर मिश्र : मैं यह कह रहा हूं कि इसके पहले भी विरोधी पक्ष के लोगों ने और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब कांग्रेस के लोगों ने भी इसकी मांग की थी कि आर० पी० एफ० के लोगों को एसोसिएशन का अधिकार मिलना चाहिए। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से यह कहा गया था और दबाव डाला गया था। 1985 में जब आर० पी० एफ० एक्ट संशोधित रूप से पास हुआ, उसके बाद से आर० पी० एफ० का एसोसिएशन का अधिकार समाप्त कर दिया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरीश रावत जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री अनेश्वर मिश्र : 1985 में आर० पी० एफ० और को आर्म्ड फोर्स बनाया गया था और कोई भी आर्म्ड फोर्सेज को एसोसिएशन का अधिकार दिया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर विचार हुआ था और तब यह आर० पी० एफ० के लोगों का अधिकार समाप्त कर दिया, जिसके खिलाफ आर० पी० एफ० के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी, वह अब तक विचाराधीन है। फिर भी सरकार को वह अधिकार है कि उनको एसोसिएशन का राइट इस एक्ट के तहत, नये सिरे से दिया जाए। अब चूंकि सदद का यह दबाव है और सदन सर्वोपरि होता है और सरकार का फर्ज होता है कि वह सदन के हुक्म को माने, इसलिये हमने कल रात को 10 बजे कुमारमंगलम साहब को बता दिया था कि,..... (व्यवधान)

हमने बता दिया था। दो-तीन दिन पहले उनकी चिट्ठी जो आपके नाम थी, प्रधानमंत्री जी के नाम थी और उसकी कापी हमको भी मिली थी, उसके तहत बता दिया था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं और कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम कुएं में कूदने की प्रथा की निन्दा नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद विपक्ष में थे तो कुएं में कूदा करते थे।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हम नूरा मुश्ती नहीं करते थे।

श्री अनेश्वर मिश्र : खुराना जी इस समय भी हमने नूरा मुश्ती कर रहे हैं।...(**व्यवधान**) हमने उनको बता दिया था कि इसपर हम विचार कर रहे हैं और अपनी कल की कार्यवाही न शुरू करें। आज हमने पौने ग्यारह बजे के करीब दफ्तर से आपको सूचना दी थी कि हम उनकी मांगों को स्वीकार करने जा रहे हैं और आर० पी० एफ० एसोसिएशन के नए एक्ट की वजह से उसका ग्रान्ट करना पड़ रहा है जिसपर उन्होंने ऐतराज किया है। पुराना एक्ट ही होता तो हम जैसे-तैसे एसोसिएशन को मना लेते लेकिन कानून बदल गया है, थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं। सात-आठ साल से ज्यादा समय हो रहा है इसलिए इस सरकार ने तय कर लिया है कि उनको एसोसिएशन का अधिकार दिया जाएगा। अब हम नहीं समझते हैं कि इसपर हल्ला करने की क्या जरूरत है। (**व्यवधान**) हम समझते हैं कि इस मामले को यहीं समाप्त करें। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : विक्टीमाईजेशन के बारे में बताइए। (**व्यवधान**)

श्री छोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : जो निकाले गए हैं उनके बारे में क्या कहते हैं।... श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यहां घोषणा की थी।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ये कोई भी प्रीटैक्स्ट में आ जाते हैं यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही गंभीर मामला है कि हम इतना उत्तेजित हो रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज के दूसरे निर्णय पर पुनरीक्षा की दलील के कारण रोक लगा दी गई है, जिसका सम्बन्ध बर्खास्त किए गए 'लोको रनिंग स्टाफ' के रेल कर्मचारियों की नियम 14(2) के अन्तर्गत बिना किसी जांच तथा बिना किसी कार्यवाही के बहाली करने से है। हम चाहते हैं कि यह सरकार यहां, अभी यह घोषणा करे कि बर्खास्त रेल कर्मचारियों को श्री जार्ज फर्नांडीज के निर्णयानुसार पुनर्विनियोजित किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में लिए गए निर्णयों की दलील के आधार पर इन कर्मचारियों की बहाली को वे नहीं रोक सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बहाली की घोषणा शीघ्र की जाए। हम इसकी मांग करते हैं। रेल मंत्री ने अपने तथाकथित लघु बजट के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की थी। वह कर्मचारियों से संबंधित प्रश्न का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया है।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : रेल मन्त्री ने कानपुर में जाकर आश्वासन दिया था; ऐलान किया था कि इम्प्लाइज को बहाल करेंगे (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब विपक्ष के नेता बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यहां दो पहलू उठे है—एक रिकान्सेलेशन का है और दूसरा डिसमिस्ड एम्प्लाइज की रिइंस्टेटमेंट का है। मैं समझता हूं कि जो घोषणा की है

मंत्री जी ने कि एम्प्लाइज के हित के बारे में सरकार चिन्तित है, इसकी कसौटी प्रमुख रूप से अभी जो सवाल श्री सोमनाथ जी ने उठाया है, उसके आधार पर कनसर्न जो सरकार का है, वह सही उसकी कसौटी है। इसलिए दोनों के बारे में मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपना जवाब दें। रिकाग्नेशन के बारे वह पहले ही बता चुके हैं कि वह हो जायेगा लेकिन जो प्रमुख सवाल सोमनाथ जी ने उठाया है, मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर मिले और मेरी मांग है कि उनका रिइंस्टेटमेंट होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सम्बन्ध में भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। (व्यवधान) पुनः बहाली आदेश के लिए कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उसे समझ गए हैं; मंत्री महोदय उसे जानते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक-एक करके बोलें ताकि मन्त्री जी आपकी बात समझ कर उनका जवाब दे सकें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक-एक करके बोलें ताकि मन्त्री जी आपकी बात समझ कर उनका जवाब दे सकें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, आप माननीय सदस्यों को बिना मेरी बात सुने मेरी निन्दा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान) महोदय, वह आश्वासन पर आश्वासन देते रहे हैं कि एसोसिएशन की मान्यता की बहाली को वह स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे सदन के अन्दर मगरमच्छ के आंसू बहाना और यह कहना कि वह एसोसिएशन को मान्यता दे देंगे, एक अच्छा बहाना है। लेकिन यह मामला मन्त्री महोदय के पास पिछले तीन महीनों से लम्बित पड़ा है, प्रधान मंत्री ने उन्हें निदेश दिए; उनके सहयोगी और वित्त मन्त्री श्री यशवंत सिन्हा भी उनसे अनुरोध कर चुके हैं; उन्हें अनेक ज्ञापन दिये जा चुके हैं। भूतपूर्व मंत्री द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था। लेकिन, पुनरीक्षा के नाम पर, अभी तक आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। कानूनी सफाइयां दी जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) महोदय, लेकिन वह उससे इनकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, वह आपकी बात समझ गए हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, यहां तक कि पुनर्नियोजन के प्रश्न पर भी आदेश विद्यमान है; इसे केवल पास करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री जार्ज फर्नाण्डीज, अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहां दो सवालों को उठाया और सरकार से उनका जवाब पाने की अपेक्षा की। एक सवाल निकाले गए लोगों के बारे में है। 1980 से लेकर 1989 तक दस सालों में सैकड़ों कर्मचारियों की 14(2) के अन्तर्गत तत्कालीन सरकार ने नौकरियों से निकालने का काम किया था। तब उनका मामला अदालत में गया। इस पर अदालत ने यह फैसला दिया कि उन कर्मचारियों को निकालने का काम गलत था और इनको काम पर रखना चाहिए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर अमल करने से इन्कार कर दिया···(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आपकी पार्टी के नेता उस समय की सरकार के मन्त्री थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, इस सवाल को सुलझाने के जो सुझाव हैं वह आप दें।

(व्यवधान)

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जार्ज साहब से पूछना चाहता हूं कि जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने कितने लोगों को नौकरी पर लगाया था। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां यह सवाल सदन में सभी तरफ से छेड़ने का काम हुआ था और मैंने इस सदन में यह बात कही थी कि निकाले हुए कर्मचारियों के मामले में तो··· (व्यवधान)···अध्यक्ष जी, पिछले साल के बजट को रखते समय यह सवाल सदन में चारों ओर से छेड़ने का काम हुआ था और मैंने सदन में यह बात कही थी कि इस प्रश्न को हल किया जाएगा और उसके सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ही इसे हल करने का काम हो जायेगा। नौ सितम्बर को हमने इस पर आदेश निकाला और इसमें देर होने का एक ही कारण था कि रेल मंत्रालय से हमको यह बात बताई गई कि चूंकि 10 सालों के निकाले हुए लोगों का प्रश्न है, कई लोग मर चुके हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, कई लोग रिटायर होने की स्थिति में हैं तो यह सारी जानकारी जुटाने में समय लग जाएगा और यह बात हमने सदन में जब दो तीन प्रश्न आए थे तब कही भी थी कि हम जानकारी हासिल कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी हमारे पास आ जायेगी, आदेश निकल जाएगा। अन्त में जब मेरे पास जानकारी आ गई तो मैंने देखा कि केवल एक रेलवे को लेकर रेलवे बोर्ड में लोगों ने मालूमात को सामने रखा और मैंने जब यह महसूस किया कि इसमें समय निकालने का कुछ एक सिलसिला चला था कि इतनी संख्या थी···

अध्यक्ष महोदय : देश भर में कुल कितनी संख्या थी ऐसे लोगों की ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लगभग एक हजार लोगों का यह मामला हो सकता है। इसमें 9 सितंबर के आदेश का तो रिव्यू का यहां पर सवाल ही नहीं है। जिस दिन आपने तय किया कि सरकार को

हटा देना चाहिए, उसके बाद के जो भी फैसले हैं, उन पर रिव्यू करने की बात तो हम समझ सकते हैं लेकिन 9 सितम्बर के हमारे फैसले पर रिव्यू करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए और उस आदेश को तत्काल लागू करने का काम होना चाहिए, जहां तक निकाले हुए लोगों की बात है। दूसरा है मान्यता का प्रश्न। अब यहां पर मात्र आर० पी० एफ० एसोसिएशन को छेड़ा जा रहा है। रेलवे के अन्दर अनेक ऐसे कर्मचारियों के संगठन हैं, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनकी मान्यता की मांग है, उनके बारे में भी एक ठोस फैसला सारी एसोसिएशंस, जिनको अनरिकगनाइज्ड करके कहा जाता है, को किस तरह से मान्यता देनी चाहिए, इस पर भी एक बहुत स्पष्ट आदेश हमारा निकाला हुआ है और उसी के अन्दर आर० पी० एफ० एसोसिएशन को बिना किसी शर्त के मान्यता देने का आदेश हमने निकाला हुआ है और चूंकि वह आदेश उस वक्त आया जब सरकार का समर्थन वापस लेने की बात हो चुकी थी। अगर मान लीजिए, उस पर कोई पुनर्विचार करने की बात हो तो एकमात्र टैक्नीकलिटी के तौर पर हो सकती है, सैद्धान्तिक तौर पर नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि हमारे मित्र और सालों, वर्षों के हमारे साथी श्री जनेश्वर मिश्र जी इसमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं रखेंगे और इस पर अमल करने का काम करेंगे। यही मुझे कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आज, अभी इसी समय यहां इस संबंध में घोषणा सुनना चाहते हैं: (व्यवधान) यह निर्णय 9 सितम्बर को लाया गया था। (व्यवधान) इसे अब रोके रखने का कोई कारण नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 9 सितम्बर को जब निर्णय हो चुका तो फिर लागू करने में दिक्कत क्या है?

श्रीमती सुभाषिनी अली : कानपुर में मन्त्री जी ने एलान किया कि तमाम रेलवे के कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों का तो कहने का अधिकार है लेकिन जो मजदूर विरोधी पार्टी रही है, जो कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने मजदूरों को हटाने का काम किया है, उनको बोलने का क्या अधिकार है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आपस में बात मत करिए। आप बैठ जाएं, लोढा जी। रावत साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, कई बातें उस पक्ष की तरफ से कह दी गई हैं, कि हम स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनको मना नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इन दो मुद्दों पर सदन की राय हमेशा एक ही रही है कि निकाले हुए कर्मचारियों को वापिस लिया जाना चाहिए। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी सरकार के निकाले हुए लोगों को हमने वापिस लिया था।··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, आर० पी० एफ० एसोसिएशन का राइट रिस्टोर किया जाए। इसके विषय में रिकार्ड देख कर कोई भी व्यक्ति अपना दिल साफ कर सकता है कि हम लोग हैं और माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम व कई सदस्य, अपनी सरकार से भी लड़े थे। यथार्थ यह है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विप्लव दास गुप्त आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय आर्ज फर्नान्डीज जी रेल बजट उपस्थित कर रहे थे, नियम 14(2) के अन्तर्गत जो लोग निकाले गए हैं, उनको रखने की घोषणा की गई थी, तो सम्पूर्ण सदन में एक बात की चर्चा की थी कि 14(2) नियम के अन्तर्गत जो लोग निकाले गए हैं, उसमें हो सकता है कि काफी लोग मर गए हों। अब उनको बहाल किया जाएगा, तो उनको पेंशन आदि की सुविधाएं दी जाएं, जोकि काले कानून के अन्दर निकाले गए हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उनको आश्वासन दें कि उनको पेंशन के साथ और भी सुविधायें दी जायेंगी।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। कोई प्वाइंट-आफ-आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण का दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि तत्कालीन रेल मंत्री जी को जब 1989 में हम कंविस कर पाए तो ब्यूरोक्रेसी ने कई प्रकार की अड़चने डालने की कोशिश की। जब सरकार में बदलाव आया, तो सरकार में बदलाव आने के बाद भी हमने स्वयं इस मामले को इस सदन के सभा-पटल पर उठाया था। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बात का समर्थन उस समय सी० पी० एम० के लोगों ने किया था और स्वयं आप की सहानुभूति भी इस फैसले पर थी। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आपने इस मामले को कब उठाया था ? ...(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, बी० जे० पी० के माननीय सदस्यों की सहानुभूति भी उस समय जिस मामले को हम उठा रहे थे, उसके साथी थी ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आपकी तारीफ हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मुझे याद है विजय कुमार मल्होत्रा जी, मदनलाल खुराना जी को हो सकता है उनका नाम लेते ही कुछ परेशानी हो, लेकिन विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मेरी बात की ताईद की थी ।

उस समय की सरकार के साथ वे सारे मसलों पर नूराकुश्ती के दृष्टिकोण से ही कार्य करते थे लेकिन उन्होंने कम से कम हमारी बात की तारीफ की थी, समर्थन किया था। लेकिन जार्ज फर्नान्डीज साहब की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि 10 महीने तक रेल मंत्री रहते हुए इस मामले पर, इस प्रकरण पर कोई विचार नहीं कर पाए। जब उन्हें लगा कि हमारी सरकार जा रही है तब उन्होंने इस मामले पर आदेश पारित किया । (व्यवधान) कम से कम कांग्रेस के और जनता दलों के मंत्रीगणों में इतना अन्तर रहा कि हमारे कांग्रेस के मंत्री उस समय चुनाव नजदीक (व्यवधान) आने के कारण फैसला नहीं दे पाये लेकिन जार्ज फर्नान्डीज ने, जब उनकी सरकार जाने लगी तो आदेश पारित कर दिया और मुझे इस बात की तकलीफ है कि माननीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी शुरू से आश्वासन देते रहे कि हम अपनी मान्यता को रेस्टोर करने जा रहे है। ऐसा लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री के अन्दर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अन्तिम क्षण तक (व्यवधान) जिस पर कुमारमंगलम जी ने कहा, जिस विषय को लेकर बी० जे० पी० के लोगों ने कहा कि यह जो नूरा-कुश्ती का मामला है, मैं उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने हमसे कहा था मान्यता के विषय पर कोई पूर्व शर्त नहीं होगी जबकि उनका पत्र स्थिति को स्पष्ट नहीं करता था। इसलिए हमको मजबूर होकर यहां बैल में बैठकर सारे सदन और देश का ध्यान आकृष्ट करना पड़ा (व्यवधान) और रेल मन्त्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना पड़ा। मैं जार्ज फर्नान्डीज और जनेश्वर मिश्र जी से आग्रह करना चाहूंगा (व्यवधान) कि कृपया आप स्पष्ट करें कि इसमें आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूरे सदन की यही एक मांग है । मैं आशा करता हूं कि वे कुत्तों को नहीं भड़काएंगे। मैं जो कुछ अतीत में हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ हम सिर्फ गए निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी घोषणा अभी और इसी वक्त सुनना चाहते हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमान, रेल मंत्री जी को मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का वातावरण तैयार हो जाए, यह जो दो सवालों के सिलसिले में सदन में मतभेद है । तो मैं अपना अनुभव ध्यान में रखकर बताना चाहता हूं कि उसमें अड़चन पैदा की जाएगी । हमारे साथी ने कहा कि कई मर्तबा, कई सवाल हल करने पड़ते हैं। प्रशासन के स्तर पर अगर यह पता लग

जाए कि इस सदन में दोनों सवालों के सिलसिले में मतभेद है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन के स्तर पर कई पेचिदा सवाल पैदा किए जाएंगे।

इसलिए किसी प्रकार के इतिहास में न जाते हुए, दोनों जो सवाल आए हैं, उन पर सारा सदन एक है, यह बात हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं और आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि वे दोनों सवालों के बारे में सारे सदन की राय को ध्यान में रखते हुए फैसला दें और यहीं ऐलान करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती जे० जमुना (राजामुन्द्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मिनिस्ट्री से संबंधित सवाल उठाना चाहती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले साल रेलवे मजदूरों को निकाले जाने के बारे में रेलवे मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस जी को एक सवाल लिखा था, उसके बारे में मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। उसके बारे में अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई, यह मैं जानना चाहती हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की बात सुनिये :

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह बिना किसी पूर्व-शर्त के मान्यता की बहाली की घोषणा करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, अभी दो विषय आए हैं। दण्डवते जी ने ठीक ही कहा है कि इनके बारे में सदन में दो राय नहीं हैं, एक राय है। प्रशासनिक अड़चनें बहुत आती हैं। मन्त्री जी अगर चाहते हैं और मैं मान लूं कि चाहते हैं तो यह सुन्दर मौका है। (व्यवधान)

मंत्री जी इसका अभी ऐलान करें। मेरा आग्रह होगा, मैं नाम लूंगा जो हमारे मित्र पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, इधर हैं, उधर हैं, जो चाह कर भी ऐलान नहीं कर सके, शेड्यूल कास्ट अभियान के चलते, पीसफुल डेमांस्ट्रेशन के चलते श्री योगी पासवान अभी तक ससपेंड हैं, निकाले गए हैं, मंत्री जी ने मुझे पत्र दिया है कि वे विचार करेंगे। मेरा कहना है कि इस बात का ऐलान करके इस यश के भागीदार बनें। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, निकाले गए लोगों को रोइंस्टेट करने के सवाल को लेकर सन् 1981 से हम लोग लड़ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, रिपीटीशन मत करिए; जो कहना हो संक्षेप में कहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 1987 में आर०पी०एफ० एक्ट में अमेंडमेंट करके उनका जो रिकगनिशन था, ऐसा नहीं कि रिकगनिशन नहीं था या हमारी कोई नई मांगें थीं, उनका रिकगनिशन था, दे हैड देयर रिकगनिशन, उनका रिकगनिशन था और वह रिकगनिशन छीन लिया गया था 1987 में। (व्यवधान)

उनको वापिस लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे और सन 1981 से मांग कर रहे थे।

आप जानते हैं कि 1973 में लोकोरनिंग स्टाफ का आंदोलन हुआ था, उनके काम के बारे में, सन 1981 में जो स्ट्राइक हुई थी, उसके ऊपर भी आक्रमण हुआ था और डिसमिसल हुआ था, उस समय से हम लोग लड़ रहे थे और इस हाउस में एक बार नहीं कई बार इस सवाल को उठाया गया था।

आज इस हाउस को भी मालूम हुआ। क्योंकि हम जब भी यह सवाल रखते थे रेलवे मंत्री के पास, जनेश्वर मिश्र जी के पास तो वे यही बता रहे थे कि प्राइम-मिनिस्टर ने इसको रिसिंड कर दिया है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि 8 सितम्बर को यह आर्डर जार्ज फर्नान्डीज ने पास कर दिया था। 22 अक्तूबर को स्टेटमेंट देकर उन्होंने बताया था कि क्या-क्या कर रहे हैं। जो मर गए हैं, जो काम कर रहे थे, जो डिसमिस हो गए थे उनके बारे में क्या-क्या कर रहे हैं। जो डिसमिस हो गए हो थे उनकी बहाली करने के लिए आज हमारा हाउस एकमत है, उसकी एक राय है। हम चाहते हैं कि उनकी बहाली हो। हर तरफ से, हर पार्टी की यही मांग है कि जो रेलवे इम्पलाई डिसमिस किए गये थे 1981 में अन्डर 14/2 एक्ट के कारण उनकी शीघ्र बहाली की जाए। हम मांग कर रहे हैं, यह हाउस की मांग है कि मंत्री जी हमें आश्वासन दें कि इस आर्डर को लागू करेंगे। सरकार ने जो आर्डर इश्यू किये थे उस आर्डर को अभी लागू करेंगे और इसमें कोई अड़चन नहीं होगी। इसको लागू करने में जो भी अड़चन होगी उसको हटाया जाएगा और आर्डर लागू करेंगे और जो मान्यता छीन ली गयी थी उसको भी लौटा देंगे, उसकी बहाली करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आर० पी० एफ० एसोसिएशन के बारे में सरकार ने जो निर्णय किया है उसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी है। पिछले आन्दोलन के दौरान जो कर्मचारी निकाले गये हैं उनके बारे में साथी जार्ज फर्नान्डीज ने बताया कि जब वे रेल मंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया था कि उन्हें वापिस ले लिया जाए। वह मामला इन्होने कैबिनेट में भी रखा था और कैबिनेट से भी वह पास हो चुका था। लेकिन कैबिनेट ने पास होने की तारीख वह थी जो पिछली सरकार की विदाई की तारीख में आती है। इसलिए राष्ट्रपति ने आदेश दिया था कि इस समय जो सरकार चल रही उसको निर्णयों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये। यह निर्णय लागू न हो, तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह ने कैबिनेट के उस निर्णय को रिसिंड कर दिया था। जब जब हमने अधिकारियों से पूछा कि आर्डर लागू क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि उस तारीख को जब कैबिनेट से एप्रूव हुआ था तो वी० जे० पी० ने अपना समर्थन वापिस ले लिया था और सरकार के दिन लद गये थे।...(**व्यवधान**)...

यदि कुल मांगें मजदूरों से संबंधित आर० पी० एफ० के नाम पर आज ही मानी जाएं और मान ली जाएं तो बड़ी मुश्किल होगी। वैसे रेलवे के अन्तरित बजट पर बहस होगी उस दिन भी ये मांगें आयेंगे।...(**व्यवधान**) ..कुछ मांगें उस दिन के लिये भी छोड़ेंगे या आज ही करेंगे। (**व्यवधान**) इसलिये हम समझते हैं कि 5 तारीख को जब रेलवे बजट पर बहस होगी तो उस दिन विचार किया जायेगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस 14/2 अधिनियम की तुलना अन्य मामलों के साथ नहीं करनी

चाहिये। हम एक सुस्पष्ट और सुनिश्चित घोषणा सुनना चाहते है। हम आज ही स्पष्ट घोषणा सुनना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : हम आज, अभी और इसी वक्त घोषणा सुनना चाहते है। (व्यवधान)

"(इस समय डा० बिप्लव दासगुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य और सभा पटल के पास खड़े हो गए।)"

12.51 म० प०

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मैं सभी दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्यों को अपनी-अपनी सीट पर जाने के लिए कहें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आप रेल मन्त्री को घोषणा करने के लिये राजी कीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब सीट पर जायें।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार ने उन लोगों से सुविधा वापस ले ली है और वह जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। आज उसने सदन में यूनेनिमस डिमांड को स्वीकार नहीं किया है इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

12.58 म० प०

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनेश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं आप से अनुरोध है कि आप सुनें और सब सीट पर जायें। बिप्लव बाबू, प्रकाश जी आप सब सीट पर जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की कठिनाई क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपनी सीट पर जाएंगे? बिप्लव बाबू, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये···आप लोग कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइयें।

(इस समय डा० बिप्लव दासगुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या रेल मन्त्री कांग्रेस की सहमति न पाने की वजह से अनुकूल उत्तर चाहता है।

1.00 म० प०

उन्होंने मामले पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। वह कह रहे थे कि सरकार मजदूरों के रिट के बारे में चिन्तित थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि यह निर्णय श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा लिया गया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि इस मामले में निर्णय उस समय किया गया था जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था इसलिए तकनीकी समस्या के कारण निर्णय को लागू नहीं किया जा सका। परन्तु अब क्या कठिनाई है? तीन महीने बीत गये हैं। उन्होंने किसी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ये सारी बातें पता हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने उनका समर्थन इसलिए किया क्योंकि हमने हमेशा आर०पी०एफ० संगठन की मांग को स्वीकार किया है। जब श्री कुमारमंगलम ने हमें बताया तो मैंने कहा, "मैं आपका समर्थन करूंगा" मैंने प्रधानमन्त्री को भी इस मुद्दे के बारे में लिखा, मैं नहीं चाहता था कि वह भूख हड़ताल करें, अब, उनकी तरफ से कुछ संकेत मिले हैं। यह कई लोगों के जीवन के भविष्य का प्रश्न है (व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार स्वतन्त्र रूप से, स्वविवेक से कार्य कर सकती है। क्या इसके पास स्वयं इतना विवेक है? अथवा क्या उन्हें आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस (आई) की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी? क्या यह कांग्रेस की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई कार्यवाही करेगी? मैं ये सारी बातें जानना चाहता हूं। हमें मामले से सम्बन्धित निर्णय पर अभी और इसी वक्त उत्तर चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वे कांग्रेस की अनुमति चाहते भी हैं तो यह अनुमति उन्हें पहले ही मिल चुकी है।

[हिन्दी]

श्री अनेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन और संसदीय जनतन्त्र बातचीत करके ही मामले को हल करने के लिए बनाया गया है। ये लोग हम पर बार-बार आरोप लगा रहे थे कि हम कांग्रेस के दबाव में है लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाते समय वे इस बात पर हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दबाव में सरकार का निर्णय कैसा होगा? इसके बारे में तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। चाहे वह विपक्ष की तरफ से दबाव चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव हो और केवल दबाव में दूसरे की बातों को समझ करके उसका रास्ता निकाला जाता है। आर०पी०एफ० के मुद्दे पर चूंकि बहुत दिनों से बात चल रही है कि हमने तो यह नहीं कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह भी नहीं कि यह मानी नहीं जायेगी।

श्रीमती सुभाषिनी अली : आपने कानपुर में ऐलान किया था···आपने मन्त्री बनने के बाद··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, मन्त्री जी को बोलने दीजिये।

श्री अनेश्वर सिंह : हर मुद्दे का हल निकालने के लिए जो कुछ भी तकनीकी बातें रास्ते में

आती हैं, उन पर बहस करनी पड़ती है। यह सही है कि ब्यूरोक्रेसी का जो रुख होता है, उसको यह पूरा सदन और पूरा देश जानता है लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। चीजों को समझने के मामले में उनकी अपनी शैली होती है। उनको इनकार करना या जबरदस्ती करके कोई बात सदन की तरफ से लादी जाये तो रेल की इतनी बड़ी प्रक्रिया को हम सदन के सदस्य नहीं चला पायेंगे। चलाना तो पड़ेगा कर्मचारियों से···(व्यवधान) अगर कोई रेल मन्त्री तरीका समझता हो या सरकार कोई तरीका समझती हो कभी का कि हिन्दुस्तान की रेल उनके हुक्म से चल रही है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं मात्र अपने रेल मन्त्री को स्मरण कराने के उद्देश्य से उन्हें बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि इस तरह की तकनीकी कठिनाईयां आती हैं। मैं अपना अनुभव उद्धृत कर सकता हूं; जिसका लाभ वह ले सकते हैं। (व्यवधान) मैं कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा हूं जो उनका समर्थन करेंगी। दुर्भाग्य से जैसे ही हम आपका नाम लेते हैं, आप सोचते हैं कि हम आपकी निन्दा कर रहे हैं। आपके अन्दर यह अपराध भावना क्यों है? मैं केवल श्री कुमारमंगलम द्वारा कही गई बातों का समर्थन कर रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : विगत इतिहास का क्या इतिहास है?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, पिछला इतिहास और भूगोल हमें सब ज्ञात है।

25 तारीख को मैंने रेल मन्त्री के रूप में कार्य भार सम्भाला और 27 तारीख को अंतरिम बजट पेश किया। मैं सदन को इस बात से अवगत करा देना चाहता था कि उस समय जब मैंने अधिकारियों तथा दफ्तरशाहों से विचार विमर्श किया तो उनमें से अधिकांश का मत यही था कि संसद में घोषणा करने के समय दिये जाने वाले अपने भाषण में मैं जो परिवर्तन कर रहा था उसे करने के पश्चात, हजारों कामगारों, जिन्हें 1974 में निकाल दिया गया था, को छः सप्ताह की अवधि के भीतर उसी स्थान पर वापस ले लिया जायेगा।

1974 की हड़ताल में जिन सभी कामगारों को दंडित करने के विचार से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, सबको छः सप्ताह के अन्दर नौकरी में वापस ले लिया जाएगा। जब अधिकारी वर्ग को पता चला कि मन्त्री महोदय उन सभी कामगारों के छः सप्ताह के अन्दर नौकरी में वापस लेने में रुचि ले रहे हैं तो उन्होंने यह प्रक्रिया छः सप्ताह के पूर्व ही पूरी कर डाली। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस सदन के सभी वर्गों ने—कांग्रेस और गैर-कांग्रेस तथा ये सभी सदस्य—उसे स्वीकार किया था। मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। यहां तक कि जिन लोगों ने हड़ताल का विरोध किया था, उन्होंने भी सदन में कहा, "हम रेल मन्त्री द्वारा हजारों लोगों को नौकरी में वापस लेने के उनके निर्णय का स्वागत करते हैं।" हमने उनकी सेवा में आई रुकावट को समाप्त कर दिया था। सभी प्रकार की वेतन वृद्धि जारी रही। उनकी सेवा में किसी भी रुकावट की अनुमति नहीं दी गई थी। अतः आप सलाह-मशविरा कर सकते है, लेकिन अच्छा होगा यदि आप अपना निर्णय स्वयं लें। यदि आप केवल परामर्श पर ही निर्भर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे आपके सिर चढ़कर बोलेंगे। आपने पूरे सदन के सर्वसम्मति को देखा है। अतीत में जो कुछ भी हो गया, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सदस्य आज भी श्री कुमारमंगलम तथा श्री बसुदेव आचार्य की बातों से सहमत है, यहां पर

कोई मतभेद नहीं है। इस बात में मुझे तनिक भी आशंका नहीं है कि जनता दल (एस) के सदस्य भी इस मांग के विरुद्ध नहीं हैं। सदन के इस सर्वसम्मत दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए, कृपया, तकनीकी कठिनाइयों पर न जाकर यह आश्वासन दीजिए कि एक निर्धारित समयावधि में आप निर्णय लेकर उसकी घोषणा सदन में कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अन्त में तो रेल रेलवे कर्मचारियों को ही चलानी पड़ती है, जिम्मेदारी तो उनकी होती है। हम लोग अपने को (व्यवधान) हम अपने को भले ही रेल मन्त्री, रेल अधिकारी या सरकार मानकर चलें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों की पीड़ा का अहसास हम लोगों को नहीं है। सदन ने जो भावना व्यक्त की है, उस भावना का भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी बात तो करनी ही पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसके साथ बात करेंगे ? (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में कह दिया था कि मजदूर आन्दोलन में जब हम लोग नहीं रहते···(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : आप अपना फैसला लीजिए, बाद में बात करिए। (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : पहले तो इनकी मांग भी पूरी हो जाती थी तो भी उसके बाद लड़ते थे। मजदूर आन्दोलन भी और सदन में भी बहस की जा रही है कि एक मांग पूरी हो गई है, अब दूसरी मांग के लिए लड़ा जाए। तब तो उस आन्दोलन की चर्चा के मुताबिक काम होता है, लेकिन मैंने कुल मिलाकर इतना कहा है कि 5 तारीख को रेलवे के अंतरिम बजट पर बहस होगी और उस दिन के लिए भी कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए कि हम क्या कहेंगे, सब कुछ आज ही नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम यह नोटिस दे रहे हैं कि 5 तारीख तक यदि अनुकूल निर्णय न लिया गया तो हम मामले को ही फिर उठाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कम से कम आप उन्हें 'हां' करने के लिए राजी कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री हन्नन मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, मणिपुर से सैकड़ों लोगों ने बोट क्लब पर आकर धरना दिया हुआ है और मांग कर रहे हैं कि मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची···में शामिल किया जाय। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी कुछ किसानों के बारे में बात करने दो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक नोटिस दिया था। नि:संदेह आपने यह संदेश भेज दिया था कि प्रश्न काल के दौरान, टेलीफोन टेप करने के प्रश्न का उत्तर प्रधान-

मन्त्री द्वारा पहले ही दे दिया गया था—लेकिन मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि 6-4-1990 को इसी सदन में टेलीफोन टेप करने का मामला उठाया गया था। मैं श्री साठे और अन्य लोगों को बधाई देता हूं। क्योंकि उन्होंने भी मामले को बड़े जोरशोर से उठाया था। उन्होंने आग्रह किया कि मामले की जांच कराई जाए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की घोषणा हुई थी। मन्त्री महोदय ने इस बारे में आश्वासन दिया था प्रो० रंगा कास्टीट्युट असेम्बली के सदस्य थे। मैंने पुराने रिकार्डों की जांच की। जब 3 मार्च, 1965 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रश्न उठा तो प्रो० रंगा, तत्कालीन संसद सदस्य, ने मांग की कि यदि सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सामने नहीं ला रही है तो ऐसी स्थिति में श्री एच० वी० कोमथ को इसे सभा पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं पुनः उस मांग को दोहराता हूं कि प्रधानमन्त्री को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत करनी चाहिए। इसे कई जगह उद्धृत किया जा रहा है। हम उन्हें अखबारों में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम, सदस्यों, को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है।

मुझे बताया गया है कि श्री सैफुद्दीन ने पहले ही इस बात का नोटिस दिया है कि उसे सभा पटल पर रिपोर्ट रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः मैं केवल यह सुझाव देना चाहूंगा कि उनके इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अनेक अध्यक्षों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है। मैं एक ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेख करता हूं, जिसका अधिकांशतः सभी ने उल्लेख किया है। यह मुद्दा भ्रष्टाचार मामले में श्री फिरोज गांधी द्वारा उठाए गये प्रश्न से उत्पन्न हुआ। उस समय श्री अनंतशयनम अंयंगर ने कहा था कि "न्यायालय की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भी मेरी व्यवस्था यह है कि जब तक सभा का कोई भी सदस्य किसी भी गोपनीय रिपोर्ट की प्रामणिकता के लिए पूरा उत्तरदायित्व लेने को इच्छुक है तो मैं ऐसी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दूंगा, चाहे यह छिपाकर भी क्यों न लाई गई हो अतः मेरा अनुरोध है कि यदि प्रधानमन्त्री इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी सदस्य जो इसकी प्रामणिकता का पूरा उत्तरदायित्व ले, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने एक नोटिस दिया है। और मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मूल रिपोर्ट की एक सत्य प्रतिलिपि भी दी है। मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रामणिकता की जिम्मेदारी लेता हूं। अतः मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

[*ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एस० टी० संख्या 2300/91]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, या तो आप इन्हें एलाव कर दीजिए अथवा सरकार को कहिए कि वह खुद पेश करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हो रहे है, बैठिए।

* बाद में सभा पटल पर रखा गया मान लिया गया। देखिए दिनांक 12-3-91 समाचार भाग, II, संख्या 1247।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यदि एक बार किसी सदस्य को यह प्राप्त हो जाए तथा वह इसकी प्रमाणिकता करे तो इसमें कोई गोपनीयता नहीं रह जाती ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उसको इसे अभी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं; इस समय नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने इसके लिए पहले ही नोटिस दिया है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को पढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं इसे अभी सभा पटल पर रख सकता हूं ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं तथा मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं इसे अभी सभा पटल पर नहीं रखूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इसकी कापी जब रिपोर्टस के पास भी है, सभी के पास है, तो इसमें अब क्या रह गया।

श्री आर्ल फर्नान्डीज : मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष जी, अब इसमें विचार करने की क्या बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी विचार करना है और मैंने कह तो दिया है कि इट इज अण्डर माई कन्सीडरेशन। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 369 देखिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे विनिर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं तो मैंने श्री सैफुद्दीन तथा मधु दण्डवते को बता दिया है कि यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइए, शास्त्री जी आप भी बैठ जाइए। मैंने सुभाषिनी जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप बैठ जाइए। शास्त्री जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष जी; मेरा कहना यह है कि आपने जिन सदस्यों को सदस्यता के अयोग्य घोषित किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बिना मेरी अनुमति के बोले जा रहे हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं बैठ जाऊंगा लेकिन आप मेरी बात सुनिए अवश्य सुनिए अवश्य।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अलीपुर (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा किए गए अत्यधिक अशिष्टाचार से संबंधित एक प्रश्न उठाना चाहती हूं। जैसाकि आप जानते हैं अधिकांशतः सारे विश्व में समाचारपत्रों से कहा जा रहा है कि वे खाड़ी युद्ध के बारे में अमरीका और ब्रिटेन का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। किन्तु इस देश में कुछ समाचार-पत्रों व कुछ पत्रकारों ने साम्राज्यवादी देशों के वास्तविक युद्ध उद्देश्यों पर चर्चा करने का साहस दिखाया है। मैं इस संदर्भ में कहूंगी कि ब्रिटिश हाई कमीशन के उप-उच्चायुक्त श्री फोलर ने बहुत ही अशिष्टता का व्यवहार किया है। यदि ब्रिटिश सरकार किसी भी विषय पर अपने विचार रखना चाहती है तो वह किसी भी समाचार-पत्र को अपने विचार भेजकर ऐसा कर सकती है तथा उसे अपने विचार प्रकाशित कराने का अधिकार है। किन्तु हाई कमीशन के एक अधिकारी के लिए सीधे इस देश के एक पत्रकार को लिखना जिसके विचारों से वह सहमत नहीं है तथा उसे वाइसराय संबंधी शब्दों से संबोधित करना उपनिवेशवाद युग की यादों को ताजा करता है और उन्हें डांटना और धौंस दिखाना और उन्हें बताना कि उनका क्या कर्त्तव्य है, तथा उन्हें यह बताना कि साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का कितना पालन करते हैं, और एक भारतीय पत्रकार को यह बताना कि इस देश के हित में क्या भला है, इस देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा, इस प्रकार का हस्तक्षेप तथा इस प्रकार की धौंस को सहन नहीं की जा सकता। मैं सरकार से मांग करूंगी कि वह श्री फोलर से इस पत्र के बारे में पूछताछ करें, जो उन्होंने 'टाइम्स आफ इंडिया' के एक मुख्य पत्रकार श्री प्रफुल बिदवई को लिखा है। 'टाइम्स आफ इंडिया' कुछेक उन समाचार-पत्रों में से है जिसने न केवल उन साम्राज्यवादियों का बल्कि इस जूता चाटने वाली सरकार का जिसने अमरीका के सैनिक विमानों को ईंधन भरने पर जोर दिया का पर्दाफाश किया है। यही वह समाचार-पत्र है जिसने पहली बार यह समाचार को प्रकाशित किया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि युद्ध के बाद की स्थिति तीसरी दुनिया के देशों के लिए भयंकर स्थिति होगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरी दुनिया के देशों के लिए युद्ध के बाद की स्थिति काफी भयंकर होगी। 1947 में जब हम आज की अपेक्षा विकास की दृष्टि से काफी पीछे थे, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति साम्राज्यवाद से अत्यधिक प्रभावित थी उस समय हमारे देश के सभी वर्ग साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में खड़े हुए तथा उन्होंने शांत होने से इन्कार कर दिया था। आज एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें अमरीका तथा शेष साम्राज्यवादी देश हम सभी पर अपने दृष्टिकोण लादना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश इस देश में काफी ऐसे सौदेबाजी करने वाले लोग हैं जो ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस देश को हमारी आत्म-प्रतिष्ठा तथा हमारे आत्मसम्मान को बेचने की इच्छा रखते हैं। अतः हमारे देश के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, मैं मांग करूंगी कि सरकार तत्काल ब्रिटेन की सरकार को कहे कि वह श्री फोलर को बुलाए तथा यह स्पष्ट कर दे कि हम अपने प्रेस के साथ इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह हमारे देश का अपमान है। ब्रिटिश उच्चायोग का एक साधारण अधिकारी किस प्रकार ऐसे निर्देश दे सकता है ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री एम० जे० अकबर...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कविल देव शास्त्री (सोनीपत) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि ब्रिटिश हाई कमीशन के किसी सदस्य ने किसी पत्रकार को अपमानजनक रूप में कोई बात कही है। ...(व्यवधान) मुझे आपत्ति यह है कि वे इस सरकार को ब्रिटिश सरकार का जूता चाटने वाली बात कहती है।...(व्यवधान)

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सदन की कार्यवाही से इसको निकाला जाए। सरकार को उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जूता चाटने वाली बात कही है, इस पर हमें घोर आपत्ति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन की एक माननीय सदस्या श्रीमती सुभाषिनी अली जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने उप-उच्चायुक्त के विरुद्ध जो भी टिप्पणियां की हैं, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैं इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूं। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत हूं। इसके अलावा मेरी आपत्ति यह है कि

भारत सरकार केवल जनता दल (एस) की सरकार नहीं है अपितु यह एक राष्ट्रीय सरकार है। (व्यवधान) भारत सरकार इस देश के लोगों की सरकार है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जनार्दन पुजारी को अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मेरी बात सुनिए। यह कहना कि यह सरकार जो विदेशी सरकार का जूता चाटने वाली सरकार है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह एक असंसदीय शब्द है। यह प्रत्येक भारतीय की देशभक्ति के विरुद्ध कहा गया वाक्य है। अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। (व्यवधान)। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ असंसदीय है तो मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, शायद आप जूता चाटने वाले विवाद को केवल यह कहकर समाप्त कर सकते हैं कि केवल जूते ही ऐसी वस्तु नहीं हैं, जिन्हें चाटा जाए।

श्रीमती सुभाषिनी अली : जूता शरीर का अंग नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : किन्तु इससे पहले एक निर्णय लिया गया था जिस पर श्रीमती सुभाषिनी अली भी विचार करना चाहेंगी और वह है एअर कारीडार का खुला तथा अभूतपूर्व इस्तेमाल, जिसकी अनुमति वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा दी गई थी। यहीं से निहित स्वार्थों की चापलूसी आरम्भ हुई तथा देश के साथ विश्वासघात किया गया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो चिट्ठी के बारे में कह रहे थे। चिट्ठी से यहां कैसे आ गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : आजकल ब्रिटिश राजनयिक बहुत ही असंयमित भाषा का प्रयोग कर अपना अहंकार प्रदर्शित करते हैं तथा मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसमें संदेह नहीं है कि श्री प्रफुल्ल बिदवई को धमकाया नहीं जाएगा और न ही कोई समाचार-पत्र किसी राजनयिक के पत्र की धौंस में आएगा। यह पत्र ही स्वयं में केवल एक असंयमित कार्यवाही है तथा यह एक अकारण किया गया अपमान है जिसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। किन्तु वह बात जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते वह इस पत्र से परिलक्षित हो रही है; हम अहंकार को सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह ऐसा अहंकार है जोकि पश्चिम देशों द्वारा मदान्धता से उत्पन्न हुआ है तथा ये शक्तियां न केवल भारतीय पत्रकारिता के साथ अपितु खाड़ी युद्ध की भूमि पर भी यह अहंकार प्रदर्शित कर रही हैं। आज के युद्ध के बारे में समाचार ही स्वयं साम्राज्यिक अहंकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका हम सभा के सभी वर्गों को भुलाकर एक राष्ट्र के रूप में उपेक्षा नहीं कर सकते। जब हम इस तथ्य की ओर देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, सद्दाम हुसैन और अधिक क्या कर सकते हैं ? हम सभी इस बात पर से सहमत हैं

कि कुवैत पर किया गया अतिक्रमण गलत था उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यदि कोई गलती थी तो उसे सुधार लिया गया है; उनकी फौजें वापिस आ रही हैं और फिर भी साम्राज्यिक शक्ति का अहंकार युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा तथा उसने इसके लिए भी कारण प्रस्तुत कर दिए हैं जो संयुक्त राष्ट्र के जनादेश से काफी भिन्न हैं।' (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कनक्लूड करिए। बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : हमें और अधिक सावधान क्यों रहना चाहिए इसका कारण यह है कि मुझे डर है कि हमने ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जहां पश्चिम देशों के मित्र देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों को चुनता है जिनका वह पालन करना चाहता है। (व्यवधान)

श्री पाल आर० संतोष (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, हम पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। उन्हें श्रीमती सुभाषिनी अली द्वारा उल्लेख किए गए पत्र के बारे में बोलने दीजिए न कि खाड़ी युद्ध की स्थिति के बारे में। कृपया उन्हें स्पष्ट कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। वह जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर देंगे। किसी सदस्य को आदेश नहीं दे सकते। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, अगर आप चाहें तो मैं पत्र से उद्धरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, कृपया उद्धरण न दें।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अनधिकार प्रवेश करने के द्वार न केवल इराक में ही खुले हैं, वरण दुनिया भर में खुल गए हैं और यदि हम यह न समझें कि इसका क्या तात्पर्य है, यदि हम यह नहीं जानते कि हमें स्वयं की किस प्रकार सुरक्षा करनी है तो, तब कल काश्मीर पर हमला किया जा सकता है, और फिर पंजाब पर हमला किया जा सकता है। सभा को खाड़ी के सम्बन्ध में श्री सिमरनजीत सिंह मान के प्रस्ताव की ओर गौर करना चाहिए; पंजाब के लोगों और पश्चिम देशों की शक्तियों के मध्य सम्बन्ध स्थापित किए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अकबर जी, आप इनका पहले प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सुनिए। अभी आराम से जायें।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष जी, इस सदन में कोई हिन्दी में बोलता है तो उसे बोलने का इजाजत नहीं मिलती है और कोई अंग्रेजी में बोलता है तो उसे बोलने की इजाजत मिल जाती है ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कि कोई आदमी अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहना चाहता है, उसको आप इजाजत नहीं देते हैं और बाकी जो लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, चाहे उनका चरित्र कैसा भी हो तब इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० अकबर : महोदय, मैं भी यह महसूस करता हूं कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में श्री ज्योति बसु द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का इस सभा में स्मरण करने का अवसर है, हम उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का स्वागत करते हैं। हम उस विश्लेषण का भी स्वागत करते हैं, जो वहां व्यक्त किया गया। हम यह महसूस करते हैं कि इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामान्य रूप से चिंता व्यक्त की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि पिछले एक हफ्ते से इस देश के अन्दर लाखों-लाख किसानों की फसलें ओलावृष्टि से तबाह हो गई। हम इस सदन के अन्दर किसानों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं; किसानों के वोट लेकर यहां आए हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, किसानों की मगर मुझे अफसोस है इस बात का कि पिछली ओलावृष्टि में,···

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के इलाके और मेरे राजस्थान के इलाके में भयंकर तबाही मची हुई है, यह वक्त रबी की फसल की कटाई के मौसम का है, किसान ने अपनी सारी मेहनत उसमें लगा दी, किसान ने उसमें खाद डाल दी, किसानों ने फसल को बीमारियों से बचाया और उसके लिए अपना सारा घर लुटा दिया। इस वक्त जो ओलावृष्टि हुई है, मैं अभी उस इलाके से होकर आ रहा हूं, जहां पर ओलावृष्टि हुई है, मेरे पास वहां के लोगों के टेलीग्राम आ रहे हैं, वहां का किसान इससे पागल हो गया, कुछ को होस्पिटलों में भर्ती कराया गया, वह इस ओलावृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर सका कि जब उसकी फसल घर में आने वाली थी उस मौके पर यह ओलावृष्टि हुई है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय मंत्री, हमारे उप प्रधान मंत्री हरियाणा में गए, पंजाब में गये और पंजाब और हरियाणा में जाकर इस बात की घोषणा की कि किसानों को राहत दी जायेगी, किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। क्या मैं एक

सवाल पूछ सकता हूं कि हमारे इतने प्रतिनिधि हैं, उप प्रधान मंत्री जी हैं, हमारे कृषि मंत्री हैं, वह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर मुझे इस बात का खेद है कि उनको हरियाणा और पंजाब तो याद आ गया, वहां के किसान तो याद आ गये । वह भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, वह किसी राज्य के मंत्री नहीं हैं इसलिए उनको राजस्थान के तबाह हुए किसानों का भी ख्याल रखना चाहिए और इस सदन में घोषणा करनी चाहिए, तमाम देश के अन्दर नार्म्स भी एक जैसे होने चाहिए, चाहे हरियाणा को मुआवजा दिया जाए पंजाब को मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि उग्रवादियों का डर है। हरियाणा में इसलिए दिया जाएगा कि आपको हुकूमत की जरूरत है मगर बाकी देश के लोग, बाकी देश के किसानों ने कोई गुनाह नहीं किया है···

अध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मैं समाप्त कर रहा हूं। ऐसे सवालों पर यहां घंटों जाया हो जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म करिए । आखिरी बात कहिए ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरकार इस देश के करोड़ों किसानों का कौन वारिस होगा, उनके हितों का कौन रक्षक होगा, देश के कृषि मंत्री, देश के उप प्रधान मंत्री उनकी बात नहीं करते, बाकी इलाकों में भी तबाही हो रही है, उनकी कौन बात करेगा, उनकी कौन रहनुमाई करेगा···

अध्यक्ष महोदय : आप पुनरावृति कर रहे हैं ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं । आप उन किसानों की बात इस सरकार तक पहुंचाइए, कृषि मंत्री तक पहुंचाइए और वह यहां पर घोषणा करें । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली-सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री० पी० जे० कुरियन : मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शून्य काल इसी प्रकार चलता रहे तो कृपया आप कम से कम भोजनावकाश की अनुमति दे दीजिए । यह अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : कठिनाई यह है कि मतदान के लिए हम सभी को यहां मौजूद रहना पड़ेगा । एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । हमें मालूम नहीं है कि इस पर कब विचार होगा । 1.00 म० प० से 3.00 म० प० बजे के बीच कभी भी मतदान नहीं हुआ है । सभा में यही परिपाटी रही है । यदि अगला विषय चर्चा के लिए ले भी लिया जाए तब भी उस पर मतदान 3.00 म०प० के पश्चात ही होता है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट बाद इस पर आयेंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बिजली के साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए के रेट बढ़ा दिए गए हैं। यहां पर डोमेस्टिक बिजली में 166 परसेंट इन्क्रीज की है, नान-डोमैस्टिक में 68 परसेंट इन्क्रीज की है, इन्डस्ट्रियल में 66 परसेंट और एग्री-कल्चर में भी 33 परसेंट की इन्क्रीज कर दी है। डेसु का कुल रैवेन्यू छः सौ करोड़ रुपए है और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इससे दिल्ली के हर परिवार पर पांच हजार रुपए साल का औसत बोझ लाद दिया गया है। यहां पर दिल्ली में इसकी वजह यह है कि आधे आदमियों को बिजली दी जाती है और आधों को बिजली नहीं दी जा रही है। झुग्गी-झौंपड़ी के पन्द्रह लाख आदमियों को बिजली नहीं दी जाती है, स्लोकों में बिजली नहीं दी जाती है, झुग्गी-झौंपड़ियों में बिजली नहीं दी गई, अनअथराइज कालोनियों में बिजली नहीं दी गई, यह सारा रुपया इन्सपैक्टर के पास जाता है और सीधे वहां से बिजली ले लेते हैं चोरी से। इन्सपैक्टर खाते हैं, जबकि वह रुपया कारपोरेशन में आ सकता है। यहां पर वह रुपया टैक्स बढ़ा कर और रेट बढ़ा कर लिया जा रहा है। एक साल तक हमने इसको बढ़ने नहीं दिया था। जबसे कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार को समर्थन देना शुरू किया है, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया दिल्ली के ऊपर नया बोझ लाद दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे लोगों को नुकसान होगा, इन्डस्ट्रीज भी तबाह होगी। मैं चाहता हूं कि इसको वापिस लिया जाए और अपनी जो चोरी है, उसको रोकें, तब यह रुपया पूरी तरह से यहां पर आ सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पल्लमराजू बोलेंगे।

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है, मैं तभी से एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करता रहा हूं। मुझे विश्वास है कि समूची सभा को भी इस बारे में समान रूप से चिन्तित होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तविक मुद्दा अपनी महत्ता खोता हुआ सा प्रतीत होता है।

मुद्दा है डीजल तेल और एल० पी० जी० सिलेन्डरों की प्रत्यक्ष रूप से कमी होने का। जिसके कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है। सारे देश में इसकी प्राप्ति के लिए वाहनों, मूल रूप से ढुलाई ट्रकों और कृषि ट्रैक्टरों की लम्बी-लम्बी कतारें देखी जा सकती हैं।

यह बात स्पष्ट है कि क्या वास्तव में इसकी कमी है अथवा क्या यह कमी जमाखोरी के कारण पैदा की गई है।

मैं चाहता हूं कि सरकार राष्ट्र को यह अश्वासन दे कि वास्तव में इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि कोई कमी है तो मैं चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र को इसकी कमी न होने दी जानी चाहिए।

1.39 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक बोलेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। क्या आप मुझसे उस मामले पर बोलने के लिए कह रहे हैं, अथवा क्या आप मुझसे महाराष्ट्र में खाद्य तेल की कमी के मामले, जिसके लिए मैंने नोटिस दिया है, पर बोलने के लिए कह रहे हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यसूची में शामिल नहीं है। जहां तक विशेषाधिकार के मामले का संबंध है, आपको इसके लिए अनुमति लेनी होगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : श्रीमान जी, महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुम्बई में एडिबल आयल पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा है। हमें 15500 (पन्द्रह हजार पांच सौ) मीट्रिक टन प्रति मास लगता है, जबकि दिसम्बर और जनवरी महीने में महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार से एडिबल आयल बिल्कुल नहीं मिला। नेशनल डेरी डेवेलपमेंट बोर्ड की ओर से धारा तेल का पैदावार होता है वह तेल भी महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है। इस कारण से खाद्य तेल के दंगे वहां पर शुरू हो रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से यह मांग की गई है कि महाराष्ट्र सरकार को तेल मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और वहां के एमपीज को प्रधान मन्त्री चर्चा के लिए बुलाएं और यह आयल देने का प्रयास करें, नहीं तो महाराष्ट्र में खाद्य तेल के दंगे होते रहेंगे। इसलिए प्रधानमन्त्री जी को इस बारे में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने युद्ध में घायल लोगों के लिए देश भर में पांच हजार बोतल से अधिक खून एकत्रित किया है। दुर्भाग्यवश सरकार ने इन खून की बोतलों को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मैंने विदेश मन्त्री से सम्पर्क किया है और शीघ्र ही प्रधान मन्त्री को भी पत्र लिखा कि हमने जो खून एकत्रित किया है, उसको सुरक्षित रखने की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्री एम० एल० गुप्ता, निदेशक, ब्लड बैंक, दिल्ली, उस खून को जिसे हमने एकत्रित किया है और देश के विभिन्न भागों से लाया गया है, लेने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। जो खून कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर से एकत्रित किया गया है, वह हमारे पास ही रखा हुआ है। अत: मैं सरकार के अनुरोध करता हूं कि इन खून की बोतलों को युद्ध में घायल लोगों को भेजने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैंने एक प्रीविलेज मोशन की सूचना दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, शास्त्री जी, अभी आप बैठ जाएं। इस पर अभी आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शून्य काल में जो सूचना भेजी है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से खाड़ी युद्ध शुरू हुआ है तब से डीजल, पेट्रोल की कमी के कारण तमाम कारखाने बन्द पड़े हैं। कोल इण्डिया एस० ई० सी० एल० के सुहागपुर एरिया में 4 मजदूर नेताओं को बर्खास्त किया गया है उसकी वजह से वहां पर गो-स्लो चल रहा है इस कारण से मजदूरों में बहुत असंतोष फैला है। करीब 10 हजार मजदूर भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जिन मजदूरों को नौकरी से बहाल किया गया है उनको फिर से वापस ले।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (विलोन) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें 1.2 लाख केरल के लोगों को मिलाकर जोकि खाड़ी युद्ध से पूर्व और उसके दौरान खाड़ी से स्वदेश वापिस लौटे हैं, 1.7 लाख भारतीय जुड़े हुए हैं। जैसाकि आप जानते हैं उनकी पार-पत्र सुविधा समाप्त कर दी गई है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से 9000 रु० लिए गए हैं। अब चूंकि खाड़ी में स्थिति सामान्य होती जा रही है, इराक कुवैत छोड़ रहा है तथा अमीर ने कम से कम तकनीकी रूप से सत्ताभार संभाल लिया है, अतः अब केरल के वे 120000 लोग, जो खाड़ी से आये थे, यथाशीघ्र वहां वापिस जाने को उत्सुक हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं स्वदेश वापिस लौटे सभी भारतीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि पार-पत्र सुविधाएं जो समाप्त की गई थी, उसे पुनः शीघ्र बहाल किया जाए ताकि वे यात्रा कर सकें और जैसे ही तथा जब भी काम मिले उसे प्राप्त कर लें। अन्यथा ये कार्य अन्य लोगों को मिल जाएंगे। इन कार्यों पर अमरीका और उसके मित्र देशों का नियंत्रण होगा। ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं। स्वदेश लौटे लोगों में से कुछ लोग तत्काल 9000 रु० देने में असमर्थ हैं। अतः हमारा यह भी अनुरोध है कि बान्ड अवधि को बढ़ा दिया जाए। नौकरी मिल जाने के बाद, जैसे और जब भी उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, वे 9000 रु० की अदायगी कर देंगे। (व्यवधान) उन्हें विदेशी मुद्रा में धन की प्राप्ति होगी। यह धनराशि और जो रोजगार के अवसर वहां पैदा होंगे। वह 9000 रु० से सैकड़ों गुणा महत्वपूर्ण होंगे। अतः सरकार को उदार बनना होगा और उसे तत्काल ही आदेश जारी करने चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

1.46 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन नियम, 1990

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं भारत का सामुदायिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उपधारा(4) के अन्तर्गत भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन नियम, 1990, जो 11 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 776 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2173/91]

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, आदि

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2174/91]

(2) (एक) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में प्रो० यदुनाथ पांडेय, सर्वश्री मदन लाल खुराना तथा तारीफ सिंह, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1106 के 2 जनवरी, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2175/91]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं श्री कमल मोरारका की ओर से वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सरकार (लोक उद्यम सर्वेक्षण) के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण (खण्ड-1 से 3) के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7176/91]

1.47 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(बारहवां प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.47½ म० प०

लोक लेखा समिति

(अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं श्री संतोष मोहन देव की ओर से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं :

(1) दोषपूर्ण गोला-बारूद के संबंध में 114वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन ।

(2) विभिन्न केन्द्रों के लिए क्रोस-बार टेलीफोन केन्द्र उपकरणों की खरीद पर हुए परिहार्य अतिरिक्त व्यय के संबंध में 53वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

(3) बकाया लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में 150वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में बीसवां प्रतिवेदन ।

(4) उर्वरक के आयात और वितरण के संबंध में 167वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन ।

(व्यवधान)

———

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, यह क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह उचित नहीं है। आप इस प्रकार अपनी बात जारी नहीं रख सकते ।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : आप अन्य लोगों को अवसर दे रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह बहुत ही गलत बात है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक घण्टा और पैंतालिस मिनट से हम उन विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जो कार्यसूची में नहीं है । इसके लिए मुझे खेद है । आप इस बात को बाद में उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है । यह अन्याय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे कल लेंगे । एक घण्टा और पैंतालिस मिनट से हम उन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, जो कार्यसूची में शामिल नहीं है । हम इसे कल लेंगे ।

(व्यवधान)

———

1.48½ म० प०

सभा का कार्य

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय; आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 4 मार्च, 1991 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी :

1. आज की कार्य-सूची में सम्मिलित सरकारी कार्य की कोई भी जिसे आज पूरा न किया जा सके, पर विचार करना।
2. वर्ष 1991-92 के अन्तरिम रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
3. वर्ष 1991-92 के लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।
4. वर्ष 1990-91 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।
5. वर्ष 1987-88 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।
6. रेल अभिसमय समिति से संबंधित संकल्प पर चर्चा।
7. वर्ष 1991-92 के अन्तरिम सामान्य बजट का सोमवार, 4 मार्च, 1991 को प्रश्न काल के बाद प्रस्तुत किया जाना।
8. वर्ष 1991-92 के अन्तरिम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।
9. चर्चा तथा मतदान :
   (क) वर्ष 1991-92 के लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।
   (ख) वर्ष 1990-91 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।
   (ग) वर्ष 1987-88 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।
10. वित्त विधेयक, 1991 पर विचार करना तथा पारित करना।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मंत्री महोदय द्वारा जो समूची कार्यसूची दिखाई और अभी पढ़ी गई है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किन तिथियों को चर्चा की जानी है, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह आज की कार्यसूची में शामिल है।

श्री राम नाईक : यह ठीक है। **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह कार्यसूची में शामिल है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : यह विषय आज की कार्यसूची में शामिल है। लेकिन आज इस पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती। अब, राष्ट्रपति के अभिभाषण को मांग स्पर्श किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय आज की कार्यसूची में है। मौजूदा विषय पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद, इस पर विचार किया जाएगा। यह आज की कार्यसूची में शामिल है। उस विषय से पूर्व वाले विषयों पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद, इस पर विचार शुरू किया जाएगा।

श्री राम नाईक। मैं इससे सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय का आज की कार्यसूची में क्रमांक 12 है।

श्री राम नाईक : मैं इससे सहमत हूं। अब उन्होंने अगले सप्ताह की कार्य सूची बता दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर आज ही विचार-विमर्श शुरू कर रहे है। यह कार्यसूची में है।

श्री राम नाईक : मेरा प्रश्न यह है कि रेल बजट और अन्य चर्चाएं मद संख्या 4 के बाद दिखाई गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे आज ही शुरू कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : यह ठीक है। लेकिन पहले यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रपति अभिभाषण तीन दिन तक चर्चा की जाएगी। अब उन्होंने अगले सप्ताह के लिए कार्यक्रम की घोषणा करदी है। इसका अर्थ है कि रेल बजट और आम बजट पर चर्चा 4 तारीख से आरम्भ की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वस्तुतः, आज जो मुद्दा है उनकी रिपोर्ट में उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उन मदों का उल्लेख कर रहा है जिन पर बाद में विचार किया जायेगा। हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

अब, हम मद संख्या 8 पर विचार आरम्भ करते हैं।

1.52 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26 फरवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26 फरवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

1.53 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तिरुपति कोच रिपेयर वर्कशाप का नवीकरण किए जाने की मांग

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, दक्षिण रेलवे का तिरुपति कोच रिपेयर वर्कशाप भारतीय रेल द्वारा 1981 में 60 करोड़ रुपये की लागत से चालू की गई थी। इसका लक्ष्य प्रतिमाह 200 कोच देकर 4000 स्थानीय लोगों को काम देना का था लेकिन आज प्रतिमाह मात्र 25 कोचों का आबंटन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कोच रिपेयर वर्कशाप एक "रूग्ण इकाई" बन गया है और आधुनिक कम्प्यूटरीकृत उपकरण वहां बेकार पड़े हैं।

मैं रेल मंत्री से कोच रिपेयर वर्कशाप के प्रमादी रूप में एक महा प्रबन्धक की नियुक्ति करने तथा वहां भारी अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का अनुरोध करता हूं। समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए। कोच रिपेयर फैक्टरी को तत्काल लगभग 100 कोचें आबंटित की जानी चाहिए ताकि रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जा सकें।

(दो) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के रामगढ़ में चीनी मिल लगाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 में निजी अथवा सहकारी क्षेत्र में 250 टन गन्ना पिराई क्षमता वाली पांच चीनी मिलों के लगाने हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग आशय पत्र जारी किए गए थे। इन लाइसेंसों में एक आशय पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के रामगढ़ में चीनी मिल निर्माण हेतु जारी किया गया है। ये लाइसेंस बलरामपुर गोंडा चीनी उद्योग के उद्योगपति के नाम जारी किया गया है। लाइसेंस लेने में बहुत तत्परता दिखाया गयी है और विगत वर्ष में गन्ना विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में गन्ना विकास के लिए प्रयास भी किया गया है। परन्तु इधर छः माह से एकदम उदासीनता आ गयी है।

पता चला है कि बलरामपुर चीनी मिल के उद्योगपतियों ने बम्हनान की शुगर फैक्टरी खरीद ली है और जो पूंजी रामगढ़ चीनी मिल के लिए लगाना चाहते थे, वह पूंजी बम्हनान शुगर फैक्टरी खरीदने और चलाने की तरफ डाईवर्ट कर दी है इसी कारण रामगढ़ चीनी मिल बनाने, चलाने, गन्ना विकास करने आदि के मामले में काम करना बन्द कर दिया गया है।

मैं समझता हूं कि इस कार्यवाही से क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के किसान, गन्ना उत्पादक जो गन्ने की नकदी फसल बो कर अपने और राष्ट्र के विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, उनके सामने अवरोध पैदा कर दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि रामगढ़, सीतापुर में जिन चीनी मिल-मालिकों को चीनी उद्योग लगाने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, उनको तुरन्त यह आदेश देवें कि वह तत्काल रामगढ़ में मिल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करें और यदि वह ऐसा न करें तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर अविलम्ब लाइसेंस रद्द कर दिया जावे तथा तत्काल दूसरी पार्टी को सीतापुर के रामगढ़ में चीनी मिल लगाए जाने के लिए आशय पत्र जारी किया जावे।

(तीन) राजस्थान में विशेषकर बयाना क्षेत्र के लोगों को पेयजल और बिजली उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री धानसिंह आटव (बयाना) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बयाना क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह पानी, बिजली की बेहद कमी है। भूमिगत पानी काफी नीचे चला गया है। सिंचाई के पानी के अलावा पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सिंचाई के लिए डीजल भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। कुएं गहरे हो रहे है, पानी निकालने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो रही। काफी संख्या में गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है किन्तु खम्भे भी नहीं गाड़े गए न तार खींचे गए। मेरे क्षेत्र में धौलपुर के पास एक सुवर थरमल पावर स्टेशन बनाने की योजना की स्वीकृति को क्रियान्वित किया जाय। चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट करके सिंचाई तथा पानी के लिए उपलब्ध कराया जाय। पारवती नहर सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाय। बाणगंगा तथा गम्भीर नदी की नहरों में से रेत मिट्टी निकाली जाय जिससे इन नदियों का पानी कृषकों को मिल सके। सभी तालाबों और बांधों की मरम्मत कराई जाय और सुदृढ़ बनाया जाय। नदियों पर एनीकट्स बनाये जाएं और बेकार बहने वाले पानी को रोक कर प्रयोग में लाया जाय। सिंचाई के लिए कुओं को गहरा कराया जाय। पाताल तोड़ कुओं का सस्ती कीमत पर निर्माण कराया जाय। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देते हुए उक्त कार्यों को कराने का निर्देश देवे।

(चार) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि, आयुर्वेद मूल रूप से, भारतीय विज्ञान है, एवं अंग्रेजों ने स्वकीय चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी के इस देश में प्रसार-प्रचार के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद को हर प्रकार से, उपेक्षित रखा था।

सन् 1970 में लोक सभा द्वारा, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत गठित, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार व्यवस्था, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में अप्राप्य है। समग्र भारत वर्ष में पंजीयन की एकरूपता अभी तक स्थापित नहीं हो पायी है। परिषद की व्यय राशि, बढ़ाई जानी चाहिए। प्रस्तावों व सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति व जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एवं, इनके क्रियान्वयन में आयुर्वेद को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में व्यय राशि का अल्प प्रतिशत ही आयुर्वेद पर व्यय किया जाना प्रतिध्वनित होता है। 4-6 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के बजट का आयुर्वेद को मिलता है। कभी-कभी पूर्ण व्यय नहीं किया जाता। आज जब समग्र विश्व में आयुर्वेद के महत्व को स्वीकार किया जाना प्रारम्भ हो गया है, हमारे देश में वह समुचित स्थान प्राप्त न कर सके, यह चिन्ता का विषय है।

आज राष्ट्र में आयुर्वेद के प्रचार, प्रसार, शोध, शिक्षण व अनुसंधान तथा जनता को इससे लाभ प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित व्यय राशि का कम से कम 15 प्रतिशत आयुर्वेद के लिए प्रावधानित किया जाए एवं प्रस्तावित राशि का समुचित उपयोग समय पर हो सके इसलिए केन्द्र में प्रथम आयुर्वेद निदेशालय स्थापित

किया जाए तथा आयुर्वेद की समुचित शिक्षा-अनुसंधान के लिए केन्द्र में तथा प्रदेशों में, एक आदर्श संस्था, स्थापित की जाये।

(पांच) राजस्थान की सिद्धमुख नोहर फीडर और गंगनहर लिंक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग

श्री बेगा राम (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख और नोहर फीडर व गंगनहर लिंक परियोजनाओं का कार्य अधर में लटका पड़ा है। जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला होते हुए भी पैदावार की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। फसल तो फसल किसानों व आम नागरिकों को पीने के पानी की भी कठिनाई हो रही है। राजस्थान सरकार ने इन तीनों ही परियोजनाओं की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया है, जिससे इस क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूर होकर के यहां की जनता को आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अत: सरकार से आग्रह है कि यथाशीघ्र इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाए।

2.00 म० प०

(छ:) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मुम्बई की रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : भूमि के आसमान छूते मूल्यों से, विशेषकर मुम्बई (बम्बई) नगर में; कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उनमें से एक समस्या कपड़ा मिलों का बन्द होना है। मिल मालिकों द्वारा अपनाया गया तरीका यह है कि वे मिल को रुग्ण कपड़ा मिल घोषित करते हैं और उसके बाद भूमि को अत्यधिक मूल्य पर बेच देते हैं। कुछ रुग्ण घोषित की गई मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने अधिकार में ले लेती है लेकिन सभी मजदूरों को फिर रोजी नहीं मिल पाती है। छटनी किए गये मजदूरों को उन्हें देय भविष्य निधि और उपदान के रूप में मिलने वाली राशि तक नहीं दी जाती है। राष्ट्रीयक पड़ा निगम भी इन मजदूरों के प्रति उदासीन हो गया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में ली मिलों में बुनाई अनुभागों को बन्द कर दिया है। वह बुनाई कार्य को ठेके के आधार पर निजी पार्टियों को दे रही है जिससे कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, ठेके के आधार पर हथकरघों पर काम उन्हें दिए जाने की आवश्यकता है न कि निजी पार्टियों को और साथ ही साथ सभी रुग्ण कपड़ा इकाईयों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम में विलय कर दिया जाना चाहिए।

(सात) पंजाब में कथित पुलिस ज्यादतियों की जांच कराए जाने की मांग

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : 21 फरवरी, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार छपा है कि 14-2-1991 की सुबह अमृतसर के छटीविंड और सुल्तान विंड गेटों के बाहर पंजाब पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों द्वारा पंजाब के नवयुवकों के साथ अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद सभी घरों की तलाशी ली गई और लोगों को पुलिस की यातना, दुर्व्यवहार सहना पड़ा, लेकिन किसी भी स्थान से आपत्तिजनक हथियार बरामद नहीं किए गए। नवयुवकों को घरों से बाहर ले जाया जाता है, उन्हें यातना दी जाती है और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस झूठी खबर फैलाती है कि ये लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गये। इस प्रकार की स्थिति पंजाब के प्रत्येक गांव में बनी हुई है। पांच कैदियों को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए जेल से लाया गया लेकिन उन्हें उग्रवादियों द्वारा मुक्त कराने के लिए किए गए प्रयासों के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना में मृत बताया गया है। लेकिन इस मुठभेड़ में न तो कोई पुलिस कर्मी

और न ही तथाकथित कोई उग्रवादी घायल हुआ। 25-2-1991 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित खबरों के अनुसार दिनांक 24-2-1991 को सुरक्षा बलों ने पूरे महाली नगर को घेर लिया। वहां लोगों को यातना पहुंचायी गई और कर्फ्यू लगा दिया गया और लगभग 2000 लोगों को राज्यपाल की उपस्थिति में ही रोक कर रखा गया। इस सम्बन्ध में पंचों, सरपंचों, सरकारी कर्मचारियों और गण-मान्य नागरिकों ने राज्यपाल को याचिका पेश की।

मैं सदन से इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति करके मामले की जांच कराने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) भूतपूर्व सैनिकों की "एक रैंक एक पेन्शन की मांग स्वीकारकिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : सशस्त्र सेनाओं से अवकाश प्राप्त सैनिक संगठन ने सरकार के पास एक रैंक एक पेंशन दिए जाने विषयक कई ज्ञापन दिए हैं। यह मामला संसद में कई बार माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाने के बावजूद सरकार अभी तक सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रही है।

अवकाश प्राप्त सैनिकों की यह मांग सर्वथा उचित है। दिन प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के दामों मे वृद्धि के कारण उनकी पेंशन में बढ़ोत्तरी किया जाना सर्वथा न्यायसंगत होगा।

सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इन सैनिकों तथा विश्व युद्ध के सैनिकों की रहन-सहन की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए एक रैंक एक पेंशन दिए जाने की तर्कसंगत मांग को पूरा किए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाये व इस पर संसद को स्पष्ट आश्वासन दे।

2.04 म० प०

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, अब वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु पर तमाम माननीय सदस्यों ने जितनी राय दी है और खासकर तमिलनाडु से सम्बन्धित जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने राय दी है वह अपने आप में जो वहां पर स्थिति है उसके बारे में उन्होंने कहा है। मैं जानता हूं कि तमाम माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका जल्दी फैसला हो जाये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने केन्द्र और राज्य के सवालों को यहां पर स्पेशल इश्यू बनाने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विधि का विधान ऐसा है कि पहली बार सैंट्रल स्टेट कौंसिल की बैठक 10 अक्तूबर को हुई थी और यह तथ्य बड़ा रेलेवेंट है और उस 10 अक्तूबर के दिन ही कर्नाटक विधान सभा को सस्पेंड करके वहां प्रेजीडेंट रूल लगाया गया था। जिस सैंट्रल स्टेट की बात कर रहे थे, उसकी पहली बैठक के दिन ही हमने लगाने का काम किया था और सरकार में मैं मन्त्री था। कई माननीय वरिष्ठ मदस्यों ने जो सवाल उठाया, इस सैंट्रल स्टेट के रिलेशन्ज क्या होंगे और जिसके तहत नजरअन्दाज कर केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में प्रेजीडेंट रूल लगाने का काम किया है, मेरे पास जितने सबूत हैं, मैं समझता हूं कि घण्टों में उसका जवाब दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी ने दो-तीन बार तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री करूणानिधि को बुलाकर कहा । मैं दो बार वहां खुद गया, एक बार जनवरी में और फिर 1 । फरवरी को कहा कि यह सरकार साफतौर पर आपको निर्देश देती है कि हम अपनी भूमि पर कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं चलने देंगे । हमने उनसे कहा कि जब हम बैठे गये तो तत्कालीन होम मिनिस्टर श्री फूंका कह रहे थे कि उनका और उनके मुख्यमन्त्री के बीच में टकराव था, एक प्राईवेट टाक में बताया कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि एल० टी० टी० ई० के लोग हमारे राज्य में काम कर रहे हैं । यह बात उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमसे कही । मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि प्रेजीडेंट रूल लगाने के बाद उलफा के कैम्पज हैं, वह आर्मी आप्रेशन के बाद उनकी एक डायरी पकड़ी गयी और उस डायरी के 2-4 अंश ऐसे है जिसमें कहा गया कि 8-8-90 को डा० हरि बरूआ हैडक्वार्टर में आये और एल०टी०टी०ई० के लीडर जो हैं अभिमन्यु, उनका कहना है कि उनके वी० आई० पी० ट्रीटमेंट के एल० टी० टी० ई० के जो लीडर आये, उनकी कमांडर-इन-चीफ से मुलाकात करायी गयी हैडक्वार्टर में । इस तरह से एल० टी० टी० ई० के उलफा से क्या संबंध थे ? उनके लगातार हमारे पास सबूत हैं । अगस्त महीने में यहां रहने के बाद वे काफी दिन रहे यानि अक्तूबर तक रहे और उसके बाद अक्तूबर में उलफा के लोगों ने बाकायदा वोट खरीदने के लिए आर्डर दिया कि एल० टी० टी० ई० के लोगों के माध्यम से किया गया । यह भी कहा गया कि 1990 में करूणानिधि के लोगों को गिरफ्तार किया । हकीकत है कि 162 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गयी है जबकि 162 लोगों की गिरफ्तारी एक कैम्प में दो लोग आपस में लड़ रहे थे तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन एल० टी० टी० ई० के लोग पूरे तमिलनाडु में अपनी मनमानी कर रहे थे और अपनी गतिविधियों को चालू रखा था, उस समय किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी और 10 दिन के बाद 2 और 10 जनवरी में हम लोगों ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया । तमिलनाडु सरकार से लगातार कहा गया कि उनके पास वायरलैस लाइन है, उनका पता लगाइये, लेकिन वे कहते थे कि हमारे पास कोई साधन नहीं है । उनके जो पावर ट्रांसमीटर थे, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दस दिन के अन्दर हमने उनके पावर ट्रांसमीटरों को बरामद किया । इसका अन्दाजा आप लगा सकते है कि वह सरकार किस हद तक मानसिकता के साथ नहीं जुड़ी थी । मैं कहना चाहता हूं कि यदि राजनतिक दल और पार्टियां अगर वायलेंट एक्टीविटीज करती हैं तो इसको बचाया जा सकता है लेकिन अगर सरकार कोई वायलेंट एक्टीविटीज करती है और विदेशी शक्तियों के सहयोग से करती है तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उनका यह कहना है कि पांच करोड़ रुपए के हथियार हमने रामेश्वरम की तरफ बरामद किए थे । हकीकत यह है कि सरकार ने नहीं बरामद किए थे, रामेश्वरम के उस इलाके के गांव के लोगों ने सरकार को कंपेल किया कि हमारे इस इलाके में यहां पर हथियार छिपा कर रखे गए हैं, इसलिए वह बरामद करने का काम किया । सरकार के द्वारा जो स्थिति थी, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं । कहना नहीं चाहिए, तीन बार जो हमारे होम मिनिस्टर थे, हम सारे लोग यहां बैठे हुए हैं । एल० टी०टी०ई० के बारे में जब सवाल आता था तो होता था कि मुंह बन्द कर लो । तीन बार मुफ्ती साहब जैसा आदमी···एक बार तो मुफ्ती साहब मन मसोस कर रह गए जब कि वह 9 बजे जाने वाले थे और वहां से समाचार आया कि मुफ्ती साहब आएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । क्यों ऐसा हो रहा था ? इसलिए, कि उनकी गतिविधियों को कोई नहीं देखे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को नेशनल इण्टीग्रेशन

काउंसिल की मीटिंग थी। उस में अपना प्रोग्राम रखा था कि मैं जो एल० टी० टी० ई० के इलाके हैं, उनका दौरा करूंगा। एस्पेशली मैं जहां ठहराहुआ था, हम लोगों को कहा गया कि आप उस इलाके में मत जाइए। ऐसा हमें कहा गया। सरकार, केन्द्र और राज्य का क्या सम्बन्ध होना जो लोग इसका बखान करना चाहते हैं—अम्बेडकर ने भी इसीलिए यह प्राविजन अपने संविधान की रचना में किया था कि अगर केन्द्र बे लगाम हो जाए, तो उसे लगाम लगाने का काम करना होगा। न उस पर कोई सुपर पुलिस की जरूरत है बल्कि देश की एकता और अखंडता को बचा कर रखने की जिम्मेदारी इस सरकार ने निभाई है, इसलिए कि अगर नहीं निभाई होती तो यह नेशनल क्राइम होता। जैसे हमने असम में इतनी देर तक लोगों को ढील दी, जिसका नतीजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है।

इन चन्द शब्दों के साथ में सदन से निवेदन करूंगा कि इसे पारित कर दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को जारी की गई तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा का अनुमोदन करता है।"

घंटियां खाली कराई जाएं—अब घंटियां खाली हो गई हैं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 3

समय 2.17 म० प०

पक्ष में

अडईकलराज, श्री एस०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अम्बारासु, श्री इरा
अम्बरी, श्री मेहता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्र जीत, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
करेदुला, कुमारी कमलाजी
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कौंतल, श्री राम कृष्ण
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश
खां, श्री जुल्फिकार अली
गंगाधर, श्री एस०
गाडगिल, श्री वी० एन०
गुप्त, श्री जनकराज
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम्, श्री पी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री कमल
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री

जीवरत्नम, श्री आर
झा, श्री भोगेन्द्र *
डेनिस, श्री एन०
तम्बि दुरै, डा०
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
दोरट, श्री एस० वी०
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री वी०
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
धनखड़, श्री जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नन्दी, श्री येल्लैया
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री पी० जी०
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री शंकरराव
पाल, श्री एम० एस० *
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम **
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
बंसी लाल, श्री
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बासवराज, श्री जी० एस०
बेंजामिन, श्री एस०
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री ए० के० एल०
भजन लाल, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मलिक, श्री मंगाराज
महाजन, श्री वाई० एस०
महाडीक, श्री वामनराव
माडे गौडा, श्री जी०
मायावती, कुमारी
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बाल गोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल

* गलती से पक्ष में मतदान किया ।
** गलत स्थान से मतदान किया ।

मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरन, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, रामजी लाल
यादव, श्री हुकमदेव नारायण
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम दास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री कल्पनाथ
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री बी० राजरवि
विश्वनाथम, डा०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शिगडा, श्री डी० डी०
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीनिवासन, श्री सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सहाय, श्री सुबोध कांत
सादुल, श्री धर्मन्ना मोंडय्या
साय, श्री ए० प्रताप
सारण, श्री बीजल राम
सिंगम, श्री वासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिसवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हेत राम, श्री

मत विभाजन संख्या समय

विपक्ष में

आचार्य, श्री वसुदेव
काबड़े डा० वेंकटेश
*कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खां, श्री सुखेन्द्र
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
चटर्जी, श्री सोमनाथ
*चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जेना, श्री श्रीकांत
*डाकणे, श्री बबनराव
तारीफ सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
दासगुप्त, डा० विप्लव
*देवी लाल, श्री
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री रामे पूजन
पांसेवान, श्री राम विलास
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, चित्त
बाला, डा० असीम
ब्रह्मभट्ट श्री प्रकाश कोको
मंडल, श्री सनत कुमार
मन्टोष, श्री पाल आर०
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
*वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
*शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिंह, श्री हरि किशोर

उपाध्यक्ष महोदय : **बुद्धि के अद्यवधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में : 163
विपक्ष में : 043

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

* गलती से विपक्ष में मतदान किया।

** निम्नलिखित संसद सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री देवी लाल, राव बीरेन्द्र सिंह श्री पी० आर० कुमारमंगलम, श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह, श्रीमती उषा सिन्हा, श्री बबनराव डाकणे, श्री बेया राम, श्री प्रभात सिंह एस० चौहान, श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री जी० वेंकटस्वामी, श्री रमेश चेन्नीथाला, श्री सनफोर्ड मारक, श्री ए० वेंकट रेड्डी।

विपक्ष में : श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री भोगेन्द्र झा श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री एम० एम० पाल श्री कृपाल सिंह और श्री हीरा भाई।

2.20 म० प०

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 1991 से और 6 महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करता है।"

जैसा कि सदन को पता है, जम्मू और कश्मीर में उस समय प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राज्यपाल की सिफारिश पर 18 जुलाई, 1990 को उद्घोषणा जारी की गई थी। इससे पहले जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने 19-1-1990 को राज्य की विधान सभा को निलम्बित करके राज्य की कार्यपाली और विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। एक महीने के बाद 19-12-90 को राज्य के संविधान के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने राज्य विधान सभा को भंग कर दिया था।

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड(4) जैसाकि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, में व्यवस्था है कि संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा, उसका प्रतिसंहरण न हो तो, उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाले दूसरे प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगी।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव लोक सभा में 21-8-90 को और राज्य सभा में 3-9-90 को पारित हुआ था। अतः 18-7-90 को जारी की गयी उद्घोषणा 2-3-91 के बाद लागू नहीं रहेगी।

जम्मू और कश्मीर में मौजूदा कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा का वातावरण उस हद तक सामान्य नहीं है, जिससे कि वहां विधान सभा के चुनाव कराये जा सकें। जो रिपोर्ट मिली हैं, उनसे संकेत मिलता है कि राज्य में राजनीतिक शक्तियां चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखायी देता जिससे यह पता चले कि राजनीतिक दलों ने अपने आपको सुदृढ़ कर लिया है या उनका चुनाव संबंधी मामलों की ओर कोई रुझान है। दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार गड़बड़ बनी हुयी है। सीमा पार से अनवरत गति से घुसपैठ करने वाले प्रशिक्षित आतंकवादियों, उन्हें पड़ोसी देश से विभिन्न रूपों में मिलने वाली सहायता, उग्रवादियों के हमारे देश के सुरक्षा बलों पर बढ़ते हुए हमले, ऐसे हमलों के फलस्वरूप कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर वहां से निकल भागना और राज्य प्रशासन की अव्यवस्थित स्थिति के कारण इस समय वहां चुनाव कराने संभव नहीं हैं।

भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की हाल ही की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस समय सुरक्षा और राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि राज्य की सरकार को मौजूदा उद्घोषणा समाप्त होने के बाद संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाना संभव नहीं होगा। राज्यपाल ने आगे कहा है कि सुरक्षा बलों ने विघटनकारी तत्वों और उग्रवादियों की हरकतों को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया हुआ है। कश्मीर के लोगों के स्वभाव में बदलाव भी दिखायी दे रहा है। राज्यपाल ने आगे यह उल्लेख भी किया है कि इन सकारात्मक हालातों के बावजूद भी वहां सुरक्षा की स्थिति लगातार भिराशाजनक और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। घाटी में और सीमा-रेखा के पार पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादी मौजूद हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोली-बारूद और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध है। उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों से तथा जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी संगठनों से निरंतर सहायता मिल रही है।

राज्यपाल ने यह भी रिपोर्ट भेजी है कि स्थिति निकट-भविष्य में राज्य विधान सभा के चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है। कश्मीर घाटी में राजनीतिक रिक्तता आ गयी है और लोगों में कोई राजनीतिक गतिविधि दिखायी नहीं देती।

राज्यपाल ने तदनुसार सिफारिश की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को उसके समाप्त होने की तारीख से 6 महीने की और अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाये।

राज्य में चल रही मौजूदा स्थिति और सभी संबद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की 18-7-90 की उद्घोषणा को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अतः यह प्रस्ताव है कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 3-3-1991 से 6 महीने की और आगे अवधि तक लागू रखा जाये।

सभा की बदली स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं, माननीय सदन से इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 1991 से और 6 महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

इस चर्चा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए मतदान 5.30 बजे या उससे पहले कराया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को एक घंटा, 2 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 27 मिनट, जनता दल, डेमोक्रेटिक कांग्रेस, और कांग्रेस (एस) को 17 मिनट, सी०पी०आई० (एम) को 11 मिनट, पी० सी० आर० एल० को 4 मिनट, ए० आई० ए० डी० एम० के० को 4 मिनट, और छोटे ग्रुपों—आर० एस० पी०, आल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, बी० एस० पी० मुस्लिम लीग, झारखंड आदि को 8 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

कृपया प्रत्येक पार्टी को आवंटित किए गए समय का पालन करें।

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर के बारे में जो वक्तव्य अभी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय ने दिया है और उसकी अवधि बढ़ाने के बारे में कहा है, मैं उसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन देश की जनता आज यह जानना चाहती है कि कश्मीर में वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से हम को यह करना पड़ा ? उनको रोकने के लिए सरकार अभी तक असफल क्यों हुई है। मैं यह मानता हूं कि चाहे श्री वी० पी० सिंह की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, कश्मीर की समस्या विरासत में मिली है। जिस तरह से फारुख अब्दुल्ला को पहले हटाया गया और फिर लाया गया और आजकल दोस्त बने हुए हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह बात कहना चाहता हूं कि पंजाब की तरह कश्मीर की समस्या की भी कांग्रेस जननी है, कांग्रेस ने पैदा की है। कांग्रेस चाहे जितनी मरजी जोर से बोल ले लेकिन सबकी जमानतें जब्त हुई पड़ी हैं तब भी ये जीतकर आए हैं। एक-दो प्रतिशत वोट मिले, चुनाव का बहिष्कार हुआ।...

श्री धर्मपाल शर्मा (ऊधमपुर) : आपके प्रदेश के जो जनता पार्टी के प्रैजीडेंट और जनरल सैक्रेटरी थे, दोनों की जमानतें जब्त हुई हैं, दोनों अपनी कौंस्टीटूऐंसी में भी हारे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हारने वाले की तो जमानत जब्त होती है लेकिन यहां पर तो हालत यह है कि जीतने वाले की भी जमानत जब्त हुई पड़ी है।....(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह कांग्रेस के कैनडीडेट पर ऐप्लीकेबल नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : फारुख अब्दुल्ला आपके साथ रहें तब तो आपके फेबर में और कोई गलत बात कहें तो आपके साथ नहीं हैं। यह कैसे होगा। आज कश्मीर के जो हालात हैं, श्री वी०पी० सिंह की सरकार से कुछ आशाएं थीं, उन्होंने कुछ ठीक काम किया लेकिन बाद में दबाव में आकर उन कामों को फिर वापिस लिया। उदाहरण के लिए श्री जगमोहन को भेजा और जो कश्मीर हाथों से जा रहा था, जैसे कोई आदमी डूब रहा हो और उसकी एक उंगली पकड़ी हुई हो, श्री जगमोहन ने ठीक काम किया, उनको वहां से बुला लिया गया। इसी तरह से रूबिया कांड हुआ। इस समय यहां हमारे पूर्व गृह मंत्री नहीं हैं लेकिन उस समय जो कुछ हुआ मैं उसकी डिटेल में न जाकर जो आज की स्थिति है वह कहना चाहता हूं। कश्मीर घाटी में आज जो हालात पैदा हुए हैं ने इतने भयंकर और विषम हैं कि वहां की स्थिति को देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे 1947 के हालातों की याद ताजा हो जाती है। यह ठीक है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो लाखों लोगों को आना पड़ा लेकिन कश्मीर घाटी के हालात यह हैं कि अपने ही देश में लाखों लोग माइग्रेंट होकर, शरणार्थी होकर वहां से आ जा रहे हैं, इससे वहां के हालात का अन्दाजा लगता है। मैं कश्मीर की समस्या की चर्चा करते समय उसे दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक तो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां और उनके परिणाम और दूसरे हिस्से में कश्मीर घाटी से माइग्रेंट आकर जिस तरह से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सरकार का जो केलरा तरीका है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मेरा पहला कहना यह है कि कश्मीर समस्या हल करने के लिए सभी सरकारों ने सबसे बड़ी गलती यह की कि समस्या को सांप्रदायिकता का रूप दिया और एक विशेष सम्प्रदाय में एक विशेष समुदाय के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना कर इस समस्या को देखा जबकि यह समस्या कम्युनल नहीं है और एक ग्रुप को संतुष्ट करने की नहीं है। यह कोई वोटों की राजनीति

नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। चाहे वी० पी० सिंह की सरकार हो या राजीव गांधी जी की सरकार हो उन्होंने एक विशेष मेजोरटी वर्ग को खुश करने की कोशिश की और उस नीति पर अम्ल किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज कश्मीर घाटी के अन्दर प्रशासन टोटली कोलैप्स हो गया है। मैं इस बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी तक किसी भी डी० सी० ने नजरबन्दी के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं किये, हस्ताक्षर कौन कर रहा है एक एडीशनल चीफ सेक्रेट्री होम श्री एम० रहमान थे, जिनको पदम श्री दिया गया है, वह हिम्मत करके वहां वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं। किसी भी सरकार का डी० सी० हस्ताक्षर करने की हिम्मत न करें तो उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां प्रशासन तन्त्र कैसे चल रहा है।

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली बार 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई अधिकारी गया नहीं। इस बार 26 जनवरी को मनाने के लिए गवर्नर साहब के एडवाइजर श्री भरवाह ने पहले से अधिकारियों की एक मीटिंग की और यह कहा कि कश्मीर घाटी में गणतन्त्र दिवस मनाने की सफलता के लिए कदम उठाए जाएं। मेरी सूचना यह है कि श्रीनगर और अनन्तनाग इन दो जगहों में गणतन्त्र दिवस मनाए गए और केवल डी० सी० और स्पेशल कमिश्नर को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी उस समारोह में शामिल नहीं थे। कोई न आये तो बात समझ में आती है लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन उसका बहिष्कार करे और वहां पहुंचे नहीं तो इससे हालात का अन्दाजा लगाया जा सकता है। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की ?

इतना ही नहीं 73 दिनों तक हड़ताल हुई। पाकिस्तान में जो कैम्प लगे थे और उनमें जो लोग शामिल हुए और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते निकाले गए थे, उनके समर्थन में 73 दिनों तक हड़ताल हुई। उसके बाद प्रशासन ने उनके आगे घुटने टेक दिये। पहले की सरकार ने जिस तरह से रूबिया कांड के समय घुटने टेके थे वैसे ही अबकी बार घुटने टेकने की नीति अपनायी गयी। इससे डिमारेलाइजेशन हुआ है।

आज वहां डेवलपमेंट का काम सब रुक गया है। आतंकवादियों ने वहां 36 पुल जलाए हैं लेकिन उनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। अनेक स्कूल और अस्पताल जलाए गए हैं। उनको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है। बजट में तो इसका प्राविजन होता है परन्तु कोई काम होता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां खत्म हो गया है। मिट्टी के तेल को अर्द्ध सैनिक बल के अधिकारी बांटते हैं। आपका प्रशासन मिट्टी का तेल और राशन भी नहीं बांटता है, यह स्थिति वहां की है।

अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष जब मिलिटेंसी पीक पर थी, जब दरबार जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट किया गया था परन्तु अब तो जिला प्रशासन के काम भी ठप्प हो गये हैं, मैंने आपको जैसा कहा, ठप्प होने का कारण यह है कि 73 दिनों की जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो उसमें सरकार ने जो घुटने टेके, उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। मेरा केवल यह कहना है कि कश्मीर समस्या के हल के लिए सरकार जो वक्तव्य दे रही है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों से बात करेंगे, जिस समय यह आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, उस समय जम्मू का नागरिक, उस समय कश्मीर घाटी के अन्दर वह नागरिक जो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है, आम लद्दाख का नागरिक है, उसके मन पर क्या गुजरती होगी, उस राष्ट्रभक्त के मन पर क्या गुजरती होगी जब उसको यह लगता होगा कि यह सरकार आतंकवादियों से, जो हत्याएं कर रहे हैं, निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, जो बगावत कर रहे हैं, बात करेगी। वहां दो तरह के आतंकवादी हैं, एक तरह के वे आतंकवादी हैं

जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक दूसरे आतंकवादी वह हैं जो कश्मीर को आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं, वह भारत से अलग रहना चाहते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो आम नागरिक के मन के अन्दर डिमोरलाइजेशन आता है, उसको लगता है कि अब तो आतंकवादी कल को प्रशासन में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार उनसे बात कर रही है इसलिए आतंकवादियों के हौसले बुलन्द होंगे इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार यह बात कहकर कि हम आतंकवादियों से भी बात करने को तैयार हैं, सरकार क्या संदेश आतंकवादियों को और देश को देना चाहती है? सरकार की समझौतावार्ता किससे होगी? मेरा निवेदन है कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जब देश में आतंकवादी, चाहे पंजाब का हो, चाहे कश्मीर का हो, गोली का रास्ता नहीं छोड़ेगा, जब तक इस भारत माता को अपनी मां मानकर, संविधान के अन्दर रहकर अपनी मांगें नहीं रखेगा तब तक उस से कोई बात नहीं होगी, यह सरकार को बहुत साफ तरीके से कहना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वार्ता के खिलाफ नहीं है। केवल गोली से ही समस्या हल की जाए, इससे हम सहमत नहीं हैं लेकिन बात किससे की जाए, जैसा कि अभी सरकार कहना चाहती है कि केवल बात ही करनी है तो ऐसे लोगों से, जो गोली से बात करते हैं, उनसे ही बात होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वार्ता के अन्दर जम्मू के लोगों को भी शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस वार्ता के अन्दर लद्दाख के लोगों को भी शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस वार्ता के अन्दर आप देश की माइनोरिटी कम्युनिटी या वहां की जो मैजोरिटी कम्युनिटी है, जो आपके साथ है जैसे भुज्जर कम्युनिटी है, बक्तरवाल कम्युनिटी है, उसको इस वार्ता में आप साथ क्यों नहीं रखना चाहते हैं? आपको आतंकवादियों को आइसोलेट करना पड़ेगा, आतंकवादियों को अलग करना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कहता कि हिन्दू ही राष्ट्र भक्त हैं, वहां दूसरे मतों के लोग भी काफी बड़ी संख्या में हैं जो हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत माता को अपनी माता मानते हैं, हमारे संविधान के अन्दर रहना चाहते हैं। मेरा कहना है कि उनको अपने साथ लाइए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, बातचीत के अन्दर उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन उससे आप बात नहीं करेंगे। लद्दाख वालों से बात नहीं होगी, जम्मू वालों से बात नहीं होगी तब आप बात किससे करेंगे जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और यहां आकर गोलियां चलाते हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। केवल यह कह देना कि लोगों को जिस तरह से आतंकवादी आदेश दे रहे हैं। कश्मीर में महिलाएं केवल सलवार पहनने वाली नहीं हैं। यह कहना कि विशेष ड्रैस पहनो, यह कहना कि तिरंगा झण्डा नहीं और यहां पाकिस्तान का हरा झंडा लाल चौक पर फहराया जायेगा···

सवाल यह है कि इन सब के पीछे मंशा क्या है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि चाहे पंजाब हो या कश्मीर हो, इसमें मंशा यह है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान पर चोट की जा रही है। खबर अखबारों में थी और यह सत्य है कि इण्डियन एयर लाइन्स और बैंक आफ इंडिया के अन्दर इण्डियन शब्द को हटाया गया। जहां-जहां पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया। मैं डेढ़-दो साल पहले काश्मीर गया था वहां लिखा होता था···इंडो काश्मीर, इसका क्या मतलब है? इन्डो दिल्ली इन्डो यू० पी० तो कोई नहीं कहते हैं। हिन्दुस्तान कोई एक अलग राज्य नहीं है, इसके कई राज्य हैं और उसका एक राष्ट्र है। कई राष्ट्रों का वह महाराष्ट्र नहीं है, यह कई राज्य मिल करके एक फेडरल

सरकार है। इसलिए हम यह नहीं कहते हैं कि इन्दो काश्मीर या इन्दो पंजाब, जो लोग यह कहते हैं वे हमारी राष्ट्रीय पहचान पर चोट करना चाहते हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अखबारों में एक खबर आई थी, यह सुनने में आया था कि डा० फारुख अब्दुल्ला साहब को बातचीत के लिए मध्यस्थ बनाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आज काश्मीर के अन्दर जो आतंकवाद फैला, मैं यह नहीं कहता कि वह अभी से हुआ, कारण बहुत पुराने हैं, लेकिन सबसे नवीनतम कारण यह था कि जिस तरह से फारुख अब्दुल्ला ने कश्मीर के इलेक्शन की रीगिंग किया, जिस तरह से जीते हुए इलेक्शन को हराया गया। जीते हुए कंडीडेट को हराया गया, उस कारण से लोगों में गुस्सा आया। इसलिए आज फारुख अब्दुल्ला के बारे में काश्मीर वैली में बहुत रोष और गुस्सा आया है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह आपकी सी० आई० डी० की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो नहीं है, वे इसे आसूचना विभाग कहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शोपतसिंह मक्कासर (बीकानेर) : आपको कैसे पता है ?

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपको बतलाता हूं कि उन्होंने अपने डाइरेक्ट पर फैक्ट किया ?

मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं जो 80 लोग रिहा किए गए उस समय जब डा० फारुख अब्दुल्ला जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, आज के जितने टौप के मिलिटेंट हैं, उन 80 में से जो आज के टौप के काश्मीर के लिमिटेंट्स हैं, ये वे लोग हैं जो उस समय रिहा हुए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि डा० फारुख साहब ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को हथियार बांटे, होम-गार्ड के नाम पर, इसकी रिपोर्ट भी सी० आई० डी० के पास है उस समय कार्यकर्ताओं को, होम-गार्ड के नाम पर हथियार बांटे गए। वे ही हथियार आज आतंकवादियों के काम आ रहे हैं। मैं एक नाम लूंगा—एक एक्स मिनिस्टर हैं अली मो० सागर, बनिहाल में, चैकिंग के लिए वे जा रहे थे, उनके पास से कुछ हथियार निकले। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं वे यहां पर तो हैं नहीं, तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखिए।

श्री मदन लाल खुराना : उनके पास हथियार, पिस्तौल आदि निकले। उस केस को वापस लेने के लिए दबाव पड़ रहा है। (व्यवधान) पिछले दिनों अखबारों में आया कि डा० फारुख अब्दुल्ला या मैं यह कहूं कि पाकिस्तान से वर्तमान प्रधान मन्त्री हैं, विदेशों में उनसे मिले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से फारुख अब्दुल्ला किस लिए मिले, क्यों मिले ?

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : नवाज शरीफ से ?

श्री मदन लाल खुराना : हां, नवाज शरीफ से क्यों मिले, किसलिए मिले और उनसे क्या बात

हुई। क्या उस बातचीत की रिपोर्ट भारत के प्रधानमन्त्री को या भारत सरकार को दी गई अगर नहीं दी गई तो मैं जानना चाहता हूं कि फारुख अब्दुल्ला को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री से किन मुद्दों पर और किसकी इजाजत से मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई, देश यह जानना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, फारुख अब्दुल्ला के नाम से अभी एक स्टेटमेंट जम्मू की अखबारों में छपा है, उसमें यह कहा गया है कि जगमोहन के सामने मत झुको, बाहर जाओ और बाहर से ट्रेनिंग लेकर के आओ। अब दिल्ली में फारुख अब्दुल्ला जी बयान देते हैं हिन्दुस्तान के पक्ष में जम्मू में जाते हैं, कश्मीर तो जा ही नहीं रहे, जम्मू में जब जाते हैं तो बयान दूसरा होता है। यह दोहरा मापदंड कैसा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति पर आप समझौते के लिए निर्भर हो रहे हैं और जिस व्यक्ति के कहने पर 73 दिन की स्ट्राइक के सामने घुटने टेके गये थे, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं, उसके बारे में आप सावधान हों और उनकी मध्यस्थता खतरनाक होगी, मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गवर्नर साहब ने कहा बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि किससे हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है, क्या बातचीत हो रही, इस बारे में देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीरीभाषी एक संप्रदाय के लोग नहीं हैं, नान-कश्मीरी-भाषियों से भी बातचीत होनी चाहिए, जम्मू के लोगों से भी बातचीत होनी चाहिए। कश्मीर की कुल जनसंख्या 70 लाख है, जिसमें से 22-23 लाख केवल कश्मीरी भाषी लोग हैं और उनमें भी सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बाकी वर्गों की भी चिंता करनी चाहिए।

इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि वहां के हालात नार्मल नहीं हैं, लेकिन आज सारे देश में सेंसस हो रहा है।

श्री इन्द्र जीत : वहां पर नहीं हो रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : क्यों नहीं हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं, आज कश्मीर में क्यों सेंसस नहीं हो रहा है। पंजाब में हो रहा है, पंजाब में भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, फिर कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है। इसके भी राजनीतिक कारण हैं, कारण यह हैं कि दिल्ली के बारे में जो लोग कहते हैं कि 1989 के आधार पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन कश्मीर में आज भी 1941 की सेंसस के आधार पर चुनाव हो रहे हैं और अगर अब सेंसस होगी तो सारी सीटों का डीलिमिटेशन होगा, जिसकी वजह से जम्मू रीजन को सीटें ज्यादा ही जाएंगी, इस राजनीतिक कारण से वहां पर सेंसस नहीं हो रहा है, कश्मीर घाटी में सेंसस नहीं हो रहा है। मैं होम मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जब कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है तो आप सारे हिन्दुस्तान में यह इम्प्रेशन क्यों दे रहे हैं कि कश्मीर में हमारी कुछ चलती नहीं है, इसलिए वहां सेंसस नहीं करवा पा रहे हैं, इससे जो संदेह पैदा होता है, उसका असर ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लद्दाख के बारे में बात कर रहा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख के साथ न्याय किया जाए। किसी की राष्ट्रभक्ति को कमजोर न समझा जाए। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख का विशेष महत्व है, लेकिन वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है. वहां पर आज तक कोई डिग्री कालेज नहीं है, कोई दूसरी योजनाएं नहीं चल रही हैं, बिजली 24 घंटे में केवल 2 घंटे रहती है, वह भी केवल लेह में, गांवों के अन्दर तो बिजली का नाम

भी नहीं है। बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख का विशेष महत्व है, इसलिए सरकार को उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पंडित नेहरू जी ने लद्दाख के लिए एक अलग मन्त्रालय की बात कही थी, वह पूरी नहीं हुई। 1967 में गजेन्द्र गडकर और 1989 में सीकरी आयोग ने अनेक सिफारिशें लागू की थीं, समय कम है, मैं उन सब का जिक्र नहीं करूंगा, इस बारे में वहां बुद्धिस्ट असोसिएशन ने एक बड़ा भारी आंदोलन किया।

उस आन्दोलन के अनुरूप 20 अक्तूबर, 1989 को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और लद्दाख की जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। उस समझौते में उस समय के होम मिनिस्टर बूटा सिंह जी मौजूद थे। उस समय उनको आश्वासन दिया गया था कि आपके लिए गोरखा हिल काउंसल की तरह कोई काउंसल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। आज तक वहां उन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। इसके कारण लद्दाख के लोगों के मनों के अन्दर नाराजगी है, गुस्सा है। उनके प्रति जो कैलस का तरीका अपनाया जा रहा है उस बारे में भी विचार किया जाए।

जम्मू क्षेत्र के बारे में हम बार-बार कह चुके हैं, अब फिर कहना चाहता हूं कि जम्मू से न्याय किया जाए। चाहे लद्दाख के लोग हों, चाहे जम्मू के लोग हों, काश्मीर घाटी के अन्दर भी वे लोग जो भारत के प्रति निष्ठावान हैं, भारत माता की जय कहते हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

मेरा दूसरा पक्ष है काश्मीर विस्थापितों की समस्या। उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि देश के अन्दर मानवाधिकार की बात करने वाले, काश्मीर में आतंकवादियों को सरकार मार रही है इसकी तो रिपोर्ट लेने के लिए हिन्दुस्तान से लोग गए, परन्तु कश्मीरी विस्थापितों के बारे में मौन क्यों हैं? गल्फ वार की वजह से लोगों को लाया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं, उनको ठीक लाया गया लेकिन गल्फ वार के अन्दर कुछ लोग फंसेंगे तो लोग कहते थे कि हाउस नहीं चलने देंगे, सब कुछ किया, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश, बिहार में दंगा हो रहा है और चार लोग मर जाएं, जो गलत है, उसके लिए कुछ सदन में धरने देंगे। मैं जब से लोक सभा का सदस्य हुआ हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं, पहले की सरकार हो या अब की सरकार हो, डेढ़ लाख लोग, दो लाख लोग घर-वार छोड़ कर काश्मीर घाटी से आए। वे कहते हैं कि हमारा दोष यह है कि हम भारत माता को अपनी माता कहते हैं, इसलिए हमको आना पड़ा। अगर हम सभी उनके साथ मिल कर 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाते तो हम बड़ी आसानी से वहां रह सकते थे। उनका केवल कसूर यही है। यहां बहुत बातें होती हैं, मांग की जाती है। कहीं दंगे हुए तो प्रधान मन्त्री वहां जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दो लाख लोग उजड़ कर पिछले 13-14 महीनों से जम्मू और दिल्ली के अन्दर पड़े हुए हैं, क्या प्रधान मन्त्री जी कभी उनको जम्मू में देखने के लिए गए? उनकी हालत को देखने के लिए गए? वे पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जम्मू के अन्दर उन शरणार्थियों को देखने के लिए, विस्थापितों की हालत देखने के लिए क्यों नहीं जा सकते? मैं गया, आडवाणी जी गए। हालत वहां पर यह है, आडवाणी जी ने अपनी आंखों से देखा कि एक बहन वहां सात दिनों तक नहा नहीं पायी। वह कहती थी कि कपड़े नहीं हैं, नहाने का प्रबन्ध नहीं है। एक ही कमरे में आठ-दस परिवार रहते हैं। वहां पर उनको टैंट दिए गए हैं। मैंने तीन महीने पहले खुद अपनी आंखों से उनकी हालत देखी है। एक टैंट के अन्दर तीन-तीन परिवार रह रहे हैं, पिछले 11-12 महीनों से रह रहे हैं। क्या इतने आदमी एक ही टैंट में रह सकते हैं? अभी ठण्ड गयी है, गर्मियों में वहां लोग लू से मरे। ठण्ड के अन्दर सरकार

के कितने कम्बल दिए ? सरकार उन लोगों को कम्बल नहीं दे पाती : भारतीय जनता पार्टी ने लगभग डेढ़ लाख कम्बल वहां के लोगों के लिए भेजे । मैं पूछता हूं कि कितने कम्बल सरकार ने दिए ? जिस समय कोई और बात की जाती है तो सैंक्यूलेरिज्म की बात हो जाती है । मुझे कहना पड़ रहा है । लोग जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं । वहां के शरणार्थी ठीक कह रहे हैं कि चूंकि हम हिन्दू हैं इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अगर हम हिन्दू न होते तो शायद सारी पॉलिटीकल पार्टीज, सारी सरकारें बढ़-चढ़ कर हमको खुश करने के लिए सामने आतीं । मैं जानना चाहता हूं कि····(व्यवधान) जो भी पीड़ित होता है और अगर आप भी पीड़ित होंगे तो आपकी भी सहायता करेंगे । अभी ओलावृष्टि हुई है···(व्यवधान) मैं कहना चाहती हूं कि दो लाख संख्या कम नहीं है विस्थापित और शरणार्थी बनकर आए हुए हैं । उनकी तरफ सरकार को प्रायोरिटी पर ध्यान देना चाहिए । उनको वायदे किए गए कि जो हिल्ली एरिया है जम्मू का वहां उनको स्थायी रूप में बसाएंगे । जो हालात हैं काश्मीर के तो यह दिमाग से निकाल दीजिए कि वे वापस जाएंगे । फारुक अब्दुल्ला नहीं जा रहे हैं, हमारे एम०पीज० भी नहीं जा रहे हैं···(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आप बहुत गलत बोल रहे हो ।

श्री मदन लाल खुराना : मैं कितना गलत बोल रहा हूं, इसका अन्दाजा घाटी से लगा सकते हो । पिछले साल मैंने यह कहा कि वहां से शरणार्थी आए हैं और आप यह कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हो । इस हाउस में यह कहा गया था कि चूंकि वहां एक विशेष कम्युनिटी का हत्याकांड करवाना चाहता है इसलिए वहां से हिन्दुओं को यहां के लिए निकाला गया । यहां पर प्रचार किया गया । यहां पर उपदेश दे रहे हैं कि यह सब गलत है । मैं यह कहना चाहूंगा कि हिम्मत के साथ खड़े होइए और आतंकवादियों के साथ हिम्मत के साथ डील कीजिए । आप आतंकवादियों से बात करेंगे और घुटने टेकेंगे इससे काम नहीं चलेगा ।

2.58 म० प०

[डा० तन्खा उपसभापति पीठासीन हुए]

जो एम० पी० यहां बैठे हैं तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां लाल चौक पर हिन्दुस्तान का झण्डा फहराएंगे, चाहे फारुक अब्दुल्ला हों····(व्यवधान) यह कहें कि अपनी कांस्टीच्युएंसी में इतना कंट्रोल है कि हिन्दुस्तान का तिरंगा फहरायें ।···(व्यवधान) पंजाब के स्कूलों में जन-गण-मन बंद कर दिया गया है । आज कश्मीर के स्कूलों के अन्दर जन-गण-मन कह नहीं सकते । वहां पर कहीं झण्डा नहीं फहरा सकते । वहां के इस तरह के हालात हैं । आप भाषण देंगे कि काश्मीर के हालात ठीक हैं । यह घोषणा कीजिए कि फलां तारीख को लाल चौक पर झण्डा फहरायेंगे । हिन्दुस्तान का झण्डा भारत की धरती पर नहीं लगेगा तो कहां लगेगा । मेरी पार्टी ने यह घोषणा की है काश्मीर का इतिहास रहा है और एक समय ऐसा था···(व्यवधान)

3.00 म० प०

कश्मीर को एक करने के लिए भारतीय जनसंघ उस समय के जो संस्थापक अध्यक्ष थे जो यहां पर विपक्ष के नेता थे । डा० मुखर्जी, जो पैदा बंगाल में हुए थे और कश्मीर की एकता के लिए, हिन्दुस्तान की एकता के लिए कश्मीर में जिन्होंने बलिदान दिया था, उस 23 जून को हमने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि चाहे नेशनल कांफ्रेंस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के

लोग हों या सरकार हो, अगर वे झण्डा नहीं फहरा सके तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता 23 जून को श्रीनगर में लाल चौक पर हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा फहरायेंगे। इससे देश की एकता और अखंडता को हम मजबूत करेंगे।

ये जो मैंने दो पक्ष रखे हैं कि सरकार अपने कार्यों से कभी यह संदेश न दे कि वह आतंकवादियों के सामने घुटने टेक रही है, दूसरा कि जो वहां से जम्मू और दिल्ली में विस्थापित होकर आए हैं और यहां नारकीय जीवन बिता रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें, उनको वोटर बनाइये, उनसे बातचीत करें और प्रधान मन्त्री जी कम से कम वहां जायें। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय सभापति महोदय, माननीय आडवाणी जी द्वारा यह निर्णय लेने का, कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री खुराना चर्चा उठाएंगे, कोई कारण अवश्य होगा क्योंकि इस शैली में मैंने कुछ पढ़ा है जो मुझे पसंद नहीं है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर मैं आज पहली बार श्री खुराना के विचार से सहमत हूं। मैं उन विषयों पर उल्लेख करूंगा। (व्यवधान)

महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य का प्रत्युत्तर में कुछ कहने से पहले कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं जिसका माननीय श्री खुराना ने यहां उल्लेख किया है क्योंकि रिकार्ड को सही ढंग से रखना और आपको यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि प्रत्येक काश्मीरी के इस स्थिति के बारे में क्या विचार हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या आप सरकार की ओर से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह अवश्य ही सरकार की ओर से उत्तर दे रहे होंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कौन सी सरकार ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक संगत प्रश्न है। (व्यवधान) सरकार तो कोई है ही नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : जिसके आप शिक्षा मन्त्री बनने वाले थे।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मुझे मंत्री बनने की लालसा नहीं है। महोदय, राष्ट्र के हित में मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू काश्मीर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दे और मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में एक चीज देखता हूं जो अत्यन्त ही संकीर्ण है और जम्मू एवं काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में साम्प्रदायिकता से ओत-प्रोत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सम्बन्ध है मैं काश्मीर के लोगों के बारे में चिन्तित नहीं हूं लेकिन मैं इस राष्ट्र के बारे में चिंतित हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दृष्टिकोण भारत की एकता और अखण्डता के लिए हानि कारक है। इसलिए, मैं श्री खुराना और भा० जा० पा० के अन्य सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे काश्मीर में स्थिति का अध्ययन और अधिक सूक्ष्मता से करें और आप जिस प्रकार के निष्कर्ष पर

पहले पहुंच चुके हैं और आपने यहां प्रस्तुत किया है उस प्रकार का निष्कर्ष श्री खुराना के माध्यम से इस सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत न करें।

मैं उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों की चर्चा संक्षेप में करूंगा। उदाहरण के लिए, उन्होंने जगमोहन का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि जगमोहन ने काश्मीर को पाकिस्तान में मिलाये जाने से बचाया है। मैंने इस सदन में जगमोहन के बारे में बहुत बार उल्लेख किया। कि—गत 11 माह की अत्यन्त दुखदायी अवधि के दौरान मैंने श्री जगमोहन का मामला उठाया। मैंने हमेशा उनका नाम लिया। लेकिन, आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि वहां पर श्री जगमोहन ने ही अलगाववादी आंदोलन को प्रश्रय दिया, और मेरे पास इसका पर्याप्त सबूत है। वस्तुतः काश्मीर पाकिस्तान में मिलाया जा रहा था या स्वतंत्र होने जा रहा था क्योंकि श्री जगमोहन ने पाकिस्तान तथा वहां के आतंकवादियों को यह आंदोलन करने की छूट दी और अब भारतीय जनता पार्टी श्री जगमोहन को याद करती है। और मैं स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं—यह वही व्यक्ति हैं। उन्होंने लद्दाख का उल्लेख किया। लद्दाख की कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मैं श्री खुराना और उनके साथियों को अपने पुस्तकालय में आमंत्रित करता हूं। मैंने अपने छोटे से पुस्तकालय में कश्मीर में 1931 से गठित किए गए सभी आयोगों द्वारा दी गई रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध हैं। मेरे पास ग्लेंसी आयोग की रिपोर्ट है। मेरे पास अटेरसैन आनन्द समिति और गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्टें भी हैं। मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला था। मैंने उनके सम्मुख एक जन संस्था का प्रतिनिधित्व किया था और उनकी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने जम्मू के बारे में कुछ कहा था, लद्दाख के बारे में कुछ कहा था और अन्त में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है। यह रिकार्ड पर है। आप मेरे पुस्तकालय में आएं और में उसे आपको दिखा सकता हूं। मैं उन सिफारिशों के आधार पर यह सिद्ध करूंगा कि वित्तीय संसाधनों के आबंटन में और रोजगार के सम्बन्ध में जम्मू प्रांत के साथ न्याय नहीं किया गया है और यदि जम्मू प्रांत में कोई अन्याय हुआ तो यह 34 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के साथ हुआ है। जब आप जम्मू की बात करते हैं, तो आप सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसके द्वारा यह गलत प्रचार करते हैं कि जम्मू के हिन्दुओं के साथ अन्याय हुआ है। यह गलत है क्योंकि राजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशें मेरे पास हैं। लद्दाख बहुत शांति प्रिय रहा है परन्तु भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में भी कुछ शरारत करने का प्रयत्न कर रही है। केवल चार-पांच दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक संसद सदस्य लद्दाख गए थे और वहां एक बौद्ध संस्था का समर्थन किया और वहां एक साम्प्रदायिक भाषण दिया। उसी शाम मुझे लद्दाख से एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ और वह बहुत ही अप्रिय और झूठी बातों से भरा हुआ था और पूरी तरह से देश के हितों के लिए हानिकारक था। मैंने प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा और उसकी एक प्रति श्री राजीव गांधी को भी भेजी क्योंकि उनकी पार्टी लम्बे समय से लद्दाख का प्रतिनिधित्व कर रही है और उस पार्टी को आज पता नहीं है कि लद्दाख में क्या हो रहा है और किस प्रकार लद्दाख की स्थिति को साम्प्रदायिक बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के भाषण की प्रति मेरे पास है। आप लद्दाख को एक संघ क्षेत्र नहीं बना सकते। आप जम्मू को एक अलग राज्य नहीं बना सकते। हम राज्य की अखण्डता का समर्थन करते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम भारत की अखण्डता का समर्थन करते हैं और आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो राज्य की अखण्डता के लिए हानिकारक है। जम्मू में आप कहते हैं कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए और लद्दाख में आप कहते हैं कि लद्दाख को संघ क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। वहां कोई संघ क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। तब, मैं आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि जो व्यक्ति भारत के संविधान

को स्वीकार करता है वह उग्रवादी नहीं हो सकता, परन्तु एक व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है क्योंकि इसके लिए कश्मीर के लोगों, लद्दाख के लोगों तथा राज्य की अखण्डता के प्रश्न आधार होंगे और इसके लिए मैं स्वयं भी सदन में आतंकवादी बन सकता हूं।

श्री खुराना ने बहुत से मुद्दे उठाये। मैं उन्हें रिकार्ड के आधार पर चुनौती देता हूं। मैं उनको पुस्तकालय आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें अपने घर आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सत्य है। (व्यवधान) उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं जो सत्य नहीं हैं. उदाहरणतया उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गणतन्त्र दिवस समारोह में शिरकत नहीं की। यह गलत है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोज, आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमान, मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं। चाहे में दाईं और भी देख रहा हूं तो भी मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। गणतन्त्र दिवस पर मैं राज्यपाल से मिला था और उनको बताया था कि हमारे पास अधिक सलाहकार होने चाहिए क्योंकि कार्य अधिक है। ये सब अफसर हैं। राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका राजनैतिक दृष्टिकोण हो। यह बहुत भयानक है। यह एक पुलिस राज्य है। जब वे किसी अधिकारी का चयन करते हैं, तो यह पुलिस विभाग से होता है क्योंकि उन लोगों को सबक सिखाना होता है। मैंने उन्हें बताया कि तीन अधिकारियों में से दो को श्रीनगर में तैनात किया जाना चाहिए और गणतन्त्र दिवस पर, श्री मरवाह, श्री बीर जी और श्री वीरेन्द्र प्रकाश को समारोह में जाना था। उनका कार्यक्रम इस प्रकार था कि एक व्यक्ति अनन्तनाग जाए तथा एक व्यक्ति बारामूला जायेगा। वे अनुपस्थित रहे। सलाहकार अनन्तनाग नहीं पहुंचा। उपायुक्त राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्मचारी वहां कैसे पहुंच सकते थे ? ये दोनों सलाहकार अनन्तनाग और बारामूला क्यों नहीं गए ? उन्होंने यह भी कहा है उपायुक्त कारंट और रिमांड जारी नहीं कर रहे हैं। मैं तीन दिन पूर्व श्रीनगर गया था और कल वापस आया हूं। अचानक से उपायुक्त मुझे हवाई अड्डे पर मिले थे। मैं यहां तीन दिन पहले राज्यपाल से मिला था और मैंने राज्यपाल को टेलीफोन को कहा कि राज्यपाल को दिए गए मेरे सुझावों में से उपायुक्तों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं ? वे वारंट जारी करने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो मैं इस सदन में बाद में उठाना चाहता हूं। मैं अपने माननीय साथी श्री मदन लाल खुराना को बता रहा हूं कि उपायुक्त और राजस्व अधिकारी जो भी उनके उत्तरदायित्व प्रयोग हैं उनके निर्वहन के लिए तैयार हैं परन्तु उस चौकडी द्वारा जिसमें सभी पुलिस वाले हैं उनको कुछ करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने डा० अब्दुल्ला की गतिविधियों के संबंध में सी० आई० डी रिपोर्ट देखी है। मैं इस सदन में चुनौती देता हूं। वे डी० आई० बी० से उक्त रिपोर्ट प्राप्त करें। वे सेना के जनरलों से, जो उस राज्य में तैनात थे, जानकारी प्राप्त करें। वे बताएंगे कि क्या डा० अब्दुल्ला ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो भारत राज्य के हितों के विपरीत थीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उसको हम सदन में पेश कर सकते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० संफुद्दीन सोज : उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के सामने घुटने टेकने पर हड़ताल समाप्त हुई। यह एक झूठा कथन है। मैं भी हड़ताल समाप्त करवाने वालों में से एक था और इसका श्रेय प्रधान मन्त्री को जाता है क्योंकि यह हड़ताल का 63वां दिन था। आप उन कर्मचारियों को झुकाना चाहते थे ताकि वह ड्यूटी पर आ जाएं। मुख्य सचिव ने राज्यपाल को यही कहा था। मैंने प्रधान मन्त्री तथा राज्यपाल को यह कहा था :

[हिन्दी]

"कि उनका दिल रखिए। आखिर वह आतंकवादी थोड़े हैं। गलत एडमिनिस्ट्रेशन से वह स्ट्राइक पर गए हैं और यहां आपके होम मिनिस्टर थे—मुफ्ती मोहम्मद सईद, मेरी बद-किस्मती है, वह इस समय यहां नहीं हैं···"

[अनुवाद]

मैं उनके पास भी गया था। श्री वी० पी० सिंह इस देश के प्रधान मन्त्री और श्री खुराना चाहते थे कि वह जम्मू जायें। क्या वे काश्मीर गये ? वहां बहुत सी बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुईं। तत्कालीन सरकार लोगों के दुखों पर खुश हुई। मैं यह नहीं कहता कि वी० पी० सिंह सरकार ने जान बूझकर ऐसा किया। परन्तु उस सरकार की कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं थी। वास्तव में, वह ऐसा समय था जब सरकार कश्मीर के बारे में हाथ झाड़ चुकी थी। परन्तु राष्ट्रीय पार्टियों ने उस अवसर पर आवाज उठाई और सरकार को यह समझाने का प्रयास किया कि कश्मीर इस देश का अंग रहना चाहिए।

हड़ताल समाप्त हुई क्योंकि प्रधान मन्त्री ने कुछ पहल की थी। तत्पश्चात् अफसर शाही ने अपना प्रभाव जमाये रखा। उन्होंने वर्तमान प्रधान मन्त्री को भी अधिक नहीं करने दिया। परन्तु मैंने सरकार को लोगों के दुखों के संबंध में अवगत कराया। आप कहते हैं, "सरकार कर्मचारियों के सामने झुक गई।"

[हिन्दी]

उनका दिल रखा है और सारी स्ट्राइक खत्म हो गई। बैंक खुलने लगे और राशन मिलने लगा, हास्पिटल में दवाई मिलने लगी। उसके बाद तो वहां अखबारों में हमारा नाम आ गया है। वह लोग कहते थे कि अमन हो गया। वह दूसरे तरीके से हमारी मुखालिफत करते थे।

[अनुवाद]

वे जानते थे कि मैं भी हड़ताल समाप्त करवाने वालों में से एक था ताकि वहां जनजीवन सामान्य हो सके। उनको इस सरकार या राज्यपाल को समाप्त करवाने के लिए बधाई देनी चाहिए थी। परन्तु आप इस पावन सदन के सामने अपना नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक ऐसे दल को जो अब एक वरिष्ठ विपक्षी दल है, क्योंकि उसके नेता श्री अडवाणी विपक्ष का नेता बन गए हैं, बिल्कुल शोभा नहीं देता।

अब मैं जनगणना के मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उग्रवादियों और

आतंकवादियों से वर्तमान कानूनों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। हम उग्रवाद और आतंकवाद का अंग नहीं बन सकते परन्तु मैं आपको बताता हूं कि स्थिति सामान्य नहीं है। आप जनगणना नहीं करवा सकते। आप भारत के महापंजियक से इस बारे में बात करें।

श्री मदन लाल खुराना फिर से गलती पर हैं। उनका कहना है कि सीमांकन के माध्यम से जम्मू को अधिक सीटें प्राप्त होंगी। उनका कहना बिल्कुल गलत है। आओ हम जनगणना करा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जनगणना किए जाने की तिथि के बाद तक हम जीवित रहेंगे। मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि यदि और अधिक सीटें प्राप्त होंगी तो वे सीटें कश्मीर के लिए ही होंगी। हमें विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि जब तक जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक अर्थपूर्ण, उचित और वैज्ञानिक जनगणना नहीं कराई जा सकती। आइये आप, मैं और दूसरे सभी मिलकर सामान्य स्थिति बहाल किए जाने हेतु कार्य करें, जिसे आप नहीं कर रहे हैं।

मैं श्री मदन लाल खुराना की इस बात से सहमत हूं कि भारत की एकता और अखण्डता के विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं विशेषकर उनके यह कहने पर सहमत हूं कि "जब आप कश्मीर की बात करें, तो आपको इस मत के सभी पहलुओं पर बात करनी चाहिए। आपको सभी लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। यहां उन्होंने उल्लेख किया है कि कश्मीरियों की संख्या 20 या 25 लाख है। आपका कहना बिल्कुल गलत है। आपने इसका अध्ययन नहीं किया है। कम से कम 50 लाख लोग कश्मीरी बोलते हैं। मैं आपको यह सिद्ध कर सकता हूं। इसलिए, आप अपने आंकड़ों को ठीक करें। सही आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। एक शब्द डा० अब्दुल्ला के बारे में, कहता हूं, जो यहां पर मौजूद नहीं हैं। यहां इसका उल्लेख करना मेरा कर्त्तव्य है। डा० अब्दुल्ला के साक्षातकार के बारे में उल्लेख किया गया है। वह साक्षातकार यहां मेरे पास है, क्योंकि 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने इसे प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा "आप इसे पढ़ें और प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा लोगों को मार डालें। कभी-कभी डा० अब्दुल्ला का कथन कटाक्षपूर्ण होता है। परन्तु आप इसके आशय को न देखें। आप उनकी राष्ट्रीयता को न देखें। आप उनकी विवशता को न देखें। आप सदा तभी देखते हैं जब उनकी जिह्वा फिसलती है। इसलिए, जब उन्होंने यह कहा था, तब इसमें एक विशिष्टता थी। उन्होंने श्री जगमोहन के प्रचंड अभियान के बारे में जोर देकर कहा था, क्योंकि श्री जगमोहन वहां गए और उन्होंने श्री देवी लाल, श्री राजीव गांधी और श्री चौधरी के सामने कहा कि "हमें नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस को समाप्त करना है।" उन्होंने दूसरा राष्ट्र विरोधी कार्य भी किया। उन्होंने विधानसभा भंग कर दी। मैं इसके पुनरुद्धार का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह एक राष्ट्र-विरोधी कार्य था। वास्तव में, पाकिस्तान भी इतनी हानि नहीं पहुंचा सकता था, जितनी श्री जगमोहन ने चुनी हुई विधान सभा को भंग करके मूर्खतापूर्ण कार्य करके पहुंचाई। उनके हाथ में कोई विकल्प नहीं था। उन्हें कोई शक्ति नहीं दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने मुझे तीन बार बताया था "उन्होंने मेरे से कोई विचार-विमर्श नहीं किया।" मैं इस सभा को विश्वास में ले रहा हूं। मैं वह व्यक्ति भी हूं जिसने प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह को बताया था कि "कृपया इसे और अधिक लोगों को न बताएं क्योंकि यह बता मेरे कानों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने भारत के राष्ट्रपति को सलाह देनी है। आपको भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख कश्मीर तथा देश की स्थिति पर प्रकाश डालना है। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने आपसे सलाह-मशविरा नहीं किया। तब उन्हें गिरफ्तार करें। उन्हें बरखास्त करें।" तब उन्हें हटाया गया था और उन्हें राज्य-सभा की सीट से पुरस्कृत किया गया था। वास्तव में, उन पर

केवल कश्मीर में जन संहार का ही आरोप नहीं लगाया जा सकता, बल्कि देश के विरुद्ध विद्रोह का अभियोग भी चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यदि आतंकवादियों की निंदा करो तो आपको पता लगे। चालीस साल तक आपने क्या कर लिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : डा० फारुक अब्दुल्ला ने जो कहा था वह यह है "आप स्वयं को बचाएं" और यह बात महत्वपूर्ण थी। डा० फारुक अब्दुल्ला किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। जहां तक मेरा विचार है वे एक राष्ट्रवादी हैं। वह इस देश की एकता का समर्थन करते हैं। उनके द्वारा दिये गये वक्तव्यों को अधिक न पढ़ें। कभी-कभी वे गलत हो सकते हैं और वह अपने दिल से बात कहते हैं। लेकिन आप बात के मूल तक न जायें। आप अभिप्राय: पर न जायें। आप जिह्वा की फिसलन पर जाते हैं। फिर भी अगर मुंह से निकल गया तो उसमें क्या है।

मैं एक अति उदास व्यक्ति की भांति परसों ही दिल्ली लौटा था। मैं इसलिए उदास था क्योंकि मुझे पता चला था कि बातचीत यहां की जा रही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर जा रहा था। उस समय भी जबकि श्री जगमोहन ने मुझे सुरक्षा प्रदान करने से इन्कार कर दिया था तो भी उन दिनों मैं वहां गया था। मैं कश्मीर की ताजा स्थिति जानना चाहता था और मैं जो आपको वर्णन कर रहा हूं ये वे बातें हैं जो मैंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ करके पता लगाई हैं। मैं एक निराश व्यक्ति की भांति दिल्ली लौटा था। क्योंकि मैंने कश्मीर में पुलिस प्रशासन की बदतर स्थिति देखी है। वहां कोई नागरिक प्रशासन नहीं है। वास्तव में, श्री मदन लाल खुराना ने भी इसका उल्लेख किया था परन्तु उन्होंने बाद में अपने वक्तव्य को वापस ले लिया था। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। वहां वास्तव में कोई नागरिक प्रशासन ही नहीं है। पुलिस प्रशासन एक रोजमर्रा की वस्तु बन चुका है। उनकी निहित रुचि होती है। जब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा तब मैं इस सदन से निवेदन करूंगा। कृपया प्रत्येक कश्मीरी, साधारण मनुष्य, महिलाओं तथा बच्चों, बूढ़ों, असहायों और निर्दोषों को पुलिस प्रशासन जिसे मैं अस्वीकार करता हूं, जिसकी मैं सभा में भर्त्सना करता हूं। चंगुल से बचाए जिलाधीशों के पास कोई प्राधिकार नहीं है। तहसीलदार के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। सभी कुछ दो अथवा तीन महानिदेशकों द्वारा किया जाता है। मैं यहां पर राज्यपाल से मिला था। मैंने यहां जो कुछ भी उल्लेख किया है, यहां मुझे अपने सभी मित्रों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मैंने राज्यपाल को बताया कि वे इस मुद्दे पर गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल भी असहाय से दिखाई दिए यद्यपि उन्होंने विभिन्न प्रश्नों पर सुस्पष्ट बातचीत की। उपायुक्त, जिलाधीश गिरफ्तारी के वारंट जारी करने हेतु तैयार हैं। वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के पुलिस अधीक्षक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कश्मीर पुलिस बल के किसी भी अधिकारी को विश्वास में नहीं लिया जाता और न ही उन्हें कोई अधिकार दिया जाता। सभी कुछ तीन महानिदेशकों के हाथ में है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम इस संसद को, इस सम्माननीय सभा को एक बात ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि वहां पर 6 अथवा 7 अथवा 8 अथवा 10 लोग ही अपने प्राधिकार का

प्रयोग करते हैं उनमें से एक भी कश्मीर का नहीं है और उनमें से एक भी जम्मू का नहीं है। कभी-कभी मुझे आभास होता है कि केन्द्रीय सरकार कश्मीर के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रही है। यह केवल एक कालोनी है। क्योंकि मैं संसद में चर्चा कर सकता हूं, कभी-कभी मुझे लगता है कि इसके साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन जब मैं कश्मीर जाता हूं तो कश्मीर को देखकर मुझे लगता है कि यह भारत का एक अखंड भाग न होकर एक कालोनी है। मैंने केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक प्रश्न उठाया था। यदि आप सुबह-शाम कश्मीर को भारत का अखंड भाग कहें तो आप मेरे विश्वास और समझ के अनुसार इसके प्रति ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करते ? यदि आप एक उच्च-स्तरीय दल भेजने से सहमत नहीं होते तो आप जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, इन बातों पर गृह सचिव को अनुसंधान करने के लिए क्यों नहीं कहते ? महानिदेशक (सी०आई०डी०) और महानिदेशक (पुलिस) और दो अथवा तीन अन्य लोग ही पूरे प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। मैंने राज्यपाल से कहा था कि अब आप इस प्रशासन का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं कर देते क्योंकि अब उल्लास उन्माद समाप्त हो चुका है। आप स्वयं कहते हैं कि स्थिति सामान्य हो जाने के संकेत हैं। आप राहत क्यों नहीं प्रदान करते ?" परन्तु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैंने इस प्रश्न पर भी राज्यपाल से बातचीत की थी और इस सम्माननीय सदन के समक्ष भी यह प्रश्न उठाया था कि वहां बैंक कार्य नहीं कर रहे हैं; जीवन बीमा निगम कार्य नहीं कर रहा है; दूसरी बीमा कम्पनियां कार्य नहीं कर रही हैं; महालेखाकार का कार्यालय बंद हो चुका है। 13000 कर्मचारी जम्मू और दिल्ली में अपना पूरा वेतन पा रहे हैं। इनमें से अधिकतर का यहां पर उचित समायोजन किया जा चुका है। श्री सोमनाथ चटर्जी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 13000 कर्मचारियों का तबातला किया है और आपकी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय बन्द हो चुके हैं और परेशानी किसे उठानी पड़ रही है। आम आदमी को अपनी पेंशन नहीं मिल पाती है। वह महालेखाकार के कार्यालय से अपने दस्तावेज ही पूर्ण नहीं करवा पाता। वह अपने जीवन बीमा के निगम के दावों का समायोजन नहीं करा पाता। वह अपनी किस्त की अदायगी नहीं कर सकता। इन 13 महीनों के दौरान सभी कार्यालय उग्रवादियों द्वारा बरबाद कर दिए गए हैं और न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी, दि जनरल इन्श्यूरेन्श कम्पनी, दि यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी और दि ओरियंटल इन्श्योरेन्श कम्पनी द्वारा एक भी दावे का समायोजन नहीं किया गया है। उनके द्वारा कुछ भी न किए जाने के क्या कारण हैं ? यदि आप इन कर्मचारियों को जम्मू, दिल्ली और जयपुर में नियुक्त करना चाहते हैं तो इन 13000 पदों को रिक्त घोषित किया जाए और राज्य भर्ती बोर्ड को इन रिक्त पदों को भरने हेतु कहा जाए। उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। आम व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय वहां केवल वी० पी० सिंह के शासन काल में ही बन्द नहीं हुए थे बल्कि कुछ को छोड़कर अभी भी बन्द पड़े हैं।

आज मैंने श्री देवी लाल जी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने यह उल्लेख किया कि पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, जोकि श्रीनगर में कार्य कर रहा था, बन्द कर दिया गया है। यह इज्जत नगर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। मैंने यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि एक काश्मीरी पंडित श्री पुष्कर नाथ भट्ट ने इस संस्थान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप कुलपति को क्यों नहीं बुलाते ? मैंने पहले कृषि मन्त्री को भी लिखा था। मैंने उन्हें कुलपति श्री पुष्कर नाथ भट्ट को और इज्जत नगर में कार्य करने वाले निदेशक को भी बुलाने के लिए कहा था जिससे कि उनके साथ बातचीत की जा सके। वे आपको बताएंगे कि क्या यह अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में कार्य कर

सकेगा। परन्तु कुछ कर्मचारी जो यहां आते हैं और जिनका इसमें यहां प्रभाव है वे प्रत्येक कार्य को अपनी तरह से करवाते हैं।

विशेष संदर्भ में मैं इस सदन का ध्यान रोजगार के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है परन्तु पाकिस्तान को है। यह उनकी चिन्ता है जिन्हें सीमाओं की सुरक्षा करनी है। केन्द्रीय सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। वहां घुसपैठ का मामला राज्य सरकार का नहीं है यह केन्द्रीय सरकार का मामला है। उन्हें व्यापारी लोगों का आगमन रोकना चाहिए। जिस तेजी से वे गए थे अब उसमें कमी आई है। उन्हें इसको रोकना है : मेरे लिए यह कहना अधिक आवश्यक है कि हम गृह कार्य अधिक ठीक प्रकार से कर पाते हैं या नहीं। मुझे मुख्य रूप से उसकी चिन्ता है। अब काश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है। काश्मीर बहुत छोटा राज्य है। 1987 में अकेले काश्मीर में ही एक लाख लोग बेरोजगार थे। वहां नियुक्ति संबंधी नीति में एक कमी थी कि केवल मैट्रिक पास को ही नौकरी के लिए आधार माना गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में नौ लाख हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इधर नौ लाख बहुत कम हैं, कश्मीर में तो आबादी थोड़ी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तमिलनाडु के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं तमिलनाडु के सम्बन्ध में भी चिन्तित हूं। मैं विशेष रूप से काश्मीर में तथा सम्पूर्ण देश में बेरोजगारी की समस्या के भी सम्बन्ध में चिन्तित हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि 1987 में, बेरोजगारों की संख्या एक लाख थी। उनमें एल० एल० एम०, एम०एस०सी०, एम० ए०, बी० एड० तथा एम० एड० थे। और केवल दो ही दिन पहले का एक पत्र मेरे पास है कि एक व्यक्ति जो एल० एल० बी० था मेरे पास आया था और अपने लिए दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी का रोजगार दिलवाने के लिए कह रहा था। यह एक दुःखद स्थिति है। प्रधान मन्त्री को यहां होना चाहिए था। श्री सुबोध कांत सहाय को इस मुद्दे को नोट करने के लिए यहां होना चाहिए था और उन्हें उत्तर देना चाहिए था कि वे काश्मीर में क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इस सरकार के पास काश्मीर के सम्बन्ध में सोचने के लिए और वहां की समस्याओं को हल करने के लिए समय है।

राज्यपाल ने मुझसे वादा किया था कि, मुझे आशा है कि श्री खुराना ने भी मेरी बातों को नोट कर लिया होगा, वे जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण कहां स्थापित करेंगे जिससे कि लोग वहां जा सकें तथा अपने मन की बात कह सकें तथा अपने दुखों तथा मुसीबतों की कहानी कह सकें। उन्होंने बहुत बड़े वायदे किए थे। मैं नहीं जानता कि उस शिकायत निवारण कक्ष का क्या हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं और मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है और क्योंकि मुझे आखिरकार इस सदन से यह अपील करनी है कि कभी-कभी कश्मीर की पुलिस

रिश्वत लेकर कट्टर उग्रवादियों को छोड़ देती है। परन्तु निर्दोष लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज ही मैंने प्रधान मन्त्री को दो दसवीं कक्षा के छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था—वे एक ही पिता के दो पुत्र थे—वे पिछले अगस्त में बारामूला में गिरफ्तार किए गए थे। एक लड़के का कुछ पता नहीं चला और एक दूसरे लड़के के बारे में केवल यह पता चला है कि वह ऊधमपुर जेल में है। अब ये लोग कहां जाएं ? वे किसी के पास नहीं जा सकते। यदि आप राज्यपाल के पास जाते हैं, तो यह मजाक की स्थिति होती है। माननीय सदस्यों को काश्मीरियों की चिन्ता होनी चाहिए यदि आप सुबोध कांत सहाय के पास जाते हैं, यदि आप भारत के प्रधान मन्त्री के पास जाते हैं तत्पश्चात् आप केबिनेट सचिव या गृह सचिव के और या श्री एम० के० धर जैसे भले मानुष के पास जाते हैं जो श्री सुबोध कांत सहाय के विशेष सहायक हैं, और यदि आप राज्यपाल श्री सक्सेना के पास जाते हैं—अन्त में आपकी फरियाद, आपकी याचिका का कागज का टुकड़ा—चाहे आप संसद सदस्य भी हों डी० आई० जी० (पूछताछ) श्री जसवन्त सिंह की मेज पर रख दिया जाता है। श्री जसवन्त सिंह, डी० आई० जी० (पूछताछ) जम्मू व काश्मीर राज्य में पूर्ण प्राधिकारी हैं। मैंने राज्यपाल को एक पुलिस अधिकारी काश्मीर में तथा एक पुलिस अधिकारी जम्मू में रखने के लिए कहा है। परन्तु पूछताछ के लिए एक ही अधिकारी रखा हुआ है। जब तक वह प्रमाण पत्र जारी नहीं करता कोई नहीं छूट सकता। यह एक विडम्बना है इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्यपाल जिला केन्द्रों पर एक शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित करें।

इस सम्बन्ध में एक जांच समिति है। जब यहां काश्मीर समिति थी, तो श्री चौधरी इसके सदस्य थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यहां पर एक जांच समिति होनी चाहिए जिसको प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे और निर्दोष लोगों को छोड़ा जा सकेगा। मैंने उस समिति को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई थी। आखिर में कहना चाहिए कि—

"बने हैं अहले हबस मुद्दई भी, मुन्सिफ भी।
किसे वकील करें, किसी से मुन्सिफी चाहें॥

मैं पुलिस प्रशासन की शिकायत कर रहा हूं। जब मैंने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा तो अन्त में ये श्री जसवन्त सिंह की मेज पर रखे गए। जब कोई अपील की जाती है तो यह पुलिस महानिदेशक को जाती है और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। यही स्थिति लगातार चल रही है।

मैंने यह सुझाव दिया था कि श्रीनगर के अन्दरूनी क्षेत्रों से अर्ध सैनिक बलों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना कोई कार्य पूर्ण नहीं किया है। वे केवल आतंकवादियों के साथ मिल गये। पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से भ्रष्ट हो चुका है। मैं दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं कि भोले-भाले लोग जेलों में बन्द हैं तथा दोषी लोग पैसा देने के कारण छोड़ दिए जाते हैं। मैंने सुझाव दिया था कि अर्धसैनिक बलों को श्रीनगर के अन्दरूनी इलाकों और बारामूला और सोपोर आदि शहरों से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आपको कोई हानि नहीं हो पाएगी। आपका केवल आतंकवादियों से रोजमर्रा का सम्पर्क नहीं हो पायेगा जिनके कारण दुर्भाग्यवश कभी-कभी सुरक्षा बलों के जवान घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि धारा 144 लगायी जा सकती है, आप पांच आदमियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। परन्तु भीतरी श्रीनगर से सुरक्षा बलों को हटा लेना चाहिए क्योंकि श्रीनगर आकार में काफी बड़ा शहर है और इससे हमारा कोई भला नहीं होता। इस माननीय सदन के समक्ष मेरा यह सुझाव है।

मैं इस सदन को जोरदार तरीके से बताता रहा हूं कि दो कठोर कानूनों, जिनमें से एक यहां पारित हो गया है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम और विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के माध्यम से बहुत निचले स्तर के अधिकारियों को शक्ति प्रदान करते हैं और वे शक्तियां भी अलग-अलग संगठनों को, जैसे तिब्बत सीमा पुलिस, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ०, सेना, सशस्त्र पुलिस इत्यादि को अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत निचले स्तर पर एक सार्जेंट और एक हवलदार भी गोली चला सकता है। माननीय गृह मन्त्री जी, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन दो कानूनों का आतंकवादियों के बजाय निर्दोष लोगों के विरुद्ध दुरुपयोग किया गया है।

हमारे पास पहले से ही कानून है। मेरा कहना यह है कि आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए। यहां पहले ही टी०ए०डी० ए० दण्ड संहिता और जन सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये दो कठोर कानून समाप्त किए जाने चाहिए। काश्मीर के निर्दोष लोगों ने इन दो कठोर कानूनों के कारण भारी कठिनाई का सामना किया है। महोदय, मैंने कुछ समय पहले ही प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा है। मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता था। परन्तु अब नहीं। मैं इन दोनों कानूनों का विरोध करता हूं। अतः इन दोनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, अब माननीय गृह मन्त्री ने अपने नोट में यह स्वीकार किया है कि काश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं और वहां चुनाव के अनुकूल समय नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु मैं माननीय गृह मन्त्री श्री सुबोधकांत सहाय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि काश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। यदि आप राजनैतिक प्रक्रिया शब्दावली प्रयोग करते हैं तो प्रैस में इसकी गलत तरीके से परिभाषा की जाती है। मैं यह नहीं कहना चाहता। मैं विधान सभा को पुनर्जीवित करने की बात भी नहीं करता। यह एक राजनैतिक स्थिति है। और जम्मू काश्मीर न्यायपालिका को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। यदि यह एक राजनैतिक समस्या है तो यह केन्द्रीय सरकार के लिए है क्योंकि केन्द्रीय सरकार को इसके लिए एक क्षपथपत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि काश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह उपयुक्त अवसर है। यदि एक माननीय सदस्य जो भा०ज०पा० सदस्य भी हो सकते हैं। राज्यपाल को निर्दोष लोगों को छोड़ने के लिए लिखते हैं तो कुछ नहीं होता है। राज्यपाल, काश्मीर राज्य के मामले में राजनीतिज्ञों से, जो भंग विधान सभा के सदस्य भी हो सकते हैं से कोई सलाह नहीं लेते हैं।

राज्यपाल को लोगों द्वारा एक सलाहकार परिषद रखने की सलाह दी गई थी, सदस्य बनने की मेरी इच्छा नहीं है; मुझे उस पद से कोई मोह नहीं है। लेकिन कोई तो उसका सदस्य हो सकता है—यह जम्मू से श्री मंगत राम हो सकते हैं; जनकराज गुप्त हो सकते हैं, धर्मपाल हो सकते हैं; मोहम्मद शफी हो सकते हैं और इस प्रकार एक सलाहकर परिषद बन सकती है। तीनों सलाहकार नहीं चाहते हैं कि कोई चौथा व्यक्ति भी परिषद में हो पुलिस प्रशासन अपना निहित स्वार्थ सिद्ध कर रही है। माननीय गृहमन्त्री जी को मामले में हस्तक्षेप कर राज्यपाल को एक सलाहकार परिषद रखने की सलाह देनी चाहिए। अगर वह चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो उन्हें हमें भी बताना चाहिए कि राज्य में राजनैतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया, अपना भाषणा समाप्त करें।

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय, चूंकि तीन बार घन्टी बजाई जा चुकी है, अतः मैं केवल दो बातें ही कहूंगा। (व्यवधान) महोदय, मुझे इस सदन से एक अपील करनी है। यद्यपि मुझे बहुत सारी

बातें कहनी हैं, पर मैं केवल दो चीजों का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं सदन के समय की बचत करना चाहता हूं। कश्मीर के बारे हम अर्थात स्वयं मैं, कांग्रेस के तथा नेशनल कांफ्रेंस के मेरे साथियों तथा अन्य सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं अपनी पूर्व में की गई अपील को पुनः दोहराता हूं। मेरे साथी श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि भावनाएं वही हैं। ऐसा नहीं है। तब से अब तक काफी कुछ घट चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था, भाषण अपेक्षाकृत कम कटु है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरे कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में जो कुछ भी गलत हुआ है, उसकी जांच किसी जांच आयोग द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए एक जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। राज्य में राजनैतिक गतिविधि तथा राजनैतिक प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, हम करेंगे। लेकिन, सही रिकार्ड उपलब्ध हों तथा सफलता मिले, इसके लिए जरूरी है कि एक जांच आयोग गठित हो। हमें अवश्य ही यह पता लगाना चाहिए कि हमने कहां गलती की; राज्यपाल ने कौन सी त्रुटि की; वर्तमान राज्यहाल ने कहां गलती की है; कहां पर केन्द्र सरकार द्वारा त्रुटि हुई होगी तथा पुलिस ने कहां पर गलत कार्यवाही की। (व्यवधान) महोदय, कश्मीरी पंडितों ने मेरे राज्य में काफी कठिनाइयां उठाई हैं।

महोदय, मैं इस सदन से आज अपनी अपील पुनः करता हूं। श्री वी० पी० सिंह की काश्मीर के बारे में कोई नीति नहीं थी, इसलिए वह असफल हो गए। लेकिन, आइए, इन प्रधानमन्त्री जी के साथ प्रयास करें, जिनका कहना है कि काश्मीर की समस्या हल करने के लिए उनके पास नीति है। कम से कम उन्होंने वहां की समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग तो दिया। मेरी अपील यह है कि एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल काश्मीर भेजा जाए और यदि वहां के लोगों की पीड़ा देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं तो कम से कम आप उनकी दयनीय दशा तथा भारी कठिनाइयों को तो समझने की कोशिश करें। हो सकता है, उदाहरणार्थ, वे पाकिस्तान समर्थक न हों, आतंकवादियों का समर्थन न करते हों, हो सकता है कि वे अपनी कहानी आपको बताना चाहते हों, अपना दुख दर्द आपसे बांटना चाहते हो। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपा करके एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल गठित कर यथाशीघ्र उसे काश्मीर भेजें। वह प्रतिनिधिमण्डल जम्मू जा कर देख सकता है कि काश्मीरी पंडितों ने विशेष रूप से प्रवासियों के रूप में कितना दुख उठाया है। वे शरणार्थियों का दर्जा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने घर वापस जाना है। हाल ही में, पूरे काश्मीर में शिवरात्री मनाई गई थी, जिसमें 15,000 काश्मीरी पंडितों ने भाग लिया। यदि सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल वहां जाए तो वह देखेगा कि काश्मीर की स्थिति साम्प्रदायिक नहीं है; वहां आतंकवाद तथा हिंसा है, न कि साम्प्रदायिकता। आप देखेंगे कि शिवरात्रि के दिन श्रीनगर दूरदर्शन पर एक बड़े साहसिक निर्माता ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसे यहां भी प्रसारित किया जाना चाहिए। सुबोध कांत सहाय जी, उस कार्यक्रम को यहां दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे लोगों को यह पता चल सके कि काश्मीरी मुस्लिमों तथा काश्मीरी पंडितों ने कैसे एक साथ शिवरात्रि मनाई; कैसे उन्होंने अपने भाइयों का साथ दिया तथा किस प्रकार उन्होंने भविष्य में भी साथ-साथ रहने की प्रतिज्ञा की।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति जी, दुर्भाग्य की बात है कि न तो यह जम्मू के शरणार्थियों के बारे में बोले····(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हरि किशोर सिंह।

(व्यवधान)

श्री धर्म पाल शर्मा : प्रश्न यह है कि कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आपने बी० जे० पी० से शुरू किया, ठीक है। अब पहले मैं बोलूंगा, बाद में कोई और बोलेगा।

[अनुवाद]

आप कृपया मुझे समय दीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, आपके लोगों को हमेशा समय दिया जाता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके लोगों ने ऐसा कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसीलिए जब उपाध्यक्ष महोदय बाहर गए तो उन्होंने मुझे प्रो० सोज को समय देने के लिए कहा। अगली बारी कांग्रेस की है।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल शर्मा : मैं उस राज्य का हूं।

सभापति महोदय : अगली बार, मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : उपाध्यक्ष जी, आज हम बहुत ही दुखद विषय पर चर्चा कर रहे हैं। काश्मीर जैसे राज्य में बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां हों और अलगाववादी ताकतें उभरें, यह हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान काश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जहां पाकिस्तानी आंदोलन एकदम बहुत ही कमजोर था और मो० अली जिन्ना को भी काश्मीर में हिम्मत रखनी पड़ती थी। फिर आज ऐसा क्यों हुआ, ऐसी दुखद स्थिति वहां क्यों पैदा हुई ? काश्मीर जो हमारा गौरव है, हमारा मुकुट है वहां पर क्यों इस तरह की अव्यवस्था पैदा हुई, जिस कारण से आज इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़रहा है। मैं समझता हूं कि भारत की सरकार द्वारा चाहे 1953 में की गई गलती का परिणाम हो या 1984 में की गई गलती का परिणाम हो, हमारे साथी धारा 356 का बहुत ही खुले धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि धारा 356 का दुरुपयोग करने के कारण से आतंकवादी आंदोलन काश्मीर में चला। 1984 में डा० फारुख की सरकार को अगर बर्खास्त न किया गया

होता, अगर 1987 में वहां जो चुनाव हुए उसमें रिगिंग न की गई होती तो शायद आज हमारे देशवासियों का काश्मीर में जो खून बह रहा है और जिससे सारा भारत अवगत है कि ऐसी स्थिति न आती।

मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 में क्यों शेख अब्दुला की सरकार को बर्खास्त किया गया? क्या उनका दोष सिर्फ इतना ही था कि अक्तूबर 1983 में उन्होंने प्रमुख विरोधी दलों का सम्मेलन आयोजित किया था और उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा करके, सोज जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे सुधारेंगे, उन को डिसमिस कर दिया गया और फिर थोड़े दिन बाद उस समय की सरकार और दिल्ली के नेताओं के साथ जब दोस्ती हो गई। तब 1987 में उनके साथ पुनः गठबंधन किया गया और उस समय जो गलत चुनाव हुआ, उस चुनाव व्यवस्था से, जनतांत्रिक पद्धति से, चुनाव की स्वतंत्र प्रणाली से वहां के नौजवानों और नागरिकों का विश्वास उठा। उसके बाद आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई। धारा 356 के अन्तर्गत असम, तमिलनाडु सरकार को बरखास्त किया गया, उसका जवाब जनता देगी। धारा 356 के तहत बिहार में भी सरकार कार्यवाही करने की सोच रही है।

श्री युवराज (कटिहार) : बिहार में भी जिस तरह की कानून और व्यवस्था चल रही है, उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।

श्री हरि किशोर सिंह : आपको यह बात जरूरत अच्छी लगेगी लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की गलती मत कीजिएगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वह हमारी लाश पर होगा। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा आपके प्रति बहुत सम्मान है, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने दोस्त श्री सुबोधकांत सहाय जी से आग्रह करना चाहता हूं कि धारा 356 के अन्तर्गत अपने सहयोगी कांग्रेसियों के पाप उठाने की कोशिश मत कीजिए। चाहे असम हो, तमिलनाडु हो या बिहार जहां सरकार की गिद्ध-दृष्टि लगी हुई है।

श्री सुबोध कांत सहाय : आप अपने दिल पर हाथ रख कर बतलाइए।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं अपने दिल से ही बोल रहा हूं, दिल पर हाथ रख कर बोल रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप यह काम मत करना। मेरे दिल में आपके प्रति स्नेह और सम्मान है, इसलिए कह रहा हूं कि यह काम आप मत करना। तमिलनाडु में जो हुआ है, उसकी कीमत देश को चुकानी होगी, क्योंकि जनतांत्रिक प्रणाली को जहां-जहां आघात पहुंचाया जाता है, वहां-वहां विद्रोह उठता है और लोग तलवार उठाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। (व्यवधान) यही कारण है कि कश्मीर की समस्या बिगड़ती चली गई है और आज भी वह समस्या है। (व्यवधान)

1984 में फारुख अब्दुल्ला को मैंने डिसमिस नहीं किया था, 1987 में दोस्ती करके राष्ट्रभक्त का सर्टीफिकेट मैंने नहीं दिया था और न ही पहले देशद्रोही का सर्टीफिकेट दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : फारुख अब्दुल्ला को किसने एंटीनेशनल कहा? किसने डिसमिस किया था। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : इसलिए अपने पापों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने सिर्फ श्री हरिकिशोर सिंह को बोलने की अनुमति दी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई लोग एक साथ बोल रहे हैं···

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मिथ्याचार की हद होती है । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति महोदय, आज की समस्या जो खड़ी हो गई है, इसका समाधान राजनीतिक होगा । बहुत सी शिकायतें दोस्त सोज ने की हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार वहां के संसद-सदस्यों की सलाहकार समिति नियुक्त करे, यह परंपरा रही है कि जहां जहां पहले राष्ट्रपति शासन होता था, उस राज्य के संसद-सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई जाती थी, जम्मू-कश्मीर में आपको क्या दिक्कत है ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : उस वक्त आपको क्या दिक्कत थी ?

श्री हरि किशोर सिंह : क्या दिक्कत है, क्या सारे संसद-सदस्यों पर आपको विश्वास नहीं रहा, आप संसद-सदस्यों की समिति बनाइए, वहां के जितने राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों की समिति बनाइए, सलाहकार समिति बनाइए क्योंकि जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, छोटी-छोटी समस्याएं भी आगे चलकर बहुत जटिल हो जाती हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गवर्नर और उनके सलाहकार पर ही निर्भर रहेंगे, क्या डी०एस०पी० और एस० पी० पर निर्भर रहेंगे या राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी । आप नागरिकों की सलाहकार समिति बनाइए, उपर से नीचे तक बनाइए, तब समस्या का समाधान हो सकता है ।

सभापति महोदय, कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी है। कश्मीर समस्या को जटिल बनाने में पड़ौसी देश पाकिस्तान का हाथ रहा है और आज भी है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मन्त्री पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ दोस्ताना भाव रखते हैं । उनको भारत के प्रधान मन्त्री अपना मित्र मानते हैं । हम चाहते हैं कि दोस्ती का भाव व्यक्तिगत स्तर पर सीमित न रहे, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे और जो आतंकवादियों की गतिविधियां हैं, काश्मीर के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने में संबंध में, जिसके स्पष्ट सबूत हैं सरकार के पास, जो पाकिस्तान सरकार को विभिन्न अवसरों पर भारत सरकार के अफसरों ने दिखाए हैं, उन गतिविधियों को पाकिस्तान सरकार बंद करे । जब तक यह नहीं होता है तब तक हम नहीं मानते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर मीठी बातें करने से कोई फर्क पड़ने वाला है । पाकिस्तान की सरकार चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो, जब जब पाकिस्तान के अन्दर कठिनाई पैदा होती है, अपने यहां पाकिस्तान की सरकार कठिनाई में पड़ती है तो काश्मीर की समस्या की चर्चा होने लगती है । आज भी होगी और कल भी होगी । लेकिन आतंकवादियों के लिए जो प्रशिक्षण केन्द्र पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं

कि क्या ये प्रशिक्षण केन्द्र बंद कर दिए गए हैं ? क्या पाकिस्तान से अब कोई आतंकवादी नहीं आ रहा है ? अगर बंद नहीं किए गए हैं और आज भी पाकिस्तान में काश्मीर के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? जो दोस्ताना संबंध स्थापित हुए हैं उसका इस संदर्भ में क्या उपयोग हो रहा है ?

अन्त में, मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में। हमारे साथी सोज साहब ने चर्चा की कि वहां गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। सारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, सारे देश में गरीबी की समस्या है। राष्ट्र के बहुत से हिस्सों में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या है, आर्थिक विकास की समस्या है। चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या काश्मीर की घाटी, जहां भी आर्थिक विकास की समस्याएं हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं, सरकार उसके लिए क्या बंदोबस्त करने जा रही है ? जम्मू का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र और घाटी का क्षेत्र मैं अलग नहीं मानता हूं। लेकिन ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आर्थिक असंतुलन की समस्याएं हैं। सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? इसके संबंध में मैं जानना चाहूंगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्मीर की समस्या राष्ट्र की समस्या है, यह किसी दल की समस्या नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसका हल निकालना चाहिए और इसमें आम सहमति होनी चाहिए। इसका उपयोग दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काश्मीर की समस्या हमारे राष्ट्र की समस्या है इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर हो और राजनीतिक प्रक्रिया वहां शुरू करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या लगाया जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक दलों की कार्यवाही संसद के सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन करके, राजनीतिक दलों की सलाहकार समिति का गठन करके, होनी चाहिए। यह गठन अविलम्ब होना चाहिए, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह बहुत ही दुःखद प्रसंग है जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में उठ खड़ा हुआ है इसका समाधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में 6 किसानों को गोली मार दी गई··· (**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : अब हम जम्मू-कश्मीर के बारे में पर चर्चा कर रहे हैं। सांविधिक संकल्प इस मामले को यहां इस तरह से लाने का यह उचित समय नहीं है···इन चीजों को सदन के सामने लाने का यह कोई तरीका नहीं है।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसके लिए सूचना दीजिए, न कि इस तरह कहिए। आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए लिखित में सूचना दीजिए।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया गया है। श्री धर्म पाल शर्मा।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : हम सब लोग साथ रहेंगे और नेक्सट वरकिंग डे पर क्वेश्चन अवर के बाद उठाएं।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : ठीक है, इस प्रोमिज पर मैं बैठता हूं।

श्री धर्म पाल शर्मा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, काश्मीर की स्थिति बहुत गम्भीर है उसके मुतल्लिक मैं हाउस की तवज्जुह दिलाना चाहूंगा। यह क्यों जरूरी हो गया है कि वहां राष्ट्रपति शासन और बढ़ाया जाए। वहां की असेम्बली भंग है और चुनाव नहीं हो सकते। जिन्होंने असेम्बली भंग कराई है वे आज मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती की है। जनवरी 90 से दिसम्बर 90 तक सात सौ और पन्द्रह सौ वाक्यात कोल्युजन के हुए हैं और 156 लोगों को अपहृत किया गया। 45 राकेट के अटैक हुए और 666 सिविलियन मारे गए हैं। मिलिटेन्ट ने मारे हैं और 135 सिक्योरिटी के आदमियों को नुकसान हुआ है। जनवरी में 183 वाक्यात हुए हैं और और 44 लोग मारे गये, 29 सिक्योरिटी के लोग और 550 मिलिटेन्ट अब तक मारे गये हैं और दो हजार चालीस पकड़े भी गये हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहती रही है कि शुरू से अब तक चार-पांच हजार लोग पाकिस्तान से ट्रेन्ड हैं और जो बार्डर पर खड़े हुए हैं। इतनी तादात पर मारे जाने पर इतना असला पकड़ा गया वह था 1240 ए० के०-47, 530 मशीनगन, राकेट लान्चर और दो लाख गोलियां भी पकड़ी गई। 550 मारे गये और दो हजार 40 पकड़े गए। खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान से मदद मिलना मुश्किल है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है और सब रास्ते बन्द हैं और कोई टैरोरीस्ट नहीं आ सकता। ग्यारह जनवरी को जब बहस हो रही थी तो मैंने कहा कि हमारे पास दो महीने रह गए हैं पन्द्रह अप्रैल तक। जिन चार-पांच हजार लोगों से पास एम्युनिशन है तो क्या हालत होंगे। इस गम्भीरता पर मैंने ध्यान दिलाया था। उनका दबाव बढ़ रहा है और ज्यादा अटैक कर रहे हैं। यू० एन० ओ० के आफिस पर एक मस्जिद से राकेट फेंका गया। वैली में जो हालात हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। ग्यारह फरवरी को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउन्डर मो० मकबूल बट्ट, जिनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। ग्यारह फरवरी को बरसी थी। सब चले गए बारामूला, कुपवाड़ा में तो उन्होंने आजाद कश्मीर के झण्डे फहराए और बकायदा यूनिफार्म में सलामी ली। ग्यारह फरवरी को हजरत बल की दरगाह पर यह था कि वहां पर समारोह होने जा रहा है और वहां पर मिलिटेन्ट आएंगे। बड़े धूम-धाम से हुआ, बहुत आपत्तिजनक नारे लगे और भाषण हुआ मो० मकबूल बट्ट का पांच रुपए का डाक टिकट जारी हुआ जिस पर उनकी तस्वीर थी। दूसरी तरफ यह लिखा था कि शहीदे आजम मो० मकबूल बट्ट। उन्होंने करेंसी जारी की कि जो अभी तक नहीं मिली। आज डाक टिकट कुछ लोगों के

4.00 म० प०

पास हैं। और वे भाषण देने के बाद चले गये। जो हिजबुल मुजाहिद्दीन है उन्होंने कहना शुरू कर दिया, रेवेन्यू वालों को धमकियां भी दीं कि कस्टोडियन के जितने मकान हैं जहां से वे किराया लेते हैं, उनको खाली कराओ, जाली स्टेट सब्जेक्ट बनाये हैं, पहचान करिए कि कितने और किन आफिसर्स ने बनाए हैं। बाकी प्रदेशों से जो लोग स्थाई या अस्थाई तौर पर वहां रह रहे हैं उनको कहा गया कि निकल जाओ। यह हालत 11 फरवरी की है जो मैं सदन के सामने लाना चाहता था। इन हालात में जबकि मदद बन्द है, विपंस नहीं आ रहे हैं, इन्फिल्टरेशन नहीं होगा तो और क्या होगा। वह खुद मानते हैं कि पांच हजार तैयार बैठे हैं, फिर कैसे समस्या हल होगी। इसके साथ-साथ कुछ पोजिटिव

पहलू भी हैं, तस्वीर के दोनों रुख मैं सदन सामने रखूंगा। यह कहना वेइंसाफी होगी कि वहां सिर्फ डर और आतंकवाद ही है, अगर मैं यह न कहूं तो इन्साफ नहीं होगा। वहां पर बारामूला में औरतें निकलीं, चाहे उनकी तादाद दो सौ ही थी, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाये और हिंदुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये। इसी तरह से बड़गांव में जहां टी० एस० पी० और एस० एच० ओ० को मारा था, लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाये। एक जगह एक आदमी मस्जिद में चला गया और माइक लेकर उसने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ जलूस निकालूंगा अगर मेरा बेटा एक घंटे में नहीं छोड़ा गया, उनको छोड़ना पड़ा। यह तस्वीर का पोजिटिव पहलू है। लोग ज्यादतियां मेनटेन कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। मैं पोलिटिकल लीडरशिप से कहना चाहूंगा, चटर्जी साहब से भी कहूंगा कि सब एबसेन्ट हैं। चाहे नेशनल कांफ्रेंस की लीडरशिप हो, कांग्रेस की हो या इनके तिरगामी साहब हों। कोई दिल्ली में है तो कोई और कहीं है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। आतंकवादी वहां डरे हुए हैं, लोग उनको नहीं चाहते हैं। सवाल यह है कि उनको सुविधा दी जाए। मेरी प्रार्थना है भूतपूर्व विधायक और मंत्री जम्मू में बैठे हैं, एम०एल०ए० होस्टल में दरबार है. उनके लिए बैठने की और सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, लोगों से वे मिलेंगे, लोग उनको अपना दुःख-दर्द कहना चाहते हैं। वहां पर आर्थिक हालत चरमरा गई है। गरीब लोग जो कारीगर थे, टैक्सी ड्राइवर थे, क्राफ्ट्स-मैन थे, एक-डेढ़ साल के अर्से में भी इकोनोमी शैटर हो गई है। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। टूरिज्म दो साल से बन्द है जो वहां मेन आर्थिक आधार है। सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए और लीडरशिप को भी जुर्रत होनी चाहिए वहां जाने की। पंजाब में जुलूसों में, जलसों में लीडरशिप जाती है, वहां भी आतंकवाद है, फिर कश्मीर में क्यों नहीं जाते हैं। आप डरे जा रहे हैं, लोग आपके साथ आना चाहते हैं इसलिए वहां नेताओं को जाना चाहिए।

एक और पाजिटिव साइन है। 21 फरवरी को हड़ताल हुई, 26 जनवरी को भी हुई थी। 26 जनवरी को जम्मू जेल में जो आतंकवादी पकड़कर रखे थे उन्होंने वह दिन मनाया, तिरंगा झंडा लहराया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। टी० वी० वाले आये, न्यूज ट्रक वाले भी गए थे। न्यूजमैन भी गए उनके सामने भी उन्होंने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। यह एक अच्छी बात है। हमें पहले की सरकार और अब की सरकार में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। कहा गया कि कश्मीर की पालिसी है, मुझे तो दिखाई नहीं देती।

श्री भागेन्द्र झा (मधुबनी) : सुबोध जी पहले भी थे और अब भी वही मन्त्री हैं।

श्री धर्मपाल शर्मा : मैंने पहले भी इनसे कहा था, अब भी कह रहा हूं। जो बड़े होम मिनिस्टर थे हमारी रियासत के थे लेकिन हमें नहीं पूछते थे। आप ही पूछ लें, लेकिन यह भी बिना बताए जम्मू चले गए। कांग्रेस सरकार की एक प्रथा थी कि जो मंत्री किसी एम० पी० के क्षेत्र में जाता था तो उसे लिखता था कि मैं यहां आ रहा हूं। आप गए थे मसले को समझने के लिए, पहले भी प्रशासन से मिलते थे, अब भी मिलते हैं। हो सकता है जनकराज जी से मिले हों, लेकिन मुझसे नहीं मिले, मुझे आपसे गिला है वह मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें नेग्लेक्ट करते हैं, यह ठीक है कि हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन मैंने दो बार समय मांगा, एक बार आपके पी० ए० ने बात कराई, मैंने कहा कि बड़ी जरूरी बात है, मैं आपको जरूरी सूचना देता।

405 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और अब देना चाहते। हमारा कोई जाती काम नहीं था। इन्फार्मेशन यह है हाल तक कि

जम्मू में टैरेरिस्ट्स घूम रहे हैं। हालत यह है कि दिल्ली में घूम रहे हैं। यहां पर चाणक्यपुरी जे० एण्ड के० गैस्ट हाऊस में आज भी लिफ्ट नं० 2 में जे० के० एल० एफ० लिखा हुआ है, कमरों के ऊपर, दीवारों पर लिखा है 6 महीने से, फर्नीचर पर लिखा है, मिटाते हैं, रोज दीवारों पर लिखते हैं। यह आपकी इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट है कि जे० एण्ड के० गैस्ट हाऊस या सरकारी हाऊसेज में यह हो रहा है। मैंने यहां कहा था कि जे० के० एल० एफ० के चीफ 16 नवम्बर को जहाज से जम्मू आए थे। ये कुछ बातें इसके लिए आपसे कहना चाहते थे, आप सुनना नहीं चाहते थे। आप दिल्ली में नहीं बुलाना चाहते थे। आप जाते हैं तो सुनना नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन को सुनकर आप भी आ जाएंगे। वहां तो यह है कि वे लोग नवाब बने हुए हैं। वहां गवर्नर अच्छा काम कर रहे हैं, आपके एडवाईजर्स हैं। जब आप नहीं पूछते हैं, वे भी नहीं पूछते हैं। पता नहीं आज क्या डयरेक्शन्ज हैं? पहले तो था, अब पता नहीं क्या है? एडवाईजर्स साहब से मिलते हैं, गवर्नर साहब से मिले हैं, लोगों की बातें कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि टैरेरिज्म जम्मू और कश्मीर में क्या है? एक डेवलेपमेंट का माहौल था, हमने कई बार कहा कि पैसा कहां गया? बिजली कहां लग रही है, कहां पीने के पानी का काम हो रहा है, कहां तालाब बन रहा है, कहां सड़क बन रही है, और हम कहते रहे। हमने इन्ट्रेस्ट लेकर गवर्नर से कहा, तीन बार एडवाईजर्स से कहा कि डेवलेपमेंट बोर्ड होते थे जहां चुने हुए लोग एम०एल०ए०, एम० पीज०, एम०एल०सीज० होते थे। हम कहते थे क्या होना चाहिए, बजट खुद पेश करते हैं, वे तो अब भी करेंगे यहां पार्लियामेंट में। गवर्नर साहब खुद करके गए हैं। आगे काम करने के आपके टारगेट क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, कोई एकाऊंटेबलिटी नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है? रियासते जम्मू कश्मीर से 6 एम० पीज० हैं और वहां 3 एडवाईजर्स हैं ये कहें तो हमें भी मशविरे में शामिल कर लें, क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहूंगा और जवाब चाहूंगा। यह अब नहीं 3 महीने से है। हम लोगो की नुमायंदगी करते हैं कि उनकी बातें कहेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा कहा गया? मैंने पूछना चाहा इम्प्लीमेंटेशन का, हमें पता नहीं, प्लान का हमें पता नहीं, इन्वाल्वमेंट नहीं है लोगों का, हमारा इन्वाल्वमेंट नहीं है। मेरी यह इत्तला है कि फंड लैप्स हो जाएंगे अगर कहीं खर्च नहीं हो सकते हैं। यदि स्नो बाऊंड एरिया में नहीं तो प्लेन्स में लगा दीजिए। हमें पीने के पानी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है. कहीं नहीं कर सकते हैं तो यह पैसा लैप्स हो जाएगा। जो डेवलेपमेंट के लिए ईयारमार्क किए गए हैं, कुछ और जगहों पर हो सकते हैं? मैं आपसे तब पूछूंगा जब आप जे० एण्ड के० का बजट लायेंगे। मेरी इत्तला है कि आप खर्च नहीं करते हैं। सवाल रीविंग का नहीं है, सवाल यह है कि अलाटेड फण्ड स्टेट आफ जे० एण्ड के० के हैं तो जम्मू कांस्टीट्यंसी में नहीं तो ऊधमपुर में हो सकते हैं, क्यों नहीं किए जायेंगे? क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं कि काम में यह पैसा लगाया जाएगा कि नहीं मैं यही जानना जरूर चाहूंगा। पहले भी हमने कहा प्रधानमन्त्री ने 10 जनवरी को जे० के० की सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश की, उसमें मैंने यह रेज किया था कि हमारे 5-6 पावर प्राजेक्ट्स हैं दुलहस्ती, बागलकोट, बगलियार, सलाल-II फेज कि इनके लिए फण्ड्स मुहैया किया जाए। मेरी रिपोर्ट है बागलकोट और बगलियार के लिए 7वीं प्लान में पैसा था और अब मुझे पता चला है कि वह दो प्राजेक्ट्स अब 9वें प्लान में लेंगे। यह प्राईम-मिनिस्टर का यहां कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए फण्ड कोई कंस्ट्रेन नहीं होगा। आप इस बात को नोट करिये। 9वें प्लान में बगलियर, बागलकोट, दुलहस्ती-II फेज, सलाल, सेवा हाईडल प्राजेक्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपके पंजाब में राष्ट्रपति राज है वहां थीन डैम में एक लाख 13 हजार कैनाल जमीन आ रही है, 22 गांव उसमें आ रहे हैं और दस हजार लोग उजड़ रहे हैं और 8

हजार आपने वहां पर कैनाल दिया कम्पनसेशन । मेरी मांग है कि दुलहस्ती में, उड़ी में, अपर सिंध में आपने दिया है, 25 हजार के लिए वह दीजिए, 8 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने कमिट किया है । नार्थन जोन काउंसिल की मीटिंग जो श्रीनगर में होगी, उसमें होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे । सिद्धार्थ शंकर रे पंजाब के गवर्नर थे, कहने लगे क्योंकि हमारी सड़कें, 22 गांव, सारा पंजाब हमारा है, एक पुल बनना है वहां पर और कमिट किया है 8 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने जम्मू कश्मीर को देना पुल के लिए । और यहां मौजूदा गवर्नर से मैंने चिट्ठी लिखवाई है, वर्मा साहब जब गवर्नर थे, उसको 8 करोड़ रुपया फौरन दिलवायें ताकि पुल का काम शुरू हो सके । यह मेरी मांग होगी और जो डेवलपमेंट के काम हैं, वहां एक सवाल यह है कि एक धारणा मैं यह दूर कर दूं—यहां सी०पी०एम० के नेता भी बैठे हैं, अनइम्प्लायमेंट का जो मसला है पूरे देश में है । अगर आप यह समझते हैं कि काश्मीर में बेकारी की वजह से टैररिज्म है तो बिल्कुल गलत है । यह मैं रिकार्ड पर रखना चाहूंगा, सोज साहब चले गए हैं । क्यों ? सवाल पोलिटिकल है । नहीं तो ये डाक्टर लोग, इन्जीनियर और ट्रेनिंग लेने वाले जो हैं ये बड़े-बड़े अफसरों के लड़के हैं और जब जगमोहन ने कहा कि मैं 15 बटालियन बी० एस० एफ० की लूंगा और 1 जून को तन्खवाह नहीं दूंगा । जे०के०एल० एफ० ने कहा कि जगमोहन देगा 1500 रुपया माहवार और हम देंगे 5000 रुपया । मैंने कहा कि ऐसा हो रहा है पैसे दिए जा रहे । अरब कंट्रीज से हथियार आते थे, पाकिस्तान से आते थे । जो असला अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुजाहिद्दीन को दिया, वह सारा असला वहां आ रहा है । पता नहीं आना बंद हो गया, पर सवाल पोलिटिकल आधार का है और यह कोई आज की बात नहीं है । खुराना जी आ गए हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको कोई गलतफहमी है कि वहां तिरंगा झंडा नहीं लहराता । एक तो राजभवन में लहरा रहा है, एक कांग्रेस के दफ्तर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड पर लहरा रहा है ।

श्री मदन लाल खुराना : लाल चौक में कहां है ?

श्री धर्म पाल शर्मा : सेक्रेटेरिएट पर भी लहरा रहा है । लाल चौक एक जलसा करने की जगह थी जो शेख साहब ने बंद कर दी । कोई भी पोलिटिकल पार्टी वहां जलसा नहीं कर सकती, झंडा नहीं लगा सकती ।

श्री मदन लाल खुराना : पाकिस्तान का कैसे लगता है वहां लाल चौक पर ?

श्री धर्म पाल शर्मा : पाकिस्तान का झंडा आज से नहीं, आपने क्रिकेट मैच भी देखा होगा, 26 जनवरी को भी होता है और 15 अगस्त को भी होता है । बट्टू साहब जब थे, बट्टू चौक भी बारामुला में है । यह आज की बातें नहीं हैं लंबी बातें हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि पोलिटिकली आप जो मरजी कहें मदन लाल खुराना जी, सवाल यह है कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, गिरफ्तार हुए थे परमिट सिस्टम को तोड़ने के लिए । जब उनको जेल से रिहा किया गया, अस्पताल में उनकी डेथ हो गई । तब से अब कितने साल हो गये—38 साल हो गये । 38 साल के बाद उस नाम पर 26 जनवरी को आप जाना चाहते हैं लाल चौक पर । आपको कोई जाने नहीं देगा । आगे भी आपने केरल के बच्चे, मद्रास के बच्चे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे भेजे जम्मू से लेकर ऊधमपुर तक पहुंचाये थे । क्योंकि सरकार थी उनकी, उन्होंने कहा कि आप को ऊधमपुर तक जाने दें । रथ यात्रा से कुछ नहीं हो सका, अब राम के साथ रोटी भी लगा दी ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : कुछ कैसे नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री धर्म पाल शर्मा : आप ठेका किस बात का ले रहे हैं, हिन्दुओं का ? भई हिंदू तो हम भी हैं हमें भी गर्व है। आपने कहा कि डेढ़ लाख कंबल बांटे, हमने भी 0 हजार कंबल बांटे जम्मू में।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हमने दिल्ली से एक लाख कंबल भेजे। (व्यवधान)

श्री धर्म पाल शर्मा : मैं आपके लिए कह दूं, परसों हमने दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, जम्मू काश्मीर के लिए, मैं जनक राज जी, पंजाब के एम० पीज०, हमने प्रधान मन्त्री को मेमो दिया कि और कंबल दे दो जो ये बेचारे माइग्रेंट्स आए हैं उनको और सुविधायें दे दो। उन के पक्के कार्ड बना दो, उनके जो पेंशन के केसेज हैं, उनके एकाउंट्स हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, हमने भी उनको दीं। हमें भी चिंता है कि ये लोग आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको लाना नहीं चाहिए था, इनको वहीं बसाना चाहिए था—अनंतनाग, बारामुला और श्रीनगर में और वहां उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। ये लोग जिस तरह से हिन्दुओं का नाम लेकर सारे भारतवर्ष में पोलिटिक्स प्ले करना चाहते हैं, ऐसी हालात सुबोध कांत जी आप बना दीजिए ताकि वहां से आए लोग वापस जा सकें, यही हमारा निवेदन है। हमारे कुछ लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि वहां 1953 की पोजीशन को रिवर्ट कर दिया जाए, 1953 की हालात कायम कर दी जाए। आप मेरी बात सुन लीजिए, 1953 की हालात में क्या-क्या चीजें थीं और वे हालात जम्मू और लद्दाख के लोगों को कतई मंजूर नहीं हो सकतीं। अब प्रश्न है कि 1953 की पोजीशन में क्या बातें उल्लेखनीय थीं—पहली यह कि वहां के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाए। दूसरे, यह कि वहां कोई गवर्नर न हो बल्कि हैड आफ दि स्टेट हो और उसे स्टेट असेंबली इलैक्ट करे। तीसरी चीज है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट न रहे, सुप्रीम कोर्ट का दायरा जम्मू कश्मीर पर लागू न हो और ये शर्तें ऐसी हैं जो जम्मू और लद्दाख के लोगों को कतई मंजूर नहीं हो सकतीं। इसके अलावा और भी प्वाइंट्स हैं, जिनका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए 1953 के हालात जम्मू और लद्दाख को मंजूर नहीं। आप चाहे, इसके अलावा कोई भी बात करो, बातचीत करो लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है :

[अनुवाद]

हम राज्य के तीन क्षेत्रों की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। आप जम्मू और लद्दाख की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हमारा देश की एकता में यकीन है। कोई भी फैसला आप करो परन्तु आप जम्मू और लद्दाख को इगनोर करके कोई फैसला नहीं कर सकते। इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, ताकि रिकार्ड पर रहे। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने पंजाब और कश्मीर के संबंध में अनेक बातें कहीं, मेरा विचार है कि वहां दो ग्रुप मेन हैं—एक जमायते इस्लामी का हित-उल-मुजाहिदीन और जमायते इस्लामी ने कह दिया है कि हम आ रहे हैं, लेकिन वे कहते क्या हैं कि 1949 के यू०एन० रिजौल्यूशन को मानो, रैफरेंडम की बात करते हैं, सैल्फ डिटरमिनेशन की बात करते हैं। सैल्फ डिटरमिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, जिस वक्त 1975 में इन्दिरा जी के साथ मुहायदा हुआ था, रायशुमारी का, वह खत्म हुआ। उसमें सब बातें तय हुई थीं। उस एग्रीमैंट में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि :

[अनुवाद]

1953 के बाद राज्य में लागू किए गए सभी कानूनों की पुनरीक्षा की जाएगी, कि क्या वे राज्य के लिए लाभदायक हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त एक कमेटी बनी थी, मिर्जा बेग जिसके चेयरमैन थे, डी० डी० ठाकुर थे, जो आज असम के गवर्नर हैं और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि जितने भी कानून या तरमीम पार्लियामेंट ने रियासते जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक लागू की हैं, वे सब लोगों के हित में हैं और सारी बातें वहीं खत्म हो गयीं। अब जहां तक रायशुमारी या सैल्फ डिटरमिनेशन का सवाल है, 1977 में हमारा विरोध हुआ, उसे हम मानते हैं क्यों कि जनता पार्टी की सरकार थी और एल० के० झा वहां के गवर्नर थे। लेकिन सभी मानते हैं कि उस समय फेयर इलेक्शन सभी जगह हुए थे। कोई ऐसा नहीं कहता कि 1977 के इलैक्शंस फेयर नहीं थे, ठीक थे हम भी मानते हैं। उस समय शेख साहब और मिर्जा अफजल बेग ने यह कहा था, यदि बाकी झगड़ों को छोड़ दिया जाए, उन्होंने चुनाव ही इसी प्वाइंट पर लड़ा था, कि यही रायशुमारी है और फैसला दे दिया। यानी 1977 का चुनाव, जिसे सभी ने फेयर माना और जो इसी इश्यू पर लड़ा गया, उसमें नेशनल कांफ्रेंस अपने बलबूते पर पावर में आ गयी। वह मसला खत्म हो गया, सैल्फ डिटरमिनेशन का मसला खत्म हो गया। कोई सवाल रैफरैंडम का, 1953 की पोजीशन को बहाल करने का या 1949 के यू० एन० रिजोल्यूशन का बाकी नहीं रह गया। इसलिए क्लिअर तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी फैसला आप लें, लेकिन उस फैसले को लेने से पहले जम्मू और लद्दाख के लोगों को आप विश्वास में जरूर लें, क्योंकि उस स्टेट के तीन फिरके हमेशा से इकट्ठे रहते आए हैं और आगे भी इकट्ठे रहेंगे। फिर मैंने कहा कि 129 के करीब जवान वहां मारे गए और जनवरी में ही इतने जवान मरे, एक प्रचार पाकिस्तान की एजेन्सीज भी कर रही हैं और जहां तक हमारी इत्तला है, इन्फार्मेशन है इन्फार्मेशन कैम्पेन हमारा है, क्योंकि वहां हमें बदनाम किया जा रहा है और हमारी फोर्सेज वहां बड़ी टाइट कन्डीशन में काम कर रही हैं, उन्हें वहां से वापस बुलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं क्यों कि मेरी राय है कि वह डिस्टर्ब्ड एरिया है, पंजाब भी है, और डिस्टर्ब्ड एरिया होने के नाते आपने फोर्सेज को जो पावर्स दी हैं, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह हो, टैररिस्ट्स पर प्रैशर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी वहां बर्फ पड़ी है, उस समय ऐसी हालात हैं गतिविधियां हैं और मेरी सूचना है कि वे लोग कश्मीर में पैरलल सरकार बनाना चाहते हैं। इससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि वे केवल पैरलल सरकार ही नहीं बनाना चाहते, झण्डा उन्होंने लहरा दिया है, डाक टिकट उन्होंने निकाला है, करैंसी लोगों में वितरित की है इसलिए पैरलल सरकार वाले इश्यू को आपने जितना सख्ती से संभव हो सके, डील करना है। साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी देखना है। जितने यहां से बड़े आफिसर जाएं, वे काबिल हों। जब तक वे काबिल नहीं होंगे, उन्हें लोगों का को-आपरेशन नहीं मिलेगा, इन्वाल्वमेंट नहीं होगा लोकल लोगों में, तब तक हालत सुधारना आसान नहीं होगा। इसलिए अच्छे-अच्छे आफिसर आप वहां ले जायें। वैसे तो अनेक मुसलमान हैं, जो सैक्यूलर हैं, और भी हैं, हिन्दू हैं, उन लोगों को भी विश्वास में लेना होगा, पावर देने होंगे। जब तक लोकल लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, यह मसला 4-6 लोगों का नहीं है। यह आपकी पॉलिसी है। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली हल करना चाहते हैं। पिछली सरकार और आप भी मेरे ख्याल में वहां के चुने हुए नुमाइंदों को समझते नहीं। आज आपसे मिलने का मौका था, आपने टाइम दिया था, लेकिन आप मिले नहीं। हम यहां बैठे हैं, हम आपको मशवरा दे सकते हैं। हम आपके आई० बी० के आदमियों से

ज्यादा जानते हैं। मेरी आपसे अर्ज है वहां पर आप कम से कम 6 एम० पीज० को चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, रखिए। वहां की इत्तिलाआत अच्छी हैं। मैंने आपसे कहा—बारामूला में 200 औरतें निकली हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आपने 26 मिनट ले लिए हैं। आपके बाद फिर 5-6 सदस्य और बोलने वाले हैं। आपको अब अपनी बात समाप्त करनी होगी।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल शर्मा : मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

हम ताव्वुन देना चाहते हैं, हमसे लीजिए। यह नेशनल प्राब्लम है। किसी की अकेली नहीं है। सब सैकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को युनाइट होना चाहिए। कश्मीर के हालात साजगार हैं। लोग इकट्ठे हैं। फण्डामेंटलिज्म के लिए, सोश्यलिज्म के लिए हमें लड़ना है। वहां हर पार्टी के लीडर्स को जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हालात जम्मू में भी अच्छे नहीं हैं। सिर्फ जनवरी में ही 78 लोगों ने सरेंडर किया है। जम्मू में भी आप देखिए—परसों ही बस स्टेण्ड पर दो बम फटे। आपके इंडियन ऑयल के टैंकर पर 3 रॉकेट लगे यह तो अच्छा हुआ, वह टैंकर खाली था। यदि कहीं उसके बगल वाले टैंकर पर लगते, जो भरा था तो आपका गांधी नगर का सारा इलाका स्वाह हो जाता। इस लिए मेरी आपसे अर्ज है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को भी स्ट्रेंथन कीजिए। सबका ताव्वुन लीजिए। ये मसले कोई आज के मसले नहीं हैं, देर के मसले हैं। आप जानते हैं जो लोग स्टेट में मैजोरिटी में हैं उनकी शिकायतों को सुनिये, उनकी शिकायतों का ध्यान रखिये। वे कहते हैं कि जितनी सेंट्रल सर्विसेस हैं—टेलीफोन इंडस्ट्री है, चाहे वह डाकघर हैं और चाहे आई० ए० एस० की सर्विसेस हैं, जहां उनकी नुमाइन्दगी बहुत ही कम है, उन सर्विसेस में उनकी नुमाइन्दगी बढ़नी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि सेंट्रल प्रोजेक्ट पर उनका बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। यह बात भी उनकी सही है, इसको ज्यादा होना चाहिये। फिर वे कहते हैं कि वे अपनी पहचान, आईडेंटिटी कायम रखना चाहते हैं, यह बात भी उनकी बिल्कुल सही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप को अपनी बात अवश्य ही समाप्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं खत्म कर ही रहा हूं। वहां पर कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं। अब तो सरकार वहां ट्रेनिंग दे रही है। इन सब बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए।

डिप्टी स्पीकर साहेब, इन सब बातों को कहते हुए मैं जो बिल प्रेसीडेंट रूल में एक्सटेंशन करने लाया गया है, इसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते हैं और प्रेसीडेंट रूल को एक्सटेंड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 18-7-90 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 91 से आगे 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय द्वारा, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि आज जो जम्मू-कश्मीर की हालत है, वह बहुत ही दयनीय है, लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके कारण वहां लोगों में सुरक्षा की भावना वापस आ रही है, उनके चिन्तन का तरीका बदल रहा है और वहां के लोगों को वहां एक राजनीतिक प्रक्रिया चलने की बात का अहसास भी होने लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के प्रहार से जो स्थिति बन गयी है और उसका प्रहार सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर पड़ा है, वह बहुत गौर करने लायक है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं कि इसके समाधान का एकमात्र कारण है हमारी जवाबी कार्यवाही में हथियार का प्रयोग करना। मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि लोक सभा में चुनकर आए हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को लेकर एक ऐसी कमेटी, समिति बनाएं कि वहां की स्थानीय समस्याओं पर, जो महत्वपूर्ण हैं, विचार किया जा सके और उनके समाधान के लिए एक सहयोग मूलक ढंग से उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने तफसील में बहुत सी बातें कहीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति के बाद से स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार हुआ है लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करना चाहता हूं कि कश्मीर की नियति के साथ आज भारत की अल्पसंख्यक की नियति जुड़ी हुई है। इस लिए साम्प्रदायिक सौहार्द, सन्तुलन बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है कि कश्मीर में आज तक जो परिस्थिति बिगड़ी हुई थी उसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रपति शासन को और छः महीने बढ़ाने की आवश्यकता है और जब स्थिति सुधर जाए तो फिर दुबारा वहां जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना करने पर हमें विचार करना चाहिए। मैं एक बात की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना करना चाहता हूं। वहां आतंकवाद है लेकिन जब बाहर के देश पाकिस्तान की तरफ से उनको शय मिलती है और वहां से हथियार की आपूर्ति होती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सीमा पर हम अपनी फौजी ताकत को मजबूत करें जिससे उस पार से कोई इस पार आकर आतंक फैलाने का काम न कर सके। उस दिशा में हमारी सरकार ने कार्यवाही की है। मैं किसी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि हमारी पूर्व की सरकार ने क्या किया लेकिन चन्द्रशेखर जी, जो प्रधानमन्त्री हैं, ने फारुख अब्दुल्ला को बुलाया, मीर साहब को बुलाया, कर्ण सिंह को बुलाया और तमाम ऐसे लोगों को बुलाकर इस पर विचार-विमर्श किया कि एक ऐसी ठोस योजना बनाई जाए जिससे राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने में सहयोग मिल सके, लोगों में एहसास हो सके कि केवल आतंक से या आतंकवाद के प्रभाव में आकर वहां जो तोड़-फोड़ की कार्यवाही बरसों से चल रही है, उससे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा। कश्मीर की समस्या का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से होगा और लोकतांत्रिक कार्यवाही अहिंसा के बिना नहीं चल सकती है। लेकिन मात्र अहिंसा और लोकतन्त्र की दुहाई से काम नहीं चलेगा। कश्मीरी अवाम के आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी है, राहत योजनाओं के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है औद्योगिक विकास के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है और इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ने भी विकास के कामों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन जहां स्थिति बिगड़ी हुई है, जहां

लोग काम कर सकते हैं, जहां शान्तिपूर्ण जीवन बिताने में लोगों को कठिनाई हो रही है वहां विकास का काम भी नहीं हो सकता है। विकास के कामों के लिए एक शान्तिपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है। आज वहां के लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि जहां मनुष्य शान्तिपूर्ण ढंग से रह सके वहीं विकास का काम भी आगे हो सकता है चाहे उसका सम्बन्ध शिक्षा से हो या वहां की जनता का सम्बन्ध औद्योगिक विकास से हो, कृषि से हो या लघु उद्योगों से हो, जब तक वहां शान्ति नहीं लौट आती है वहां की जनता के विकास के लिए कुछ करना कठिन होगा। इसलिए मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि यहां बी० जे० पी० और कांग्रेस का सवाल नहीं है, वह हमारी राष्ट्रीय समस्या है, उससे हमारी नियति जुड़ी हुई है। लेकिन अखंडता और एकता के मूल्य पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम अपने संविधान के ढांचे के अन्दर ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी पक्ष के लोगों को इस पर विचार करना है कि कश्मीर में हम किस तरह एक यथावत स्थिति को बदलकर अनुकूल स्थिति पैदा कर सकते हैं और वहां जनता के विकास के काम को आगे बढ़ाकर वहां के किसानों, मजदूरों के काम को आगे बढ़ाकर उनके आर्थिक जीवन को बदलने का काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा की गई है क्योंकि हममें से कुछ लोग छोटे-छोटे मामलों में उलझे हुए थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे तथा हमारे पास काश्मीर, पंजाब आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं था। मुझे याद है कि कुछ माह पूर्व, इसी सदन में काश्मीर के बारे में चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि परिस्थिति में सुधार होने के कुछ संकेत मिले हैं। आज मुझे ऐसा कहने में कोई खेद नहीं है क्योंकि काश्मीर की घाटी की आज परिस्थितियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है।

श्री जगमोहन को राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद काश्मीर की बिगड़ती हालत में सुधार होने के आसार काफी अच्छे हो गए थे। जब श्री खुराना यह कहते हैं कि श्री जगमोहन काश्मीर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं होता हूं। परिस्थितियों से निपटने का उनका तरीका विध्वंसक था। जब काश्मीर के लोगों को कट्टरपंथियों तथा अलगाववादी तत्वों द्वारा पाकिस्तान की ओर धकेला जा रहा था तो वह एक प्रकार से इन काश्मीरी लोगों को भारत से दूर ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें हटाए जाने के बाद केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन आया था अर्थात दुर्दांत आतंकवादी तत्वों तथा हथियार उठाने वाले भटके हुए लोगों के बीच एक सीमा निर्धारित की गई इसके साथ ही आम जनता को भी उनसे अलग पहचाना गया और उनके साथ बर्ताव करने का तरीका भी निर्धारित किया गया। जगमोहन का युग सभी काश्मीर वासियों के साथ भारत के दुश्मन जैसा सलूक करने का युग था। उन्होंने आर्थिक विकास सम्बन्धी कोई नीति नहीं अपनाई। उन्होंने केवल पुलिस की नीति अपनाई। कुछ हद तक, कुख्यात आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटना बहुत आवश्यक भी था। जिन लोगों को सीमा पार से सहायता और समर्थन प्राप्त हो रहा था उनके साथ इस तरीके से निपटना ठीक था। यह भी खबर उठी थी—कि जहां तक हो सके सीमा को सील करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए। जिससे कि सीमा पार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आतंकवादियों की घाटी में घुसपैठ तथा उनकी विध्वंसक गतिविधियों को रोका जा सके। इन सारे उपायों का समूचे देश ने समर्थन किया था। लेकिन जब यह एक सीमा के बाहर होने लगा तो हमने वास्तव में सदन में अपनी बात उठाई तथा हमने श्री जगमोहन को वहां से हटाने

की मांग की। हमारी यह मांग ठीक थी क्योंकि उनको वहां से हटाया जाना बहुत आवश्यक था। उसके बाद यद्यपि केन्द्र द्वारा कुछ खास नहीं किया जा सका है और मुझे पता है कि अब मात्र तीन महीने बच गए हैं जैसाकि प्रधानमन्त्री ने कहा है कि प्राकृतिक और मौसम की स्थिति तथा सुरक्षा बलों की नीति के कारण स्थिति में सुधार हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि उग्रवादी सुरक्षा बलों के सामने आत्म समर्पण कर रहे। पता चला है कि सीमा पार 4000 नवयुनक उग्रवादी अपनी भ्रांति टूटने के बाद आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि आजादी आएगी। उन्होंने सोचा था कि उनको पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा। अब वे समझते हैं कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से वे दिग्भ्रमित हुए हैं इसके विपरीत हमारी सेना ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उससे अनेक लोगों के दिलों को जीता गया है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां काश्मीर के मामलों के लिए एक समिति थी और हमने दो बार घाटी की यात्रा की थी, उस समय भी हमने देखा था कि घाटी में भी लोग राजनैतिक हस्तियों के साथ बातचीत करने के इच्छुक थे और वे साम्प्रदायिक प्रचार के शिकार नहीं हुए। यद्यपि कट्टरपंथी तत्व इसे एक साम्प्रदायिक स्थिति बताने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में लोग सांप्रदायिक नहीं हैं। उनकी कुछ शिकायत हो सकती है। वे दिशाहीन और दिशाभ्रमित हैं। उनमें से बहुत से बिक चुके हैं। परन्तु जनता का एक बड़ा वर्ग राजनैतिक हस्तियों के साथ बात करने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजनैतिक पारस्परिक क्रिया, राजनैतिक प्रक्रिया नहीं, के रूप में जो कुछ हम शुरू कर पाये थे, बाद में उसे भी धक्का लगा और उसे अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रो० सोज ने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा है वह ठीक है। इसलिए, यह राजनैतिक प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि राजनैतिक हस्तियां लोगों के साथ मिलकर कार्य करें। यह बहुत आवश्यक है। जबकि लोग आतंकवादियों की गतिविधियों से ऊब गये हैं अब ठीक समय है कि हम जनता के समक्ष जाएं और उनसे बात करें और दूसरी तरफ हम विकास संबंधी कदम भी उठायें। वहां पर बहुत अधिक गरीब लोग हैं जो आटो रिक्शा चालक हाउस कोटों के मालिक हैं और वे लोग हैं जो उनसे अपटी जीविका चलाते हैं, वस्तुकार और इसी प्रकार के अन्य लोग हैं। इसलिए, प्रशासन का पुनर्गठन बहुत आवश्यक है ताकि बहुसंख्यक लोगों से वे पूर्णतया जुड़ सकें। वहां से एक बहुत अधिक अच्छा समाचार है जिसको हमने दूरदर्शन पर सुना है और समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि बारामूला में, कुछ सौ औरतें आतंकवादियों के खिलाफ भारत की एकता के लिए खड़ी हो गई हैं। ये बहुत अच्छे चिह्न हैं और इन पर बहुत अच्छी प्रकार से प्रकाश डाला जाना चाहिए। 20 फरवरी के ट्रिब्यून के संपादकीय लेख में यह लिखा है। "यदि राज्य प्रशासन दिग्भ्रमित युवकों को उग्रवादियों से अलग करने में अपनी सोच का सही इस्तेमाल करता है तो उनको अलग करना बड़ी बात नहीं होगी।" उन्होंने यह भी लिखा है। "यह जगमोहन प्रशासन की (और शुरू में श्री सक्सेना की) एक दूसरे को यह बताने की अयोग्यता रही है जिससे घाटी की इतनी बुरी दशा हो गयी है। परन्तु हाल में राज्य प्रशासन ने दोनों मामलों से अलग तरीके से निपटने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है।" यदि इस भावना को ठीक से समझा जाए और यदि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोगों को हम घाटी में भेजने में समर्थ हो पाएं और उनसे बात कर पाएं और यदि हम प्रधानमन्त्री द्वारा कही बात की शुरुआत कर पाएं तो इससे एक नई दिशा मिलेगी। मेरा यह भी विश्वास है कि कट्टरपंथियों की अपील का काश्मीर के लोगों पर प्रभाव समाप्त होता जाएगा। इसका प्रमाण यह है कि पांच फरवरी को खाड़ी युद्ध शुरू होने के पश्चात्, नवाज शरीफ ने, परेशानी की स्थिति से उभरने के लिए कि उन्होंने सऊदी अरब में अपनी सेना भेजी, काश्मीर के उग्रवागियों को समर्थन देने के लिए

पाकिस्तान के लोगों का आह्वान किया। परन्तु पाकिस्तान के लोगों ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अब कट्टरपंथी तत्वों का पर्दाफाश हो रहा है। यह ऐसा समय है कि जब नई प्रकार की दिशा मिलनी चाहिए खाड़ी संकट के संबंध में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, कुछ पथभ्रष्ट लोगों को छोड़कर अन्य लोग खाड़ी में युद्ध जारी रहने के विरुद्ध हैं, इसी प्रकार इराक को नष्ट करने के प्रयास में लगे अमरीका और उसकी सहयोगी सेनाओं के भी विरुद्ध हैं और हमने साम्राज्यवाद विरोधी जो दृष्टिकोण अपनाया है, मैं सोचता हूं वह पाकिस्तानी लोगों के बीच बढ़ती हुई भावनाओं के अनुकूल है। इस प्रकार एक नया परिप्रेक्ष्य उभरकर सामने आएगा जिसमें हमारे देश के लोगों की कुछ भावनाएं और पाकिस्तान के लोगों की भावनाएं बिल्कुल समान होंगी और राजनैतिक और अन्य उद्देश्यों के लिए धर्म का सहारा लेने की प्रवृत्ति अलग-थलग पड़ जाएगी। यह एक दूसरा मुद्दा है।

तीसरा मुद्दा यह है कि हमें इस बात पर दृढ़ रहना है कि हम कट्टर उग्रवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें और हमें यह देखने के लिए कड़े कदम उठाने हैं कि सीमा पार करके आतंकवादी न आएं और आतंक न फैलाएं।

एक अन्य बात बहुत आवश्यक है। महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या इनमें आपस में कुछ संबंध हैं, क्या इनमें कोई संपर्क है। जब मैं कहता हूं कि घाटी की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसी समय हम देखते हैं कि शेष सारे देश में सांप्रदायिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। यदि इसमें सुधार आता है तो मैं समझता कि वहां भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार खुराना जी देश का भला करेंगे यदि काश्मीर की स्थिति पर अपने द्वारा कही गई बातों पर पुनर्विचार करें। अनुच्छेद 370 के संबंध में भी विचार करें। यह भी काश्मीर की स्थिति सुधारने में सहायता नहीं कर रहा है। और भा० ज० पा० की योजनाओं के संबंध में जो कुछ मैंने सुना है वह भी मेरे लिए कुछ दुःखदायी है। जयपुर की बैठक में मैंने एक पत्र में पढ़ा था कि काश्मीर चुनाव का मुद्दा होगा। अब, मेरे हिसाब से यह बहुत हानिकारक है हमें संकीर्ण राजनैतिक लाभों को नहीं देखना चाहिए और संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए, महोदय, जबकि सम्पूर्ण देश का वातावरण घाटी में सामान्य जनजीवन बहाल करने में सहायता करेगा, इसी समय कुछ अन्य कदम भी उठने पड़ेंगे जिससे घाटी से जाने वालों की सहायता हो सके। हमारे पास बहुत सी बातें हैं जिनका उपयोग कुछ खुले क्षेत्रों में तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में करना है, उन पर अच्छी प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए, मैं अपने मित्रों से कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता कि उनकी तरफ इस लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वे एक विशेष समुदाय के हैं या किसी अन्य समुदाय के हैं। वे अपनी मर्जी से वहां से नहीं आये हैं। यहां एक मजबूरी थी, यहां एक भिन्न स्थिति थी, उन्हें किसी ने उकसाया होगा, मैं नहीं जानता, परन्तु इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। उनके साथ बहुत दयालुता से, बहुत सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उनको यह बताने की आवश्यकता है कि काश्मीर उनका घर है और आज या कल उनको वापस जाना है। और इस स्थिति में, महोदय, कुछ अन्य कदम भी उठाने की आवश्यकता है कि यह मेरे लिए एक मौका है।

जहां तक काश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का संबंध है उनके मन में बहुत अधिक नफरत है, वे इस प्रकार के प्रचार के शिकार हुए। परन्तु एक बात और भी है कि जो कि मैंने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में कही थी। आपको इस मामले पर प्रशासन के साथ विचार करना चाहिए तथा कुछ अन्य बातों के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए,

कई सदस्यों ने कहा है मैं भी इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैं तो केवल एक बात पढ़ रहा था वह यह है :

"चिनाव और झेलम के दो मुख्य बेसिनों पर आधारित, योजना से 10,000 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होने की सम्भावना है ।"

अब इसका उपयोग किया जाना है । केवल 1000 मेगावाट से कम का उपयोग किया जाता है और ट्रांसमीशन लाइनों की कमी के कारण इतनी बिजली भी घाटी में नहीं मिलती । इनकी तरफ पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि हम सही हैं और सही कदम उठाते हैं तो हमारे देश में कोई षडयन्त्रकारी सफल नहीं हो सकता । और मेरा विश्वास है कि वे अब तक यह समझ चुके हैं कि काश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता, पाकिस्तान इसे नहीं ले सकता, उन्हें वहां ही रहना पड़ेगा और वे हमारे मान सम्मान में बराबर के अधिकारी होंगे । उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई उनकी पहचान समाप्त नहीं कर सकता । इस बात को समझना है और मेरे विचार में स्थिति में सुधार हो रहा है । इसे पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाए और इसके लिए राजनैतिक दलों को विश्वास में लिया जाए । जम्मू और लद्दाख के लोगों को भी विश्वास में लिया जाए और स्पष्ट और समानता की भावना से वहां पर कार्य किया जाये । इससे निश्चित रूप से काश्मीर की स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ, मुझे समय दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लिए यह बहुत ही दुख की बात है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में बार-बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है । इसका मुख्य कारण मैं यह समझती हूं कि हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा दिया गया है और भारत एक धर्मनिर्पेक्ष देश है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस भारत के अंदर मुट्ठी भर उच्च वर्ग के हिन्दू, हाई कास्ट हिन्दूज, कट्टरपंथी हिन्दू धर्म के ठेकेदार शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्ज, ओ०बी०सी० के साथ-साथ जो दूसरी रेलिजस माइनारटीज हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और खासतौर से इस देश के अंदर मुस्लिम समाज जो सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, कश्मीर के अंदर आज यही स्थिति बनी हुई है कि पूरे देश के अंदर उच्च वर्ग के हिंदू, हाई कास्ट हिन्दूज, जम्मू-कश्मीर में खासतौर से कश्मीर में मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय नहीं देना चाहते । उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं और जब तक इस देश की सरकार मुस्लिम समाज की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब तक जम्मू-कश्मीर समस्या हल नहीं हो सकती । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बी०जे०पी० के भाई अभी यह कह रहे थे कि इस देश के अंदर, खास तौर से जो शरणार्थी बने हुए हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं, कश्मीर छोड़ कर जम्मू आ रहे हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शरणार्थी कौन हैं । शरणार्थियों की जब बात आती है तो शरणार्थी केवल हमें कश्मीरी पंडित ही क्यों नजर आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हमें शरणार्थी नजर नहीं आते, कश्मीरी पंडित ही दिल्ली, पंजाब और जम्मू की तरफ कश्मीर से क्यों भाग रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे पूरे देश को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा, इस

धर्मनिर्पेक्ष देश के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज तो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, हो सकता है वह दिन नजदीक आ जाए कि जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी दूसरे देशों की तरफ देखने लग जाए और दूसरे कंट्रीज का सहारा लेकर मुट्ठीभर हाईकास्ट हिन्दूओं से शासन और प्रशासन को अपने हाथों में लेकर इस देश के मूल निवासियों को, गरीब और मजलूमों को न्याय खुद देना होगा। मेनी आपसे प्रार्थना है, आपकी मारफत मैं तमाम पार्टीज के लीडर्स को, पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि हमें भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। जम्मू-काश्मीर के अन्दर जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की समस्याएं हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ मुस्लिम, जो कश्मीरी हैं उनकी समस्याएं भी बराबर नजरिए से देखनी चाहिए, तभी हम जम्मू और काश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं समय का खास ध्यान रख रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी रिक्वैस्ट है कि तमाम पार्टियों को दो-दो मिनट का समय दें। यदि आप समय देते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व होता है, देश की किसी भी समस्या के मामले में। क्योंकि जब कोई भी पार्टी सामने उभर कर आती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की हर समस्या के समाधान में अपना प्रतिनिधित्व करे।

आपने हमारी पार्टी को समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मोहतरम खुराना जी ने कई दफा कहा कि काश्मीर घाटी में इस वक्त पाकिस्तान के ज्यादा लोग हैं और पाकिस्तानी झण्डे फहराए जाते हैं। खुराना जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उनसे सिर्फ यह जानना चाहता था कि कभी पिछली सरकार के हुक्मरानों ने, जिन्होंने एक साल के करीब हकूमत की, उनके सहयोगी चाहे बी०जे०पी० के थे या दूसरी जमायतों के साथी, क्या उन्होंने कभी य सोचने की कोशिश की कि यह समस्या कैसे पैदा हुई और कब से यह स्थिति बिगड़ी है ? अगर आप पिछला इतिहास देखें तो 19 जनवरी, 1990 के बाद जब वहां पर गवर्नर रूल लागू किया गया उसके बाद से ही यह स्थिति पैदा हुई है। क्यों किया गया यह ? यह जनता दल ने सिर्फ बदले की भावना से किया। फारुख अब्दुल्ला, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस जमात को कमजोर करने के लिए यह सारा षडयन्त्र रचा गया। मैं तो यह कहूंगा कि उसमें बी० जे० पी० के साथी हों, बी० जे० पी० हो या कांग्रेस हो, उनका भी इस्तेमाल किया गया।

आज मुझे खुशी है इस बात की कि चौधरी साहब चाहे सी० पी० आई० (एम) के मेंबर हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यह बात मानी कि पालटिकल प्रोसेस की आज वहां बड़ी जरूरत है और सभी सियासी पार्टियों के लोगों से बात की जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : कांग्रेस पार्टी ने जगमोहन के जाने की मुखालफत की थी।

श्री जनकराज गुप्त : मैं जगमोहन के जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जब वहां गवर्नर रूल इम्पोज किया गया, जगमोहन जी के जाने का सवाल बाद में पैदा हुआ, उसकी मुखालफत आपने की। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन वहां पर जगमोहन जी को क्यों भेजा गया ? सिर्फ इसलिए भेजा गया कि वहां पर गवर्नर रूल लागू किया जाए। वहां पर चीफ मिनिस्टर फारुख अब्दुल्ला ने वी० पी० सिंह सरकार और उनके मन्त्रियों की बात नहीं मानी। दो बार उनको यहां बुलाया गया, डिनर पर बुलाया गया और उनको कंविंस करने की कोशिश की गई कि वे जनता दल सरकार के साथ मिलकर चलें। जब उन्होंने इन्कार किया तो फिर ये हालात

वहां पर पैदा किए गए। असेम्बली डिजाल्व करवायी गई। इलेक्टिड रीप्रीजेंटेटिव जो थे, लोगों के चुने हुए नुमाइन्दे जो थे उनको असेम्बली डिजाल्व करवा के बरखास्त किया गया। आज सब महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह है कि यह सियासी झगड़ा हुआ। उस उक्त वहां के लोगों के नेताओं और एम० एल० ए० के साथ कानटेक्ट थे। जो विन्डकटीवनेस पार्टी थी उसके साथ झगड़ा पैदा हो गया।....(व्यवधान) देश के नेशनल इन्टरेस्ट के साथ जो बात की है उसको घोने के लिए समय चाहिए। आप काश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते और सिर्फ सुनने की बात करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, उसकी तहकीकात करें।....(व्यवधान) वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिससे मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला। इनकी गलत पालिसियों की वजह से माइनोरिटी के लोगों को भागना पड़ा। मायावती जी ने ठीक कहा कि मैजोरिटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग जम्मू में हैं और कुछ लोग दिल्ली में हैं और कुछ दूसरी जगहों पर हैं। उन लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वह पिछली सरकार ने नहीं दी। राजीव जी ने वहां पर रिलीफ के लिए काफी कम्बल और मशीनें भेजीं। मौजूदा सरकार द्वारा वहां पर मकान बनाए जा रहे हैं और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। जब नार्मल हालात हों तो उनको जल्दी से जल्दी वापिस भेजा जाए। एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि जम्मू के लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग माइग्रेन्ट्स हैं जोकि नौकरियों के लिए वहां से आए हैं। आबादी के हिसाब से जम्मू, काश्मीर और लद्दाख वैली है। काश्मीर वैली में पापुलेशन के हिसाब से माइग्रेंट के लिए राशन आता है। उनको जम्मू में रखना चाहिए ताकि जम्मू के लोगों से कोई झगड़ा न हो। इस वक्त जो गवर्नर हैं वे ठीक काम कर रहे हैं और ठीक ढंग से लोगों का काम कर रहे हैं। वहां पर आज विकास कार्य सफर कर रहा है। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा ध्यान मिलिटेन्ट की तरफ है। इसके साथ-साथ डवलपमेंट की तरफ तवज्जुह दीजिए।

हर सैशन में मैंने कहा और यहां पर वायदे भी किए गए और पिछले इलेक्शन में लोगों से कहा कि बार्डर तीन-चार गज की दूरी पर है जहां पर पुल बनना था। लोगों ने वोट देने से वायकाट किया। ऐसी बातें हैं और इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के लोग यहां बैठे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। झेलम वैली में प्राइवेट मेडिकल कालेज है। वहां पर जम्मू में रहने वाले लोग नहीं जा सकते। इन हालात में उनको कोई दाखिला नहीं मिल रहा है। यह न हो कि वहां के हालात को संभालते-संभालते नये सिरे से लोगों को मिलिटेंट बना दें।

5.00 म० प०

जनाबे आला, मैं एक बात और कहूंगा। यह ठीक है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन लोगों के मसाइल हल करने के लिए इन्दिरा जी के वक्त में गूर्जर, बकरवाल जो काफी पिछड़े हुए लोग हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और सर्दियों में जम्मू चले जाते हैं, गर्मियों में कश्मीर चले जाते हैं उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टेटस देने का फैसला हुआ था। इन्दिरा गांधी ने इनीशिएट किया था, राजीव गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन वी० पी० सिंह सरकार ने बिलकुल ठप्प कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ भी तवज्जोह दीजिए ताकि उनका जो शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टेट है उनको इसी रिजम में मिले। कल भी हम प्रधानमन्त्री से मिले थे और जो-जो बातें जायज कहीं उन्होंने उसी वक्त यह कहा कि ये पूरी हो जाएंगीं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बात होनी चाहिए। वहां पर वैस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं। 1947 के पहले उनको जो सिटीजनशिप राइट्स मिलने चाहिए थे वह नहीं मिले हैं, अधिकृत काश्मीर से भी लाखों की तादाद में शरणार्थी आये हुए

हैं उनको उनका हक नहीं मिला है, उनको जो कंसेशंस मिलने चाहिए थे वे नहीं मिले हैं। इस वक्त वाकई हालत में सुधार हुआ है। काश्मीर घाटी में हालात में सुधार हुआ है। वहां के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वह गलत किया और उनकी निन्दा कर रहे हैं। बारामूला में औरतों ने आतंकवादियों के खिलाफ जुलूस निकाला और लोग इस बात से मजबूर हैं कि वे डरे हुए हैं। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। जितनी सियासी पार्टी वहां पर हैं उनके साथ बात करें, उनके नुमाइन्दों के साथ बात करके कोई न कोई हल निकालना चाहिए। पिछले सत्र में भी मेरा एक प्रश्न था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा मसला टेक-अप किया है, वहां जो भी घाटी में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है वह पाकिस्तान की वजह से है। वहां पर उनको प्रशिक्षण मिलता है और आतंकवादी प्रशिक्षित होकर पाकिस्तान से यह आते हैं। अगर नहीं किया है तो क्या वजह है, किया है तो क्या परिणाम रहा ? दूसरी बात यह है कि कोई एक्शन प्लान बनाया है जिससे जम्मू-कश्मीर के हालात को नार्मल करने के लिए कोई एक्शन प्लान हो और मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई हो। असेम्बली को रिवाइव करने के लिए जो रिट चल रही है उसको पूरी तरह से परस्यू करना चाहिए और केस फाइल करना चाहिए, ताकि लोगों के वहां से जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं वे दुबारा बहाल हों और लोगों से बात कर सकें। पोलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहिए और नार्मेल्सी को रिस्टोर करने के लिए वह फायदेमन्द साबित हो सकता है। कश्मीर के लोगों के दिलों में इन्दिरा गांधी के लिए बहुत दर्द था, बड़ी इज्जत थी और राजीव गांधी को वे मानते हैं। आप राजीव गांधी के साथ बैठकर बात करें और उनसे इमदाद लीजिए कि किस तरह से कश्मीर घाटी के लोगों के साथ बातचीत करके इस मसले को ठीक तरह से निपटाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि इन हालात के बावजूद सरकार जम्मू के लोगों का ख्याल रखेगी, लद्दाख के लोगों का खयाल रखेगी। लद्दाख में जो कम्युनल टेंशन है वह एक्शन कमेटी और दूसरी कम्युनिटी की, उसके बारे में प्रशासन को देखना चाहिए और जम्मू के लोगों का, उनके जज्बातों खयाल रखना चाहिए। पोलिटिकल प्रोसेस में कश्मीर के लोगों को इन्वाल्व करना चाहिए। बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। यह नहीं समझना चाहिए यह केवल कश्मीर की ही समस्या है, यह पूरे राष्ट्र का मसला है।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, कश्मीर का मसला अपनी बुनियाद 1947 के सांप्रदायिक बंटवारे में रखता है। मगर उस वक्त के बंटवारे में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। मगर कश्मीर के बहुमत ने, वहां की जनता ने नेशनल कांफ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में रहने का फैसला किया और उसको अमल में लाया। जम्मू भारत आने के बाद हरि सिंह शामिल हुए, उससे पहले नहीं हुए। यह हमारी परम्परा रही है, ऐतिहासिक तौर पर हम देखते हैं कि आर्यों के प्रथम आगमन पर कश्यप ऋषि के नेतृत्व में वह टिकाव हुआ था। इसी से कश्यप, मेरू, कश्मेरू, कश्मीर की शुरुआत हुई। जो साम्प्रदायिक वातावरण देश में और जगह हुआ, सौभाग्य से अभी तक कश्मीर में नहीं हुआ है। मगर कुछ जो गड़बड़ियों की हालत आयी है, उसमें मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र खुराना जी मौजूद हैं, वे और भी दयनीय हालतों का जिक्र कर चुके हैं, वहां से जोश रणार्थी भागकर आए हैं, मेरी समझ में उन्हें पूरा सशस्त्र संरक्षण देकर उनको वहां ले जाएं, उनके घर आबाद करायें ताकि उनकी ऐसी हालत दुबारा न की जाए। यह आवश्यकता राजनैतिक दृष्टि से है, कश्मीर के लिए है, देश के लिए और मानवता के लिए भी है।

एक माननीय सदस्य : वहां कौन जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : आप जानते हैं, आप लोग भी वहां गये हैं। जब तक इनको यहां रहना पड़ रहा है, जो सहूलियतें हैं, वह दीजिए। उपाध्यक्ष जी, जो अभी मिसमल स्वतन्त्रता दिवस की आयी है। यह सांस्कृतिक दिवस के रूप में मुस्लिमों ने शामिल होकर मनाया है। मेरे जैसा आदमी मजहबी रूप में नहीं मानता है, वह सांस्कृतिक रूप में तहजीबी रूप में हम समझते हैं, उसी रूप में मुस्लिम भी शामिल हुए। वह परम्परा कायम है, वह मिटी नहीं है। मगर हमारे भारत में जो लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं, वह खयाल करें कि इस नारे को छोड़ कर वह बहुत बड़ी मदद जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि मन्दिर तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, उसको मैं नहीं जानता हूं मगर किसने तोड़ा भी तो किसी आक्रमणकारी ने तोड़ा, उसका शिष्य होने का दावा हम से कोई नहीं करे, उसकी नकल करने का दावा भी कोई न करे और अगर यह ऐलान हमारे मित्र आज कर दें तो मैं समझता हूं कि आज खुराना जी कर दें तो कश्मीर के लिए बहुत बड़ी मदद की बात होगी। जो कहते हैं वहां भारत छोड़ो उनकी जबान पर ताले लग जाएंगे, वहां के लोग मुस्तैद हो जाएंगे, उनको बोलने का आधार नहीं रहेगा और इस मायने में हमारे प्रो० सोज साहब ने जो कहा है कि जो विस्थापित जम्मू में भागपुर आये हुए हैं और जगह से तो एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल संसद की ओर से जाये जो इन हालातों को देखे। यह एक दल की ओर से नहीं सर्वदलीय आधार पर होना चाहिए जिस पर कोई रोक नहीं। अधिकार सब को है।

उपाध्यक्ष जी, इस संकट की शुरूआत के लिए 1984 में जो तत्कालीन सरकार वहां फारुख अब्दुल्ला की हटाई, एक बहुत बड़ी चोट पड़ी जो 1947 से पहले से 1931 से जंजीर चली आ रही थी। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उस जंजीर पर चोट लगी और उसकी नकल हमारी जनता दल की सरकार ने 1990 में की जब उन्होंने गवर्नर जगमोहन को भेजकर चुनी हुई सरकार के मुख्यमन्त्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और विधान सभा को भंग किया। उसी की नकल करके इसी ने भी किया। अगर अभी तक उसी परम्परा को कायम या चालू करना नहीं चाह रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि उसकी कुछ राजनैतिक प्रक्रिया हो। यह कश्मीर के लिए रियायत नहीं है। जहां पर भी राष्ट्रपति शासन होता है, वहां परामर्शदात्री समिति बनती है। क्या कारण है कि कश्मीर में आप नहीं रखिएगा ? जिस राज्य में जिस दल के लोग नहीं रहते हैं, वहां परामर्शदात्री समिति बनती है और एकमत से कोई फैसला होता है तो प्रशासन को लागू करना पड़ता है। तो कोई वजह नहीं कि कश्मीर में इसे आप न रखें ? यदि इस प्रकार यह परम्परा तोड़ेंगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। इसके लिए मैं आज चाहता हूं कि मंत्री जी ऐलान करें कि कश्मीर में भी एक परामर्शदात्री समिति बनेगी। वह सांसद, विधायक के रूप में नहीं सर्वदलीय रूप में नहीं बनेगी। परामर्शदात्री समिति प्रशासन को लागू करने के लिए एक सहायता का काम करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में जो गड़बड़ियों का जिक्र किया है बाबरी मस्जिद तोड़ने का सवाल है, जमाते इस्लामी हमारे देश की एक मजहबी जमात है मगर उसका अंग कश्मीर में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह अलग है।

श्री भोगेन्द्र झा : वही मैं भी कह रहा हूं। कश्मीर में जो जमाते इस्लामी है, वह अपने को आजाद कहती है। यह बहुत ही खतरनाक है। जमात-ए-इस्लामी के दोस्तों से हमारी अपील रही है

और अभी भी है कि क्या उन्होंने काश्मीर को भारत से अलग मान लिया ? सारे भारत में जमात-ए-इस्लामी है। जहां 100 में से 93 मुसलमान हैं, वहां जमात-ए-इस्लामी नहीं है। वह कहते हैं कि हमारा अंग नहीं है। जो हैं वह कहते हैं कि भारत में काश्मीर नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक है। जमात-ए-इस्लामी चाहे जो प्रचार करे, काश्मीर को भी अपना अंग न माने, यह खतरनाक चीज है। एक भारतीय होने के नाते मैं उनसे अपील करता हूं इस बात पर वह भी गौर करेंगे और पाकिस्तानी हाथ की बात छिपी नहीं है। चूंकि आम पाकिस्तानी के दिमाग में 1947 के बंटवारे का मजहबी आधार है और वह समझते हैं कि काश्मीर में उनका ज्यादा बहुमत है इसलिए आना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं आप आम लोगों में नहीं हैं···मैं भी रहा हूं ऐसा नहीं है यह सपना मैं देखता रहा इसके लिए गांधी जी ने जान दी, शहीद हुए। नहीं कह देना आसान है।

उपाध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा साहब, टाइम बहुत हो गया है।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्षजी, इसलिए एक सबसे बड़ी बात जो हुई है जैसे कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह में घिरा अभिमन्यु युद्धरत रहा, वैसे ही आज ईराक चक्रव्यूह में घिरकर युद्धरत है। आज उस पर अत्याचार हो रहा है और इन्होंने भारत में भी सांप्रदायिक वातावरण में परिवर्तन किया है। मंदिर-मस्जिद तोड़ने वालों को भी आज किसी मजहब में वह समर्थन नहीं मिलेगा जो दो महीने पहले उन्होंने लिया था और पाकिस्तान में भी जो जम्मू-काश्मीर में उपद्रव कराना चाहते हैं उनको भी वह समर्थन नहीं मिल रहा है। इस काम में भी एक परिवर्तन हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार पहल करे, राजनीतिक पहल भी करे और जो ईमानदारी से भारत से अलग होना चाहते थे, जो पैसे से एजेंसी करते थे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ईमानदारी से वह चाहते थे उनकी यह मांग है कि भारत मौलिक सवालों पर पूरी दुनिया के पैमाने पर, पूरे देश के पैमाने पर जायज बातों के लिए है और इसके लिए एक अच्छा मौका आया है। उन जायज बातों में एक बात छूटी हुई है। तेल देने का अमरीकी युद्ध विमानों का जो पाप हमने किया था उससे हम मुक्त हुए, यह सद्बुद्धि आई मगर भारत के आकाश से होकर विमान जाने का जो हमने पाप किया था वह पाप अभी तक चालू है। युद्ध अमरीका जबरदस्ती कर रहा है तब तक के लिए आप ऐलान कर दीजिए प्रधान मन्त्री से लेकर वह ऐलान कर दीजिए कि युद्ध विमानों को जाना भी बंद होगा। यह तो आप कहते हैं कि वी० पी० सिंह की सरकार ने किया है। उसको रोकने में क्या लग रहा है ? वह आप कर लीजिए। जो भी हो आप करें। इसलिए जो पाप हुआ है, देश के खिलाफ हुआ है। एक पाप का समाधान हुआ, उसका भी समाधान आप कर लें। उससे काश्मीर में भी मदद मिलेगी, लोगों को साथ लाने में, उनका हृदय जीतने में। उपाध्यक्ष जी, यह जो हुआ है परामर्शदात्री समिति के साथ ही साथ एक राजनीतिक आर्थिक विकास का मेरी समझ में देश और जगह के लिए काश्मीर में बहुत ज्यादा विकास का कार्य नहीं हुआ है। खैरात का काम हुआ है, प्रलोभन का काम हुआ है, दलालों को देने का काम हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ, उत्पादन का काम, विकास का काम नहीं हुआ है जिसमें सबसे बड़ी चीज है बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनायें जो खड़ी होंगी टिकाऊ और जल विद्युत योजनायें काश्मीर की कायापलट कर देंगी और काश्मीर में खर्च भी नहीं हो सकती हैं। उसको बाहर आना पड़ेगा। वैसे ही विभिन्न किस्म के उद्योगों में जिनको हमने खैराती बनाकर रखा, थोड़ा रिक्शा दे दो, थोड़ा तांगा दे दो, थोड़ा नाव दे दो, टिकाऊ आधार मत दो। इसलिए ये खतरनाक है। इस नीति में मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। जो टिकाऊ आधार, जो वृक्ष का काम करे केवल फल खाने का नहीं वही टिकाऊ होगी, वही हमारी

एकता के लिए भी टिकाऊ चीज होगी। उस नीति में परिवर्तन भारत सरकार के बजट में और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस नीति में कुछ मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। खासकर काश्मीर के लिए। क्या सरकार इसको सोच सकती है कि पंचायत स्तर पर भी चुनावों को करवाने की हम सोचें। जो होगा देख लेंगे, वही फैसला करेंगे। मैं समझता हूं कि जनतंत्र में कुछ खूबी है। हम लोग 52 तक सोच भी नहीं सकते थे कि हम चुनाव में शामिल होंगे। मैं कम्यूनिस्ट आंदोलन की बात कर रहा हूं। इस समाज में चुनाव में हम शामिल होंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जनतंत्र की एक प्रक्रिया होती है जो हम यहां पर रखे हुए हैं। इसलिए जनतन्त्र की एक प्रक्रिया है, अगर सरकार हिम्मत कर सके, राष्ट्रपति शासन के वक्त में भी हम ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव कराएं और सही चुनाव होने दें जो जीतेगा उससे देश का कायापलट नहीं होगा। जो जीतेगा उसे हम जीतने दें। पार्टी के हित में, केवल हम विकृत करने का, बूथ पर कब्जा कराने का या चुनाव में अन्याय कराने का ही काम न करें। इससे कुछ परिवर्तन की बातें आ सकती हैं। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के मामले खुराना जी ने जो बातें उठायी हैं, वास्तव में समस्यायें हैं। लद्दाख के लोगों को भी शिकायत है लेकिन जब हम जम्मू-कश्मीर कहते हैं उसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों का मिला हुआ भाग शामिल है, तीनों का मिला हुआ संगम है, उस संगम पर जोर देते हुए, संगम को मजबूत करते हुए, तब अलग-अलग जो उनकी समस्यायें हैं, कुछ सांस्कृतिक हैं, भाषा की भी समस्यायें हैं, उनका भी संरक्षण हो, उनका भी विकास हो, मगर इस संगम को तोड़ कर नहीं, इस संगम पर चोट करके नहीं। आखिर में, उपाध्यक्ष जी, एक अप्रिय काम हम लोगों की भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति का शासन होना नहीं चाहिए, आने बढ़ना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी है। इसलिए हममें उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वहां परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। मगर परिस्थितियों को जल्दी से बदला जाए ताकि आखिरी बार सदन को यह काम करना पड़े। इसके बाद सीधे चुनाव में हम लोग जाएं, जनता द्वारा चुने हुए राज की प्रक्रिया वहां चले। इन शब्दों के साथ मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जम्मू और कश्मीर राज्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कल, कुछ लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य विधान सभा भंग करने की आलोचना की। अब वही सदस्य जम्मू व कश्मीर में हो रही घटनाओं की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ था जिसने 1984 में एक विशेष कदम उठाया था। यह समस्या उसकी वजह से शुरू हुई थी और आतंकवादी पनपने लगा था। उनका यह आरोप है। परन्तु वे इस बात को भूल रहे हैं कि सत्ता में आने के पश्चात उन्होंने क्या किया है। जिन्होंने अनुच्छेद 356 का उपयोग किए जाने की आलोचना की थी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उसी अनुच्छेद का सहारा लेकर जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल का शासन लागू किया है। परन्तु एक बार वह शासन स्थापित कर दिए जाने और राज्य विधान सभा भंग कर दिए जाने पर आजकल हम उससे पीछे हटना चाहते हैं और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसके उपरांत हमें इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक लोकप्रिय सरकार पुनः स्थापित हो और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। यदि हम कुछ राज्यों में आतंकवाद के पनपने के कारणों को देखें, तो हम पायेंगे कि हम उन राज्यों के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को भूल रहे हैं। वे रोजगार के प्रयोजनों के लिए वहां कुछ उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं। परन्तु हम उनकी मांगों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जब लोग अपनी संस्कृति तथा अन्य बातों की पहचान चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो।

महोदय, जैसेकि अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति से देश पर राज किया, और अपने शासन के लिए स्थिति का नाजायज फायदा उठाया—कुछ राजनैतिक दल भी अब उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। वे राज्यों की वर्तमान स्थिति से फायदा उठाना चाहते हैं और वे अपने दल का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। हमें इस तरह की गतिविधियों की निंदा करनी चाहिए। केवल उसी कारण कुछ क्षेत्रों में आतंकवाद पनप रहा है, लोग अन्य दलों की गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्रीयवाद बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। जब क्षेत्र में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो युवाओं में असन्तोष फैलता है। युवाओं की समस्याओं का लाभ उठाते हुए कुछ विदेशी विघटनकारी तत्व स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं। वे लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं। वे हमारे राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए उन लोगों को यहां भेजते हैं। यही जम्मू तथा कश्मीर में हो रहा है। हमने वहां पर चुनाव किस कारण से स्थगित किए? इसका कारण यही था कि बहुत से सदस्यों ने महसूस किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण चुनाव नहीं हो सकते। उस क्षेत्र में आतंकवाद क्यों फैला? हम आतंकवाद की समस्या हल क्यों नहीं कर सकते? यह स्थिति केवल जम्मू और कश्मीर में ही नहीं है बल्कि पंजाब और असम में भी है। कुछ सीमा तक, यह सब तमिलनाडु में भी शुरू हो चुका है। इसलिए, हमें इन बातों के मूल कारण का पता लगाना है।

हमें किन्हीं क्षेत्रों में और विशेष रूप से संवेदनशील और सीमा क्षेत्रों में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वे केन्द्रीय सरकार से बहुत सी बातों की अपेक्षा कर रहे हैं। कई बार हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असफल हो रहे हैं।

मैं सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि समय बहुत सीमित है। जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम अपने देश में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं तो, हमें उस देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सबसे ऊपर, हमें यह देखना है कि देश के सभी क्षेत्रों का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करके खुशहाली लाई जा सके। यह अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : महोदय, जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति बहुत खराब है और प्रशिक्षित उग्रवादियों के और घाटी में कार्य कर रहे आतंकवादियों के कारण बहुत गंभीर होती जा रही है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए, परन्तु वे अब भी उग्रवादियों के हथियार उपलब्ध हैं। सीमा पार करने के लिए पाकिस्तान से सहायता मिलने के कारण घाटी में असुरक्षा बढ़ रही है और यह अभी भी जारी है।

वास्तव में, घाटी के लोग आतंकवादियों तथा उनकी गतिविधियों के विरुद्ध हैं। लोगों की बड़ी संख्या, शांति एकता और सदभाव चाहती है। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रशिक्षित लोग, जो सीमा पार से आते हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हम राकेटों द्वारा हमले और बम विस्फोटों की वक्ता प्रायः सुनते हैं। हाल ही जम्मू में भी, सदन में यह बताया गया था कि दो बम विस्फोट हुए हैं। अन्तूबर,

1990 में 150 उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। 78 उग्रवादियों ने जनवरी में आत्म समर्पण किया था। इसलिए लोग, विशेषकर युवा, अब सही स्थिति को समझ रहे हैं। उग्रवादियों में भी स्थिति के बारे में विचार किया जा रहा है। यह पुनर्विचार देश के लिए अच्छा है। हम घाटी में शांति और सद्भाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हमें उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के प्रयास करने चाहिए। हम उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा में किस प्रकार ला सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के युवाओं की बहुत सी समस्याएं हैं। उनके लिए एक एकमुश्त कार्यक्रम की घोषणा की जानी चाहिए और उसे सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या है जो सारे देश में व्याप्त है। परन्तु जम्मू और कश्मीर राज्य की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बेरोजगार युवा काफी परेशानी उठा रहे हैं। पिछले दो वर्षों से पर्यटक वहां नहीं जा पा रहे हैं। यह उद्योग पूर्णतया ठप्प हो गया है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षित बेरोजगारी गम्भीर समस्या है जिसका सामना राज्य के युवा कर रहे हैं। सरकार जो कुछ भी कहे, विकासात्मक गतिविधियां रुकी पड़ी हैं।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में, विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने विभिन्न शिविरों में शरणार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। मैं व्यक्तिगत रूप से जम्मू और कश्मीर के कुछ शिविरों में गया हूं। वे बहुत बुरी दशा में हैं। शरणार्थियों की तरफ ठीक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिविरों की अवस्था बड़ी दयनीय है। पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। शिविरों के सुरक्षा प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। राशन आपूर्ति के सम्बन्ध में भी काफी शिकायतें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शिविरों में रह रहे लोगों के लिए सही और पर्याप्त मात्रा में राशन की आपूर्ति करे। उनके बच्चों को ठीक शिक्षा प्रदान की जाए। शरणार्थियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर स्कूलों में नहीं जा सकते। इसलिए शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा की उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिविरों में भी बेरोजगारी अपने सृजन आप में एक गम्भीर समस्या है। हमें पहले बताया गया था कि सरकार द्वारा कुछ रोजगार के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने थे। परन्तु अभी भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम राहत आयुक्त से मिले थे और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। परंतु सरकार और राहत आयुक्त इन समस्याओं को हल करने के लिए उचित कदम उठाने की स्थिति में नहीं। मेरी गृह राज्य मंत्री से प्रार्थना है कि वे कश्मीर के शरणार्थियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करें और उनको समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि जब उस राज्य में शांति और सद्भाव की स्थिति स्थापित हो जाए तो वे बिना बिना किसी समस्या के अपने राज्य में वापस जा सकें। जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, यह एक ऐसी गम्भीर समस्या है जिस पर सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए। विकासात्मक गतिविधियों के सम्बन्ध में लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं। विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से चलाया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकें। दुर्भाग्य से, लोगों की कई शिकायतें हैं कि सड़कों और बांधों की मरम्मत नहीं की जाती और विकासात्मक कार्य अत्यधिक धीरे चल रहे हैं और अफसरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों में कतिपय उपायों का सुझाव दिया था। अफसरशाही विकासात्मक कार्य करने की बिल्कुल इच्छुक नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जम्मू गया था। सैकड़ों खाद्य निरीक्षक, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, भूख हड़ताल पर बैठे थे। हम उनसे मिले और हमने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में काफी पद खाली हैं परन्तु सरकार उन खाली पदों को भरने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। जब हमने राज्यपाल से मुलाकात

की, तो हमें बताया गया कि अगले महीने, उन खाली पदों को भर दिया जाएगा। उसके बाद, उक्त आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन राज्यपाल ने उक्त खाली पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाएं। यह केवल एक उदाहरण है। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनका मैं समय के अभाव के कारण उल्लेख नहीं कर सकता। अफसरशाही का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस सम्बन्ध में राजनैतिक दलों का भी कुछ योगदान अवश्य होना चाहिए। संसद सदस्यों और भूतपूर्व विधायकों और अन्य सभी राजनैतिक दलों का भी विकासात्मक कार्यों और अन्य कार्यों में सहयोग लिया जाना चाहिए। एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना चाहिए। पहले विकास बोर्ड थे। लेकिन सभी राजनैतिक दलों को ऐसी गतिविधियों के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। हम सदैव जम्मू घाटी में विकासात्मक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि यह कैसे सम्भव हो सकता है। राज्यपाल और प्रशासन के सभी राजनैतिक दलों, संसद सदस्यों और भूतपूर्व विधायकों का उक्त कार्य में सहयोग लेना चाहिए। ताकि वे जनता में कार्य कर सकें और जनता से सम्पर्क रख सकें। जनता और सरकार के बीच सम्पर्क होना चाहिए। सरकार जनता से बातचीत कर सकती है। प्रशासन राजनैतिक दलों से सम्पर्क रख सकती है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सरकार खाड़कुओं से भी बात कर सकती है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु देश की एकता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

दूसरे, यह स्पष्ट करना है कि सारी बातचीत संविधान के ढांचे के अन्तर्गत होनी चाहिए। बातचीत सदैव अच्छी होती है, लेकिन खाड़कुओं से निपटते समय, सरकार को अत्यधिक सावधान और दृढ़ होना चाहिए अन्यथा सैनिक और अर्ध सैनिक बलों का मनोबल गिर जाएगा, जैसाकि हमने देश के अन्य भागों में देखा है। हमें अर्ध सैनिक बलों के मनोबल को किसी कीमत पर गिरने नहीं देना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा है, शांतिप्रिय व्यक्तियों द्वारा बातचीत का हमेशा स्वागत किया जाता है, और हम यही चाहते भी हैं। परन्तु खाड़कुओं और आतंकवादियों से निपटते समय सरकार को दृढ़ता दिखानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री डी० डी० खनोरिया (कांगड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, कश्मीर वैली का सवाल है, बहुत ही दुख की बात है कि कई सालों से कश्मीर वैली के लोग उसी दुख में पड़े हैं जिसमें कि वह पहले पड़े हुए थे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी कांगड़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। उन लोगों के रहने का तरीका, भाषा, संस्कृति सब एक है। कुछ दिन पहले मैं कश्मीर वैली में गया था। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते की बात है। मैंने सोचा था कि वहां पर जो हालात पैदा हो रहे हैं, शायद हो सकता है कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी पैदा हो जाएं। मैं वहां के हालात के बारे में पहले अखबारों में पढ़ता था। लेकिन मुझे अपनी आंखों से उसे देखने का मौका मिला। देखने से पता लगा कि लोग वहां बहुत ही भयभीत हैं। वहां डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हालत में था। कोई सड़कें नहीं बनी हुई थी, वे टूटी-फूटी हालत में थीं, कोई वहां दुकानें खुली हुई नहीं थीं, कोई डाकखाने नहीं खुले थे, बैंक नहीं खुले थे, स्कूल नहीं खुले थे और अस्पताल नहीं खुले थे। लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे पता लगा कि वहां से कुछ शरणार्थी लोग निकले हैं। मैं जम्मू के शरणार्थी कैम्पों में भी गया तो पता लगा कि दो लाख से ज्यादा शरणार्थी जो नॉन-मुस्लिम है, वे वहां से आए हैं और कैम्पों में रह रहे हैं। बाकी माननीय सदस्यों ने इसके बारे

में चर्चा की है। इस कारण मुझे इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह जरूरी है कि कैम्पों में उन शरणार्थियों की देखभाल के लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाए जाएं।

मैंने एक बात यह भी देखी कि वहां 24 घंटे में सिर्फ 3 4 घंटे बिजली आती है। बाकी पूरे दिन बिजली का कोई निशान नहीं रहता। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अस्पतालों में दवाइयों की सुविधा नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन चीजों को वहां उपलब्ध कराए।

कश्मीर, जम्मू और लद्दाख ये तीन इलाके वहां हैं और इनको मिलाकर जम्मू-कश्मीर बनता है लेकिन कश्मीर वैली में ऐसी सुविधा लोगों को मिल रही है जोकि दूसरे प्रांतों में लोगों को नहीं मिल रही है। धारा 370 के अंतर्गत वह सुविधा उनको मिल रही है। लोगों से बात करने के बाद पता लगा कि जम्मू और लद्दाख के हिस्से में भी वह सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा सम्भव नहीं है कश्मीर के लोगों को भी वह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए।

श्रीनगर में जो लोकल पेपर्स हैं और उनकी जो एजेंसीज हैं वे पाकिस्तान की भाषा में पेपर छापती हैं और उस को ही ज्यादा तरजीह देती हैं। इसके ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए।

श्रीनगर में टी० वी० की भी सुविधा नहीं है। इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो हमारी बाउन्ड्री लाइन है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, अगर हम उसको शील कर दें, वहां पर अगर हम सुरक्षा पट्टी बना दें, वहां पर अपनी फौजों को बिठा दें तो हो सकता है कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ रहे हैं, वह न आ सकें। जो असलाह, जो हथियार वहां से आ रहे हैं, उनमें एक रुकावट उनके सामने आ सकती है।

जितने भी विकास के काम कश्मीर वैली में होने चाहिए, जम्मू में होने चाहिए, लद्दाख के एरिया में होने चाहिए···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें बजट पर भी चर्चा करनी है कृपया इन बातों को उसके दौरान कहने के लिए सुरक्षित रखें।

[हिन्दी]

श्री डी० डी० खनोरिया : मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : महोदय मैं सरकार द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। यद्यपि मैं कश्मीर से नहीं हूं लेकिन कश्मीर और मेरे राज्य की समस्याएं—जो दोनों पर्यटन केन्द्र हैं—लगभग एक समान ही हैं। अतः मैं कश्मीर समस्या के संबंध में एक या दो महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

तीन मुख्य बातें हैं। एक है उक्त स्थिति का सशस्त्र बलों या पुलिस बल द्वारा सामना करना। दूसरी, प्रशासकीय तन्त्र द्वारा उसका सामना करना और तीसरी बात है उक्त स्थिति का राजनैतिक स्तर पर सामना करना।

महोदय, अनेक पक्षों द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर समस्या उक्त राज्य के प्रति विकासात्मक सुविधाओं में, नियुक्तियों में और अन्य क्षेत्रों में दिखाई गई असमानता से युवाओं में उत्पन्न हुई हताशा से सम्बद्ध है, लेकिन हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कश्मीर के बजट पर सदन में चर्चा करेंगे, अतः हमें इन बातों को उस चर्चा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि किन बातों का उल्लेख करना है और बजट की चर्चा के दौरान किन बातों का उल्लेख करना है।

प्रो० एन० टोम्बी सिंह : महोदय, यह कहा जाता है कि प्रधान मन्त्री द्वारा काश्मीर के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की गई है। हम आशा करते हैं कि इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी यही समस्यायें हैं वह राज्य भी पिछले कई दशकों तक विमोह और आतंकवाद से ग्रस्त रहे हैं। लेकिन हमें समय-समय पर और एक स्थिति से दूसरी स्थिति के अनुसार अपनी नीतियों को अवश्य बदलना चाहिए। राजनैतिक और अन्य आर्थिक पक्षों को छोड़ा नहीं जा सकता।

इस बहस में भाग लेते हुए मैं आपकी जानकारी में यह बात लाने के लिए इस सम्माननीय सदन में अमूल्य समय से एक मिनट का समय लेना चाहता हूं, कि मेरे राज्य के युवा यह महसूस करते हैं, कि उनको मुख्य धारा से दूर ले जाया गया है। विद्यार्थी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, साहित्यक और सांस्कृतिक संगठनों में सदस्य धरने में भाग लेने के लिए मनीपुर, असम, त्रिपुरा से आये हैं और वे वोट क्लब पर धरने पर बैठे हैं। उनकी एक मात्र मांग यह है कि मणिपुरी भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार के लिए यह मामूली बात हो सकती है परन्तु उनके लिए यह छोटी बात नहीं है। यह मुद्दा काफी समय से लम्बित है और यदि इसका समाधान नहीं किया जाता तो इससे स्थिति बिगड़ने लगेगी।

महोदय, मेरी अन्तिम बात यह है कि कश्मीर, पंजाब, असम और मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम सीमावर्ती राज्य हैं और जब हम नशीले पदार्थों, आतंकवादियों और विद्रोहियों की समस्याओं का समाधान कर लें तो हमें अपने पड़ौसियों के साथ संबंधों की भी पुनरीक्षा करनी होगी। हमें यह समाचार मिल रहे हैं कि असम, मणिपुर और नागालैंड में उग्रवादी पाकिस्तान के साथ फिर से संबंध स्थापित कर रहे हैं वे जम्मू, कश्मीर और पंजाब से सन्तुष्ट नहीं हैं। वे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मिजोरम, मणीपुर नागालैंड और अरुणाचल के एक भाग जो बांगलादेश से घिरे हैं, मैं ढाका, (बांगलादेश) के माध्यम से नये संबंध स्थापित कर रहे हैं। यदि हमने इन क्षेत्रों में स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया, तो स्थिति बिगड़ सकती है। दुर्भाग्य से उत्तरपूर्व में, स्वर्ण त्रिकोण एक प्रवेश द्वार है। यदि इस क्षेत्र में हमारा सुदृढ़ नियंत्रण नहीं होगा, तो हम स्थिति से उचित ढंग से नहीं निपट सकते।

इसको देखते हुए, जब हम कश्मीर समस्या पर विचार करते हैं, तो हमें पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ौसी देशों के साथ अपने संबंधों पर विचार करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस समय क्या संबंध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संबंध इस समय बेहतर हैं और समाचारों में भी अधिक कुछ नहीं है। हमें इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि पड़ौसी देशों के साथ और विशेष रूप से जहां उग्रवादी अत्यधिक सक्रिय हैं, हमारे संबंध सुधरें। सरकार निष्क्रिय नहीं रह सकती और यह स्थिति के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सुझावों पर अपने विचार व्यक्त करे।

निष्कर्ष रूप में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे राज्य से आये प्रतिनिधिमण्ड की ओर प्रधानमन्त्री को ध्यान देना चाहिए।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही कम समय जो उपलब्ध है उसमें मुझे कुछ टिप्पणियां करने और कुछ प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मेरा पहला मुद्दा यह है, जैसाकि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान सीमा पार क्षेत्र से परोक्ष रूप से कश्मीर में युद्ध जारी रखे हुए हैं। पिछले वर्ष हमने इस मुद्दे को पाकिस्तान के अपने विभिन्न मित्रों के समक्ष उठाया और इसके कुछ परामर्शदाताओं, विशेषकर अमरीका के समक्ष भी उठाया था। ऐसा प्रतीत होता है पिछले कुछ महीनों में अमरीका ने तीन बातों को स्पष्ट कर दिया है। प्रथमतः, वे जन-मत संग्रह नहीं चाहते। द्वितीय वे शिमला समझौते के अनुसार समस्या का हल करना चाहते हैं। और तीसरे, वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त और राज्य पर आधारित आतंकवाद का विरोध करते हैं। वास्तव में, तत्पश्चात् हमारे पास बैब गेट्स नाम का मिशन था तब हमें बताया गया था कि अमरीकियों के दबाव के कारण पाकिस्तान में आतंकवादियों के लगभग 31 कैम्प बन्द कर दिए गए थे। इसलिए, सरकार से मेरा यह प्रश्न है कि सीमा पार से आतंकवाद की क्या स्थिति है ? क्या किसी प्रकार का दबाव जिसे बताया गया है कि अमरीकियों द्वारा पाकिस्तान पर डाला गया है, उससे कोई अंतर पड़ा है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो चूंकि अमरीकी इस विषय पर वचनबद्ध हैं तो हमारा क्या करने का प्रस्ताव है ?

मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। हमने पंजाब के साथ लगी अपनी सीमा को सील करने की मांग की है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को सील करने के लिए यदि कोई प्रयास किए गए हैं तो क्या किए गए हैं ? मुझे कुछ भूतपूर्व सेना अध्यक्ष से बात करने का अवसर मिला है और मुझे बताया गया है कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। तथापि सीमा को ठीक प्रकार और प्रभावी तरीके से सील करने का कार्य मानव बुद्धि कौशल से परे नहीं है।

मेरा अगला प्रश्न राजनैतिक प्रक्रिया की मांग के संबंध में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूतपूर्व राज्य पाल ने राज्य विधान सभा को भंग करने का निर्णय किया। परन्तु राजनैतिक प्रक्रिया के संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। मेरी राय में दो बातें की जा सकती हैं। प्रथमतः हम एक सलाहकार परिषद का गटन कर सकते है। कश्मीर में भी राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए एक प्रभावी सलाहकार परिषद होनी चाहिए। यह परिषद वास्तविक रूप में मंत्रालय के समान होनी चाहिए। यह सलाहकार परिषद राज्य में रहने वाले लोगों और राज्य विधान सभा जो अब भंग हो चुकी है, के विद्यमान दलों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। सलाहकार परिषद के अतिरिक्त मैं समझता हूं कि केन्द्र में भी कोई तन्त्र होना चाहिए। हम एक संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं जो कि

कश्मीर की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है और प्रस्तावित सलाहकार परिषद के साथ निकट का संबंध रख सकती है ताकि केन्द्र में मामलों पर प्रभावशाली तरीके से विचार किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस विचारधारा को पसंद करता हूं जिसका यह विचार ही कि हम किसी भी स्थान पर उग्रवादियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहें बशर्ते वे भारतीय संविधान की परिधि के अंतर्गत कोई संभव हल पर चर्चा करने के इच्छुक हों। मैं विश्वास करता हूं कि यह देखने के प्रयास किए जाएं कि हम इन उग्रवादियों के साथ कश्मीर में बातचीत करें और इस विशेष विषय पर कौन बातचीत करने का इच्छुक है उसका पता लगाए। बातचीत कर सकते हैं। कश्मीर की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग स्पष्ट रूप से भारत के साथ जुड़ा रहना चाहता है। इसके संबंध में कोई दोराय नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से इन उग्रवादियों को अलग-अलग करने के लिए श्री कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

लद्दाख के प्रश्न का भी इसी में उल्लेख किया गया है। लद्दाख के लोग जिन्होंने श्रीनगर और दिल्ली में उपेक्षा होने के कारण बहुत दुख उठाए हैं, किसी प्रकार की परिषद के गठन की मांग कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उनको दार्जिलिंग की भांति एक स्वायत्तशासी परिषद के गठन का वायदा किया गया था। मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि पिछली सरकार द्वारा जो वायदा किया गया था उसे पूरा किया जाना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकार द्वारा किया गया वायदा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यह ठीक ही हुआ है कि श्री सुबोध कांत सहाय, जो इस सरकार में राज्य मन्त्री हैं वे श्री वी० पी० सिंह की सरकार में भी गृह राज्य मन्त्री ही थे, मैं समझता हूं कि उनको अपने उत्तरदायित्व और नैतिक जिम्मेदारी दोनों के प्रति इस सम्बन्ध में अधिक कर्तव्यनिष्ठता दिखानी चाहिए।

मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ—मुझे इसकी पहले जानकारी नहीं थी कि जम्मू और कश्मीर में अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपना जनगणना सम्बन्धी कार्य करना चाहिए। जम्मू क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं है। हमें निश्चित रूप से घाटी में अपनी पार्टियां भेजनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हम आम चुनावों के आधार पर जिसमें भी राज्य के बाहर के मतदाताओं की अपने वोट डालने का अधिकार दिया जाता है की भांति विभिन्न शरणार्थी शिविरों में भी जनगणना कर सकते हैं।

अन्त में, मेरा यह सुझाव है कि किसी प्रकार का संसदीय तंत्र स्थापित करने, जोकि राज्य की राजधानी और केन्द्रीय सरकार के बीच पर्यवेक्षण कर सके और सम्पर्क बनाने के अलावा हमें घाटी में एक संसदीय दल भी भेजना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक केन्द्र के जिम्मेदार नेताओं की तरफ से जम्मू के इन शरणार्थी शिविरों में आने और देखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अजीबो गरीब बात यह है कि नेशनल कान्फ्रेंस के नेताओं जोकि धर्म निरपेक्ष राज्य की हिमायत करते हैं, में से भी किसी ने और जो रात दिन ये नारे ही लगाते रहते हैं, कोई कार्य नहीं किया है। उनमे से किसी ने भी वहां पर जाने और जम्मू में शरणार्थी शिविरों की स्थिति देखने की ओर ध्यान नहीं दिया है।

इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार को वहां पर एक संसदीय दल भेजने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक सिफारिशें करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव यहां पर दिए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जनता दल की ओर से किसी भी सदस्य को इस विषय में बोलने का समय नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जनता दल की ओर से श्री हरि किशोर सिंह बोले हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव यहां पर दिए गए हैं, वे बहुत लाभदायक ही नहीं, बल्कि लगता है कि जम्मू कश्मीर में घटने वाली घटनाओं से लोग अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। खास तौर से भाई सैफुद्दीन चौधरी ने जिस दृष्टिकोण से सुझाव रखे हैं, महोदय, मैं समझता हूं कि अगर वह दृष्टिकोण हम तमाम लोगों का भी हो तो कश्मीर समस्या को समझने में ज्यादा आसानी होगी। यह हकीकत है कि कश्मीर का सवाल आजादी के साथ जुड़ा हुआ आज तक रहा है। जिनका दृष्टिकोण यह है कि आज कश्मीरी लोग जो कर रहे हैं, वे वही कश्मीरी हैं जो 1947 में आजादी के समय थे। यह देखना होगा कि इन कश्मीरियों ने पाकिस्तान से 3-3 जंग लड़ी हैं और अपनी कूवत पर लड़ी हैं और हमें भी जो थोड़ा बहुत मौका मिला है देखने का उस इलाके में तो उनके दिल में जो नफरत है, क्योंकि वे भुक्तभोगी रहे हैं उन तमाम घटनाओं के जब पाकिस्तानियों का हमला इस इलाके में हुआ था, तो उनकी इज्जत और घर की मर्यादा को भी लूटने का काम उन लुटेरों ने किया था, यह भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनकी नीयत पर शक करने का मतलब जो उस इलाके में रहने वाले कश्मीरी हैं, वे कहीं न कहीं पाकिस्तानी विचारधारा से जुड़ गए हैं, यह उनके साथ अन्याय होगा। यह अन्याय होगा बल्कि यह देखना होगा कि जो लोग इस देश में 47 में रहे हैं उनकी जो हालत थी, उसको नहीं समझ पाए। इसमें गलती किसकी है। माननीय खुराना साहब यह बात कह रहे थे कि उस इलाके में माइग्रेंट के लोगों की स्थिति के बारे में जातीय दृष्टिकोण है, उससे मैं सहमत हूं। जो लोग माइग्रेंट हुए हैं वे एक अच्छे खाते परिवार के लोग थे। उनको टैंटों में रखा जाएगा। उनको मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इसे कोई भी समझ सकता है। मैं जम्मू में गया था और खुद उनको देखा कि उनके हौसले बुलन्द हैं। उन्होंने कहा कि जितना सरकार ने किया है इन हालात में तो वह बहुत है। हम अपने घर जाना चाहते हैं।.... (व्यवधान) मैं टैंट की बात कर रहा हूं। एक मिडिल क्लास के परिवार के लोगों को अगर टैंट में रखते हैं तो उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी, यह मैं समझ सकता हूं। वहां पर पोलिटिकल लोगों को एक्टीविटीज को शुरू किया जाए। मैं समझता हूं कि सरकार यह चाहती है कि वहां पर एक एडवाइजरी कमेटी के तौर पर रहे जो गवर्नर के साथ रोज-ब-रोज सवालों पर बात करने का काम करें। पिछली बार जिला स्तर पर डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान राज्य सरकार ने बनाई है जिसमें वहां के लोग सरकार के साथ, जिला प्रशासन के साथ जुटना चाहते हैं। उनको कैसे इन्वाल्व किया जाए। इस दृष्टिकोण से डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान में सरपंच, ताल्लुकदार, उस इलाके के मास्टर हों और शिक्षक हों। इन लोगों को लेकर के डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान जिसमें वहां कमेटी बनाने का राज्य सरकार का प्रपोजल है। मैं समझता हूं कि प्रशासन और जनता के बीच में जो संवाद खत्म हो गया है, उसकी शुरुआत होगी। अगर कोई माननीय सदस्य यहां से जाना चाहते हैं तो राज्य सरकार और यहां से

हम पूरी तरह प्रबन्ध करेंगे। काश्मीर और श्रीनगर वैली को नजदीक से देखे बिना हम राय नहीं बना सकते। जो शक्तियां हैं वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने जा रही हैं। वह भी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सामान्य स्थिति बहाल नहीं होने देना चाहती। आज के दिन करीब दो सौ लोग हथियार के साथ हमारी पैरा-मिलिट्री फोर्स और आरमी के पास कर सरेन्डर करते हैं बिना किसी कंडीशन के तो यह शुभ लक्षण है। वहां कोई ऐसी घटना कर देना चाहते हैं जिसके आधार पर वहां का सारा राजनैतिक माहौल खराब हो जाए तो इसे भोगना होगा। इससे परेशानी न हो बल्कि इससे निपटने के लिए तैयार होना होगा। माननीय सदस्यों ने आज की विदेश नीति के बारे में पूछा है कि हमारी विदेश नीति क्या है। दूसरे विदेशों की नीति काश्मीर के बारे में सुधरी है, वह एक पाजीटिव साइन है। मैं समझता हूं कि इस सरकार का एचीवमेंट है। कुछ लोग शिमला समझौते पर प्रश्न चिह्न लगाते थे और वहां पर सैल्फ डिटरमिनेशन की बात किया करते थे। वे कहते हैं कि जो शिमला समझौता हुआ है वह आखिरी समझौता होगा और उसी के आधार पर काश्मीर की समस्या का समाधान होगा। डवलपमेंट के सवाल पर सरकार ने प्राथमिकता दी है। करीब 6 करोड़ रुपया इस बार हम लोगों ने जो वहां का हैंडीक्राफ्ट रोजगार है, उसके लिए वहां से माल खरीदकर देश में विभिन्न राज्यों में बेचने का काम किया है। कोशिश है कि वहां सामान्य स्थिति बने। कोई चौकन्ना होने वाली घटना से परेशानी न हो बल्कि एकजुट होकर काश्मीरियों का दिल जीतने का काम करें।

श्री मदन लाल खुराना : माननीय प्रधान मन्त्री जी वहां के माइग्रेंट लोगों को देखने के लिए खुद जायें। सांसदों को ले जायं तो ठीक है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : जो वहां से विस्थापित होकर आये हैं उनकी सम्पत्ति को जबर्दस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। उनकी सम्पत्तियों को बेच रहे हैं, उनकी सम्पत्ति की रक्षा की जाए ताकि जब वे वहां जायें तो उनको अपनी सम्पत्ति मिल सके।

श्री इन्द्र जीत : सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री महोदय।

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : उपाध्यक्ष जी, भाई मदन लाल खुराना ने सुझाव दिया है, हम सम्पर्क में हैं कश्मीर के प्रशासन से, जो वहां के विस्थापित हैं हमसे मिले हैं। मैं उनके सुझाव के बारे में यह कहना चाहूंगा कि शीघ्र ही हम वहां जायेंगे। अगर वहां कोई कमी रह गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि हर व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की जाए। मैं यह नहीं कहता कि शत-प्रतिशत सुरक्षा हुई है, कुछ जगहों पर आग लगी है, कुछ घरों की संपत्ति लूटी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर सुरक्षा हुई है।

[अनुवाद]

दूसरा प्रश्न मेरे मित्र श्री इन्द्र जीत द्वारा उठाया गया था। हम सीमा पार में आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई

है। यह सच है कि विश्व के कतिपय शक्तिशाली देशों के दृष्टिकोण में इस समस्या के प्रति बदलाव आया है और पाकिस्तान की सरकार के दृष्टिकोण में भी मामूली सा बदलाव आया है। परन्तु यह एक स्वागत योग्य चिह्न है। मुझे आशा और विश्वास है कि पाकिस्तान के प्राधिकारी इस बात को अनुभव करेंगे कि इन दोनों देशों के मध्य तनाव से किसी को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें सद्भावना उत्पन्न करने का वातावरण तैयार करना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे एक राष्ट्र अथवा सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर प्रयास करें कोई भी जो काश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा उसे पूर्णतया निराशा ही हाथ लगेगी यह बहुमत और अल्पमत का प्रश्न नहीं है, यह इस देश के धर्म-निरपेक्ष मूल्यों का प्रश्न है और भारत इसके प्रति वचनबद्ध है कि कश्मीर हर कीमत पर भारत के साथ रहेगा। इस संबंध में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। मैं माननीय सदन और राष्ट्र को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र के भीतर अथवा सीमा के बाहर कोई भी गतिविधि सरकार को अपने इस कर्तव्य निर्वाह से नहीं रोक सकती, कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति बदले और हमारे मित्र जो काश्मीर से बाहर चले आए हैं वे शान्ति और अमन के वातावरण में अपने घरों को वापस लौटें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 1991 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.00 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची के अगले मद पर विचार करेंगे, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। श्री कपिल देव शास्त्री प्रस्ताव रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1991 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस समय सबसे ज्यादा संकटकालीन स्थिति से संसार गुजर रहा है। भारत के अन्दर जैसी स्थिति है, वह बहुत कठिन है और देश की एकता, अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता····

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखियेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही सोमवार 4 मार्च, 1991 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 4 मार्च, 1991/13 फाल्गुन 1912 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रण : प्रिंट वैल प्रिंटर्स, पटपड़गंज।